ISSN 0972-5636

भारतीय आधुनिक शिक्षा

वर्ष 43 **अंक 1** **जुलाई 2022**

पत्रिका के बारे में

भारतीय आधुनिक शिक्षा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की त्रैमासिक पत्रिका है, जो यू.जी.सी. की केयर (कंसोर्टियम फ़ॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स— के.ए.आर.ई.) पत्रिकाओं की सूची में सूचीबद्ध है। यह पत्रिका शिक्षाविदों, शैक्षिक प्रशासकों, शिक्षक-प्रशिक्षकों, शिक्षकों, शोधार्थियों, विद्यार्थी-शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को विद्यालयी शिक्षा एवं अध्यापक शिक्षा पर अपने मौलिक शैक्षिक विचार रखने का एक मंच प्रदान करती है। लेखकों द्वारा भेजे गए सभी लेखों, शोध पत्रों, पुस्तक समीक्षाओं आदि का प्रकाशन से पूर्व समकक्ष विद्वानों द्वारा पूर्ण निष्पक्षतापूर्वक पुनरीक्षण किया जाता है। इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य विद्यालयी शिक्षा एवं अध्यापक शिक्षा के विभिन्न आयामों में, विशेषकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में, विद्यालयी शिक्षा एवं अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देना है। इस पत्रिका का एक अन्य उद्देश्य मौलिक एवं समीक्षात्मक चिंतन को भी प्रोत्साहित करना है।

लेखकों द्वारा व्यक्त किए गए विचार उनके अपने हैं। अतः ये किसी भी प्रकार से परिषद् की नीतियों या संपादकीय समिति के विचारों को प्रस्तुत नहीं करते हैं।

© 2024*. पत्रिका में प्रकाशित लेखों का रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा सर्वाधिकार सुरक्षित है, परिषद् की पूर्व अनुमति के बिना, लेखों का पुनर्मुद्रण किसी भी रूप में मान्य नहीं होगा।

सलाहकार समिति

निदेशक, रा.शै.अ.प्र.प. : दिनेश प्रसाद सकलानी
अध्यक्ष, अ.शि.वि. : शरद सिन्हा
अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग : अनूप कुमार राजपूत

संपादकीय समिति

अकादमिक संपादक : जितेन्द्र कुमार पाटीदार
मुख्य संपादक : श्वेता उप्पल

अकादमिक संपादकीय समिति

रंजना अरोड़ा
बी.पी. भारद्वाज
मधूलिका एस. पटेल
उषा शर्मा

प्रकाशन मंडल

मुख्य उत्पादन अधिकारी : अरुण चितकारा
मुख्य व्यापार प्रबंधक : अमिताभ कुमार
सहायक उत्पादन अधिकारी : ओम प्रकाश

आवरण

अमित श्रीवास्तव

हमारे कार्यालय

प्रकाशन प्रभाग
एन.सी.ई.आर.टी. कैंपस
श्री अरविंद मार्ग
नई दिल्ली 110 016 फोन : 011-26562708

108, 100 फ़ीट रोड
होस्केरे हल्ली एक्सटेंशन
बनाशंकरी ।।। स्टेज
बेंगलुरु 560 085 फोन : 080-26725740

नवजीवन ट्रस्ट भवन
डाकघर नवजीवन
अहमदाबाद 380 014 फोन : 079-27541446

सी. डब्ल्यू. सी. कैंपस
धनकल बस स्टॉप के सामने
पनिहटी
कोलकाता 700 114 फोन : 033-25530454

सी. डब्ल्यू. सी. कॉम्प्लैक्स
मालीगाँव
गुवाहाटी 781 021 फोन : 0361-2674869

मूल्य

एक प्रति : ₹ 50 वार्षिक : ₹ 200

* जून 2024 में मुद्रित

विद्यया ऽ मृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

ISSN 0972-5636

भारतीय आधुनिक शिक्षा

वर्ष 43 | अंक 1 | जुलाई 2022

इस अंक में

संपादकीय		
वर्तमान में योगवासिष्ठ शिक्षा की प्रासंगिकता एक समग्र दृष्टिकोण	दीप्ति वाजपेयी	7
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में विद्यालयी शिक्षा में जेंडर समावेशन	मोहम्मद ज़मीर	13
ग्रीष्मकालीन शिविर रचनात्मक गतिविधियों के आयोजन का अनुभव	उमेश चमोला	24
आनंद निकेतन विद्यालय में 'स्वयंपाक' का प्रयोग	ऋषभ कुमार मिश्र	29
मस्तिष्क आधारित अधिगम सीखने-सिखाने का एक नवीन दृष्टिकोण	अनिल कुमार अनीता रस्तोगी	41
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में बहुसांस्कृतिक शिक्षा	अनामिका यादव शिरीष पाल सिंह	54
विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए यौन शिक्षा	रश्मि कुमारी राजौरा	65
विद्यार्थी जीवन में करियर निर्देशन एवं परामर्श की भूमिका	गुरमीत सिंह	79
अरुणाचल प्रदेश में शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी	रिनचिन जोम्बा विवेक सिंह	86
रचनावादी शिक्षण उपागम प्रतिक्रिया मापनी का निर्माण तथा मानकीकरण	सुमित गंगवार शिरीष पाल सिंह	96

पॉक्सो अधिनियम 2012 के आधार पर विकसित विद्यालयी दिशा-निर्देशों के प्रति अध्यापकों की जागरूकता का अध्ययन	चेतना जठोल रंजीत कौर	108
चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के प्रति अध्यापक-प्रशिक्षकों के अभिमत का अध्ययन	शालिनी वर्मा नरेन्द्र कुमार एन. पी. एस. चंदेल सौरभ कुमार राजेन्द्र प्रसाद	118

संपादकीय

सभी पाठकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दो वर्ष पूर्ण होने पर बधाई! आप सभी जानते हैं कि शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस नीति को 29 जुलाई 2020 को देश की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव की पहल के रूप में लागू किया गया था। इस नीति के लागू होते ही सभी इसके क्रियान्वयन में जुट गए। साथ ही, शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस नीति के क्रियान्वयन का लक्ष्य एवं समय आधारित क्रियान्वयन योजना का दस्तावेज *सार्थक* भी बनाया गया। यह दस्तावेज राष्ट्रीय स्तर से स्थानीय स्तर तक की समस्त संस्थाओं या संगठनों और हितधारकों को अपनी ज़िम्मेदारियों एवं अपेक्षित प्रतिफलों की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शित करता है। इसी कड़ी में, शिक्षा व्यवस्था में विशेषकर विद्यालय शिक्षा में बदलाव दिखाई देने लगे हैं, जिनमें बुनियादी साक्षरता एवं संख्याज्ञान पर निपुण भारत, विद्या प्रवेश (तीन माह का गतिविधि आधारित विद्यालय प्रवेश मॉड्यूल), निष्ठा 2.0, राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला (एनडीईएआर), स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फ़ॉर एनालिसिस लर्निंग (सफल) आदि) शामिल हैं। इन्हीं सरोकारों से जुड़े लेखों एवं शोध-पत्रों को पत्रिका के इस अंक में शामिल किया गया है।

भारतीय प्राचीन ग्रंथों एवं साहित्य में निहित शैक्षिक संकल्पनाओं के अध्ययन एवं चिंतन पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विशेष बल दिया है। इसी दर्शन को लेख 'वर्तमान में योगवासिष्ठ शिक्षा की प्रासंगिकता— एक समग्र दृष्टिकोण' में प्रस्तुत किया गया है।

वहीं 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में विद्यालयी शिक्षा में जेंडर समावेशन' पर आधारित लेख में बताया गया है कि समाजीकरण के परिप्रेक्ष्यों में विद्यालय एक महत्वपूर्ण अभिकर्ता है, जो बच्चों को जेंडर असमानता के प्रति संवेदनशील बनाता है। इस हेतु शिक्षा की विषयवस्तु और प्रक्रिया को जेंडर पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता को संबोधित करते हुए जेंडर समावेशी विद्यालयी वातावरण बनाना आवश्यक है।

विद्यालयी शिक्षा के दौरान ग्रीष्मकालीन अवकाश को लेकर विद्यार्थियों में विशेष उत्साह पाया जाता है। इस अवकाश के रचनात्मक उपयोग के लिए विभिन्न संस्थाएँ विद्यार्थियों के लिए ग्रीष्मकालीन शिविरों का आयोजन करती हैं। इन्हीं शिविरों में एक मेंटर द्वारा प्राप्त अनुभवों को लेख 'ग्रीष्मकालीन शिविर— रचनात्मक गतिविधियों के आयोजन का अनुभव' में प्रस्तुत किया गया है।

'आनंद निकेतन विद्यालय में 'स्वयंपाक' का प्रयोग' नामक लेख महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत 'नई तालीम' पर आधारित एक विरासत के रूप में संचालित आनंद निकेतन विद्यालय के एक प्रयोग 'स्वयंपाक' को साझा करता है। इस लेख में बताया गया है कि कैसे इस विद्यालय में 'स्वयंपाक' की गतिविधियों द्वारा विद्यार्थियों को विषयों का ज्ञान, मूल्य और कौशल सिखाए जाते हैं?

पत्रिका में लेख 'मस्तिष्क आधारित अधिगम—सीखने-सिखाने का एक नवीन दृष्टिकोण' मस्तिष्क आधारित अधिगम के सिद्धांतों, मूल विधियों एवं उसके शैक्षिक निहितार्थ से अवगत कराता है। साथ ही, यह भी बताता है कि मस्तिष्क-आधारित अधिगम का उपयोग किस प्रकार शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में किया जाए?

बहुसांस्कृतिक शिक्षा विद्यार्थियों को विभिन्न संस्कृतियों से परिचित कराती है। साथ ही, विद्यार्थियों में अपनी संस्कृति, संवेदनशीलता और दूसरों की संस्कृति के प्रति सहानुभूति एवं सम्मान की भावना भी पैदा करती है। इसी पर आधारित लेख 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में बहुसांस्कृतिक शिक्षा' इस अंक में शामिल किया गया है।

आज की युवा पीढ़ी यौन शिक्षा के अभाव तथा मिथ्या धारणाओं के जाल में फँसते हुए भटक गई है। इसलिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में औपचारिक यौन शिक्षा की अत्यधिक आवश्यकता है। इसके माध्यम से बच्चों में संवैधानिक एवं सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करते हुए शारीरिक संबंधों के प्रति समझ विकसित की जा सकती है। इसी विमर्श को लेख 'विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए यौन शिक्षा' में प्रस्तुत किया गया है।

विद्यार्थी जीवन में आगे बढ़ने के लिए करियर निर्देशन एवं परामर्श की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह निर्देशन और परामर्श विद्यार्थी को सामाजिक एवं आर्थिक मनुष्य बनाने के लिए समय-समय पर निरंतर सहायता करता है। इसी पर केंद्रित लेख 'विद्यार्थी जीवन में करियर निर्देशन एवं परामर्श की भूमिका' पत्रिका में शामिल किया गया है।

'अरुणाचल प्रदेश में शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी' नामक शोध-पत्र में माध्यमिक विद्यालय स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के प्रति अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम-कामेंग जिले के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति और अध्यापकों के मतों पर आधारित शोध अध्ययन दिया गया है। इस शोध अध्ययन में पाया गया कि विद्यार्थियों की शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के प्रति अभिवृत्ति में अधिवास एवं विद्यालय के प्रकार तथा जनजातीय स्थिति के आधार पर सार्थक भिन्नता है। जबकि अध्यापकों का मत है कि जिले में अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों को ही शिक्षा का माध्यम होना चाहिए।

पत्रिका में शामिल एक अन्य शोध-पत्र माध्यमिक स्तर के शिक्षार्थियों के लिए 'रचनावादी शिक्षण उपागम प्रतिक्रिया मापनी का निर्माण एवं मानकीकरण' दिया गया है। इसमें शोधार्थियों द्वारा रचनावादी शिक्षण उपागम प्रतिक्रिया मापनी के निर्माण की वैज्ञानिक प्रक्रिया को बताया गया है।

'पॉक्सो अधिनियम 2012 के आधार पर विकसित विद्यालयी दिशा-निर्देशों के प्रति अध्यापकों की जागरूकता का अध्ययन' पर आधारित शोध-पत्र में दर्शाया गया है कि अध्यापकों में इस अधिनियम के विभिन्न आयामों के प्रति पर्याप्त जागरूकता नहीं है। साथ ही, विद्यालय भी इससे संबंधित दिशा-निर्देशों का गंभीरता से पालन नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा, अध्यापकों को इस अधिनियम के बारे में प्रशिक्षण देने संबंधी प्रयास भी संतोषजनक रहे।

पत्रिका में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अनुशंसित 'चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के प्रति अध्यापक-प्रशिक्षकों के अभिमत के

अध्ययन' पर आधारित शोध-पत्र प्रस्तुत किया गया है। शोध-पत्र यह दर्शाता है कि अध्यापक-प्रशिक्षक यह मानते हैं कि चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के संचालित होने से विद्यार्थी-शिक्षक अधिक पेशेवर व शिक्षण पेशे के प्रति अधिक समर्पित होंगे। परंतु वर्तमान में इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने पर अध्यापक-प्रशिक्षकों के मतों में भिन्नता पाई गई।

आप सभी की प्रतिक्रियाओं की हमें सदैव प्रतीक्षा रहती है। आप हमें लिखें यह अंक आपको कैसा लगा। साथ ही, आशा करते हैं कि आप अपने मौलिक तथा प्रभावी लेख, शोध पत्र, आलोचनात्मक समीक्षाएँ, श्रेष्ठ अभ्यास, पुस्तक समीक्षाएँ, नवाचार एवं प्रयोग, क्षेत्र अनुभव आदि प्रकाशन हेतु 'लेखकों के लिए दिशा-निदेर्शों में दिए गए पते पर भेज सकते हैं।

अकादमिक संपादकीय समिति

फार्म 4

(नियम 8 देखिए)

भारतीय आधुनिक शिक्षा

1.	प्रकाशन स्थान	नई दिल्ली
2.	प्रकाशन अवधि	त्रैमासिक
3.	मुद्रक का नाम	मनोज शर्मा चार दिशाएँ प्रिंटर्स, प्रा. लि.
	(क्या भारत का नागरिक है?)	हाँ
	(यदि विदेशी है तो मूल देश का पता)	लागू नहीं होता
	पता	जी 40 - 41, सैक्टर - 3, नोएडा 201 301
4.	प्रकाशक का नाम	अनूप कुमार राजपूत
	(क्या भारत का नागरिक है?)	हाँ
	(यदि विदेशी है तो मूल देश का पता)	लागू नहीं होता
	पता	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग नई दिल्ली 110 016
5.	अकादमिक मुख्य संपादक का नाम	जितेन्द्र कुमार पाटीदार
	(क्या भारत का नागरिक है?)	हाँ
	(यदि विदेशी है तो मूल देश का पता)	लागू नहीं होता
	पता	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग नई दिल्ली 110 016
6.	उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार-पत्र के स्वामी हों तथा समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों	अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग नई दिल्ली 110 016 (शिक्षा मंत्रालय की स्वायत्त संस्था)

मैं, अनूप कुमार राजपूत, अध्यक्ष, प्रकाशन विभाग एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर लिखे विवरण सत्य हैं।

अनूप कुमार राजपूत

प्रकाशन प्रभाग

वर्तमान में योगवासिष्ठ शिक्षा की प्रासंगिकता एक समग्र दृष्टिकोण

दीप्ति वाजपेयी*

शिक्षा समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का सर्वाधिक सशक्त माध्यम है। शिक्षा ही वह ज्ञान ज्योति है, जो व्यक्ति के अंतस के तमस को नष्ट कर उसे विवेक शक्ति से आप्लावित करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में नि:संदेह भारत के उज्ज्वल भविष्य की अनंत संभावनाएँ निहित हैं। यह शिक्षा नीति, शिक्षार्थी विकास की अनंत संभावनाओं को साथ लेकर आई है। अब सबकी ज़िम्मेदारी है कि हम इस नीति का सुचारू रूप से क्रियान्वयन करें। इस नीति में, शिक्षार्थियों को भारत की समृद्ध, बहुविध, प्राचीन संस्कृति तथा ज्ञान प्रणालियों का बोध कराना एवं प्राच्य ज्ञान से जोड़ने हेतु बल दिया गया है। इस दृष्टि से, भारतीय प्राचीन ग्रंथों में निहित शैक्षिक संकल्पनाओं का अध्ययन एवं चिंतन आवश्यक हो जाता है। इसी कड़ी में, योगवासिष्ठ जैसे प्राचीन ग्रंथ के शैक्षिक निहितार्थों से प्रेरणा लेना, एक समग्रता पूर्ण शैक्षिक ढाँचे के निर्माण हेतु आवश्यक प्रतीत होता है। अतः इस लेख में योगवासिष्ठ की वर्तमान में प्रासंगिकता को दर्शाते हुए शिक्षार्थी एवं शिक्षा प्रक्रिया की संकल्पना को विस्तारपूर्वक प्रस्तुत किया गया है।

शिक्षार्थी शिक्षा-प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षा का उद्देश्य बच्चे का अभ्युदयगत तथा निःश्रेयसात्मक विकास करना है। इस दृष्टि से शिक्षक, पाठ्यक्रम, शिक्षण-विधियाँ, शैक्षिक परिवेश इत्यादि शिक्षा प्रक्रिया के समस्त अंग शिक्षार्थी के समग्र विकास के प्रति समर्पित हैं। प्रायः शिक्षा से सरोकार रखने वाले व्यक्तियों ने बच्चे को शिक्षा प्रक्रिया का केंद्र बिंदु माना है।

योगवासिष्ठ के अनुसार शिक्षा, शिक्षार्थी के लिए है। शिक्षार्थी को समस्याओं, तनावों, किंकर्तव्यविमूढ़ता, अंतर्द्वंद, दुःखानुभूति तथा अविद्या से मुक्त करना शिक्षा का कार्य है। आद्यावस्था में वैरागी तथा अकर्मण्य व्यग्रचित्त राम को गुरु वशिष्ठ शिक्षा द्वारा ज्ञान व कर्तव्य का बोध कराते हैं, जिससे श्रीराम उत्तरोत्तर उत्तम शिक्षा की भूमिका के निर्वहन योग्य हो जाते हैं। योगवासिष्ठ की शिक्षार्थी संकल्पना को तीन बिंदुओं में वर्गीकृत किया गया है, जो इस प्रकार हैं—

शिक्षार्थी की शारीरिक ऐन्द्रिय संस्कृति का निर्माण (संतुलित उपभोग)

पाश्चात्य शिक्षा शिक्षार्थी की शारीरिक तथा ऐंद्रिय संस्कृति भोग के उत्कर्ष को सूचित करती है। 'खाओ, पिओ व मौज करो' के सिद्धांत का अनुपालन करते हुए विदेशी शिक्षा शिक्षार्थी के शरीर व इंद्रियों को सांसारिक विषय भोगों का अधिकतम उपभोग करने हेतु अनुकूल बनाने का प्रयास करती है। सत्यम,

*प्रोफ़ेसर, संस्कृत विभाग, कु.मा.राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्ध नगर 203207

शिवम और सुंदरम रूपी त्रि-भारतीय मूल्यों में से मात्र सुंदरम को महत्व देते हुए पाश्चात्य दृष्टिकोण मानव की समस्त इंद्रियों को सौंदर्योन्मुखी करने पर बल देता है। इससे तात्पर्य बच्चे की इंद्रियों को इस दृष्टिकोण के साथ प्रशिक्षित करना है कि उसके चक्षु सुंदर का अवलोकन करने की, श्रोत सुवचनों को श्रवण करने की, जिह्वा सुंदर (सुस्वादिष्ट) का पान करने की, नासिक सुगंध को ग्रहण करने की व त्वचा सुकोमल का स्पर्श करने की अभिलाषा करें, किंतु इस विदेशी विचारधारा में जीवन के सत्यम व शिवम दो महत्वपूर्ण मूल्यों को सर्वथा उपेक्षित कर दिया गया है जिससे जीवन में असंतुलन उत्पन्न हो गया है।

विचारणीय है कि वर्तमान भारतीय शिक्षा भी उपर्युक्त पाश्चात्य विचारधारा का अनुसरण करके धनार्जन का लक्ष्य लेकर चलती है, जबकि इस लक्ष्य से भोग का उद्बोधन मात्र ही ध्वनित होता है। 'सर्वे गुणः कांचनमाश्रयन्ते' के अनुसार वर्तमान शिक्षा शिक्षार्थी के शरीर व इंद्रियों को इस योग्य बनाने का प्रयास करती है कि यथाशक्ति धनार्जन कर सांसारिक भोगों का अधिकतम भोग कर सके। इस एकांगी लक्ष्य को ही चरमोत्कर्ष मान लेने पर व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के संबंधों में असंतुलन व्याप्त होता जा रहा है। इसके साथ ही सत्य व कल्याण की भावना अपने न्यूनतम स्तर तक पहुँच गयी है। भारतीय परंपरा आदिकाल से ही भोग के संतुलन पर बल देती है। सत्य की प्राप्ति जीवन का लक्ष्य है, यही कल्याणकारी है। चूँकि शरीर के रहते हुए भोग भी आवश्यक है, अतः इसकी भी पूर्णतः उपेक्षा नहीं की जा सकती है। किंतु यह भोग विवेक संगत तथा नियंत्रित होना चाहिए। भोग उतना ही आवश्यक है, जितना लक्ष्य प्राप्ति में सहायक रहे। जब वह सत्यानुभूति में बाधक हो जाता है, तो अनर्थकारी बन जाता है।

योगवासिष्ठकार इसी भारतीय परंपरा का समर्थन करते हुए कहते हैं कि जैसे वृक्ष सीचने पर अनंत शाखा युक्त होता है, ऐसे ही मूर्ख जन भोग की इच्छा से अनेक प्रकार की शारीरिक व मानसिक व्यथा को प्राप्त होते हैं।

शतशास्त्रात्वमायाति सेकेनविटपीयथा।
अनंताधित्वमायासिशठभोगेच्छयतथा।।

आत्रेय, 1957

अतः गुरु वशिष्ठ, शिक्षार्थी से संतुलित भोग की संस्कृति को विकसित करना चाहते हैं। जीवनयापन के लिए न्यूनतम भोग की आवश्यकता है, उसका त्यागपूर्वक उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जीवन भोग करने के लिए नहीं है। सांसारिक विषय भोग क्षणिक व अंततः दुःखप्रदायी है।

सर्वास्या एव पर्यन्ते सुखाशायाश्च संस्थित्।
मालिन्यं दुःखमप्येवं ज्वालाया इव कज्जलम्।।

आत्रेय, 1957

भोगा विषयसम्भोगा भोगा इव फणावताम्।
दशन्त्येव मानक्स्पृष्टा दृष्ट नष्टाः प्रतिक्षणम्।।

आत्रेय, 1957

अतः विषय भोगों में संतुलन होना अति आवश्यक है। वस्तुतः भोगों की इच्छा होना ही बंधन है और उसका त्याग ही मोक्ष कहलाता है।

जब तक संसार को नष्ट करने वाली भोगों के प्रति विरक्ति मन में उत्पन्न नहीं होती, तब तक विजय प्राप्त कराने वाली निवृत्ति की प्राप्ति नहीं होती है।

न भोगेष्वरतिर्यावज्जायते भवनाशिनी।
न परा निर्वृतिस्तावत्प्राप्यते जयप्रदायिनी।।

आत्रेय, 1957

अतः शिक्षार्थी के लिए आवश्यक है कि विषयों का संतुलित उपभोग करें। यदि वह ऐसा करेगा तो भोगों का आकर्षण लक्ष्य प्राप्ति में बाधक नहीं बनेगा।

मानसिक संस्कृति का विकास (संवेगादि संयम)

मन, मानव शरीर का सर्वाधिक शक्तिशाली अंग है। मानव का शरीर व इंद्रियाँ उसके मन द्वारा संचालित होती हैं। वस्तुतः मानव मनोमय है अर्थात जैसा मानव का मन होता है, वैसा ही वह बन जाता है। समस्त दुःख और अवस्थाओं को बनाने और भोगने वाला मन ही है।

सर्वेषु सुखदुःखेषु सर्वासु कलनासु च।
मनः कर्तृमनो भोक्तृमानसं विद्धिमानवम्।।

आत्रेय, 1957

मोक्ष के अलौकिक आनंद की अनुभूति करने के लिए भी पुरुषार्थी मन की ही साधना करते हैं। क्योंकि मोक्ष प्राप्ति मन के शुद्ध होने पर संभव है। अतःयोगवासिष्ठीय शिक्षा शिक्षार्थी के मानसिक विकास पर अत्यधिक बल देती है। 'मन के हारे हार है मन के जीते जीत।' इस लोकोक्ति का पोषण करते हुए योगवासिष्ठ में शिक्षार्थी के मानसिक विकास का समर्थन किया गया है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मात्सर्य जैसे मानवीय संवेग मन को वश में कर लेने पर नियंत्रित हो जाते हैं तथा मानव द्वारा स्वयं मन के वशीभूत हो जाने पर यह संवेग अतिवादी हो जाते हैं। वशीभूत हो जाने पर मानव इंद्रिय तुष्टिकरण को ही जीवन का चरम ध्येय मानकर इस संसार रूपी इंद्रजाल में आनंद प्राप्त करने का असफल प्रयास करता रहता है और वास्तविक आनंद स्रोत (ब्रह्म साक्षात्कार) से सर्वथा दूर हो जाता है। वस्तुतः इस भ्रमित करने वाले, घूमने वाले, संसार रूपी मायाचक्र की नाभि मन है।

अस्य संसाररूपस्य मायाचक्रस्य राघव।
चितं विद्धि महानाभिं भ्रमतो भ्रमदायिनः।।
तस्मिन् द्रुतमवष्टब्धे धिया पुरुषयत्नतः।
गृहीतनाभि वहनान्माया चक्रं निरुध्यते।।

आत्रेय, 1957

इस मन रूपी नाभि को बुद्धि, पुरुषार्थ व संवेगों के नियंत्रण द्वारा ज़ोर से पकड़कर रोक लेने पर मायाचक्र की गति रुक जाती है। अतः शिक्षार्थी की मानसिक संस्कृति का विकास उसके संवेगादि संयम के लिए आवश्यक है, जिससे वह लक्ष्योन्मुखी जीवन का आचरण कर सके।

बौद्धिक संस्कृति का विकास (विवेकाधारित सत्यनिष्ठा)

योगवासिष्ठ में बुद्धि को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि परम चित्त (ब्रह्म) जब एक परिमित रूप का धारण कर विषयों की भावना करके, यह अमुक विषय है तथा वह अमुक विषय, इस निश्चय को धारण कर लेता है तो उसे बुद्धि संज्ञा से अभिहित किया जाता है अर्थात इस पदार्थ का यह स्वरूप है, इस प्रकार के स्पष्ट ज्ञान के कारण इसका नाम बुद्धि है।

भावनामनुसंधानं यदा निश्चत्यि संस्थिता।
तदैषा प्रोच्यते, बुद्धिरियत्ता ग्रहण क्षमा।।

आत्रेय, 1957

इदमित्थ मितिस्पष्ट बोधाद् बुद्धिरिहोच्यते।।

आत्रेय, 1957

सत्यासत्य निर्धारिणी बुद्धि (प्रज्ञा) मानव जाति की सर्वोत्कृष्ट विशेषता है। इस प्रज्ञाजनित विवेक के द्वारा ही मानव शुभ-अशुभ, सत्य-असत्य व पाप-पुण्य में भेद कर अकरणीय का त्याग तथा करणीय को करने हेतु प्रेरित होता है। विवेक बुद्धि ही वह शक्ति है, जो निष्कर्ष निकाल सकती है और उचित तथा सत्य का निर्णय कर सकती है। अतः *योगवासिष्ठ* में शिक्षार्थी के बौद्धिक उन्नयन की संकल्पना की गई है। विवेक शक्ति के द्वारा शिक्षार्थी अपने लिए जिस सत्य का अन्वेषण करता है, वह उस पर चिर निष्ठावान रहता है। सत्य अपरिवर्तनशील व शाश्वत है। किंतु उसका अन्वेषण शिक्षार्थी को विवेकशील प्रज्ञा द्वारा स्वयं करना पड़ता है। शिक्षार्थी संकल्पना में बालक का बौद्धिक विकास इसलिए आवश्यक माना गया है क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति शास्त्राशून्य व सहाय रहित भी हो तो भी, ज्ञान मात्र से संसार सागर से पार उतरता ही है। प्रज्ञावान असहाय होकर भी कार्य के अंत को प्राप्त होता है और अज्ञानी, बलवान होकर भी नष्ट हो जाता है।

प्रज्ञावान सहायोपिकार्यातंमधि गच्छति।
दुष्प्रज्ञः कार्यमासाद्य प्रधानमपि नश्यति।।

आत्रेय, 1957

दुरूत्तरायाविपदोदुःखकल्लौल संकुलः।
तार्यते प्रज्ञयाताम्योनावापद्मयों महामते।।

आत्रेय, 1957

अर्थात दुःख रूपी कल्लोल से पूर्ण कठिनता से तरने योग्य जो विपत्ति रूपी नदियाँ हैं, वे दुःख रूपी नौका से पार की जाती हैं, न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से वरन सांसारिक अभ्युदय के लिए भी बुद्धि की अपेक्षा है। बुद्धि के प्रभाव से सामान्य मनुष्य भी राजत्व पदवी को प्राप्त हुए हैं। स्वर्ग और मोक्ष की योग्यता भी बुद्धिमान मानव को ही प्राप्त होती है।

सामान्यैरपि भूपत्वं प्राप्तं प्रज्ञावशा नरैः।
स्वर्गापवर्ग योग्यत्वं प्राज्ञस्यैवेदृश्यते।।

आत्रेय, 1957

अतः वशिष्ठ कहते हैं कि अतुल और उच्च ब्रह्म पद को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी को विवेक शिक्षण से शुद्ध करना चाहिए क्योंकि धान्यादि फल को चाहने वाला किसान सर्वप्रथम हल से पृथ्वी को शुद्ध करता है।

योगवासिष्ठीय शिक्षार्थी संकल्पना में बच्चा की शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक संस्कृति के उन्नयन पर बल दिया गया है। बच्चा इंद्रिय, मन, बुद्धि व आत्मा का योग है। अतः आत्मिक उत्कर्ष तक पहुँचने के लिए शिक्षार्थी के शरीर, मन व बुद्धि रूपी सोपानों का सुदृढ़ होना आवश्यक है।

वर्तमान में योगवासिष्ठ शिक्षा की भूमिका

वर्तमान समय में शिक्षा के संपूर्ण शैक्षिक ढाँचे को शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास का आधार बनाना होगा। चूँकि बच्चा इंद्रिय मन, बुद्धि व आत्मा का योग है, अतः इंद्रियों के संयमन हेतु योग को शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर जोड़ना होगा। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में भी भारतीय प्राच्य ज्ञान को पाठ्यक्रम में जोड़ने पर बल दिया गया है। योग भारतीय प्राचीन ज्ञान का अनुपम उदाहरण है। *योगवासिष्ठ, गीता* व *योगदर्शन* इत्यादि ग्रंथों में भी योग की महत्ता को

मुक्त कंठ से स्वीकार किया गया है। योग न केवल शरीर एवं मन को सुदृढ़ बनाने का कार्य करता है, अपितु योग व्यक्ति को आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख करने का भी श्रेष्ठ माध्यम है।

इसके अतिरिक्त *योगवासिष्ठ* में मूल्योन्मुखी शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। मूल्य एवं नैतिक आचरण ही मनुष्य को मानव की श्रेणी में लाते हैं। नैतिकता और मूल्यों से रहित विकास, विनाश की श्रेणी में आता है। स्मरण रहे कि जीवन की यात्रा बड़ा आदमी बनने की नहीं, वरन आदर्श मानव बनने की है। योगवासिष्ठ में गुरु वशिष्ठ द्वारा जिन नैतिक आचरण और मूल्यों की शिक्षा शिष्य राम को दी गई, इन्हीं मूल्योन्मुखी शिक्षा ने एक सामान्य राजपुत्र को आदर्श राजा राम बना दिया। वर्तमान अंध प्रतिस्पर्धा से युक्त युवा पीढ़ी को नैतिक एवं मूल्य शिक्षा की अत्यधिक आवश्यकता है। जिसका प्रारंभ पूर्व-प्राथमिक शिक्षा से ही करना होगा। शिक्षक का नैतिक आचरण शिक्षार्थियों के लिए प्रेरणा का कार्य करता है। शिक्षकों को अपने शिक्षार्थियों के सम्मुख आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, क्योंकि अप्रत्यक्ष शिक्षा प्रत्यक्ष शिक्षा से अधिक प्रभावी कार्य करती है। शिक्षार्थियों का आचरण भी मूल्यांकन का आधार होना चाहिए। मात्र परीक्षा अर्थात उत्तर पुस्तिका में लिखे उत्तरों से शिक्षार्थी का मूल्यांकन व्यक्तित्व के अन्य पक्षों को उपेक्षित कर देता है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में भी सतत मूल्यांकन की संस्तुति की गई है। इसमें आंतरिक तथा बाह्य दोनों ही मूल्यांकन आवश्यक हैं। संपूर्ण सत्र में शिक्षार्थी का कार्य व्यवहार, उसका आचरण एवं मानवीय गुणों की परख आंतरिक मूल्यांकन द्वारा ही संभव है, जो आंतरिक परीक्षक के रूप में उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षकों के माध्यम से ही की जा सकती है।

योगवासिष्ठ के अनुसार शिक्षार्थी में विवेक बुद्धि का विकसित होना अति आवश्यक है। विवेक युक्त मानव दूरदर्शी होता है तथा क्षणिक एवं तात्कालिक लाभ के स्थान पर दूरगामी परिणामों पर विचार करने के उपरांत ही कार्य का निर्णय लेता है। वर्तमान समय में विवेक युक्त प्रज्ञा की अत्यधिक आवश्यकता है। विकास के नाम पर विनाश को आमंत्रण देना तथा तात्कालिक लाभ के लिए भविष्य को अंधकारमय बना देना आज मानव की सहज प्रवृत्ति बन चुकी है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण पर्यावरण असंतुलन है। असहिष्णुता और अंध प्रतिस्पर्धा भी अविवेकशील बुद्धि का ही दुष्परिणाम है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जो शिक्षार्थियों में विवेक बुद्धि जाग्रत करने में सक्षम हो, जिसमें पुस्तकीय ज्ञान भी सहायक होता है। विवेक प्रज्ञा जाग्रत करने हेतु शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को सैद्धांतिक स्तर की अपेक्षा व्यावहारिक स्तर पर लाना होगा। जिसके लिए पाठ्यक्रम को लिखित के समांतर प्रायोगिक भी बनाना होगा। वास्तविक परिस्थितियों में उचित-अनुचित का निर्णय कर समस्या का समाधान ढूँढ़ना ही विवेक बुद्धि जाग्रत करने का सरल माध्यम है। इसके लिए शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। शिक्षार्थियों को गुरु वशिष्ठ की भाँति समस्या-समाधान हेतु वस्तुस्थिति के समस्त पक्षों तथा उसके प्रत्येक संभावित परिणामों से अवगत कराकर शिक्षार्थी को निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से शिक्षार्थी स्व-विवेक के आधार पर निर्णय लेगा और उसका उचित या अनुचित परिणाम, उसके द्वारा भविष्य में लिए जाने वाले निर्णय हेतु उसकी विवेक बुद्धि को परिष्कृत करेगा।

निष्कर्ष

समस्त शिक्षा प्रक्रिया बच्चे के समग्र विकास के प्रति समर्पित है। नवीन संदर्भों में यह माना जाता है कि शिक्षा बच्चे के लिए है न कि बच्चे शिक्षा के लिए शिक्षार्थी शिक्षा प्रक्रिया का केंद्र-बिंदु है, अतः शिक्षा में बच्चे को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है।

शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों ही सहभागी होते हैं। शिक्षण का अर्थ है, संपर्क में आना, संप्रेषण करना, किसी अनुभूति को संचालित करना व सहभागी होना, जो मात्र शाब्दिक व बौद्धिक स्तर पर न होकर अनुभूति व सूक्ष्मता के स्तर पर भी अनुभव हो। इस प्रकार शिक्षण-प्रक्रिया शिक्षार्थी व शिक्षक दोनों के मध्य चलने वाली अंतर्क्रिया है। सीखने का कार्य बच्चा स्वयं करता है, किंतु इस हेतु गुरु की सहभागिता अनिवार्य है। इस लेख के आधार पर कहा जा सकता है कि *योगवासिष्ठ* में शिक्षार्थी के चतुर्दिक विकास (इंद्रिय, मन, बुद्धि और आत्मा) पर बल दिया गया है। तदनुरूप *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में भी बच्चे के चतुर्मुखी विकास की बात कही गई है। प्राचीन भारतीय शिक्षा में लौकिक एवं आध्यात्मिक दोनों पक्षों के संतुलन को स्वीकार किया गया था और यही कारण था कि तात्कालिक मानव, मूल्योन्मुखी एवं संयमित जीवन व्यतीत कर रहा था। जो प्रकृति के संरक्षण व राष्ट्र के संवर्धन हेतु प्रयासरत था, जिसके कारण भारत विश्व गुरु कहलाता था। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में पुनः भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प निहित है। यदि हमें इस संकल्प को पूर्ण करना है तो *योगवासिष्ठ* के शैक्षिक निहितार्थों के आधार पर शिक्षार्थी विकास का वातावरण सृजित करना होगा, तभी भारत का युवा उच्च आदर्शों से युक्त होगा एवं भारत का विश्व गुरु बनने का संकल्प अवश्य पूर्ण होगा।

संदर्भ

आत्रेय, भीखनलाल. 1957. *वासिष्ठ दर्शनसार*. तारा प्रिंटिंग प्रेस, बनारस.

———. 1957. *योगवासिष्ठ और उसके सिद्धांत*. तारा प्रिंटिंग प्रेस, बनारस.

दशोरा, नंदलाल. 2017. *योगवासिष्ठ महारामायण*. रणधीर प्रकाशन, हरिद्वार.

द्विवेदी, ठाकुर प्रसाद. 2016. *योगवासिष्ठ महारामायणम्*. चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली.

मालवीय, सुधाकर. 2001. *योगवासिष्ठ*. भुवन वाणी ट्रस्ट, लखनऊ.

वाजपेयी, दीप्ति. 2018. *योगवासिष्ठ के दार्शनिक एवं शैक्षिक सिद्धांत*. नवभारत प्रकाशन, दिल्ली.

शर्मा, श्रीराम आचार्य. 1972. *योगवासिष्ठ—प्रथम खंड*. संस्कृत संस्थान, बरेली.

सरस्वती, प्रज्ञानंद. 2013. *योगवासिष्ठ सार*. चौखंबा संस्कृत संस्थान, वाराणसी.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में विद्यालयी शिक्षा में जेंडर समावेशन

मोहम्मद ज़मीर*

भारत में समाजीकरण की प्रक्रियाओं ने कई परिप्रेक्ष्यों में परिवार, समुदाय, विद्यालय और कार्यस्थलों में जेंडर असमानताओं को कायम रखा है। क्योंकि यह अवधारणाएँ पितृसत्तात्मक सोच पर आधारित हैं। यह सोच उन परंपराओं को परिभाषित करती है, जो राजनीतिक नेतृत्व, नैतिक अधिकार और विशेषाधिकार की भूमिकाओं के माध्यम से समाज में पुरुष एवं महिला के बीच असमानता या भेदभाव उत्पन्न करती है। इन्हीं समाजीकरण के परिप्रेक्ष्यों में विद्यालय एक महत्वपूर्ण अभिकर्ता है, जो बच्चों को इस असमानता के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा जेंडर समानता की समझ विकसित कर व्यवहार में लाता है। इस हेतु शिक्षा की विषयवस्तु और प्रक्रिया को जेंडर पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता को संबोधित करते हुए समावेशी समाज के निर्माण हेतु कार्य करना होगा। इसी कड़ी में, यह लेख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ मे विद्यालयी शिक्षा एवं विद्यालयी वातावरण को जेंडर समावेशी बनाने के प्रयासों को प्रस्तुत करता है।

जब एक शिशु जन्म लेता है तो उसका लिंग (सेक्स) जैविक और प्राकृतिक रूप से पहले ही निर्धारित होता है, जिससे शिशु का लड़का और लड़की होने का बोध होता है। किंतु जेंडर का तात्पर्य स्त्री या पुरुष होने की अवस्था से है अर्थात जेंडर, लड़कों या पुरुषों, लड़कियों या महिलाओं की उन विशेषताओं को दर्शाता है, जो समाज ने निर्मित की हैं। इसमें लड़की एवं लड़कों के लिए बनाए गए सामाजिक अंतर, मापदंड, व्यवहार, भूमिका आदि शामिल हैं। नारीत्व या पुरुषत्व की अवस्थिति और सामाजिक संदर्भ में इसका अर्थ पुरुषों एवं महिलाओं के बीच के सामाजिक अंतरों से है। लड़के एवं लड़कियाँ समाज में अपनी वृद्धि के साथ-साथ इन अंतरों को सीखते हैं, जो एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति से भिन्न होते हैं। इसके अलावा जाति, वर्ग, धर्म, जातीयता और दिव्यांगता जैसे अन्य कारकों से भी जेंडर प्रभावित होता है।

यह समझना भी आवश्यक है कि जेंडर सिर्फ़ लड़के और लड़कियों तक ही सीमित नहीं है। कुछ पुरुष ऐसे भी होते हैं जो पुरुष शरीर के साथ पैदा होते हैं लेकिन वे लड़कियों और महिलाओं की तरह व्यवहार करते हैं, कपड़े पहनते हैं, और उनके जैसे कार्यों को करने में प्रसन्नता महसूस करते हैं। इसी तरह, कुछ ऐसी महिलाएँ भी होती हैं जो लड़कों या पुरुषों की तरह कपड़े पहनना, अभिनय करना और व्यवहार करना अधिक पसंद करती हैं।

* *प्राचार्य*, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, कड़कड़डूमा, नई दिल्ली 110092

उन्हें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनका व्यवहार, भूमिका और विशेषताएँ भी समाज द्वारा निर्धारित की जाती हैं। किसी भी जाति, जेंडर, धर्म आदि के व्यक्तियों के जीवन में सफलता हेतु शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे संविधान के अनुसार सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और ट्रांसजेंडर समुदाय भी इससे अछूता नहीं है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में अनुशंसा की गई है कि भारत सरकार सभी लड़कियों और साथ ही ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और न्यायसंगत शिक्षा प्रदान करने की दिशा में देश की क्षमता का विकास करने हेतु एक 'जेंडर समावेशी' निधि का गठन करेगी। जो महिला एवं ट्रांसजेंडर बच्चों तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह प्रावधान विविध संदर्भों में समानता और सभी को शामिल करने पर ज़ोर देता है। इस नीति का उद्देश्य किसी भी जेंडर या अन्य सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूह के बच्चों के लिए शिक्षा (व्यावसायिक शिक्षा सहित) तक पहुँच में शेष असमानता को समाप्त करना है। (अनुच्छेद 6.8)

समग्र शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जेंडर हेतु प्रावधान

समग्र शिक्षा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की विद्यालयी शिक्षा के लिए एक समावेशी योजना है, जो वर्ष 2018–19 में प्रारंभ की गई थी। उसमें पूर्व-विद्यालयी शिक्षा से लेकर बारहवीं कक्षा तक की शिक्षा के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। यह योजना विद्यालयी शिक्षा को निरंतरता प्रदान करती है, जो शिक्षा के सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.-4) के अनुरूप है। यह योजना न केवल शिक्षा के अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान करती है, बल्कि यह सुनिश्चित करती है कि सभी बच्चों की एकसमान और समावेशी वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच हो। साथ ही, बच्चों की विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक योग्यताओं का भी ध्यान रखा जाता हो और उनकी सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी हो। वर्तमान में समग्र शिक्षा योजना में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं के आधार पर नए हस्तक्षेप शामिल किए गए हैं—

- सभी बालिका छात्रावासों में भस्मक (इनसिनेरेटर) और सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने वाली वेंडिंग मशीनों का प्रबंध कराना।
- सभी वर्तमान उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में स्ट्रीम के बजाए नए विषयों को जोड़ना।
- माध्यमिक स्तर तक की बालिकाओं को परिवहन सुविधा हेतु 6,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान करना।
- विद्यालयी शिक्षा के दायरे से बाहर के 16 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एन.आई.ओ.एस.) या राज्य मुक्त विद्यालय (एस.ओ.एस.) के माध्यम से उनकी माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा को पूरा करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा दिव्यांग बच्चों को उनकी कक्षा के अनुसार 2,000 रुपये प्रति बच्चा, सहायता प्रदान करना।

- प्रत्येक शिक्षार्थी की संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष में प्रगति या विशिष्टता को दर्शाने वाला समग्र प्रगति कार्ड (एच.पी.सी.) तैयार करना।
- सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (के.जी.बी.वी.) को कक्षा 12 तक उन्नत किया जाएगा।
- कक्षा 9 से 12 (कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (के.जी.बी.वी.) टाइप IV) के लिए मौजूदा अलग बालिका छात्रावासों (गर्ल्स हॉस्टल) के लिए वित्तीय सहायता को 40 लाख रुपये प्रतिवर्ष किया गया। पहले यह राशि 25 लाख रुपये प्रतिवर्ष थी।
- सरकारी विद्यालयों में पूर्व-प्राथमिक वर्गों के लिए शिक्षण-अधिगम सामग्री (टी.एल.एम.), देशी खिलौना और खेल-आधारित गतिविधियों के लिए 500 रुपये प्रति बच्चे का प्रावधान।
- विद्यालयी शिक्षा में सामाजिक एवं जेंडर अंतर को समाप्त करना।
- सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक सभी लड़कियों और गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले बच्चों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों के लिए नि:शुल्क वर्दी का प्रावधान।
- राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दिशा-निर्देशों के पालन का प्रावधान।
- 'रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा संरक्षण' के तहत लड़कियों ने आत्मरक्षा कौशल विकसित करने के लिए तीन महीने के प्रशिक्षण के लिए राशि 5,000 रुपये प्रतिमाह का प्रावधान।
- विशेष आवश्यकता वाली (सी.डब्ल्यू.एस.एन.) लड़कियों के लिए पूर्व-प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक अलग से 10 महीने के लिए 200 रुपये प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति का प्रावधान।
- प्रखंड (ब्लॉक) स्तर पर विशेष आवश्यकता वाली (सी.डब्ल्यू.एस.एन.) लड़कियों के लिए वार्षिक पहचान शिविरों का प्रावधान तथा उनके पुनर्वास और विशेष प्रशिक्षण के लिए प्रति शिविर 10,000 रुपये का प्रावधान।
- दूरदराज के क्षेत्रों और शहरी मलिन बस्तियों में कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के लिए नेताजी सुभाषचंद्र बोस आवासीय विद्यालय का प्रावधान।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी समतामूलक और समावेशी शिक्षा— सभी के लिए अधिगम, अध्याय 6 के अंतर्गत कुछ सुझाव दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं—

- भारतीय शिक्षा प्रणाली और क्रमिक सरकारी नीतियों ने विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों में जेंडर और सामाजिक श्रेणियों के अंतरालों को कम करने की दिशा में लगातार प्रगति की है। किंतु असमानता आज भी देखी जा सकती है—विशेषकर माध्यमिक स्तर पर, सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित ऐसे समूहों को देखा जा सकता हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में भूतकाल से ही पिछड़े रहे हैं। सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित (एस.ई.डी.जी.) इन समूहों को जेंडर (विशेष रूप से महिला व ट्रांसजेंडर व्यक्ति), सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान

(जैसे— अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक), भौगोलिक पहचान (जैसे— गाँव, कस्बे व आकांक्षी ज़िले के विद्यार्थी), विशेष आवश्यकता (सीखने से संबंधित अक्षमता सहित) और सामाजिक-आर्थिक स्थिति (जैसे— प्रवासी समुदाय, निम्न आय वाले परिवार, असहाय परिस्थिति में रहने वाले बच्चे, बाल तस्करी के शिकार बच्चे या बाल-तस्करी के शिकार बच्चों के बच्चे, अनाथ बच्चे जिनमें शहरों में भीख माँगने वाले व शहरी गरीब भी शामिल हैं) के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। (अनुच्छेद 6.2)

- यहाँ पर यह भी ध्यान रखना आवश्यक होगा कि यह पता लगाया जाए कि कौन-से उपाय विशेष रूप से एस.ई.डी.जी. के लिए प्रभावी हैं। उदाहरण के लिए, साइकिल प्रदान करना और विद्यालयों तक पहुँचने के लिए साइकिल व पैदल चलने वाले समूहों का आयोजन करना, महिला विद्यार्थियों की बढ़ती भागीदारी के संदर्भ में यह विशेष रूप से शक्तिशाली तरीके के रूप में उभरा है। यहाँ तक कि कम दूरी वाले स्थानों पर भी सुरक्षा की दृष्टि से माता-पिता को मिलने वाले सुरक्षा-भाव के कारण यह काफी प्रभावी तरीका रहा है। (अनुच्छेद 6.5)
- यह भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि अल्प प्रतिनिधित्व वाले सभी समूहों में आधी संख्या महिलाओं की है और दुर्भाग्यवश एस.ई.डी.जी. के साथ होने वाले अन्याय का सामना अन्य समूहों से ज़्यादा इन्हीं समूहों की महिलाओं को करना पड़ता है। यह नीति मानती है कि एस.ई.डी.जी. की लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था उनकी वर्तमान में आने वाली पीढ़ियों के शैक्षिक स्तर को ऊपर उठाने का सर्वोत्तम तरीका सिद्ध होगा। इसी दिशा में यह नीति इस बात की अनुशंसा करती है कि एस.ई.डी.जी. विद्यार्थियों के उत्थान के लिए बनाई जा रही नीतियों और योजनाओं को विशेष रूप से इन समूहों की बालिकाओं पर केंद्रित होना चाहिए। (अनुच्छेद 6.7)
- इसके अलावा, भारत सरकार सभी लड़कियों और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और न्यायसंगत शिक्षा प्रदान करने की दिशा में देश की क्षमता का विकास करने हेतु एक 'जेंडर— समावेशी निधि' का गठन करेगी। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं को लागू करने के लिए राज्यों को यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष कोष उपलब्ध होगा। महिला और ट्रांसजेंडर बच्चों तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह प्रावधान बेहद महत्वपूर्ण है (जैसे— स्वच्छता व शौचालय से संबंधित सुविधाएँ, साइकिल व सशर्त नकद हस्तांतरण आदि)। यह कोष राज्यों को समुदाय आधारित कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने और उन्हें बड़े स्तर तक ले जाने में सक्षम बनाएगा। (अनुच्छेद 6.8)
- इस नीति में ऐसे स्थान जहाँ विद्यालय तक आने के लिए विद्यार्थियों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है वहाँ जवाहर नवोदय विद्यालयों के स्तर की तर्ज पर नि:शुल्क छात्रावासों का निर्माण

किया जाएगा। यह विशेषकर ऐसे बच्चों के लिये है जो सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं। इस दिशा में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को और मज़बूत बनाया जाएगा तथा सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों की बालिकाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वाले विद्यालयों (ग्रेड 12 तक) में प्रतिभागिता बढ़ाने की दृष्टि से इन्हें और अधिक विस्तारित किया जाएगा। (अनुच्छेद 6.9)

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विद्यालय की संस्कृति में बदलाव पर बल दिया गया है। इसके तहत नीति में शिक्षा प्रणाली को समावेशी, समतापूर्ण व संवेदनशील होने की अनुशंसा की गई है। विद्यालय को समावेशी बनाने में जेंडर संबंधित मुद्दों को संबोधित करना आवश्यक है। संक्षेप में इस नीति का उद्देश्य किसी भी जेंडर या अन्य सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों के बच्चों के लिए शिक्षा (व्यावसायिक शिक्षा सहित) तक पहुँच में बची असमानता को समाप्त करना है। (अनुच्छेद 6.8)

जेंडर समावेशन क्या है?

जेंडर समावेशन में प्रत्येक विद्यार्थी का सम्मान किया जाता है, चाहे वह लड़का हो, लड़की हो या ट्रांसजेंडर हो। जेंडर समावेशन में न सिर्फ़ समानता सम्मिलित है, बल्कि इसमें संसाधनों, अवसरों और सुविधाओं तक की पहुँच के संदर्भ में सभी जेंडरों के साथ एक जैसा व्यवहार करना भी शामिल है। इसमें लड़कों, लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों के बीच कोई भेदभाव नहीं होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में महिलाओं द्वारा समाज में निभाई जाने वाली विशेष और महत्वपूर्ण भूमिका को भी मान्यता दी गई है। इसलिए लड़कियों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना न सिर्फ़ वर्तमान पीढ़ी, बल्कि भावी पीढ़ियों के शिक्षा के स्तरों को बढ़ाने का श्रेष्ठ तरीका है।

जेंडर समावेशी विद्यालय, विद्यालयी प्रक्रिया एवं अध्ययन सामग्री

जेंडर समावेशी विद्यालय वह होता है, जहाँ पर लड़कियों, लड़कों और ट्रांसजेंडर की विशिष्ट आवश्यकताओं का शैक्षिक, सामाजिक एवं भौतिक पर्यावरण में परिवेशी समुदाय द्वारा ध्यान रखा जाता है। इसमें जेंडर समावेशी पाठ्यचर्या के साथ, विद्यालयी प्रक्रिया में जेंडर समावेशन के अन्य पहलुओं, जैसे— कक्षा-प्रबंधन, भौतिक स्थान, शौचालय एवं स्वच्छता सुविधाएँ, ढाँचागत सुविधाएँ, खेलकूद एवं आकलन की विधियों आदि को भी शामिल किया जाता है। इस प्रकार, जेंडर समावेशन का विचार समाज के सभी बच्चों को बिना भेदभाव के शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने की बात का समर्थन करता है।

विद्यालय हमारे समाजीकरण की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विद्यालय के वातावरण में बुनियादी सुविधाएँ, विद्यालय के पदाधिकारियों का व्यवहार, सीखने-सिखाने की प्रक्रिया, परस्पर विद्यार्थी संपर्क और विद्यार्थी-अध्यापक संपर्क आदि शामिल हैं। एक जेंडर अनुकूल विद्यालय ज्ञान-निर्माण में लड़कों, लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों के अनुभवों को शामिल करता है और विद्यालय के सामाजिक एवं भौतिक वातावरण में उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। सीखने-सिखाने की प्रक्रिया, सामग्री और कक्षा में बातचीत के सभी रूप जेंडर समावेशी होने चाहिए।

विद्यार्थी विद्यालय परिवेश के साथ-साथ विद्यालय के बाहर की गतिविधियों से भी बहुत कुछ सीखते हैं और वे लगातार ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं, जिनमें उन्हें स्वयं, परिवार और समाज को शामिल करते हुए मूल्यांकन एवं न्याय करना होता है। इसलिए उन्हें विद्यालय में सीखने की स्थिति प्रदान करनी होगी, जिसमें सामाजिक स्तर पर पूर्वाग्रहों को दूर करने के साथ-साथ अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों को दूर करना शामिल होगा। पाठ्यचर्या को जेंडर संवेदनशील बनाने के लिए विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों में पुरुषों और महिलाओं द्वारा अर्जित की गई स्थिर तथा बदलती भूमिकाओं एवं स्थितियों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, कक्षा में शिक्षण-अधिगम के दौरान जेंडर समानता को विकसित और मज़बूत करने में सभी प्रकार की विविधताओं और असमानताओं को पहचानने और उन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है।

विद्यालय को जेंडर समावेशी बनाने के लिए जहाँ विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधानों की आवश्यकता है, वहाँ एक समग्र दृष्टिकोण भी अपनाया जाना चाहिए। इसमें सर्वप्रथम विद्यालयों को किसी भी प्रकार की हिंसा और भेदभाव के लिए 'शून्य सहनशक्ति क्षेत्र' के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। एक बार ऐसी नीति बन जाने के बाद सुरक्षित शैक्षिक वातावरण बनाए रखने के लिए अध्यापकों, स्टॉफ़ सदस्यों और बच्चों के लिए एक आचार-संहिता भी विकसित की जा सकती है, जो सुरक्षित अधिगम परिवेश को बनाए रखेगी। साथ ही समय-समय पर यह सुनिश्चित करते रहना चाहिए कि इसका क्रियान्वयन सफलतापूर्वक हो रहा है या नहीं? इसके अलावा, विद्यालय के भौतिक परिवेश (विद्यालय के अंदर और बाहर) को भी जेंडर समावेशी बनाना चाहिए। जेंडर समावेशी बनाने में विद्यालय भवन और सभी क्षेत्र, जैसे—खेल के मैदान, कक्षाएँ, स्टॉफ़ रूम, प्रयोगशालाएँ, शौचालय, पुस्तकालय तथा आस-पास के अन्य क्षेत्र, जैसे—बस स्टॉप और वाहनों का पार्किंग क्षेत्र भी सम्मिलित हैं। इन सभी स्थानों पर, सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जेंडर सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।

विद्यालय का परिवेश ऐसा होना चाहिए, जहाँ सभी जेंडर के विद्यार्थियों के सम्मान एवं गरिमा को प्रोत्साहित किया जाए। इसमें विद्यालय में शिक्षार्थियों द्वारा निभाई जाने वाली विभिन्न भूमिकाएँ, दृश्य प्रदर्शन तथा विद्यालय के अध्यापकों एवं कर्मचारियों द्वारा जेंडर समानता को प्रोत्साहित किया जाना भी सम्मिलित है। विद्यालय को अध्यापकों और कर्मचारियों के लिए जेंडर पूर्वाग्रहों, भेदभाव और किसी भी प्रकार की जेंडर हिंसा को संबोधित करने के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण एवं पेशेवर विकास कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। इनके माध्यम से उन्हें विभिन्न नीतियों और कानूनों की जानकारी दी जानी चाहिए जो जेंडर समानता और सुधार को प्रोत्साहित करती हैं।

विद्यालयी शिक्षा की औपचारिक पाठ्यचर्या में व्यापक रूप से विद्यालय में पढ़ाया जाने वाला समस्त उपर्युक्त और अनिवार्य ज्ञान सम्मिलित है। लेकिन, कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिन्हें विद्यालयी तंत्र में अनौपचारिक रूप से पढ़ाया या सिखाया

जाता है, जिसे अप्रत्यक्ष या गुप्त पाठ्यचर्या (*हिडेन करिकुलम*) कहते हैं। अप्रत्यक्ष पाठ्यचर्या वह पाठ्यचर्या है, जिसे विद्यार्थी विद्यालय में आत्मसात करते हैं, जो उनके औपचारिक पाठ्यक्रम का भाग हो भी सकती या नहीं भी हो सकती है। इस पाठ्यचर्या में वह व्यवहार, योजना एवं सोच शामिल है, जिसे विद्यार्थी अनजाने में ग्रहण कर लेते हैं।

जेंडर भी एक प्रकार से इस अप्रत्यक्ष पाठ्यचर्या का घटक बन जाता है। इसे विभिन्न पारिवारिक या सामाजिक प्रबंध संबंधी व्यवस्थाओं के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसमें लड़कियों को साफ़-सफ़ाई, झाड़ू लगाने या ऐसे कार्य की ज़िम्मेदारियाँ सौंपी जाती है, जो घरेलू कार्यों से जुड़ी होती हैं। जबकि लड़कों को ऐसे कार्य दिए जाते हैं, जो उनमें नेतृत्व के गुणों को बढ़ाते हैं। ऐसे ही प्राय: विद्यालयों में अध्यापकों द्वारा नित्य कार्यों का आंवटन जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देते हैं। अनेक विद्यालयों में लड़कियों को हल्के और सजावटी कार्यों को करते देखा जा सकता है। साथ ही, कक्षा को व्यवस्थित करना या मुख्य अतिथि को गुलदस्ता देना आदि भी शामिल है। जबकि लड़कों को वे कार्य दिए जाते है, जिनमें ताकत एवं तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है, जैसे— फ़र्नीचर उठाना, मेज व्यस्थित करना, लाइट लगाना, त्योहारों पर पंखे साफ़ करना या सजावट का सामान लटकाना आदि। यदि विद्यालय द्वारा इस प्रकार की अप्रत्यक्ष पाठ्यचर्या को संबोधित नहीं किया जाएगा, तो लड़के एवं लड़कियों द्वारा उन्हें सौंपी गई भूमिकाओं और दायित्वों को आत्मसात करना जारी रहेगा। इसके अलावा, विद्यालयी शिक्षा में अध्ययन सामग्री की भी एक अलग भूमिका होती है, जिसे जेंडर समावेशी बनाने की आवश्यकता है।

- भाषा के शिक्षण-अधिगम में भाषा की विषय-वस्तु में महिलाओं से जुड़े मुद्दों को अवश्य संबोधित किया जाना चाहिए। अत: यह अनिवार्य है कि महिलाओं के समाज के विविध क्षेत्रों में दिए गए योगदान को पाठ्यसामग्रियों में सम्मिलित किया जाए। भाषाएँ समाज में कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों (लड़कियों, महिलाएँ एवं ट्रांसजेंडर) की आवाज़ बनकर मुख्यधारा की शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में शामिल हो सकती हैं।
- गणित द्वारा जेंडर पर विशेष महत्व देना होगा जैसे घर के काम महत्वपूर्ण और उत्पादक होते हैं। अत: उन्हें गणित में इस तरह से शामिल किया जाना चाहिए (गणितीय प्रश्नों के द्वारा) जिसमें परिवार के सभी सदस्यों की सहभागिता समान रूप से विभाजित की जा सके। लड़कियों को जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रबंधकों, राजनीतिज्ञ, उद्यमियों, पायलट, वैज्ञानिक, गणितज्ञ इत्यादि के रूप में अपनी भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
- विज्ञान तर्कपूर्ण चिंतन को बढ़ावा देता है। इस तरह विज्ञान विषय वर्ग, जाति, जेंडर और धर्म के आधार पर पूर्वग्रहों पर तर्कपूर्ण दृष्टिकोण विकसित कर उन्हें समाप्त करने में योगदान देता है। विज्ञान द्वारा विद्यार्थियों को शारीरिक गुण और व्यक्तिगत भिन्नताओं को वैज्ञानिक ढंग से सिखाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण और उसका जीवन पर प्रभाव भी विज्ञान विषय द्वारा प्रभावी ढंग से पढ़ाया जा सकता है।
- अध्यापक असमानता या भेदभाव को संबोधित करने में विद्यार्थियों की सहायता से तथ्यों का

विश्लेषण कर पढ़ा सकते हैं, जैसे— जैविक रूप से किसी भी जेंडर को दूसरे जेंडर से श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। क्योंकि जीवन के समस्त क्रियाकलापों की पूर्ण अभिव्यक्ति सभी जेंडरों के सहयोग पर निर्भर करती है। इस विचार के लिए विद्यार्थियों को जागरूक करने की आवश्यकता है कि दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में सभी जेंडरों का समान महत्व है।

- जेंडर से जुड़े मुद्दे विद्यालय के संपूर्ण शिक्षण-अधिगम परिवेश में निहित हैं। अत: विद्यालय में जेंडर से जुड़ी बाधाओं की पहचान कर उन्हें दूर करने के लिए रणनीति विकसित करके विद्यालय तक पहुँच की समानता बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। अतः विद्यालय ऐसा स्थान है जहाँ पर जेंडर निष्पक्ष समाज का निर्माण किया जा सके।

विद्यालयी परिवेश की जेंडर ऑडिटिंग

विद्यालयों के प्रबंधन में रचना और क्रियान्वयन में जेंडर निष्पक्षता प्राय: प्रदर्शित नहीं होती है। अधिकांश मामलों में पाया गया है कि विद्यालयों में यौन शोषण, बालिकाओं की सुरक्षा आदि के विरुद्ध कोई नीति या नियम नहीं होते हैं, जो एक गंभीर विषय है। इसलिए नियमित अंतरालों पर प्रत्येक विद्यालय की जेंडर ऑडिटिंग आवश्यक है। इसमें विद्यालयों में जेंडर समानता की संकल्पना को बढ़ावा दिया जा सके और विद्यालयों के सभी क्रियाकलापों को जेंडर की नज़र (लेंस) से देखा जा सके। इस प्रक्रिया से लड़कों, लड़कियों और ट्रांसजेंडर की आवश्यकताओं के प्रति विद्यालयों की जवाबदेही विकसित या सुनिश्चित की जा सकेगी।

विद्यालय की संस्कृति सभी शिक्षार्थियों के सम्मान और गरिमा को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए। इसमें शिक्षार्थियों द्वारा विद्यालय में विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं तथा विद्यालय के अध्यापकों और स्टॉफ़ सदस्यों द्वारा जेंडर समानता को बढ़ावा देने के तरीके भी शामिल हैं। इसके अलावा, पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तकें और अन्य शिक्षण सामग्री जेंडर रूढ़ियों से मुक्त होनी चाहिए। उन्हें सभी जेंडरों की सकारात्मक भूमिकाओं को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे— उच्च अध्ययन के लिए महिलाएँ, घर के कामों में मदद करने वाले पुरुष, व्यवसायी या उद्यमी बनने वाली महिलाएँ आदि।

विद्यालय को अध्यापकों और प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण एवं पेशेवर विकास कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। इसमें जेंडर पूर्वग्रह, भेदभाव और हिंसा को संबोधित करने के तरीके शामिल हों। साथ ही, उन्हें विभिन्न नीतियों और कानूनों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए, जो जेंडर समानता को बढ़ावा देते हैं। विद्यालय में शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं और गतिविधियों में सभी जेंडर के विद्यार्थियों को भाग लेने का समान अवसर प्रदान करना चाहिए।

विद्यालय में शिक्षार्थियों के लिए मार्गदर्शन और परामर्श सेवाओं सहित मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान होना चाहिए। विशेष रूप से उन शिक्षार्थियों के लिए जो उत्पीड़न और हिंसा के शिकार हुए हैं। इस हेतु विद्यालय को ऐसे मुद्दों पर सहायता प्रदान करने वाले गैर-सरकारी संगठनों और समाज कल्याण विभागों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। विद्यालय की गतिविधियों में

माता-पिता और समुदाय के सदस्यों को विशेषकर जेंडर समानता पर की गई पहलों के लिए शामिल करना चाहिए।

अध्यापकों की भूमिका

अध्यापक विद्यालयी शिक्षा प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण हितधारक हैं। कक्षाओं को जेंडर समावेशी बनाने में अध्यापक अहम भूमिका निभाते हैं। स्वयं अध्यापक भी अपने समाजीकरण के कारण औपचारिक या अनौपचारिक रूप से जेंडर पूर्वग्रह से ग्रसित होते हैं। क्योंकि समाज के अन्य सदस्यों की भाँति, अध्यापकों का भी जेंडर भूमिकाओं के संदर्भ में समाजीकरण होता है। इस प्रकार, उनकी भी जेंडर के बारे में कुछ पूर्वधारणाएँ होती हैं, जिन्हें वे विद्यालय और कक्षा में अपने साथ लाते हैं। लड़कियों, लड़कों और ट्रांसजेंडर के लिए उपयुक्त सामाजिक व्यवहार के बारे में अपनी पूर्वधारणाओं के कारण वे इन बच्चों के साथ अलग-अलग तरीके से व्यवहार कर सकते हैं। इसमें उनके द्वारा विद्यार्थियों के बीच भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों के चयनात्मक वितरण, गतिविधियों के आवंटन, अनुचित भाषा का उपयोग आदि के रूप में देखा जा सकता है। अत: अध्यापकों का इस तरह का व्यवहार लड़कियों के बीच कम आत्मसम्मान और अलगाव की भावना पैदा करता है, जिससे उनकी कक्षा की गतिविधियों में उनकी सहभागिता प्रभावित होती है। ऐसे में अध्यापक को शिक्षण-अधिगम परिवेश को समावेशी बनाने का प्रयास करना चाहिए, जहाँ लड़कियाँ भी सीखने की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से शामिल हों।

इस हेतु अध्यापक को पहले सभी विद्यालयी गतिविधियों में जेंडर भेद की पहचान करनी चाहिए। जेंडर भेद की पहचान करने के बाद कक्षा में और कक्षा के बाहर गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए और उन्हें लागू करना चाहिए। इस प्रकार, यह विद्यालय में निश्चित रूप से एक सक्षम परिवेश तैयार करेगा, जहाँ लड़कियों सहित सभी विद्यार्थी अपने अनुभव साझा कर सकेंगे तथा मौजूदा पूर्वग्रहों और रूढ़ियों पर सवाल उठा सकेंगे। साथ ही, इन पर चर्चा और संवाद कर उपयुक्त समाधान निकाल सकेंगे।

अध्यापक द्वारा विद्यालय में जेंडर समावेशी परिवेश बनाने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं—

- शिक्षार्थियों को उन अभिवृत्तियों पर सवाल उठाने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जो जेंडर भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों के आधार पर पूर्वग्रह प्रदर्शित करती हैं।
- सभी शिक्षार्थियों को लेखन-बोर्ड पर लिखने और अपना काम या कक्षा के सामने उत्तर प्रस्तुत करने का समान अवसर दिया जाना चाहिए।
- सभी जेंडर के विद्यार्थियों को कक्षा के मॉनीटर बनने के लिए प्रोत्साहित करें। संभवतः एक ट्रांसजेंडर, एक महिला और एक पुरुष सह-मॉनीटर बनाए जाने चाहिए। अच्छा कार्य, अच्छे अंक प्राप्त करने पर पुनर्बलन का प्रयोग कर सभी जेंडर के बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए।
- ऐसी शिक्षण सामग्री का उपयोग करें जो समान संख्या में ट्रांसजेंडर, महिला और पुरुष पात्रों का प्रतिनिधित्व करती हों और समान गतिविधियों में संलग्न हों।
- विद्यालयों की दीवारों पर ऐसे पोस्टर लगाने चाहिए, जो एक साथ गतिविधियों में शामिल

महिला, पुरुष और ट्रांसजेंडर पात्रों को चित्रित करते हों। साथ ही, सभी की गतिविधियों को प्रदर्शित करने के समान अवसर प्रदान करें।

- अध्यापक-विद्यार्थी संबंध भी सीखने के लिए अनुकूल होने चाहिए और सभी विद्यार्थियों की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील होने चाहिए।
- पाठ्यचर्या का संचालन करते समय, जेंडर तटस्थ भाषा का उपयोग करने पर ध्यान देना चाहिए और अध्यापक को सभी विद्यार्थियों के नाम सीखने का प्रयास करना चाहिए। जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं, पुरुषों, ट्रांसजेंडरों के योगदान को उजागर करने का प्रयास करें ताकि विद्यार्थी प्रेरित हों, जुड़ाव महसूस करें और शामिल हों।

प्रधानाचार्य की भूमिका

विद्यालय संचालन में प्रधानाचार्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जेंडर संवेदनशील विद्यालय प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने में उनकी प्राथमिक भूमिका होती है। प्रधानाचार्य को विद्यालय के प्रशासन और संचालन में जेंडर समानता को प्रोत्साहित करना चाहिए।

विद्यालय में प्रधानाचार्य द्वारा जेंडर से संबंधित मुद्दों पर सहायक स्टॉफ़ सहित सभी स्टॉफ़ सदस्यों को संवेदनशील बनाना अनिवार्य किया जाना चाहिए। साथ ही, उन्हें विद्यालय में जेंडर संवेदनशील भौतिक सुविधाएँ सुनिश्चित करना चाहिए, जैसे— अलग कार्यात्मक (चालू) शौचालय, पर्याप्त शौचालय, पानी की उपलब्धता, विद्यालय परिसर में स्वच्छता और सैनिटरी पैड की उपलब्धता आदि। इसके अलावा, इन सबकी जाँच प्रधानाचार्य द्वारा नियमित रूप से की जानी चाहिए।

प्रधानाचार्य को विद्यालय से संबंधित मामलों में माता-पिता, अध्यापकों, गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों, समुदाय के सदस्यों, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों के व्यवहार और कार्यों में जेंडर रूढ़िवादिता को दूर करने के प्रयास करने चाहिए।

प्रधानाचार्य कक्षा में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को जेंडर संवेदनशील बनाने के लिए अध्यापकों का समर्थन प्राप्त कर उन्हें सहयोग दें। उदाहरण के लिए, अध्यापकों और अन्य गैर-शिक्षण कर्मचारियों को जेंडर संवेदनशील भाषा का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित कर अच्छे वातावरण का निर्माण करना। सामान्यत: हिंसा विद्यालय के भीतर और बाहर विभिन्न रूपों में प्रकट होती है, इसलिए लड़कों, लड़कियों और ट्रांसजेंडरों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण आयोजित करना चाहिए। प्रधानाचार्य को विद्यालय में किसी भी प्रकार की हिंसा के लिए 'शून्य सहनशक्ति' की नीति विकसित कर लागू करनी चाहिए तथा विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शन और परामर्श सेवाओं की व्यवस्था विद्यालय की एक नियमित विशेषता होनी चाहिए।

विद्यालय परिवेश को जेंडर संवेदनशील बनाने वाले नियमों और विनियमों को तैयार करना, लागू करना और निगरानी करना विद्यालय प्रबंधन एवं प्रधानाचार्य की ज़िम्मेदारी है। इस प्रकार, विद्यालय परिवेश को जेंडर समावेशी बनाने में अध्यापकों और प्रधानाचार्य की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

निष्कर्ष

यह लेख दर्शाता है कि कैसे सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर लड़कों, लड़कियों, पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के दृष्टिकोण और व्यवहार

को आकार देता है। यह लेख जेंडर समावेशी पाठ्यचर्या के महत्व के साथ-साथ कक्षा प्रबंधन, भौतिक स्थान, शौचालय और स्वच्छता सुविधाओं, खेल सुविधाओं, बुनियादी ढाँचे, अध्यापक चर्चा, कार्यों की परियोजना आदि जैसे जेंडर समावेशन के अन्य आयामों के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास करता है। यह अध्यापकों और प्रधानाचार्यों की उस भूमिका पर भी चर्चा करता है, जो शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया में सबसे आगे है और बताता है कि कक्षा में प्रवेश करते समय अध्यापकों को अपने सभी पूर्वग्रहों को छोड़ देना चाहिए। अंत में, यह लेख अध्यापकों को शैक्षणिक प्रक्रियाओं में जेंडर सरोकारों को एकीकृत करने के तरीकों से अवगत करता है।

संदर्भ

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. 1997. *पाठ्यचर्या के माध्यम से महिला समानता और सशक्तिकरण– उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्यापकों के लिए एक हस्त-पुस्तिका*. रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली.

———. 2006. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005— शिक्षा में जेंडर मुद्दों पर राष्ट्रीय फोकस समूह*. आधार पत्र. रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली.

———. 2013. जेंडर *समानता और सशक्तिकरण पर अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण सामग्री—* जेंडर और समाज के परिप्रेक्ष्य खंड. 1, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली.

समग्र-शिक्षा-योजना https://samagra.education.gov.in// से प्राप्त किया गया है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. भारत सरकार. मानव संसाधन विकास मंत्रालय. नई दिल्ली. 20 मई 2020 को https://www.education.gov.in/sites/upload_files/ mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf से प्राप्त किया गया है।

ग्रीष्मकालीन शिविर
रचनात्मक गतिविधियों के आयोजन का अनुभव

उमेश चमोला*

विद्यालयी शिक्षा के दौरान ग्रीष्मकालीन अवकाश को लेकर विद्यार्थियों में विशेष उत्साह पाया जाता है। इस अवकाश के रचनात्मक उपयोग के लिए विभिन्न संस्थाएँ विद्यार्थियों के लिए ग्रीष्मकालीन शिविरों का आयोजन करती हैं। इन ग्रीष्मकालीन शिविरों में भाषा से संबंधित कई रचनात्मक गतिविधियाँ, जैसे— चित्रात्मक संवाद, फ़्लैश कार्ड के माध्यम से कहानी को लिखना, चित्रकथा के माध्यम से कहानी को लिखना, अधूरी कहानी को पूरा करना, कहानी को गीत के रूप में प्रस्तुत करना, दीवार पत्रिका या अपना समाचार पत्र बनाना, कविता सुनना और रचना करना, नाटक, तात्कालिक भाषण या वाद-विवाद आदि का आयोजन किया जा सकता है। इस प्रकार के आयोजन में बच्चों की कल्पना और मौलिकता को प्राथमिकता एवं सम्मान दिया जाना चाहिए। बच्चों की उम्र को ध्यान में रखते हुए इन गतिविधियों को उनकी रुचि के अनुरूप आयोजित किया जाना चाहिए। इस प्रकार की गतिविधियाँ बच्चों में बौद्धिक नीरसता को दूर करते हुए उनमें सृजनात्मकता का विकास करती हैं। इस लेख में ग्रीष्मकालीन शिविरों के दौरान आयोजित की गई विविध गतिविधियों के आयोजन से लेखक को प्राप्त हुए अनुभवों को प्रस्तुत किया गया है।

ग्रीष्मकालीन अवकाश के सदुपयोग के लिए विभिन्न संस्थाओं के द्वारा ग्रीष्मकालीन शिविरों का आयोजन किया जाता है। इन शिविरों का उद्देश्य बच्चों को रचनात्मक मंच प्रदान करना होता है। वैसे तो रचनात्मक गतिविधियाँ विद्यालयों में विषयगत शिक्षण के अंतर्गत भी की जाती हैं किंतु विद्यालय में आयोजित विभिन्न गतिविधियों में कहीं न कहीं बच्चा औपचारिकता के भाव का अनुभव करता है। वहाँ शिक्षक पर अपने विषय के पाठ्यक्रम को समयबद्ध पूरा करने का दबाव भी रहता है। इसलिए शिक्षक अपने विषय की दक्षताओं के विकास को ध्यान में रखते हुए ही विषय के पाठ्यक्रम से संबंधित गतिविधियों को संचालित करता है। ग्रीष्मकालीन शिविरों का स्वरूप अकादमिक तो होता है किंतु इनमें प्रायः ऐसी गतिविधियाँ सम्मिलित की जाती हैं, जो शैक्षणिक वर्ष में व्यापक रूप में आयोजित नहीं हो पाती हैं। ग्रीष्मकालीन शिविरों में बच्चों को उनकी रुचि के आधार पर रचनात्मक क्षेत्रों के चयन की स्वतंत्रता रहती है। बच्चे अपनी-अपनी रुचि के अनुसार ऑरिगेमी, शिल्प, चित्रकला, तैरना, संगीत, नृत्य, खेल, गायन, कठपुतली, कराटे, बिना आग के भोजन निर्माण, योग, भाषा संबंधी रचनात्मक गतिविधियों आदि में मेंटर शिक्षकों या विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में सम्मिलित होते हैं। ग्रीष्मकालीन शिविर

* *शिक्षक-प्रशिक्षक,* राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, उत्तराखंड, देहरादून 248001

के आधार पर एक ही फ़्लैश कार्ड पर अलग-अलग कहानी प्रस्तुत कर सकते हैं।

चित्रकथाओं के माध्यम से कहानी वाचन या लेखन

बच्चों को चित्रकथाओं से संबंधित ऐसी सामग्री देना, जिसमें चित्र बने हों तथा उनके नीचे रिक्त स्थान छोड़ा गया हो। इस गतिविधि में बच्चे चित्रकथाओं का अवलोकन कर कहानियाँ लिख सकते हैं या अपनी कल्पना के आधार पर कहानी का वाचन कर सकते हैं। एक चित्रकथा पर प्रत्येक बच्चे की कहानी अलग-अलग हो सकती है। साथ ही, बच्चों को उनके द्वारा लिखी गई कहानियों को साझा करने का अवसर भी देना चाहिए।

अधूरी कहानी को पूरी करना

बच्चों को लिखित रूप में कोई अधूरी कहानी देना। ऐसा करने से बच्चे अपनी कल्पनाशीलता के आधार पर कहानी पूरी कर सकेंगे। साथ ही, उन्हें यह कहानियाँ एक-दूसरे के साथ साझा करने के अवसर देने चाहिए।

प्रत्येक बच्चे द्वारा एक-एक पंक्ति बोलकर कहानी को तैयार करना

इस गतिविधि में मार्गदर्शक शिक्षक द्वारा कहानी की थीम का संकेत दिया जाता है। हर बच्चे को एक-एक वाक्य बोलकर कहानी को आगे बढ़ाने के अवसर दिए जाते हैं। इस प्रकार, यह कहानी सभी बच्चों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की जाती है।

बच्चों को पहले से याद कहानी एक-दूसरे के साथ साझा करना

कहानी सुनना और सुनाना बच्चों तथा बड़ों को बहुत अच्छा लगता है। इससे बच्चों में बोलने और सुनने के कौशल के विकास के साथ-साथ कहानी में आए शब्दों को भी सीखने का अवसर प्राप्त होता है। इस गतिविधि में बच्चे अपनी रुचि पर आधारित स्वयं कहानी बनाकर प्रस्तुत करते हैं।

कहानी गीत के रूप में

गीत या कविता के रूप में कहानी को सुनाना या गायन करना अत्यंत रोचक गतिविधि है। इस गतिविधि से बच्चों में कहानी के साथ-साथ गीत और कविता से संबंधित कौशलों का भी विकास होता है। इस गतिविधि से बच्चे स्वयं कहानी, कविता या गीत लिखने के लिए भी प्रेरित होते हैं। एक विधा को दूसरी विधा में मिलाना भी रचनात्मकता को बढ़ाने की दृष्टि से उपयोगी होता है। इसी बात का *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* के पृष्ठ 43 में भी बताया गया है कि, "साहित्य भी बच्चों की रचनाशीलता को बढ़ा सकता है। कोई कहानी, कविता या गीत सुनकर बच्चे भी स्वयं कुछ लिखने की दिशा में प्रवृत्त हो सकते हैं। उन्हें इसके लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे अलग-अलग रचनात्मक अभिव्यक्तियों को आपस में मिलाएँ।"

दी गई कहानी के अलग-अलग शीर्षक बताने को कहना

बच्चों को उनके द्वारा पढ़ी गई कहानी के अलग-अलग शीर्षक बताने को कहना। कहानी के केंद्रीय भाव को समझने और कहानी की विषयवस्तु को शीर्षक से जोड़ने के संबंध में विश्लेषण के कौशल को विकसित करने की दृष्टि से यह उपयोगी है।

कहानी के संदर्भ में कुछ विशेष बातें

- जब शिक्षक बच्चों को कोई कहानी सुनाते हैं या बच्चे आपस में कहानी साझा करते हैं, तब कहानी पूरी होते ही शिक्षक या मेंटर के रूप में

हम तुरंत बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, "इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है?" इस प्रश्न को पूछने के पीछे शिक्षक का उद्देश्य यह जानना होता है कि बच्चों को जीवन हेतु उपयोगी सीख दिलाने में उनके द्वारा सुनाई गई कहानी कितनी सफल रही है? जैसे ही, बच्चे यह प्रश्न सुनते हैं, वे कहानी को सीख के परिप्रेक्ष्य में सोचने लगते हैं। सामान्यतः हर कहानी में सीख से संबंधित अलग-अलग बातें निकल सकती हैं। ऐसा प्रश्न बच्चों को कहानी के अन्य पक्षों के बारे में चिंतन करने के लिए प्रेरित करता है। अतः *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* में निहित सुझावों के अनुरूप कहानी को सृजनशीलता के संदर्भ में विश्लेषित किया जाना चाहिए।

- कहानी सुनाने के बाद जब हम बच्चों से कहानी पर आधारित कुछ प्रश्न पूछते हैं, तो प्रायः शिक्षकों द्वारा बच्चों को अपनी कल्पनाशीलता और परिवेश के अनुभव के आधार पर उत्तर देने का अवसर देना चाहिए। यह स्थिति बच्चे की सृजनात्मक अभिव्यक्ति के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह बच्चे के रचनात्मक विचारों को बढ़ावा दे सकती है। इसलिए शिक्षक को कहानी के बारे में बच्चों द्वारा बताई गई बातों को स्वीकार करते हुए तथा परिमार्जन करते हुए सम्मान देना चाहिए।
- बच्चों को अपने परिवेश से जुड़ी पशु-पक्षी और पेड़-पौधों पर आधारित कहानियाँ सुनाई जाती हैं और उन्हें पढ़ने को भी दी जाती हैं। बच्चे इन कहानियों को रुचि के साथ पढ़ते या सुनते हैं। पंचतंत्र, हितोपदेश और अन्य लोक कथाएँ बच्चों को अच्छी लगती हैं क्योंकि इनमें उन्हें अपने परिवेश के पेड़-पौधे और जंतुओं आदि के बारे में जानकारी मिलती है। नवाचारी शिक्षक या ग्रीष्मकालीन शिविर में साहित्यिक गतिविधियों के मेंटर के रूप में शिक्षकों को बच्चों को वर्तमान समाज की परिस्थितियों पर आधारित कहानियों से भी जोड़ना चाहिए। विज्ञान कथाएँ इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। ग्रीष्मकालीन शिविर में मेंटर के रूप में इस लेख के लेखक ने एक बार बच्चों से पूछा, "नए ज़माने की कोई कहानी सुनाइए।" एक बच्चा कहानी सुनाने के लिए सहर्ष तैयार हो गया। उसने लोमड़ी और कौए की कहानी नए संदर्भों में सुनाई। उसने कहा, "जब लोमड़ी ने कौए को गीत सुनाने के लिए कहा, तो कौए ने सबसे पहले अपनी चोंच में दबाई हुई रोटी को अपने पंजे में मजबूती से पकड़ा। उसके बाद कौआ गीत सुनाने लगा।" वर्षों से प्रचलित कहानियों में वर्तमान संदर्भ के आधार पर इसी प्रकार परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

लोक कथाएँ और बच्चे

बच्चे पीढ़ियों से अपने दादा-दादी, नाना-नानी या बड़ों से लोक कथाएँ सुनते आ रहे हैं। उन्हें लोक कथाएँ अच्छी भी लगती हैं। कुछ शिक्षाविद लोक कथाओं को बच्चों के लिए अनुपयोगी मानते हैं। उनका तर्क होता है कि लोक कथाओं में समाज में प्रचलित रीति-रिवाज और परंपराओं के साथ ही अंधविश्वास, जैसे— भूत-प्रेत, चुड़ैल आदि का वर्णन होता है। इसलिए ये अवैज्ञानिक होती हैं। विज्ञान क्रिया-कारण के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसके अनुसार हमारे चारों ओर जो भी घटनाएँ घटित होती हैं, उनके पीछे कोई-न-कोई वैज्ञानिक कारण अवश्य होता है। लोक कथाएँ भी

क्रिया-कारण के सिद्धांत पर आधारित होती हैं। यद्यपि यहाँ क्रिया के पीछे बताया गया कारण सामान्यतः तर्क पर आधारित नहीं होता है। उदाहरण के लिए, हमारे आस-पास के पक्षी कुछ विशेष प्रकार की आवाज़ें निकालती हैं। विज्ञान के अनुसार उनकी यह विशिष्ट आवाज़ उनके स्वर यंत्र की विशिष्ट संरचना के कारण होती है। लोक कथाओं में पक्षियों के स्वरों की विशिष्टता के पीछे पिछले जन्म से संबंधित कारण दिखाया जाता है, जैसे— उत्तराखंड की लोक कथा 'काफल पाको, मिन ना चाखो' में पक्षी की विशेष आवाज़ के कारण की कल्पना की गई है कि पिछले जन्म में एक बालक की सौतेली माँ को भ्रम हो गया था कि काफल (एक प्रकार का फल) उसके सौतेले बेटे ने खा लिए थे। उसने क्रोध में आकर उस बालक को मार दिया। बालक निरपराध था। मरते समय उसके मुँह से निकला, "काफल पाको, मिन ना चाखो" अर्थात पके हुए काफल मैंने नहीं चखे थे। "वह दूसरे जन्म में एक पक्षी बन गया। पक्षी के रूप में वह आज भी काफल पाको, मिन ना चाखो" कहता रहता है। इस प्रकार किसी क्रिया के पीछे लोक कथाओं में कारण को गढ़ लिया जाता है और वह प्रायः अवैज्ञानिक होता है। इस प्रकार की कहानी पढ़ने या सुनाने के बाद शिक्षक द्वारा कहानी की वैज्ञानिकता पर बच्चों से बातचीत करना आवश्यक है। इससे बच्चों में लोक परंपराओं और विश्वास के वैज्ञानिक विश्लेषण के कौशल का विकास होगा।

अपने नाम का अर्थ लिखकर उसे चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत करना

प्रत्येक बच्चे को अपने नाम के प्रति रुचि रहती है। अतः बच्चों को अपने नाम का अर्थ लिखकर उससे संबंधित चित्र बनाना अच्छा लगता है। बच्चे इस गतिविधि में भावनात्मक रूप से जुड़कर भाग लेते हैं। जब वे इसे अपने साथियों के साथ साझा करते हैं, तो बच्चों के शब्द ज्ञान की वृद्धि होती है, जैसे— यदि किसी बच्चे का नाम मयंक है, तो वह अपने नाम का अर्थ लिखकर चाँद का चित्र बनाएगा। इससे अन्य बच्चों को भी सीख मिलेगी कि मयंक शब्द का अर्थ चाँद होता है।

दीवार पत्रिका या अपना समाचार-पत्र बनाना

दीवार पत्रिका या समाचार-पत्र बनाना रचनात्मक अभिव्यक्ति के साथ रिपोर्ट लेखन के कौशल के विकास की दृष्टि से उपयोगी है। मूल समाचार-पत्र के अवलोकन के आधार पर बच्चे अपने समाचार-पत्र के माध्यम से अपनी कल्पना और विचार को अभिव्यक्त करते हैं।

कविता सुनाना या गीत गायन और कविता लिखना

बच्चों में कविता समझने का प्रारंभ तुकांत शब्दों के वाचन और लेखन से होता है। बच्चों के कुछ लोकप्रिय गीत तुकांत शब्दों की समझ की दृष्टि से बहुत उपयोगी होते हैं, जैसे—

> रे मामा, रे मामा, रे रे,
> मैं तो गई थी बाज़ार लेने को आलू,
> आलू-वालू कुछ नहीं मिला,
> पीछे पड़ गया था भालू।

तुकांत शब्दों की समझ के लिए बच्चों से इस प्रकार के गीतों का समवेत स्वर में गायन कराया जा सकता है। बच्चों को इस गीत की पंक्तियाँ स्वयं बनाने के लिए भी कहा जा सकता है। मेंटर एक पंक्ति बच्चों के साथ गा सकता है और दूसरी पंक्ति बच्चों को स्वयं

पूरा करने के लिए कह सकता है, जैसे—

रे मामा, रे मामा, रे रे

इसके अतिरिक्त—

मैं तो गई थी बाज़ार लेने को ककड़ी,

ककड़ी-वकड़ी कुछ नहीं मिली,

पीछे पड़ गई ....। (इस पंक्ति को पूरा करने के लिए बच्चों को कहा जा सकता है।)

इस गीत के गायन में जो भी तुकांत शब्द आए हैं, बच्चों को उनकी सूची बनाने के लिए कहा जा सकता है। यह गतिविधि बच्चों को कविता लेखन के लिए भी प्रेरित कर सकती है।

अन्य गतिविधियाँ

कहानी, कविता और गीत के अलावा बच्चों की रचनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ाने के लिए नाटक, तात्कालिक भाषण और वाद-विवाद आदि कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा सकता है। नाटक के माध्यम से जहाँ बच्चों में संवाद कौशल का विकास होता है, वहीं तात्कालिक भाषण प्रत्युतपन्न मति (प्रीजेंस ऑफ़ माइंड) के विकास के लिए उपयोगी है। वाद-विवाद कार्यक्रम बच्चों में तार्किक चिंतन और संप्रेषण कौशल बढ़ाने में सहायक है। ग्रीष्मकालीन शिविरों में पुस्तकालय का उपयोग भी संसाधन के रूप में किया जा सकता है। अवकाश के दौरान पुस्तकालय खुले रखे जाने चाहिए। *(राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005,* पृष्ठ 104) अवकाश काल में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालय को संसाधन के रूप में प्रयोग करने का सुझाव *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में भी दिया गया है साथ ही, इस नीति में कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए अवकाश के दौरान विभिन्न व्यावसायिक विषयों को समझने के अवसर उपलब्ध कराने पर भी बल दिया जाता है।

निष्कर्ष

ग्रीष्मकालीन शिविर में भाषा से संबंधित कई रचनात्मक गतिविधियाँ आयोजित की जा सकती हैं। इन गतिविधियों का नियोजन इस प्रकार से होना चाहिए कि इनमें सभी बच्चे सहभागी बने। बच्चों की उम्र एवं उनकी मानसिक क्षमता के अनुरूप इन गतिविधियों के स्वरूप में परिवर्तन किया जाना आवश्यक है, जैसे— प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए जिन कहानी, कविता और नाटकों का चयन किया जाए उनकी प्रकृति सरल हो। माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए इनकी जटिलता का स्तर बढ़ाया जा सकता है। वाद-विवाद कार्यक्रम माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के लिए अधिक उपयोगी हो सकते हैं। बच्चों को पठन की प्रवृत्ति की ओर आकृष्ट करने के लिए अतिरिक्त सामग्री के रूप में कहानियाँ, कविता आदि उपयोगी होती हैं। बच्चों को कल्पना और मौलिकता से संबंधित महत्वपूर्ण भूमिका दी जानी चाहिए।

संदर्भ

चमोला, उमेश 2015. *उत्तराखंड की लोक कथाएँ*. अखिल ग्राफ़िक्स. बिजनौर, उत्तर प्रदेश.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति—2020*. भारत सरकार, नई दिल्ली.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. 2006. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली.

आनंद निकेतन विद्यालय में 'स्वयंपाक' का प्रयोग

ऋषभ कुमार मिश्र*

शिक्षण में सुधार से संबंधित नीतिगत संस्तुतियाँ एवं सैद्धांतिक सुझाव इस बात पर बल देते हैं कि विद्यार्थियों को सक्रिय सहभागी बनाते हुए उनकी आनुभविक दुनिया को केंद्र में रखकर शिक्षण होना चाहिए। यह शिक्षण ऐसा हो जो उनमें खोज प्रवृत्ति, प्रयोग और सृजन करने की तत्परता, प्रश्नानुकूलता, सामुदायिकता तथा आत्मनिर्भरता का पोषण करें। वे स्वतः अभिप्रेरित और सतत सीखने वाले बनें। सीखने की प्रक्रिया में विषयों का एकीकरण तथा वास्तविक दुनिया की घटनाएँ और संदर्भ प्रयुक्त किए जाएँ। शिक्षार्थी जानने के साथ-साथ करने, खोजने और रचने के लिए अभिप्रेरित हों। इसी प्रकार के सुझावों और मान्यताओं को ध्यान में रखकर विद्यालयी शिक्षा में अनेक प्रयोग किए जा रहे हैं। यह लेख, महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत 'नई तालीम' पर आधारित एक विरासत के रूप में संचालित आनंद निकेतन विद्यालय के एक प्रयोग 'स्वयंपाक' को साझा करता है। इस लेख में बताया गया है कि कैसे इस विद्यालय में 'स्वयंपाक' की गतिविधियों द्वारा विद्यार्थियों को विषयों का ज्ञान, मूल्य और कौशल सिखाए जाते हैं। कैसे उन्हें सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक एवं पारिस्थितिकीय मुद्दों पर मनन का अवसर दिया जाता है।

मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में भोजन का प्रथम स्थान है। इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रत्येक व्यक्ति निरंतर परिश्रम कर अपना एवं परिवार का भरण-पोषण करता है। इस लेख में भोजन सामग्री एवं भोजन के स्थान को 'स्वयंपाक' के रूप में दर्शाया गया है। आइए, इस दैनिक गतिविधि के बारे में कुछ सवालों के सापेक्ष विचार करते हैं कि क्या यह केवल मनुष्य की एक आधारभूत आवश्यकता (भोजन) को पूरा करने वाली रोज़मर्रा की गतिविधि है? क्या यह 'बाज़ार' द्वारा अब तक न खोजा गया क्षेत्र है, जिसका विस्तार हो सकता है? क्या यह महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक घरेलू काम है? क्या यह विज्ञान की कक्षाओं में संतुलित आहार जैसी अवधारणाओं में प्रयुक्त की जाने वाली विषयवस्तु एवं उदाहरण है? क्या यह विद्यालय के प्रायोगिक कार्य के नाम पर विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षण का एक क्रियाकलाप मात्र है? यह सभी प्रश्न वास्तव में मनुष्य, प्रकृति और विकास की संपोषणीयता से जुड़े हुए हैं। इन प्रश्नों के आधार पर उत्पादन, उपभोग और वितरण के पैटर्न की दिशा में हुए बदलाव, हमारी भोजन की 'थाली' के रास्ते बाज़ार का प्रवेश, स्वास्थ्य और पोषण के स्थानीय परिवेश और प्रकृति से संबंध को ज्ञात कर सकते हैं। इन्हीं सभी सरोकारों पर आनंद निकेतन विद्यालय द्वारा 'स्वयंपाक' को केंद्र में रखकर शिक्षण किया जाता है। यह विद्यालय 'नई तालीम' के सिद्धांतानुरूप 'स्वयंपाक' को

*असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, शिक्षा विभाग, शिक्षा विद्यापीठ, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र 442001

स्वावलंबन का एक महत्वपूर्ण घटक मानता है, जो आवास और वस्त्र स्वावलंबन जैसे अन्य घटकों से घनिष्ठतापूर्वक जुड़ा हुआ है। 'स्वयंपाक' खाद्य सामग्रियों को इकट्ठा कर तथा उससे जुड़े वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में जानकारी मात्र नहीं है बल्कि प्रकृति, मनुष्य और उद्योग के संबंध को जानने, अपनाने और इसके द्वारा जीवन को सरल बनाने का उद्यम है। यह वास्तविक जीवन के संदर्भों और समस्याओं के प्रति चिंतन करने की प्रक्रिया है। यह अपने परिवार और परिवेश से जुड़े शाश्वत विकास के प्रश्नों की पड़ताल का रास्ता भी है, जिसके द्वारा शाश्वत विकास के विमर्शों को संबोधित किया जाता है। इसी पृष्ठभूमि पर आधारित यह शोध-पत्र शोधार्थी के अगस्त 2018 से दिसंबर 2019 तक क्षेत्र कार्य (फील्ड वर्क) को आधार बनाकर लिखा गया है। यह लेख आनंद निकेतन विद्यालय की 'स्वयंपाक' केंद्रित अधिगम गतिविधियों तथा उत्पादक कार्य केंद्रित अधिगम के शिक्षणशास्त्रीय निहितार्थों को प्रस्तुत करता है। इस शोधकार्य के लिए आँकड़ों का संकलन भागीदारों से साक्षात्कार तथा अवलोकन के माध्यम से किया गया था।

'स्वयंपाक' केंद्रित शिक्षणशास्त्र और शाश्वत विकास का विमर्श

विश्व स्तर पर निर्धारित शाश्वत विकास के लक्ष्यों की चर्चा का एक महत्वपूर्ण घटक शिक्षा है। हम केवल विकास और वृद्धि जैसे शब्दों को आर्थिक उपलब्धि के पैमाने पर वृहद स्तर के आँकड़ों के सापेक्ष नहीं देख सकते हैं। हमारे लिए विचारणीय प्रश्न यह होना चाहिए कि इससे हाशिये के लोगों के जीवन में क्या बदलाव हो रहे हैं? विकास के द्वारा कितनी समानता आयी है? प्रकृति के दोहन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है? क्या हम भावी पीढ़ी के लिए संपोषित विकास की दिशा में बढ़ रहे हैं? इन प्रश्नों के उत्तर में हम पाते हैं कि दुनिया की अधिकांश पूँजी केवल उच्च वर्गों के पास है। इन वर्गों के पास संसाधनों का एकत्रीकरण तीव्र गति से हो रहा है। इस प्रवृत्ति के बीच एक आम वयस्क और बच्चे का जीवन जिन तंत्रों और व्यवस्थाओं से घिरा है, उनमें विकास का समरूप आख्यान है (बोअर्स, 2001; ओर 1994)। हम विद्यालय, मीडिया, बाज़ार और सत्ता केंद्रों में एक विशेष प्रकार की विश्वदृष्टि से परिचित हो रहे हैं, जिसमें संसाधनों का दोहन, पूँजी का विस्तार, सुख-सुविधाओं की वृद्धि, दूसरों के श्रम का शोषण और संपन्नता के अहं का तुष्टीकरण सम्मिलित है (वंदना, 1992)। विकसित और विकासशील देशों का वर्गीकरण केवल अवधारणा नहीं है। इस तरह का स्तरीकरण हम अपने गाँव, मोहल्ले और पड़ोस में भी देख सकते हैं। इसमें हमने ऊँचे पायदान पर स्थित विकसित लोगों की जीवनशैली और व्यवहार के प्रतिमानों को ही श्रेष्ठ मान लिया है और इसका अनुकरण ही विकास का पर्याय मान लिया है। इस ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता की 'लालच' की चरम परिणति ही संसाधन संपन्न उपभोक्तावादी जीवन है (शूमाकर, 1993)। जिसका एक उदाहरण, हमारी खानपान की आदतों में बदलाव है। आज की फास्टफूड पीढ़ी स्वास्थ्य की चिंताओं को तो स्वीकारती है, लेकिन इसके साथ बाज़ारवादी प्रवृत्तियों के प्रसार, देशज या परंपरागत भोजन या 'स्वयंपाक' पद्धतियों की हानि, स्वावलंबन का कमजोर होना जैसी प्रवृत्तियों का संज्ञान नहीं लेती है। यह पीढ़ी बाज़ार और उत्पाद के विकल्प में नए

बाज़ार और उत्पाद को खोजती है। इसी प्रवृत्ति के मूल में निहित विश्वदृष्टि को रेखांकित करते हुए शूमाकर (1993) का मानना है कि आधुनिक मनुष्य स्वयं को प्रकृति का हिस्सा नहीं मानता है बल्कि वह खुद को प्रकृति से भिन्न और इसका विजेता मानता है।

यह विश्वदृष्टि जीवन को प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर जीवन जीने की कला और विज्ञान है। इसमें 'नई तालीम' शिक्षा पद्धति के सिद्धांत पथ-प्रदर्शक हो सकते हैं। इसके अनुरूप हमें लघु पैमाने के हस्तक्षेपों से हुए निहित बदलावों को वृहद और समावेशी दृष्टि से समझने की आवश्यकता है। इस प्रकार 'नई तालीम' छोटी-छोटी पहलों में बड़े बदलावों के बीज को पोषित करने वाली शिक्षा है। इस प्रकार के परिकल्पित बदलाव लघु प्रयोगों से होते हैं (रीड और पेटकोज, 2006)। यह बदलाव क्रमशः सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं पारिस्थितिकी क्षेत्रों में प्रसार करते हैं, जिससे समानता, समावेशन और शाश्वत विकास की परिकल्पना फलीभूत हो सकती है।

आनंद निकेतन विद्यालय में 'स्वयंपाक' का प्रयोग

आनंद निकेतन विद्यालय में 'स्वयंपाक' (रसोई का काम) जैसे उत्पादक कार्यों को केंद्र में रखकर उनके साथ गणित, भाषा, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषयों को एकीकृत कर पढ़ाया जाता है। इन उत्पादक कार्यों का लक्ष्य विषय शिक्षण के साथ विद्यार्थियों में प्रकृति, समुदाय और उद्योग के बीच सहसंबंध का बोध विकसित करना होता है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों और अध्यापकों को वास्तविक जीवन परिस्थितियों में प्रत्यक्षतः करने और सीखने के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। यह विद्यार्थियों में केवल विषय ज्ञान को प्राथमिकता देने वाला अनुभव केंद्रित शिक्षण मात्र नहीं है बल्कि 'स्वयंपाक' के उत्पादक कार्यों में उनका जुड़ाव तथा उनमें स्वावलंबन और समूह में कार्य करने की प्रवृत्ति को पोषित करती है। उदाहरण के लिए, 'स्वयंपाक' की गतिविधियों द्वारा विद्यार्थी स्थानीय भोज्य पदार्थों के आधार पर नाश्ता बनाना सीखते हैं। उससे मिलने वाले पोषक तत्वों के बारे में जानते हैं। भोजन पकाने की प्रक्रिया में निहित वैज्ञानिक अवधारणाओं से परिचित होते हैं। स्थानीय संदर्भों में जेंडर भेद, किसानों की समस्या और घर की अर्थव्यवस्था आदि पर भी विचार-विमर्श करते हैं।

'स्वयंपाक' गतिविधियों का उद्देश्य और नियोजन

आनंद निकेतन विद्यालय में 'स्वयंपाक' प्रत्येक कक्षा के लिए महीने में एक बार होने वाली गतिविधि है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक सभी कक्षाएँ 'स्वयंपाक' में भाग लेती हैं। कक्षा 8 से 10 तक के विद्यार्थियों को वर्ष में एक बार पूर्ण खाना बनाना होता है। 'स्वयंपाक' के लिए भोजन की योजना मौसम के अनुसार उपलब्ध सब्ज़ियों, दालों आदि पर आधारित होती है। प्रायः 'स्वयंपाक' में उपयोग की जाने वाली सब्ज़ियाँ विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय परिसर से लगे हुए विद्यालय के ही खेत में उगाई जाती हैं। विद्यालय स्तर पर प्रत्येक कक्षा के लिए 'स्वयंपाक' की गतिविधियाँ, उससे संबंधित कौशल और विषय ज्ञान की योजना बनाई जाती है। इन गतिविधियों को कक्षाध्यापक के मार्गदर्शन में संचालित किया जाता है। शोधार्थी द्वारा क्षेत्र कार्य के दौरान पाया गया कि

'स्वयंपाक' से संबंधित गतिविधियों को तीन स्तरों पर वर्गीकृत किया गया है (तालिका 1)। प्रथम स्तर पर विद्यार्थी खाद्य सामग्री, जैसे— सब्ज़ियों, अनाजों और पेय पदार्थों आदि को पहचानते हैं और इसके आधार पर बुनियादी ज्ञान प्राप्त करते हैं। दूसरे स्तर पर इनके आधार पर विज्ञान एवं गणित जैसे विषयों के आनुभविक एवं प्रायोगिक अध्ययन को बढ़ावा दिया जाता है। इस स्तर पर प्रकाश संश्लेषण, अंकुरण, पौधों के अंग-उपांग, भिन्न, हिसाब, संतुलित आहार, माप-तौल आदि पर बल दिया जाता है। तीसरे स्तर पर वे स्वतंत्र रूप से भोजन पकाते हैं और उनसे जेंडर, अर्थव्यवस्था और जैविक खेती आदि जैसे मुद्दों पर सघन बातचीत की जाती है।

तालिका 1 से स्पष्ट है कि 'स्वयंपाक' का नियोजन विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के स्तर के अनुरूप है। इनमें विषयों के स्थान पर दक्षताओं को महत्व दिया गया है। ये दक्षताएँ ज्ञानानुशासनों में अधिगम को पुष्ट करने वाली हैं। यह प्रारूप विषयों एवं अकादमिक गतिविधियों को 'समग्रता' आधारित अधिगम और पाठ्यचर्या को दर्शाता है।

'स्वयंपाक' गतिविधियों के साथ विद्यालयी विषयों का एकीकरण

'स्वयंपाक' की गतिविधियाँ विज्ञान, गणित, भाषा और समाज विज्ञान के अध्यापन का भी माध्यम हैं। इस एकीकरण की प्रक्रिया को शोधार्थी द्वारा अपने

तालिका 1— 'स्वयंपाक' गतिविधियों की रूपरेखा

स्तर	खाद्य सामग्री	विषय ज्ञान और कौशल का समवाय
प्रथम स्तर (कक्षा 1 और कक्षा 2)	कच्चा चिवड़ा, शरबत, खिचड़ी, भिंडी की सब्ज़ी, मेथी, सलाद, सेंगदाना (मूँगफली दाना) वाला पोहा, सलाद, मिश्रित दाल, सब्ज़ी आदि।	अनुमान लगाना, स्वाद चखना, जोड़ना-घटाना, पत्ती वाली सब्ज़ियों की पहचान, पोषक तत्व को जानना, सब्ज़ियों और बीजों को छूकर महसूस करना, पत्ती- सब्ज़ी की छटाई करना, परोसना, जूठन उठाना, सफाई करना, बर्तन साफ़ करना आदि।
द्वितीय स्तर (कक्षा 3 से कक्षा 5)	सब्ज़ियाँ डालकर खिचड़ी, साग युक्त मिश्रित दाल, मेथी की सब्ज़ी, मिश्रित सब्ज़ियाँ डालकर खिचड़ी, मिश्रित दलहन की सब्ज़ी, मूली का रायता, नींबू का अचार, मूँगफली, चना, तिल, ढोकला, अंकुरित धान्य, रायते के प्रकार और जवस की चटनियाँ बनाना आदि।	पोषक तत्वों की जानकारी, भोजन आदतों पर चर्चा, अंकुरण आदि की प्रक्रिया को समझाना, वज़न करना, सब्ज़ियाँ साफ करना, काटना, बनाने की प्रक्रिया सीखना और सामग्री को जानना, पत्ती सब्ज़ी की छटाई करना, परोसना, जूठन उठाना, सफाई करना, अनाज बीनना, सब्ज़ियों की सफाई, जेंडर और 'स्वयंपाक' के संबंध को समझना आदि।
तृतीय स्तर (कक्षा 6 से कक्षा 9 तक)	इडली-सांभर, दही जमाना, ककड़ी, मूली, चुकंदर और गाज़र से रायता बनाना, भिंडी की सब्ज़ी, सेवई की खीर, चटनी, मसाला चावल, दाल भाजी, मेथी के पराठे, अंकुर मटकी की उसल, मूँगफली-तिल और गुड़ की बर्फी आदि।	सामूहिकता, सामग्री का इस्तेमाल ज़रूरत के अनुसार करना, स्त्री-पुरुष बराबरी, अनुपातिक आकलन एवं गणनाएँ, पोषक तत्वों पर आधारित परियोजनाएँ, प्रयोग एवं परीक्षण, रसोई का बजट बनाना, हिसाब रखना, कृषि अर्थव्यवस्था का महत्व और चुनौतियाँ, पर्यावरणीय समस्याएँ एवं शाश्वत विकास।

क्षेत्र कार्य के अनुभव के आधार पर निम्नलिखित चार प्रकरणों के माध्यम से बताया गया है—

प्रकरण 1— कक्षा दो के विद्यार्थियों द्वारा मिश्रित दाल-सब्ज़ी बनाना

कक्षा 2 के विद्यार्थियों द्वारा मिश्रित दाल-सब्ज़ी बनाने का कार्य किया गया। इसके लिए अपेक्षित सामग्री थी— मूँगफली के दाने और मटर (भीगा हुआ), अंकुरित चने, मूँग और गेहूँ, टमाटर और प्याज आदि। विद्यार्थी और अध्यापक 'स्वयंपाक' घर में एकत्रित होते हैं। गतिविधि को आरंभ करते हुए अध्यापिका विद्यार्थियों को तराज़ू के माध्यम से अनाज तौलने और संतुलन की गतिविधि से परिचित कराती है। वह उनके सामने गेहूँ और मूँग को तौलकर दिखाती है। इसके बाद दो विद्यार्थी अध्यापिका का अनुकरण करते हुए मूँगफली और मटर तौलते हैं। क्रमशः दो-दो के समूह में आकर विद्यार्थी टमाटर और प्याज़ भी तौलते हैं। गतिविधि में रोचकता लाने के लिए मापन के दौरान एक किग्रा. के लिए 100 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम के बाँटों के जोड़ का निर्देश दिया जाता है। एक विद्यार्थी सुझाव देता है कि अनाजों के अंकुर निकाल देने चाहिए। इस पर अध्यापिका समूह के साथ अंकुरित अनाज के लाभ पर चर्चा करती है। एक छात्रा पूछती है कि अनाज अंकुरित कैसे हुए? अध्यापिका उसके इस प्रश्न पर चर्चा करते हुए विद्यार्थियों को अंकुरित दाने देती है और उन्हें बीज को बीच से दो हिस्सों में अलग-अलग कर अवलोकन करने का सुझाव देती है। अध्यापिका बच्चों से कहती हैं कि उन्होंने अंकुरित बीज के जिन हिस्सों का अवलोकन किया है, वे 'स्वयंपाक' के बाद सप्ताहांत में उसका चित्र बना सकते हैं। जब कच्ची सामग्री तैयार हो जाती है तब अध्यापिका सुवर्णा ताई ('स्वयंपाक' अध्यापिका) के साथ मिलकर मिश्रित दाल तैयार करती है। इस दौरान विद्यार्थी उनकी मदद करते रहते हैं। चूँकि विद्यार्थी कक्षा दो के थे, इस कारण भोजन पकाने की गतिविधि में अध्यापिका द्वारा बच्चों को चूल्हे के समीप नहीं जाने दिया। सब्ज़ी बनाने के बाद समूह रसोईघर से बाहर आता है। विद्यार्थी चार-चार सहपाठियों के साथ समूह बनाते हैं। उनकी प्लेट में सभी प्रकार के थोड़े-थोड़े अंकुरित दानों को रख दिया जाता है। जब तक भोजन तैयार होता है तब तक सभी विद्यार्थी चित्र बनाते हैं। भोजन पकने के बाद सभी विद्यार्थी समूह में मिलकर भोजन करते हैं।

प्रकरण 2— कक्षा चार के विद्यार्थियों द्वारा भेल बनाना

कक्षा चार के विद्यार्थियों द्वारा अध्यापक के मार्गदर्शन में कच्चे चिवड़े का भेल बनाया गया। इस गतिविधि के उपरांत विद्यार्थियों ने अध्यापक के सहयोग से तालिका 2 में दिया गया चार्ट तैयार किया।

तालिका 2— कच्चा चिवड़ा और भेल में अन्न के घटक

सामग्री	अन्न के घटक	लाभ
मुरमुरे	स्टार्च युक्त पदार्थ	ऊष्णता तथा ऊर्जा मिलती है।
भूने चने	प्रोटीन	इससे शरीर में ताकत बढ़ती है।
प्याज	जंतु नाशक	रक्त बढ़ता है और कोलेस्ट्रोल कम होता है, खून में गाँठ नहीं होती है।
हरा धनिया	विटामिन 'ए'	रोग प्रतिरोधक शक्ति, मोतियाबिंद एवं हृदय रोगों पर नियंत्रण
मिर्ची	कैल्सियम	हड्डी मज़बूत होती है।

मूँगफली का तेल	स्निग्ध पदार्थ	सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है।
नमक	क्षार और आयोडीन	घेंघा रोग नहीं होता।

प्रकरण 3— कक्षा 5 के विद्यार्थियों द्वारा लौकी का हलवा बनाना

अध्यापिका के साथ विद्यार्थी 'स्वयंपाक' घर में एकत्रित होते हैं। कुछ विद्यार्थी तराज़ू और बाँट ले आते हैं। दूसरा समूह खेत से तीन-चार लौकियाँ लाता है। लौकी को छीला और काटा जाता है। समूह के विद्यार्थियों ने काम का बँटवारा खुद ही कर लिया था। समूह ने जब लौकी काट ली तो अध्यापिका के निर्देशानुसार एक विद्यार्थी ने निर्धारित बर्तन से अपेक्षित मात्रा में घी निकाला। इस दौरान अध्यापिका ने पूछा कि कौन-कौन जानता है कि घी कैसे बनता है? इस पर अधिकांश बच्चों ने सहमति दी और दूध से दही और घी बनने के बारे में बताया। अध्यापिका ने बच्चों के रोज़मर्रा के अवलोकनों और प्रक्रियाओं की समझ की सराहना की तथा इस प्रक्रिया से जुड़ी वैज्ञानिक अवधारणाओं को समूह के सम्मुख प्रस्तुत किया। इसके साथ ही अध्यापिका ने बताया कि घी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है। कैल्सियम की मात्रा को बढ़ाता है इससे हमारी हड्डियाँ मज़बूत होती हैं। यदि आप आग से जल जाएँ तो उस जले स्थान पर तुरंत घी लगाने से जली हुई जगह को फूलने से बचाता है। यह हमारी पाचनशक्ति को भी मज़बूत करता है और शरीर में ऊर्जा को बढ़ाता है।

अब अध्यापिका ने बच्चों के साथ मिलकर हलवा बनाने के लिए गैस पर कड़ाही को चढ़ाया। क्रमश: उसमें घी को डाला, घी गर्म होने के बाद उसमें बच्चों द्वारा घिसी हुई लौकी डाली गई और उसे पकने दिया। साथ ही, उसमें आवश्यकतानुसार चीनी एवं 250 ग्राम खोया डाला गया।

अध्यापिका ने इस गतिविधि के दौरान विद्यार्थियों को अप्रमाणित मापन और प्रमाणित मापन के बारे में बताया। इसके लिए अध्यापिका ने लौकी, चीनी और घी का मापन अनुमान से करने और बाँट से करने का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि वह मापन जिसमें हम किसी अनुमान लगाने वाली वस्तु से मापते हैं तो अप्रमाणित मापन होता है और जब निश्चित मापक करने वाले वस्तु से मापते हैं तो प्रमाणित मापन होता है। अध्यापिका ने इसे तालिका 3 का उदाहरण देकर स्पष्ट किया।

तालिका 3— अप्रमाणित एवं प्रमाणित मापक एवं संकेतक

अप्रमाणित मापन में प्रयुक्त सामग्री	संकेतक	प्रमाणित मापन	प्रमाणित मापन के संकेतक
घी दो गिलास		125 ग्राम	लीटर और किलोग्राम
मटर दो गिलास		125 ग्राम	किलोग्राम
मूँग दो गिलास		125 ग्राम	किलोग्राम
चना दो गिलास		125 ग्राम	किलोग्राम
तूर दो गिलास		125 ग्राम	किलोग्राम
चावल दो गिलास		125 ग्राम	किलोग्राम

इसके बाद अध्यापिका ने पूछा कि अप्रमाणित मापन कहाँ-कहाँ उपयोग होता है? विद्यार्थियों ने अप्रमाणित मापन के उदाहरण में घर पर गिलास, कप, हाथ की मुट्ठी आदि द्वारा मापन का उदाहरण दिया। यह भी साझा किया कि प्रमाणित मापन के लिए दुकानदार द्वारा किलोग्राम और लीटर का उपयोग किया जाता है। इस तरह से रसोई के काम के माध्यम से दैनिक गणित या विद्यालयी विषय के रूप में गणित सिखाया जा सकता है।

प्रकरण 4— कक्षा 8 के विद्यार्थियों के साथ मोटे अनाजों के महत्व पर चर्चा

कक्षा 8 के विद्यार्थियों के साथ 'स्वयंपाक' के दौरान जीवन दादा ने स्वाती घोडमारे के लेख 'आहार व आहाराचे महत्व' पर चर्चा की। इस चर्चा के बाद लेख को केंद्र में रखकर विद्यार्थियों को कुछ पोस्टर बनाने का कार्य दिया गया। लेख और कक्षा चर्चा के आधार पर विद्यार्थियों ने आहार क्या है? संतुलित आहार क्या है? किन भोज्य पदार्थों से कौन-सा पोषक तत्व मिलता है? आदि विषयों पर आधारित पोस्टर बनाए। इन पोस्टरों को 'स्वयंपाक कक्ष' में लगाया गया। इसी कक्षा के साथ अध्यापक ने एक और लेख 'पौष्टिक मूल्यमापन मिलेट्स' पर भी चर्चा की। यह लेख अमृता हाज़रा द्वारा लिखा गया था। इस लेख की मदद से विद्यार्थियों को मोटे अनाजों के महत्व से परिचित कराया गया। अध्यापक और विद्यार्थियों ने मिलकर अपने विद्यालय और गाँव में सात मोटे अनाजों के उदाहरण खोजे जिनमें— नाचनी, ज्वारी, वर्णी, सावा, राणा, भादली और बाजली है। इसके बाद मोटे अनाजों के महत्व पर विस्तृत चर्चा हुई। इसमें बल दिया गया कि मोटे अनाजों में कई प्रकार के पौष्टिक तत्व होते हैं, जो शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए आवश्यक हैं। मोटे अनाज की फ़सल लेना भी अत्यधिक आसान होता है क्योंकि इसमें कम सिंचाई में ज़्यादा उत्पादन लिया जा सकता है। इससे पानी और बिजली की बचत होती है। मोटे अनाज की फ़सल को न्यूनतम खाद की ज़रूरत होती है। इन लेखों की मदद से अध्यापक ने मोटे अनाज के माध्यम से पापड़, सेवई और चटनी आदि बनाने पर भी चर्चा की।

उपर्युक्त प्रकरणों से स्पष्ट होता है कि 'स्वयंपाक' की गतिविधियाँ सतत अधिगमरत मननशील सीखने वालों का समूह तैयार करती हैं। क्योंकि 'स्वयंपाक' के दौरान की जाने वाली गतिविधियों में योजना बनाने से लेकर सामग्री को एकत्र करने, भोजन तैयार करने, भोजन के उपरांत रसोईघर की सफाई में पूरी कक्षा एक टीम के रूप में कार्य करती है। इस दौरान होने वाली बातचीत, समूह चर्चाएँ, प्रश्नोत्तर सत्र आदि विद्यार्थियों को सीखने का अवसर प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, प्रकरण 1 में बताया गया है कि विद्यार्थियों ने मापन का कार्य किया। इस दौरान विद्यार्थियों द्वारा ही अनाज के अंकुरण पर सवाल पूछे गए। इसी तरह प्रकरण 2 में विद्यार्थियों के समूह ने पोषक तत्वों पर आधारित चार्ट तैयार किया। वहीं प्रकरण 3 दैनिक गणित और विद्यालयी गणित के बीच संबंध की पड़ताल बताता है। जबकि प्रकरण 4 में स्थानीय कृषि व्यवस्था और खानपान की आदतों पर विचार-विमर्श हुआ। यह आवश्यक नहीं है कि इन गतिविधियों के साथ हमेशा विद्यालयी विषयों का एकीकरण किया जाए। इस बारे में योगिता ताई का मानना है कि 'स्वयंपाक' की

गतिविधियाँ विद्यार्थियों को यह समझ भी देती हैं कि खाना बनाना एक आनंददायी क्रिया है। कभी-कभी मिलकर भोजन बनाने और प्रीतिभोज के लिए भी यह गतिविधि की जाती है। बड़ी कक्षाओं को खाना बनाने के लिए अधिक समय दिया जाता है। इस दौरान वे आपस में मिलकर कार्य करते हैं।

शाश्वत विकास के मूल्यों का पोषण

शिक्षण में 'स्वयंपाक' जैसी गतिविधियों के समावेश के सतही उद्देश्य को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़कर देखा जाता है। इसे एक ऐसी दक्षता एवं कौशल के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके द्वारा विद्यार्थी भविष्य में स्वरोज़गार कर सकता है। इसी तरह 'स्वयंपाक' से संबंधित कुछ गतिविधियों को प्रोजेक्ट विधि द्वारा भी सिखाया जा सकता है। लेकिन आनंद निकेतन में इस गतिविधि का लक्ष्य प्रकृति के साथ सहजीवन, श्रम की प्रतिष्ठा, समानता और स्वावलंबन जैसे मूल्यों के पोषण से है। अध्यापकों ने अपने विचारों में इस पक्ष पर सर्वाधिक बल दिया है। उदाहरण के लिए, 'स्वयंपाक' कार्य से जुड़ी एक ताई ने कहा, "'स्वयंपाक' के दौरान खाना बनाना केवल भूख मिटाने का ही उद्देश्य नहीं पूरा करती बल्कि विद्यार्थी इस दौरान देखते और समझते हैं कि 'स्वयंपाक' वाली ताई को खाना बनाने में कितनी मेहनत लगी है। साथ ही यह भी समझते हैं कि भोजन बनाने में जिस सब्ज़ी और अनाज का प्रयोग किया जा रहा है, उसमें किसान का श्रम शामिल है, प्रकृति की ऊर्जा लगी है। तब हमारी थाली में भोजन आया है। बच्चों में यह समझ विकसित होती है कि उतना ही भोजन लें जितने की आवश्यकता हो तथा भोजन व्यर्थ न करें। वे जानते हैं कि खाने का मूल्य एवं सम्मान क्या है?" 'स्वयंपाक' कार्य से जुड़ी ताई के विचारों से स्पष्ट है कि वे 'स्वयंपाक' को केंद्र में रखकर विषय शिक्षण की सीमित दृष्टि से आगे बढ़कर उसमें निहित मूल्य बोध को प्राथमिकता दे रही हैं। उनकी यह दृष्टि ही 'स्वयंपाक' की गतिविधियों को 'करके सीखने' के सीमित अर्थ से अलग करती है। अध्यापकों की यह दृष्टि जब विद्यार्थियों के साथ अधिगम गतिविधियों में प्रकट होती है तो वे इन्हीं मूल्यों को आत्मसात करते हैं। इसका प्रमाण कक्षा 9 के एक विद्यार्थी के कथन से लगाया जा सकता है। उस विद्यार्थी ने कहा, "'स्वयंपाक' की यात्रा उस किसान के हाथ से आरंभ होती है जो सबसे पहले इस मिट्टी को समझता है। मेरा मतलब है कि हमारी थाली में खाना है, उसका पहला श्रेय किसान को जाता है, फिर खाना बनाने वाले को। लेकिन इन दोनों कामों के केंद्र में जेंडर असमानता होती है। किसान पुरुष को माना जाता है जबकि हम देखते हैं कि महिलाएँ भी खेतों में बहुत काम करती हैं। 'स्वयंपाक' को औरतों का काम माना जाता है बल्कि खेत में और रसोई में महिला और पुरुष बराबर के भागीदार हो सकते हैं।" स्पष्ट है कि आनंद निकेतन विद्यालय में विद्यार्थियों को इस तरह की सामाजिक सच्चाइयों के प्रति आरंभिक कक्षाओं से ही सचेत किया जाता है। वे अपने आस-पड़ोस दिखने वाले भेदभावों का अवलोकन करने और उसे प्रश्नांकित करने में समर्थ होते हैं। उनकी यह समझ ही उन्हें बदलाव का कर्ता बनाती है। उदाहरण के लिए, 'स्वयंपाक' कार्य से जुड़ी सहायिका ताई बताती हैं, "स्वयंपाक के दौरान विद्यार्थियों से चर्चा होती है कि घर में भोजन कौन बनाता है? क्या यह आवश्यक है कि मम्मी ही सबके

लिए खाना बनाए, पापा भी बना सकते हैं? तो बच्चे ही पुन: प्रश्न करते हैं कि ज़रूरी है क्या कि पापा ही सबके लिए कमाएँ? इस तरह के जवाब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि विद्यार्थी कम से कम सोच रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। जैसे-जैसे वे कक्षा 7 और 8 में पहुँचते हैं तब तक वे पूछने लगते हैं कि “महिलाओं के लिए पाबंदियाँ क्यों हैं? छुट्टी के दिन तो पापा काम पर नहीं जाते लेकिन मम्मी की तो कोई छुट्टी नहीं होती।” सहायिका ताई की यह परिकल्पना तब साकार होती दिखती है जब कक्षा 9 की एक छात्रा कहती है, “जब हम हाथ का काम छोड़ देते हैं तो हमारी गुलामी का यह पहला कदम होता है और हम दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। हमने इस विद्यालय में यही सीखा है कि कुशलताओं से परिपूर्ण जीवन ही स्वाबलंबी और आनंददायी हो सकता है।” छात्रा के इस मत को एक अन्य उदाहरण द्वारा अन्य छात्रा पुष्ट करती है, “आजकल मैं यह भी देखती हूँ कि हमारी उम्र के बच्चे मैगी बनाकर खा लेते हैं। इससे हमारी खानपान की आदत बदल रही है। साथ ही, खाना बनाने का कौशल भी छिनता जा रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सबको खाना बनाना सीख लेना चाहिए।” इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि विद्यार्थी ‘स्वयंपाक’ की गतिविधियों को केवल यांत्रिक अभ्यास नहीं मान रहे हैं, वे उसमें अंतर्निहित मूल्यों को पहचान कर आत्मसात कर रहे हैं। ये गतिविधियाँ उन्हें खान-पान की बदलती प्रवृत्तियों से परिचित कराती हैं और उनमें यह बोध पैदा करती हैं कि भोजन बनाना श्रम की प्रतिष्ठा और आत्मनिर्भरता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।

विद्यार्थियों के इन विचारों में जेंडर का विषय सर्वप्रमुख रूप से प्रकट हुआ। विद्यार्थियों ने उत्पादक कार्यों में महिलाओं और पुरुषों की भेदभावपूर्ण भागीदारी को रेखांकित किया। कक्षा 7 का एक विद्यार्थी अपना अनुभव साझा करते हुए कहता है, “ ‘स्वयंपाक’ में मैंने सीखा कि किसान की मेहनत कैसे हमारी थाली तक आती है क्योंकि गर्मी हो या बारिश हो वह मेहनत करता है तब जाकर खाना मेरी थाली में आता है तो खाने को बर्बाद न किया जाए। खाना बनाना सबको आना चाहिए केवल मम्मी की ही ज़िम्मेदारी नहीं है। सोचो कि यदि हम ‘स्वयंपाक’ बनाना जानते तो ज़रूरत पड़ने पर हम स्वयं खाना बनाकर खा सकते हैं।” उसके सहपाठी ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा, “अब मैं अपने घर पर माँ की मदद करता हूँ। मैं उन्हें पानी देने, प्याज़ काटकर देने, लहसुन छीलकर देने में हाथ बँटाता हूँ।” कक्षा 6 की छात्रा ने बताया, “जब हम कक्षावार खाना बनाते हैं तो हमें लगभग 30 लोगों का खाना बनाना होता है। शुरुआत में लड़के दूर भागते हैं और हमारे अध्यापक उन्हें ज़बरदस्ती नहीं बुलाते हैं। अध्यापक हमारे साथ मिलकर काम करते रहते हैं। यह देखकर धीरे-धीरे लड़के ‘स्वयंपाक’ से जुड़ते हैं और वे वैसे ही काम करने लगते हैं जैसे हम लोग करते हैं।” यह बदलाव विद्यार्थियों को मननशील चिंतक बनाता है। इस प्रकार वे ‘स्वयंपाक’ के जुड़ाव से किसानों की समस्याओं, बाज़ार के प्रभावों और शाश्वत विकास के सवालों से जूझना प्रारंभ करते हैं।

निहितार्थ

एक सामान्य कक्षा में विद्यार्थी समूह में रहते हैं। वे विचार-विमर्श, संवाद, चर्चा, समूह कार्य, अनुकरण और पुनरावृत्ति पर आधारित कक्षा एवं कक्षा के बाहर सीखते हैं। इसी पर आधारित उत्पादक कार्य

केंद्रित उपागम में विद्यार्थियों की संलग्नता उन्हें सृजनात्मकता, उत्सुकता और समस्या समाधान जैसी संज्ञानात्मक क्षमताओं से पूर्ण बनाती है। वे मुक्त अधिगम समस्या से जुड़कर आनंद, अवबोध एवं मनन द्वारा सीखते हैं। अत: उत्पादक कार्यों को कैसे क्रमिक और स्तरीकृत ढंग से पाठ्यचर्या का अंग बनाया जा सकता है? इसका उदाहरण आनंद निकेतन विद्यालय के 'स्वयंपाक' संबंधित अभ्यास में स्पष्ट दिखाई देता है। इस उपागम की विशेषताओं को तालिका 4 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 4— 'स्वयंपाक' केंद्रित अधिगम परिवेश की विशेषताएँ

घटक	स्तर		
	प्रथम स्तर (कक्षा 1 और कक्षा 2)	*द्वितीय स्तर (कक्षा 3 से कक्षा 5)*	*तृतीय स्तर (कक्षा 6 से कक्षा 8)*
शिक्षण उद्देश्य	• खाद्य सामग्रियों की पहचान, उनके रंग, आकार आदि का बोध • भाषा और गणना से जुड़े अभ्यास	• विज्ञान, गणित एवं समाज विज्ञान की आधारभूत अवधारणाओं का परिचय एवं स्पष्टीकरण • 'स्वयंपाक' के कौशलों का अभ्यास	• 'स्वयंपाक' से जुड़कर अर्जित कौशलों का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग • विज्ञान, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक मुद्दों पर चिंतन
अध्यापकों की भूमिका	• भोज्य पदार्थों की तैयारी, सफ़ाई और स्वच्छता का अभ्यास कराना • भोज्य पदार्थों की तैयारी को आनंद और रुचि के साथ क्रियान्वित करना	• विषय ज्ञान से घनिष्ठता से संबद्ध प्रयोगों को डिज़ाइन करना • परिवेश से संबंधित सामाजिक परिघटनाओं पर आधारित अवलोकनीय उदाहरणों को प्रस्तुत करना और चर्चा करना	• अमूर्त विषयों पर मननशील चर्चा सत्रों का आयोजन एवं इन सत्रों में महत्वपूर्ण लेखों एवं व्याख्यानों को साझा करना • विद्यार्थियों को मननपूर्ण लेखन का अवसर देना
विद्यार्थियों की भूमिका	• अध्यापक द्वारा किए गए प्रदर्शन को विद्यार्थियों द्वारा अवलोकन करना, सुनना और अन्य गतिविधियाँ करना	• अध्यापक के मार्गदर्शन में निर्देशित भागीदारी द्वारा सीखना • समूह के साथ मिलकर भोज्य पदार्थ तैयार करना • पोस्टर, चार्ट मॉडल आदि तैयार करना	• विद्यार्थियों द्वारा स्वतंत्र नियोजन एवं क्रियान्वयन, मननपूर्ण चिंतन एवं लेखन
एकीकरण	• 'स्वयंपाक' की गतिविधियों से परिचय	• 'स्वयंपाक' की गतिविधियों के माध्यम से आनुभविक अधिगम • विद्यालयी विषयों को सिखाने की प्रधानता	• 'स्वयंपाक' की गतिविधियों को संदर्भ मानते हुए वृहद सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक मुद्दों का समावेश

तालिका 4 के अनुरूप 'स्वयंपाक' केंद्रित अधिगम गतिविधियाँ विद्यार्थियों को बौद्धिक उद्दीपन प्रदान करती हैं जो किसी पूर्व निर्धारित उत्तर पर न समाप्त होकर विद्यालय से घर एवं समुदाय तक व्याप्त हो जाती हैं।

कक्षावार निर्धारित पाठ्यविवरण के आधार पर कक्षा शिक्षण द्वारा विज्ञान, भाषा, गणित और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं को पढ़ना, वास्तविक दुनिया की समस्याओं पर चर्चा विद्यार्थियों को सूचना संपन्न बना सकता है। वे तथ्यात्मक जानकारी के आधार पर विश्लेषणात्मक उत्तर देने में समर्थ हो सकते हैं, लेकिन वे सामान्यत: स्वयं बदलाव का भागीदार होने की संभावना से वंचित रह जाते हैं। 'स्वयंपाक' जैसे उत्पादक कार्यों में संलग्नता विद्यार्थियों को अवधारणाओं, तथ्यों और सामाजिक वास्तविकताओं से परिचित कराने के साथ-साथ उन्हें बदलाव के कर्ता की भूमिका में विद्यालय, परिवार और परिवेश के साथ जुड़कर सक्रिय भी करती है। यह शिक्षणशास्त्रीय सक्रियता प्रकृति और मनुष्य की एकात्मकता पर आधारित है। जो उपभोक्तावादी मूल्यों के सापेक्ष संपोषण, सुरक्षा और देखभाल (केयरिंग) के बोध को विकसित करती है। विद्यार्थी केवल आनुभविक और प्रयोगात्मक अधिगम में संलग्न नहीं है, बल्कि वे इसके माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी विमर्शों से जुड़ रहे हैं। इसके लिए 'स्वयंपाक' जैसी आनंददायी और उत्पादक गतिविधि उन्हें 'समग्र चिंतन' की ओर ले जा रही है। इस चिंतन दृष्टि में कृषि, बागवानी, विज्ञान के प्रयोग और भोजन से जुड़ी गतिविधियाँ परस्पर संबंधित हैं। स्थानीय समुदाय की परंपराएँ एवं प्रचलन, पारिस्थितिकी विशेषताएँ और इनके बीच बच्चों का जीवन, विश्लेषण की सामग्री है। इस तरह का जुड़ाव विद्यार्थियों में उत्तरदायित्व पूर्ण नागरिकता का विकास करने में सहायक सिद्ध हो सकता है।

निष्कर्ष

चूँकि आनंद निकेतन विद्यालय महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा पर आधारित 'नई तालीम' शिक्षा पद्धति पर संचालित किया जा रहा है। जिसमें विद्यार्थियों को परंपरागत मूल्य आधारित शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक विषयों का ज्ञान कराते हुए स्वावलंबी बनाने की शिक्षा प्रदान की जाती है। इसी दृष्टिकोण को अपनाते हुए शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा के माध्यम से विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत किचन गार्डन विकसित करने के लिए अनुदान प्रदान किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को अपने स्थानीय परिवेश के अनुसार विभिन्न प्रकार की सब्ज़ियों, बीजों, दालों आदि के बारे में सिखाया जाता है। साथ ही, उन्हीं की भागीदारी से किचन गार्डन विकसित किया जाता है तथा उसका रखरखाव किया जाता है। इस तरह से विद्यार्थी बीज बोने के पूर्व की तैयारियों, बीज बोने तथा बीज से पौधा बनने तक एवं फल लगाने तक की संपूर्ण प्रक्रिया को सीखते हैं। इस प्रकार उनकी भोजन से जुड़ी समस्त वैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं पारिस्थितिकीय समझ विकसित होती है, जो विद्यार्थियों को जीवन कौशल एवं स्वावलंबी बनाना सिखाती है। इसके साथ-साथ विद्यार्थी भोजन का महत्व एवं उसकी उपयोगिता को भी सीखते हैं।

संदर्भ

ओर, डी.डब्ल्यू.1994. *अर्थ इन माइंड.* आइलैंड प्रेस, वाशिंगटन डीसी.

कूपर डेविड ई. और ज्वाय ई. पाल्मर. 1992. *द इन्वायरमेंट इन क्वेश्चन.* रूटलेज, लंदन.

बोअर्स, सी.ए. 2001. टूवडर्स एन इको-जस्टिस पेडागॉजी. *एजुकेशनल स्टडीज़.* 32 (4), पृष्ठ संख्या 401–16.

रीड, ए. और पी. पेटकोज. 2006. यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ़ सस्टेनेबिलटी. *हायर एजुकेशन.* 51, पृष्ठ संख्या 105–23.

वंदना, शिवा. 1992. *रिकवरिंग द रियल मीनिंग ऑफ़ सस्टेनेबिलटी.* पृष्ठ संख्या 187–193.

शूमाकर, ई.एफ. 1993. *स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल— अ स्टडी ऑफ़ इकनोमिक्स एज इफ़ पीपल मैटर्ड.* विंटेज, लंदन.

मस्तिष्क आधारित अधिगम
सीखने-सिखाने का एक नवीन दृष्टिकोण

अनिल कुमार*
अनीता रस्तोगी**

तंत्रिका विज्ञान और शिक्षा के सिद्धांतों के एकीकरण से मस्तिष्क आधारित अधिगम (ब्रेन बेस्ड लर्निंग) का विकास हुआ है। यह अधिगम न केवल संज्ञानात्मक कारकों से जुड़ा हुआ है, बल्कि इसका संबंध भावात्मक एवं अन्य कारकों से भी है। यह अध्यापकों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य लोगों को मस्तिष्क और उसकी कार्यप्रणाली के आधार पर उनकी शैक्षिक गतिविधियों एवं वातावरण का निर्माण करने में सहायक है। यह शोध-पत्र मस्तिष्क आधारित अधिगम के सिद्धांतों, मूल विधियों एवं उनके शैक्षिक निहितार्थ से अवगत कराता है। साथ ही, यह भी बताता है कि मस्तिष्क आधारित अधिगम का उपयोग किस प्रकार शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में किया जाए।

शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया प्राचीनकाल से चली आ रही है और ज्ञान का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में करना इस प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। प्राचीनकाल में गुरु तथ्य सिखाने के लिए पुरानी रणनीतियों और विधियों का उपयोग करते थे तथा व्यावहारिक और कौशल उन्मुख भागों के लिए शिक्षार्थियों को कार्य दिए जाते थे, जिससे वह कार्यों का भाग बनकर कौशल सीख सकें। समय के साथ-साथ शिक्षा में भी परिवर्तन आए। शिक्षा का केंद्र अध्यापक से घूमकर विद्यार्थी पर आ गया। संपूर्ण सीखने की प्रक्रिया शिक्षार्थी को ध्यान में रखते हुए बुनी जाने लगी। बाल-केंद्रित शिक्षा पर बल देते हुए शिक्षार्थी के अनुभवों और सक्रियता को प्राथमिकता बनाया गया (*राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*)। शिक्षण विधियों में बदलाव के साथ-साथ शिक्षार्थी की भूमिका भी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता से खोजकर्ता के रूप में उभरी है। व्यवहारवादी से रचनावादी के परिवर्तन ने संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को प्रभावित किया है, जो कि एक सराहनीय परिवर्तन है। विभिन्न गतिविधियों, खोजों और अन्वेषणों के माध्यम से शैक्षिक विधियों और शिक्षण में बच्चों पर ध्यान केंद्रित कर उन्हें सिखाने के लिए ज़ोर दिया जाने लगा (*निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009*)।

बीसवीं शताब्दी के आखिरी दो दशकों में तकनीक का विकास हुआ, जिससे हमारे सोचने, रहने एवं सीखने के तौर-तरीके भी अत्यधिक प्रभावित हुए। मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग (एम.आर.आई.) और

* *शोधार्थी,* शैक्षिक अध्ययन विभाग, शिक्षा संकाय, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली 110025
** *प्रोफ़ेसर,* शैक्षिक अध्ययन विभाग, शिक्षा संकाय, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली 110025

पोजिटरोन एमिशन टोमोग्राफ़ी (पी.ई.टी.) वरदान के रूप में प्राप्त हुए। इनकी वजह से इतिहास में पहली बार जीवित मनुष्य के मस्तिष्क के विश्लेषण का अवसर मिला। विज्ञान की एक नई शाखा विकसित हुई, जिसे तंत्रिका विज्ञान कहा जाता है। तंत्रिका विज्ञान मस्तिष्क और उसके कारकों को समझने का एक अंतर्विषय दृष्टिकोण है। इसकी सहायता से ही लोगों को मस्तिष्क और सीखने से जुड़े तथ्यों के बारे में पता चला। मस्तिष्क आधारित अधिगम तंत्रिका विज्ञान के शोध एवं कार्यों की देन है। तंत्रिका वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई मस्तिष्क की विशेषताएँ एवं कार्य प्रणाली को शिक्षा जगत के विद्वानों ने समझा और शिक्षा में सम्मिलित किया। बाद में यही प्रक्रिया मस्तिष्क आधारित अधिगम के नाम से शिक्षा जगत में प्रचलित हुई। इससे शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को नया दृष्टिकोण मिला, जिसने मस्तिष्क की भूमिका को समझा। तंत्रिका वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि वातावरण एवं जैविक कारकों का सीखने में योगदान होता है। इसीलिए अध्यापकों को विद्यार्थियों के लिए सीखने का समृद्ध वातावरण बनाना चाहिए। प्रत्येक अध्यापक को यह ज्ञात होना चाहिए कि शिक्षार्थी का मस्तिष्क कैसे सीखता है और कैसे उसका ध्यान केंद्रित किया जाता है। (जेन्सन लर्निंग की वेबसाइट से)।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, सीखने-सिखाने में आनुभविक अधिगम (*एक्सपीरियंसल लर्निंग*) की अनुशंसा करती है, जिसके लिए मस्तिष्क आधारित अधिगम के सिद्धांत एवं रणनीतियाँ सहायक के रूप में कार्य कर सकते हैं। आनुभविक अधिगम के लिए *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में कला एकीकृत शिक्षा, खेल एकीकृत शिक्षा, पाठ्यक्रम विकल्पों में लचीलापन आदि का उल्लेख किया गया है। मस्तिष्क आधारित अधिगम भी सीखने के लिए पूर्ण शरीर के बीच एक संतुलन बनाने की बात करता है, जिसमें खेलकूद, शारीरिक व्यायाम एवं अन्य क्रियाएँ शामिल हैं। इसके साथ-साथ, यह अधिगम खेलकूद को शिक्षा का अभिन्न हिस्सा मानता है। इस अधिगम प्रक्रिया में कला का समावेशन कई रूपों में किया जा सकता है, जैसे— नाट्यकरण, नृत्य, संगीत, रोल प्ले इत्यादि। मस्तिष्क आधारित अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को कार्यों में विकल्प प्रदान कर प्राथमिकता दी जाती है। दूसरी ओर आनुभाविक आधारित प्रक्रिया का समर्थन करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी शिक्षार्थियों को पाठ्यक्रम में विकल्प प्रदान करना प्रस्तावित करती है, जिससे वह अपनी पसंद के पाठ्यक्रम का चयन कर सके। मस्तिष्क आधारित अधिगम भी विद्यार्थियों को अनुभव प्रदान करता है, जिसे वे अपनी स्थानिक स्मृति में संरक्षित कर सकते हैं, जिसका समर्थन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी करती है। तंत्रिका विज्ञान के अनुसंधान भी सुझाव देते हैं कि जब हमारा शरीर सीखता है, तब हमारी तंत्रिकाएँ एक-दूसरे के संपर्क में आती हैं, जो हमारी स्मृति और प्रतिधारण क्षमता को बढ़ाती हैं (कुमार और कुमारी, 2019)। अतः हमें सीखते रहना चाहिए।

इक्कीसवीं शताब्दी में शिक्षा का उद्देश्य संज्ञानात्मक विकास के साथ-साथ चरित्र निर्माण और संपूर्ण रूप से मनुष्य को आज की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाना है। इसके लिए प्रत्येक स्तर पर पाठ्यचर्या और शिक्षणशास्त्र में बदलाव लाने की आवश्यकता है (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*)। मस्तिष्क आधारित अधिगम, संज्ञानात्मक पहलुओं के साथ-साथ भावात्मक एवं क्रियात्मक

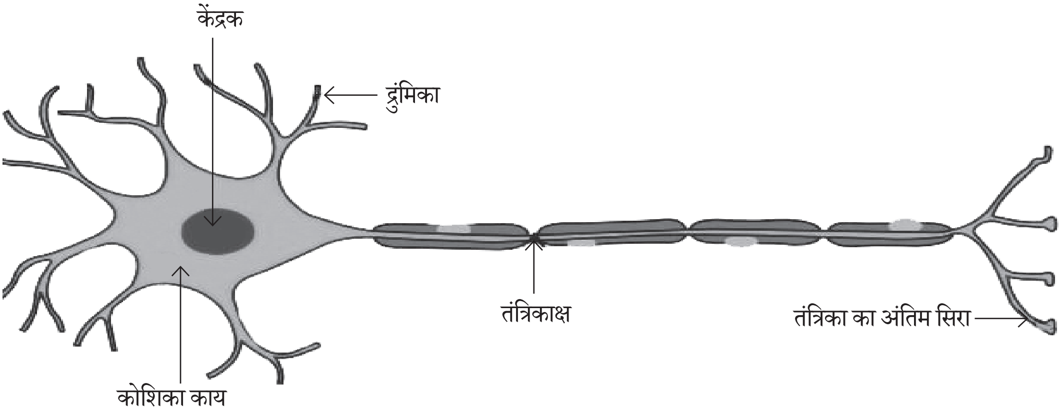

चित्र 1– तंत्रिका कोशिका

स्रोत— https://hi-static.z-dn.net/files/db8/464b9c775ed788f37ba2de316f7b9c1e.jpg

पहलुओं पर भी कार्य करता है। इस अधिगम प्रक्रिया में भावात्मक पहलू को ध्यान में रखते हुए संवेगों के प्रभाव एवं उसके नियंत्रण पर बल दिया गया है। वहीं मस्तिष्क आधारित अधिगम के माध्यम से कई प्रकार के कौशल सीखे जा सकते हैं। उसके लिए आवश्यक है कि पाठ्यचर्या और शिक्षणशास्त्र में बड़े स्तर पर बदलाव किए जाएँ।

मस्तिष्क आधारित अधिगम

मस्तिष्क आधारित अधिगम का अस्तित्व बीसवीं सदी के आखिरी के दो दशकों में पाया गया। उस समय संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने घोषणा की थी कि यह आखिरी दशक "मस्तिष्क का दशक है" (प्रोक्लेमेशन, 1990)। यह तंत्रिका विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से उत्पन्न हुआ है। तंत्रिका वैज्ञानिकों ने आधुनिक तकनीक, जैसे— चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग (एम.आर.आई.) का उपयोग करके यह ज्ञात करने का प्रयास किया कि मस्तिष्क कैसे सीखता है। मस्तिष्क आधारित अधिगम एक समग्र दृष्टिकोण है, जिसमें मस्तिष्क अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए सीखता है (केन और केन, 1991)। जेन्सन (2000) ने कहा कि जिस तरह से मस्तिष्क का स्वाभाविक रूप है, उसी तरह से वह सीखता है। मस्तिष्क में दो प्रकार की कोशिकाएँ होती हैं— तंत्रिका कोशिका (10 प्रतिशत और ग्लिया कोशिका (90 प्रतिशत)। तंत्रिका कोशिका में कोशिका काय, द्रुमिका तथा तंत्रिकाक्ष होते हैं। ये सूचना को संसाधित करने तथा रासायनिक और विद्युत संकेतों में बदलते हैं।

एक तंत्रिका कोशिका हज़ारों अन्य तंत्रिका कोशिकाओं को संदेश भेज सकती हैं। इसका तंत्रिकाक्ष हज़ारों कोशिकाओं के साथ भी संचार कर सकता है। कुशल संचार के लिए कोशिकाओं के बीच संपर्क बढ़ाना चाहिए। सूचना कोशिका काय से तंत्रिका कोशिका तक जाती है, फिर सिनैप्स तक पहुँचती है। सीखना, मस्तिष्क की संरचना में परिवर्तन का कारण बनता है। क्योंकि मस्तिष्क की कोशिकाओं का जुड़ाव प्रत्येक नई उत्तेजना, अनुभव और व्यवहार के साथ बदलता है।

अधिगम के विभिन्न सिद्धांत हैं, विशेषत: रचनावाद में कई शिक्षण सिद्धांतों को मस्तिष्क पर केंद्रित करके समझाया गया है। अध्यापक मस्तिष्क आधारित शिक्षण युक्तियों का उपयोग वर्षों से बिना साकार किए ही कर रहे हैं, क्योंकि वे मस्तिष्क आधारित अधिगम से अपरिचित हैं। "अत: यदि अध्यापक नहीं जानते कि वे जो कर रहे हैं, वह क्यों कर रहे हैं। तो उनके व्यवहार कम उद्देश्यपूर्ण और पेशेवर हैं" (जेन्सन, 2000)। मस्तिष्क आधारित और रचनावादी अधिगम दृष्टिकोण दो अलग-अलग क्षेत्रों से आते हैं लेकिन उनके शैक्षिक परिणामों में समानताएँ विद्यमान हैं। दोनों के अनुसंधान, जो निहितार्थ के लिए आधार प्रदान करते हैं, वह अलग-अलग विषयों में और दृष्टिकोणों में अलग-अलग प्रतिमानों में विविध प्रक्रियाओं से संबंध रखते हैं। मस्तिष्क आधारित अधिगम पर किए गए अनुसंधानों का दृष्टिकोण अधिकतर तंत्रिका विज्ञान पर केंद्रित है, जबकि रचनावाद पर किए गए अनुसंधान मुख्य रूप से दर्शन, मनोविज्ञान और शिक्षा पर केंद्रित है (कहावैसी और सलातदिन, 2008)।

मस्तिष्क आधारित अधिगम शिक्षण और सीखने पर जानकारी का एक संग्रह है जो हमेशा मस्तिष्क के वैज्ञानिक अध्ययन और यह कैसे संचालित होता है, से उभरता है। जब विद्यालय और संस्थान मस्तिष्क आधारित सीखने के दृष्टिकोण की जाँच करते हैं, तो वे उन परिस्थितियों को देखते हैं जो वांछित सीखने के प्रतिफलों की संभावना को बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं। इसमें विषय की प्रासंगिकता तथा विद्यार्थियों की रुचि या पसंद के लिए अनुमति देने जैसे कारक शामिल हैं (लेडले, 1999)।

मस्तिष्क आधारित अधिगम के सिद्धांत

मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को ध्यान में रखते हुए केन और केन (1991) द्वारा दिए गए मस्तिष्क आधारित अधिगम के 12 सिद्धांत इस प्रकार हैं—

1. *मस्तिष्क एक समानांतर प्रोसेसर है*

एक समय पर मस्तिष्क विभिन्न प्रकार के कार्यों में शामिल होता है, जैसे— सोचना और बातें करना, सोचना और प्रदर्शन करना, दौड़ना और कल्पना करना इत्यादि। मस्तिष्क एक समय पर विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को दर्ज कर उन पर कार्य भी कर सकता है।

2. *सीखने में पूर्ण शारीरिक क्रिया शामिल होती है*

सीखने में भौतिक और शारीरिक कारकों का भी योगदान होता है। शरीर और मस्तिष्क के बीच में संतुलन बनाने की आवश्यकता है ताकि सीखने की प्रक्रिया को सुचारू रूप से किया जा सके।

3. *अर्थ की खोज स्वाभाविक और सहज है*

हमारे मस्तिष्क को वातावरण से उत्तेजना प्राप्त होती रहती है। परिणामस्वरूप हमारा मस्तिष्क इन उत्तेजना से प्राप्त अनुभवों से अर्थ निकालने की प्रक्रिया में निरंतर प्रयास करता रहता है।

4. *अर्थ की खोज प्रतिरूपण द्वारा की जाती है*

मस्तिष्क प्राप्त की गई सूचनाओं पर कार्य कर उन्हें व्यवस्थित और वर्गीकृत करता है। इसके पश्चात प्रतिरूप बनाकर उनसे अर्थ निकालता है। अर्थहीन प्रतिरूपों से कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि उनमें छिपी जानकारी असंबंधित होती है।

5. *प्रतिरूपण के लिए संवेग आवश्यक है*

संवेग सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। संवेग सीखने में सहायक अथवा बाधक दोनों का कार्य कर

सकते हैं। संवेग सकारात्मक और नकारात्मक होते हैं। किसी सीखने के अनुभव की सफलता उससे जुड़े भावनात्मक प्रभाव से जुड़ी होती है। इसलिए स्मृति में अवधारणा के टिके रहने की सीमा को संवेग प्रभावित करते हैं।

6. *मस्तिष्क भागों और पूर्ण पर एक साथ कार्य करता है*

मस्तिष्क सूचनाओं को खंडित कर उससे प्राप्त हुए भागो को जोड़कर जानकारी प्राप्त करता है। तोड़ना और जोड़ना, यह दोनों प्रक्रिया मस्तिष्क एक साथ करता है।

7. *सीखने में केंद्रित और परिधीय अवधान शामिल होते हैं*

मस्तिष्क उन सूचनाओं पर कार्य करता है जो इंद्रियों के लिए तुरंत उपलब्ध होती हैं। साथ ही वह ऐसी सूचनाओं पर भी कार्यरत है जो कि ध्यान के क्षेत्र से बाहर है। सूचना कोई भी उत्तेजना हो सकती है जो कि आंशिक अथवा पूर्ण रूप से इंद्रियों पर प्रभाव डालने में सक्षम हो।

8. *अधिगम में सचेत और अचेतन प्रक्रियाएँ शामिल होती हैं*

परिधीय संदर्भ में कोई भी अनुभव या जानकारी अचेतन प्रसंस्करण से जुड़ी होती है जबकि प्रत्यक्ष एवं केंद्रित संदर्भ में वे सचेत प्रसंस्करण से संबंध रखती हैं।

9. *स्मृति के दो रूप हैं— स्थानिक स्मृति और रटने वाली स्मृति का संग्रह*

रटने वाली स्मृति का संग्रह वह स्मृति है जो तथ्यों पर आधारित सूचना और कौशल को याद रखने के लिए ज़रूरी होती है। स्थानिक स्मृति सीखे गए अनुभवों को एकत्रित करने का कार्य करती है। यह तत्काल अनुभवों को स्मृति में रखने का कार्य भी करती है।

10. *जब तथ्य और कौशल प्राकृतिक या स्थानिक स्मृति से जुड़े होते हैं तो समझना और स्मृति में रखना आसान होता है*

किसी भी सूचना या तथ्य को जब किसी अनुभव के साथ सिखाया जाए या जोड़ दिया जाए तो उसको प्राकृतिक, स्थानिक स्मृति में बनाए रखने में आसानी होती है और यह सीखने का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

11. *चुनौतियाँ अधिगम में सहायक होती हैं जबकि खतरा सीखने में बाधक होता है*

शिक्षार्थी को सिखाने के लिए एक समृद्ध वातावरण में चुनौतियों का होना आवश्यक है। चुनौतियाँ सीखने के लिए उत्तेजित करती हैं जबकि खतरे की उपस्थिति मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को प्रभावित करती है और मस्तिष्क औसत दर से कुछ कम कार्य करता है।

12. *प्रत्येक मस्तिष्क अद्वितीय है*

प्रकृति ने प्रत्येक मनुष्य को समान इंद्रिय और संवेग प्रदान किए हैं। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का अनुवांशिक गठन एक-दूसरे से भिन्न है। जब मनुष्य वातावरण के संपर्क में आता है, तो उसे वातावरण में उपस्थित अनुभवों से सीखने को मिलता है। सीखने के कारण मस्तिष्क की संरचना में बदलाव होता है। अत: प्रत्येक मस्तिष्क का अलग होना उसके सीखने पर निर्भर करता है। इस प्रकार मनुष्य जितना ज़्यादा सीखेगा, उतना ही उसका मस्तिष्क परिवर्तित होगा और यह उसके मस्तिष्क को दूसरों के मस्तिष्क से अलग करेगा। स्मिथ (2003) ने भी मस्तिष्क आधारित अधिगम के नौ सिद्धांत दिए हैं, जो अग्रलिखित हैं—

- मस्तिष्क का अच्छा विकास तभी होता है, जब कोई चुनौती सारी इंद्रियों को उच्च स्तर पर उत्तेजित करे और चुनौती का रूप संज्ञानात्मक हो।
- मस्तिष्क की कार्यप्रणाली के लिए उच्च चुनौतियाँ एवं कम बाधाओं से परिपूर्ण वातावरण को सुरक्षित माना जाता है। अधिक बाधाओं की उपस्थिति मस्तिष्क के कार्य को समर्थन करने वाले कारकों के लिए हानिकारक होती है।
- प्रतिक्रियाओं को अधिगम में सम्मिलित करना सुधार के लिए आवश्यक है।
- मस्तिष्क के दाएँ और बाएँ गोलार्ध के बीच का तालमेल एवं एक-दूसरे के कार्यों को पूरक करना सीखने के लिए आवश्यक है। दोनों गोलार्ध मिलकर समानांतर प्रसंस्करण की प्रक्रिया करते हैं।
- सीखने की प्रक्रिया चेतन और अचेतन स्तर पर होती है। अभिप्रेरणा पाकर शिक्षार्थी सीखने लगता है तथा उसका मस्तिष्क अर्थ की खोज में सक्रिय हो जाता है। उसके पश्चात उसके सीखने के निजी उद्देश्यों की प्राप्ति होती है।
- सीखने के लिए शारीरिक क्रिया विज्ञान, भावनात्मक अवस्था, परिपक्वता और संज्ञानात्मक अवस्था की आवश्यकता होती है।
- प्रत्येक मस्तिष्क में प्लास्टिसिटी के कारण विशिष्टता होती है, जिसके कारण प्रत्येक मस्तिष्क में अनुभवों का संरक्षण और एकीकरण अलग प्रकार से होता है।
- संगीत सीखने में सहायक होता है।
- स्मृति सीखने में विभिन्न रूप से योगदान देती हैं।

केन और केन (1991) तथा स्मिथ (2003) द्वारा दिए गए मस्तिष्क आधारित अधिगम के सिद्धांतों में कुछ समानताएँ हैं। इसके आधार पर मस्तिष्क की उन समानताओं के कार्यप्रणाली का पता लगाया जा सकता है।

शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया में अगर शिक्षार्थियों के अनुभवों के साथ-साथ मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को सम्मिलित कर लिया जाए तो प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। अध्यापक को उन विधियों और सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए जिसके माध्यम से वह विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में जोड़ सके। उसके लिए कोई एक विधि नहीं है जिसके माध्यम से मस्तिष्क की विविधता को पूर्ण किया जा सके। मस्तिष्क के बहु-प्रसंस्करण सिद्धांत का प्रयोग कर अध्यापक स्वयं एवं शिक्षार्थियों को विभिन्न कार्यों में जोड़ सकता है, जिसमें उसका शरीर और मस्तिष्क दोनों शामिल हों। शिक्षार्थियों को खानपान, संतुलित आहार, निंद्रा, चिंता प्रबंधन, ध्यान इत्यादि के प्रति भी जागरूक करना चाहिए। मादक द्रव्यों के सेवन और लत से शिक्षार्थी स्वयं को किस प्रकार दूर रखें इसके लिए अध्यापक को मार्गदर्शन देना चाहिए। सीखने के लिए ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए, जिससे सार्थक अधिगम को बढ़ावा मिल सके, जो शिक्षार्थियों को सीखने के लिए उत्सुक एवं उत्तेजित करे। शिक्षार्थियों को सीखने की प्रक्रिया से जुड़े कारकों में विकल्प प्रदान किए जाने चाहिए, जो उनके स्तर और विषय से संबंधित हो। सीखने की प्रक्रिया में मस्तिष्क को सूचना प्रदान कर उसे प्रतिरूपण करने देना चाहिए। आलोचनात्मक सोच और समस्या-समाधान भी एक तरह का प्रतिरूपण ही है। अध्यापक को भावनात्मक उद्देश्य के बारे में संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, जिससे वह स्वयं अपनी एवं शिक्षार्थियों की भावना और दृष्टिकोणों को समझकर

शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया को सुनिश्चित कर सके। विद्यालय एवं कक्षा के वातावरण में एक-दूसरे के प्रति सम्मान तथा एक-दूसरे के विचारों को लेकर सहनशीलता होनी चाहिए। अध्यापक को अपने उत्साह स्तर, समृद्ध वातावरण के लिए भौतिक सामग्री, तकनीक, समावेशी रणनीतियाँ इत्यादि की जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा विभिन्न धारणाओं वाले परिवारों एवं समाज से आने वाले विद्यार्थियों को किस प्रकार एक सूत्र में बाँधकर उनकी विविधताओं को ध्यान रखते हुए उन्हें सीखने के लिए सक्रिय रखना है, इस क्षेत्र में भी अध्यापक का कुशल होना अनिवार्य है।

रटना भी सीखने के लिए आवश्यक है, जैसे— मंत्र, गीता के श्लोक, कुरान की आयतें, सूत्रों आदि को याद करना। अत्यधिक रटने पर बल देने से शिक्षार्थी की सीखने की क्षमता प्रभावित होती है। अध्यापकों को जीवन से संबंधित क्रियाओं का उपयोग करना चाहिए, जैसे— नृत्य, संगीत, चलचित्र, कहानियाँ, क्षेत्र भ्रमण, प्रोजेक्ट कार्य इत्यादि। साथ ही, विभिन्न विषयों को एकीकृत करके पढ़ाना चाहिए। रोचक शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया से शिक्षार्थियों की समस्त इंद्रियों पर प्रभाव डालने से जटिल विषयवस्तु को भी सहजता से सीखा जा सकता है। व्याख्यान को अन्य रणनीतियों के साथ जोड़कर अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। कम खतरा और उच्च चुनौतियाँ सीखने के लिए उपयुक्त हैं। अवास्तविक चुनौतियाँ सीखने में बाधक होती हैं। पाठ्यक्रम के विषयों की स्थापना, विद्यार्थियों की निजी रुचि के अनुसार वास्तविक एवं जटिल परियोजना कार्य, भौतिक संदर्भ को ध्यान में रखना, संबंध और उनमें कार्यशैली, बहु इंद्रियों का कार्य में प्रयोग, शिक्षाप्रद प्रतिक्रिया, विश्राम तकनीक, समृद्ध वातावरण, निष्क्रिय सुनना, शारीरिक क्रियाएँ और व्यायाम, मनन, रचनात्मक विस्तार, प्रसंग आधारित प्रदर्शन, संकेतक आधारित आकलन इत्यादि का पठन-पाठन की प्रक्रिया में सम्मिलित होना मस्तिष्क आधारित अधिगम को बढ़ावा देता है (जेन्सन (2020); केन और केन (1991); एरलोअर (2003)।

विभिन्न शोध उक्त उल्लिखित रणनीतियों और क्रियाकलापों को मस्तिष्क आधारित अधिगम के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए प्रयोग करने की सलाह देते हैं। मस्तिष्क की कार्यप्रणाली के अनुसार गतिविधियों की योजना बनाने एवं निष्पादित करने की पहल मस्तिष्क आधारित अधिगम ही करता है।

मस्तिष्क आधारित अधिगम को प्रयोग में लाने की विधियाँ

जेन्सन (2020) ने मस्तिष्क आधारित अधिगम आधारित 'टॉप 10 स्टूडेंट अचीवमेंट बूस्टर' साझा किए हैं, जिसमें 'कहानियाँ, प्रतिक्रिया, स्पेस लर्निंग, ब्रेन बिल्डिंग, प्लान बी, निट्टी ग्रीटी, अध्यापक शिक्षार्थी का संबंध, ब्रिजिंग, प्रासंगिकता, इंगेजमेंट' शामिल है। रामाकृष्णन (2013) ने मस्तिष्क आधारित अधिगम का समर्थन करते हुए कुछ कारकों का सुझाव दिया है जिसमें, 'वार्तालाप, संवेग, गति, ब्रेन ब्रेक, संबंध स्थापित करना, संगीत, विकल्प, खंडन करना, शेक इट अप, समृद्ध वातावरण, एक्रोनीम इत्यादि' सम्मिलित हैं। अध्यापक को मस्तिष्क आधारित अधिगम की पूर्ण जानकारी के साथ-साथ प्रशिक्षण की आवश्यकता है। एरलोअर (2003) ने मस्तिष्क अनुकूल अधिगम के लिए अपनी पुस्तक

में कुछ रणनीतियाँ साझा की हैं। जिसमें 'थिंक शीट, मूल्यांकन रुब्रिक्स, रीडिंग पार्टनर, हास्य का प्रयोग, के. डब्ल्यू. एल. चार्ट, पेयर एंड शेयर, सहयोगात्मक शिक्षा, भोजन युक्तियाँ, नींद की युक्तियाँ, बुलेटिन बोर्ड, पर्याप्त प्रकाश इत्यादि' सम्मिलित हैं। इनके अलावा भी इन्होंने अन्य रणनीतियों का उल्लेख किया है जो कि मस्तिष्क की कार्यशैली को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं।

गिवन (2002) ने मस्तिष्क के प्राकृतिक अधिगम के लिए पाँच प्रणालियों, जैसे— भावनात्मक, सामाजिक, भौतिक, चिंतनशील और संज्ञानात्मक का उल्लेख किया है। उन्होंने प्रत्येक प्रणाली के लिए एक प्रेरक व्यवहार का उल्लेख किया है— भावनात्मक के लिए जुनून, सामाजिक के लिए दृष्टि और सहयोग, संज्ञानात्मक के लिए विश्वास, भौतिक प्रणाली के लिए क्रिया एवं चिंतनशील प्रणाली के लिए चिंतन। यदि प्रत्येक प्रणाली के अधिगम उद्देश्य और बुनियादी ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए पठन-पाठन की प्रक्रिया को आयोजित किया जाए (जिसमें प्रत्येक प्रणाली का व्यवस्थित रूप शामिल हो) तो परिणामस्वरूप अधिगम की प्रक्रिया सशक्त, सहयोगी, रणनीतिक, चिंतनशील और सक्रिय होगी। विद्यार्थियों में अपने निजी उद्देश्यों को प्राप्त करने का जुनून होगा। वह एक-दूसरे के साथ वार्तालाप के माध्यम से सीखेंगे, निर्णय लेने में सक्षम होंगे और उनमें प्रबंधन और आत्मविश्वास विकसित होगा। सलेह (2012) ने अपने एक शोध अध्ययन में मस्तिष्क आधारित अधिगम के लिए पाठों को स्लाइड-शो, वीडियो, विद्यार्थियों का स्वयं कार्य करना, विद्यार्थियों के अनुभव पर आधारित प्रक्रियाएँ, सीखने के अनुभव एवं सामग्री की प्रासंगिकता, संबंध स्थापित करना आदि के साथ-साथ मस्तिष्क आधारित अधिगम के महत्वपूर्ण सिद्धांत एवं रणनीतियों का प्रयोग किया था। डयूमन (2010) ने मस्तिष्क आधारित अधिगम के आधार पर शिक्षण-अधिगम का मॉडल बनाकर प्रयोग किया था। जिसका मुख्य आधार केन और केन (1991) की मूलभूत रणनीतियाँ, 'ऑर्केस्ट्रेटेड इमर्शन, रिलैक्सड अलर्टनेस, एक्टिव प्रोसेसिंग' थी। रिलैक्सड अलर्टनेस के लिए सीखने की प्रक्रिया में आंतरिक अभिप्रेरणा, भरोसा और विश्वास, भावनात्मक जागरूकता, चुनौतीपूर्ण वातावरण, संगीत, पानी पीना, सामूहिक कार्य, चिंता का प्रबंधन आदि का प्रयोग किया गया। ऐसा करने से विद्यार्थियों में मानसिक एवं शारीरिक सुरक्षा का भाव विकसित हुआ। ऑर्केस्ट्रेटेड इमर्शन के लिए विषय शिक्षण, समृद्ध वातावरण, रचनात्मक कल्पना आदि का प्रयोग किया गया। एक्टिव प्रोसेसिंग के लिए प्रश्न पूछे गए, जिसमें विद्यार्थियों को प्रश्नों में से अर्थ खोजने का कार्य दिया गया, विषय से संबंधित कहानी, शैक्षिक खेल, वर्ग पहेली इत्यादि का भी उपयोग किया गया।

विभिन्न शोध अध्ययनों में मस्तिष्क आधारित अधिगम की प्रभावशीलता का अध्ययन करने पर पाया गया कि मस्तिष्क आधारित अधिगम शैक्षणिक उपलब्धि, प्रतिधारण, शैक्षिक प्रदर्शन, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति इत्यादि जैसे कारकों की वृद्धि में सहायक सिद्ध हुआ। विभिन्न स्तरों पर एवं विभिन्न विषयों में मस्तिष्क आधारित अधिगम का उपयोग सकारात्मक पाया गया। मस्तिष्क आधारित अधिगम की उपयोगिता पठन-पाठन की प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न कारकों में भी सिद्ध हुई। इस आधार पर अध्यापकों को शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया आयोजित करने के दिशा-निर्देश दिए जा सकते हैं।

शैक्षिक निहितार्थ

सर्वप्रथम अध्यापकों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य लोगों को मस्तिष्क आधारित अधिगम के बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। सभी को पूर्णत: सैद्धांतिक ज्ञान पर निर्भर के स्थान पर मस्तिष्क आधारित अधिगम की छोटी-छोटी रणनीतियों को प्रयोग में लाना चाहिए। इन्हें प्रयोग में लाने से पठन-पाठन में क्या परिवर्तन आ रहा है एवं क्या सहायता मिल रही है, यह जानकारी भी लोग स्वयं प्राप्त कर सकेंगे। फलस्वरूप यदि अध्यापक को इन रणनीतियों से लाभ प्राप्त होता है, तो वह शिक्षा जगत से जुड़े अन्य लोगों को मस्तिष्क आधारित अधिगम एवं उससे जुड़ी रणनीतियों की जानकारी दे सकता है। मस्तिष्क आधारित अधिगम के शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित निहितार्थ हैं, जिन्हें शिक्षा से जुड़े सभी लोग प्रयोग में ला सकते हैं।

समृद्ध वातावरण

मस्तिष्क आधारित अधिगम के सिद्धांत एवं अन्य रूपरेखाओं को पूर्णत: समझने के उपरांत अध्यापक समृद्ध वातावरण बना सकते हैं। इस वातावरण में वह चुनौतियों का प्रयोग कर विद्यार्थियों को पठन-पाठन की प्रक्रिया का अभिन्न केंद्र बना सकते हैं। चुनौती भरा वातावरण सीखने में सहयोग करता है जबकि जोखिमपूर्ण वातावरण सीखने में बाधाएँ उत्पन्न करता है। शिक्षार्थियों की विविधता को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को उन्हें कार्यों में विकल्प प्रदान करने चाहिए। जब विद्यार्थी विकल्पों में से चुनाव करेंगे, तो उनकी निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा और यह उनकी व्यक्तिगत विविधता को भी दर्शाएगी। समृद्ध वातावरण बनाने के लिए अध्यापक व्यक्तिगत एवं सामूहिक कार्य, संगीत, रंगमंच, प्रस्तुतियाँ, विभिन्न स्थानों पर कक्षाएँ लेना आदि का उपयोग कर सकते हैं। समृद्ध वातावरण से जुड़े कारकों एवं वस्तुओं की उपलब्धता एवं उपयोगिता संस्थान के अन्य लोगों के साथ मिलकर भी सुनिश्चित की जा सकती है तथा उनके विचारों को भी प्रयोग में लाया जा सकता है।

शिक्षार्थियों का ध्यान केंद्रित करना

शिक्षण-अधिगम की मूल प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए शिक्षार्थियों के अवधान को केंद्रित करना अति आवश्यक है। इसके लिए मस्तिष्क आधारित अधिगम सुझाव देता है कि अध्यापक अन्य अध्यापकों के साथ अपनी कक्षाओं को बदलें तथा कक्षा के अंदर और बाहर अपनी एवं विद्यार्थियों की प्रगति पर ध्यान दें। इसमें क्षेत्र भ्रमण भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हाथ उठाना, दो बार ताली बजाना आदि का उपयोग किया जा सकता है। शिक्षार्थियों के विचारों को शामिल करना, अन्य क्रियाकलाप, जैसे— सोचो और साझा करो, सीखो और साझा करो, आवाज़ का उतार-चढ़ाव आदि का प्रयोग विद्यार्थियों के ध्यान को आकर्षित करने में सहायक हो सकता है।

शिक्षार्थियों को तनाव प्रबंधन करना सिखाना

तनाव शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। अध्यापक के लिए यह अति आवश्यक है कि वह तनाव को प्रबंधित करने में सक्षम हो तथा तनाव के कारकों की समझ रखता हो। अध्यापक शिक्षार्थियों को तनाव को प्रबंधित करने के गुण सिखाएँ एवं उन रणनीतियों का उपयोग करें। इन रणनीतियों के प्रयोग से तनाव को कम किया जा सके, जैसे—शारीरिक व्यायाम, खेल, योग, नाटक, चर्चा

आदि। तनाव प्रबंधन के लिए संस्थान के आंतरिक लोगों के साथ-साथ बाहरी लोगों की भी सहायता ली जा सकती है। कक्षा के साथ-साथ पूरे संस्थान का वातावरण एवं लोगों का व्यवहार, तनाव एवं उसके प्रबंधन के लिए ज़िम्मेदार होता है।

संवेग और अधिगम

एक अध्यापक को कार्यों के प्रति उत्साह दिखाना चाहिए, जैसे— शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के लिए उत्साह, विद्यार्थियों से सीखने का उत्साह, नई पुस्तकें पढ़ने का उत्साह इत्यादि। अध्यापक के इस प्रकार के उत्साहित व्यवहार को देखकर विद्यार्थी यह जानने के लिए उत्तेजित हो सकते हैं कि शिक्षक के कौन-कौन से कार्य उन्हें उत्साहित करते हैं। विद्यार्थियों को उनके द्वारा किए गए कार्यों का श्रेय देना उन्हें प्रोत्साहित करता है। शोध पत्रिकाओं का उपयोग, चर्चा, अनुभव साझा करना, आंतरिक निरीक्षण करना आदि का उपयोग शिक्षार्थियों को कार्य से जोड़ता है। संवेग को अधिगम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। सानी एवं अन्य (2019) ने शोध से ज्ञात किया कि मस्तिष्क आधारित अधिगम रणनीतियाँ विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा को बढ़ाती हैं। अक्यूरेक एवं अफाकान (2013) ने भी अपने शोध अध्ययन में पाया कि मस्तिष्क आधारित अधिगम अभिप्रेरणा बढ़ाने का कारक है। जब किसी संस्थान के प्रत्येक स्तर पर कार्यरत लोग उत्साहपूर्ण व्यवहार का प्रदर्शन करेंगे, तो शिक्षार्थियों को अवश्य ही उनसे अभिप्रेरणा मिलेगी और वे भी उत्साहित होकर कार्यों में भाग लेंगे।

अर्थ की खोज में सहायता

अंतर्निर्मित और मुखर शिक्षण प्रतिरूप (मॉडल) की सहायता से सीखने के क्या, क्यों, कब, कैसे तथा कहाँ की जानकारी प्राप्त होती है। अध्यापक द्वारा प्रतिरूप का उपयोग करने से विद्यार्थी भी प्राकृतिक प्रतिरूपों को खोजने लगते हैं। ऐसा करने से सीखने की प्रक्रिया व्यवस्थित हो सकती है। किसी अवधारणा को पढ़ाते समय अगर उसे तुकबंदी, संगीत, निमोनिक्स, दृश्य इत्यादि से जोड़कर पढ़ाया जाए तो शिक्षार्थी उसे आसानी से याद कर प्रयोग में लाने में समर्थ होंगे। खंडन करना, रुकना, प्रश्न करना, माइंड मैप्स बनाना पठन-पाठन की प्रक्रिया को समृद्ध करता है। ब्रेन टीजर, स्थिति आधारित प्रश्न, उच्च स्तरीय प्रश्न, खुले अंत (ओपन एंडेड) प्रश्नों का उपयोग भी सीखने में सहायक होते हैं। समावेशी डिजिटल तकनीकी का उपयोग कर शिक्षार्थी के मस्तिष्क, शरीर एवं इंद्रियों को उत्तेजित किया जा सकता है।

निष्कर्ष

शिक्षण-अधिगम से संबंधित सभी कार्यों में मस्तिष्क की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर हम शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को मस्तिष्क आधारित सिद्धांतों एवं रणनीतियों के अनुसार व्यवस्थित करेंगे, तो शायद हम शिक्षार्थियों को ऐसा वातावरण देने में समर्थ होंगे, जिसमें वह सक्रिय रह सकें, अपनी भागीदारी दे पाएँ और अपने अनुसार सीख सकें। शिक्षा से जुड़े लोग मस्तिष्क आधारित अधिगम के उपयोग से शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित और उत्साहित कर, उनका ध्यान केंद्रित करने में सफल हो सकते हैं। मस्तिष्क आधारित अधिगम की उपयोगिता विद्यालय स्तर पर बहुत से कारकों में पाई गई है। लेकिन विडंबना यह है कि अध्यापकों का बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी इसके ज्ञान से वंचित है। इसलिए मस्तिष्क आधारित अधिगम के ज्ञान का प्रसार और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। प्रसार और प्रशिक्षण के द्वारा ही शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सके।

संदर्भ

अल-बलूशी, के. ए. और एस. एम.अल-बलूशी., 2018. इफ़ेक्टिवनेस ऑफ़ ब्रेन बेस्ड लर्निंग फ़ॉर ग्रेड 8 स्टूडेंटस डायरेक्ट एंड पोस्टपोन्ड रिटेंशन साइंस. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ इंस्ट्रक्शन.* 11(3). पृष्ठ संख्या 525–538. 25 अगस्त 2020 को https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1183346.pdf से प्राप्त किया गया.

आयडिन, एस. और एम. येल, 2011. इफेक्ट ऑफ़ ब्रेन बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम ऑन वर्किंग मेमोरी एंड एकेडमिक मोटिवेशन अमंग 10th ग्रेड ओमानीस स्टूडेंटस. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ साइको एजुकेशनल साइंस*. 8(1). पृष्ठ संख्या 43–50. 25 जुलाई 2020 को https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED594327.pdf से प्राप्त किया गया.

अक्यूरेक, इ. और ओ. अफाकान 2013. इफ़ेक्ट ऑफ़ ब्रेन बेस्ड लर्निंग अप्रोच ऑन स्टूडेंट मोटिवेशन एंड एटीट्यूड लेवल इन साइंस क्लास. *मैंवलाना इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ एजुकेशन*. 3(1). पृष्ठ संख्या 104–119. 29 जून 2020 को https://files.eric.ed.gov/fulltext/ ED543600.pdf से प्राप्त किया गया.

एरलोअर, एल. 2003. द *ब्रेन कम्पेटिबल क्लासरूम— यूजिंग व्हाट वी नो अबाउट लर्निंग टू इंप्रूव टीचिंग*. ए.एस.सी.डी. 12 सितंबर 2020 को https://cerebralpalsypenang.org/wp-content/uploads/ 2015/06/ The-Brain-Compatible-Classroom.-Using-What-We-Know-About-Learning-to-Improve -Teaching.pdf से प्राप्त किया गया.

ओजडेन, एम. गुलटेकिन. 2008. द इफ़ेक्टस ऑफ़ ब्रेन बेस्ड लर्निंग ऑन एकेडमिक अचीवमेंट एंड रिटेंशन ऑफ़ नॉलेज इन साइंस कोर्स. *इलेक्ट्रॉनिक जर्नल ऑफ़ साइंस एजुकेशन*. 12(1). पृष्ठ संख्या 3–19. 6 अक्तूबर 2020 को https:// ejrsme.icrsme.com/article/view/ 7763 से प्राप्त किया गया.

कहावैसी., ए. और एवाई.सलातदिन. 2008. डिफ़रेंट अप्रोचीस-कॉमन इंप्लीकेशंस— ब्रेन बेस्ड एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग एम पैराडाइमस एंड इंटीग्रल मॉडल पर्सपेक्टिव. *जर्नल ऑफ़ साइंस एजुकेशन*. 5(3). पृष्ठ संख्या 124–129. 9 जून 2022 को http://biologydiva.pbworks.com/f/Different+ Approaches+-+Common+Implications.pdf से प्राप्त किया गया.

कपाड़िया, आर. एच. 2014. लेवल ऑफ़ अवेयरनेस अबॉउट नॉलेज, बिलीफ, एंड प्रैक्टिस ऑफ़ ब्रेन बेस्ड लर्निंग ऑफ़ स्कूल टीचर इन ग्रेटर मुंबई रीजन. *प्रोसीडिया— सोशल एंड बिहेवियरल साइंस.* 123. पृष्ठ संख्या 97–05. 10 अगस्त 2020 को https://www.researchgate.net/publication/275543571_Level_of_Awareness_about_Knowledge_Belief_and_Practice_of_Brain_based_Learning_of_School_Teachers_in_Greater_Mumbai_Region से प्राप्त किया गया.

कुमार, पी., और के. कुमारी, 2019. *एक्सपीरियंशियल लर्निंग.* माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केंद्र, 2, कम्युनिटी सेंटर, दिल्ली. 8 जून को https://cbseacademic.nic.in/ web_material/Manuals/ExperientialLearning.pdf से प्राप्त किया गया.

केन, आर. एन., और जी. केन 1991. मेकिंग कनेक्शन: टीचिंग एंड द ह्यूमन ब्रेन. 15 दिसंबर 2019 को https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED335141.pdf से प्राप्त किया गया.

गिवन, बी.के. 2002. टीचिंग टू द ब्रेनस नेचुरल लर्निंग सिस्टमस. *अलेक्जेंड्रिया— एसोसिएशन फ़ॉर सुपरविज़न एंड करिकुलम डेवलपमेंट*. 7 सितंबर 2020 को http://www.daneshnamehicsa.ir// files/1/6-% 20 Teaching% 20to%20the% 20Brain's% 20Natural%20Learning%20Systems.pdf से प्राप्त किया गया.

———. 1998. *टीचिंग विद द ब्रेन इन माइंड*. ए.एस.सी.डी. 14 अगस्त 2020 को http://www. nielsenbortel.com/ uploads/2/4/0/7/24075463/teaching.with.the. Brain.in. mind.pdf से प्राप्त किया गया.

जेन्सन, लर्निंग. http://www.jensenlearning.com

———. 2000. ब्रेन बेस्ड लर्निंग— ए रियलिटी चेक. *एजुकेशनल लीडरशिप*. 57(7). पृष्ठ संख्या 76–80. 8 जून 2022 को https://eric.ed.gov/?id=EJ609651 से प्राप्त किया गया.

टुफेकी, एस. और डेमिरल, एम. 2009. द इफेक्ट ऑफ़ ब्रेन बेस्डलर्निंग ऑन अचीवमेंट, रिटेंशन, एटीट्यूड एंड लर्निंग प्रोसेस. *प्रोसीडिया-सोशल एंड बिहेवियरल साइंस*. 1, 1782–1791. 11 अक्टूबर 2021 को https://www.sciencedirect. com/science/article/pii/S187704280900319X#:~:text=The%20research%20revealed%20 that% 20brain, course %20of%20the%20university%20students. से प्राप्त किया गया.

डयूमन, बी. 2010. द इफ़ेक्ट ऑफ़ ब्रेन बेस्डलर्निंग ऑन द एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ़ स्टूडेंटस विद डिफ़रेंट लर्निंग स्टाइलस. *एजुकेशनल साइंसेस: थ्योरी एंड प्रैक्टिस*. 10(4). पृष्ठ संख्या 2077–2103. 2 अगस्त 2020 को https:// eric.ed.gov/?id=EJ919873 से प्राप्त किया गया.

नौरीन, जी., आर. एन आवान, और एच फातिमा 2017. इफ़ेक्ट ऑफ़ ब्रेन बेस्ड लर्निंग ऑन एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ़ सेवंथ ग्रेडस इन मैथमेटिक्स. *जर्नल ऑफ़ एलिमेंट्री एजुकेशन*. 27 (2). पृष्ठ संख्या 85–97. 4 सितंबर 2020 को http://pu.edu.pk/images/journal/JEE/PDF/6_v27_2_17.pdf से प्राप्त किया गया.

प्रोक्लेमेशन, पी. 1990. ब्लैकेड ऑफ़ द ब्रेन. 1990–1999. फेडरल रजिस्टर, 55, 29553. 7 जून 2022 को https:// www.loc.gov/loc/brain/proclaim.html से प्राप्त किया गया.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2009. निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम. भारत का राजपत्र. 8 जून 2020 को https://legislative.gov.in/sites/default/files/H200935.pdf से प्राप्त किया गया.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. 8 जून 2022 को https://www.education.gov.in/ sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf से प्राप्त किया गया.

मेकारिना, एम और वाई. पी. निंगसिह, 2017. द इफ़ेक्टस ऑफ़ ब्रेन बेस्डलर्निंग एप्रोच ऑन मोटिवेशन एंड स्टूडेंट्स अचीवमेंट मैथमेटिक्स लर्निंग. *जर्नल ऑफ़ फिजिक्स— कॉन्फ्रेंस सीरीज*. वॉल्यूम 895 (2017) 012057. आई.ओ.पी. पब्लिशिंग. 2 अगस्त 2020 को https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/895/1/012057/ meta से प्राप्त किया गया.

रामाकृष्णन, ज. 2013. ब्रेन बेस्ड लर्निंग स्ट्रेटजीस. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ इनोवेटिव रिसर्च एंड स्टडीज़*. 2(5). पृष्ठ संख्या 236–42. 20 अगस्त 2020 को https://www.researchgate.net/publication/ 324704225_Brain_ Based_Learning_Strategies लिया गया है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. 2006. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली. 8 जून को https://ncert.nic.in/pdf/nc-framework/hindi.pdf से प्राप्त किया गया.

लेडले, डी. 1999. द ब्रेन बेस्ड कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम व्हाट ऑन अर्थ डस देट मीन? द *न्यूज लाइट ऑफ़ द यूसीएलए स्कूल मैनेजमेंट प्रोग्राम*. 3(3). 8 जून को http://www.bbbforlearning.com/uploads/1/0/4/4/10446722/ brain-based_classroom.pdf से प्राप्त किया गया.

वर्गीस, एम. जी. और एस. पंड्या, 2016. ए स्टडी ऑन द इफ़ेक्टिवेनेस ऑफ़ ब्रेन बेस्ड लर्निंग ऑफ़ स्टूडेंट्स ऑफ़ सेकेंडरी लेवल ऑन द ईयर एकेडमिक अचीवमेंट्स इन बायोलॉजी स्टडी हैबिट्स एंड स्ट्रेस. *इंटरनेशनल जर्नल*

ऑफ़ ह्यूमैनिटीस एंड सोशल साइंस. पृष्ठ संख्या 103–122. 25 नवंबर 2020 को https://www.researchgate.net/publication/301816156_A_study_on_the_effectiveness_of_brain-Based Learning_of_students_of_ Secondary_ Level_on_their_academic_achievement_in_biology_study_habits_and_stress से प्राप्त किया गया.

व्यास, के. और के. सी. वशिष्ठ. 2013. इफ़ेक्टिवेनेस ऑफ़ टीचिंग बेस्ड ऑन ब्रेन रिसर्च विद रेफ़रेंस टू एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ़ सेकंडरी स्कूल स्टूडेंटस. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ स्टूडेंट रिसर्च इन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट.* 1(4). पृष्ठ संख्या 383–397.14 जुलाई 2020 को https://giapjournals.com/ijsrt m/article/view/82 से प्राप्त किया गया.

सलेह, स. 2012. द इफ़ेक्टिवेनेस ऑफ़ द ब्रेन बेस्ड टीचिंग अप्रोच इन एनहानसिंग साइंटिफ़िक अंडरस्टैंडिंग ऑफ़ न्यूटोनियन फिजिक्स अमंग फ़ॉर्म फ़ॉर स्टूडेंटस. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ एनवायरमेंटल एंड साइंस एजुकेशन.* 7(1). पृष्ठ संख्या 107–122. 17 मई 2020 को https://files.eric.ed. gov/fulltext/EJ972447.pdf से प्राप्त किया गया.

सानी, ए., डी. रोचिंतानीवती और एन. विनारनो, 2019. एनहानसिंग स्टूडेंट मोटिवेशन थ्रू ब्रेन बेस्ड लर्निंग. *जर्नल ऑफ़ फ़िजिक्स*— कॉन्फ्रेंस सीरीज. 1157, पृष्ठ संख्या. 1–5. 2 सितंबर 2020 को https://www.researchgate.net/publication/331679429_Enhancing_students'_motivation_through_brain-based_learning लिया गया है।

स्मिथ, ए. 2003. एस्सेलरेटेड लर्निंग इन प्रैक्टिस. *ब्रेन-बेस्ड मेथड फ़ॉर एस्सेलरेटिंग मोटिवेशन एंड अचीवमेंट.* 4 सितंबर 2020 को https://pdfcoffee.com/download/2-accelerated- learning -techniques-workbook-pdf-free.html लिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में बहुसांस्कृतिक शिक्षा

अनामिका यादव*
शिरीष पाल सिंह**

शिक्षा बच्चों को आत्मविश्वासी बनाने के साथ-साथ अपने वयस्क जीवन की जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम बनाती है। इस शैक्षिक प्रक्रिया में प्राप्त हुए नए अनुभवों के माध्यम से वे आनुभविक ज्ञान आधारित जीवनयापन करते हैं। यह ज्ञान भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश में और भी आवश्यक है, क्योंकि भारत में कई नस्लों, जातियों, भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों के लोग रहते हैं। इसलिए बहुसांस्कृतिक शिक्षा एक विचार एवं सुधारात्मक आंदोलन है, जिसका लक्ष्य शैक्षिक संस्थानों में विविध सामाजिक-सांस्कृतिक समूहों वाले विद्यार्थियों को स्कूल आधारित गतिविधियों में सहभागिता करने का समान अवसर मिले। बहुसांस्कृतिक शिक्षा न केवल विद्यार्थियों को विभिन्न संस्कृतियों से परिचित कराती है, बल्कि विद्यार्थियों में अपनी संस्कृति, संवेदनशीलता और दूसरों की संस्कृति के प्रति सहानुभूति एवं सम्मान की भावना भी पैदा करती है। यह शिक्षा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा भी देती है। इसलिए, शिक्षा संस्कृति को विकसित करने, संरक्षित करने और संवर्धन करने का एक साधन है। यह लेख अनेक शोध-पत्रों, पत्रिकाओं और मुख्य रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर बहुसांस्कृतिक शिक्षा का विश्लेषण और वैचारिक चर्चा प्रस्तुत करता है।

भारत एक बहुसांस्कृतिक देश है, जिसमें कई नस्लों, जातियों, भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों का समावेश है। यह विविधता सदियों से मुख्य रूप से कई परंपराओं, प्रथाओं और ज्ञान प्रणालियों के कारण बनी हुई है, जिन्हें देशभर के समुदायों ने अथक रूप से पोषित किया है और असंख्य रूपों में प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसी परंपराओं और प्रथाओं की बेहतरीन अभिव्यक्तियों को भाषाओं एवं साहित्य, भोजन की आदतों एवं व्यंजनों, कपड़ों एवं पोशाक, मेलों एवं त्योहारों, कला एवं शिल्प, संगीत, नृत्य एवं नाटक तथा स्थापत्य एवं मूर्तिकला शैलियों में चित्रित किया जाता है। इसके अलावा, लोगों के दैनिक जीवन में विविधता को भी देखा जाता है। भारत की इसी विविधता पर एक कहावत प्रचलित है कि 'कोस-कोस पर बदले पानी चार कोस पर बदले वाणी'। क्योंकि भारत में अलग-अलग धर्म, अलग-अलग भाषाएँ, शैक्षिक पृष्ठभूमि, रीति-रिवाज और मूल्य हैं, जिनका विकास कई धर्मों के लोगों ने किया है। समयानुसार देश और लोगों के बीच दूरियाँ बढ़ी हैं, लेकिन डिजिटल क्रांति के कारण

*शोधार्थी, शिक्षा विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र 442001
**प्रोफ़ेसर, शिक्षा विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र 442001

आज पूरा विश्व एक वैश्विक गाँव बन गया है। इसी अवधारणा को भारत प्राचीनकाल से ही 'वसुधैव कुटुंबकम' के रूप में अपनाते हुए प्रचारित कर रहा है। भारत का संविधान भी सांस्कृतिक बुनियाद को मज़बूत करने के लिए मार्गदर्शित करता है, जो भारत को लोकतांत्रिक देश के रूप में सशक्त बनाता है।

अनुभव शिक्षा की एक जीवित प्रक्रिया है। यह व्यक्ति को अपनी क्षमताओं में सुधार करने के लिए प्रेरित करती है, जो पर्यावरण एवं परिस्थिति को नियंत्रित कर अपनी संभावनाओं को पूरा करने में सक्षम बनाती है। एक समावेशी एवं दूरदर्शी भविष्य की शिक्षा नीति, देश की सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के विकास के लिए एक अनिवार्य आंदोलन का कार्य करती है, जिसमें सांस्कृतिक विविधता, स्थानीय और वैश्विक ज़रूरतों को शामिल किया जाता है (सरकार और सरकार, 2021)। शिक्षा बच्चों को इस तरह से तैयार करती है कि वे आत्मविश्वास के साथ अपने वयस्क जीवन की ज़िम्मेदारियों को निभाने में सक्षम हो जाते हैं (पाई, 2005)। भारत एक बहुसांस्कृतिक देश है जिसमें कई परंपराओं, रीति-रिवाजों, जातियों, भाषाओं, धर्मों एवं संस्कृतियों का समावेश है। ये विरोधाभासी रूप से अलग होते हुए भी कई स्तरों पर परस्पर जुड़े हुए हैं। इसी कारण भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के बहुभाषी रूप हैं। संस्कृतियों में विविधता इक्कीसवीं सदी की प्रमुख विशेषता बन गई है। यही विशेषता भारत की कक्षाओं में देखी जा सकती है, जहाँ बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थी आते हैं। लगातार बदलते वैश्विक परिदृश्य में विद्यार्थियों को भविष्य के ज़िम्मेदार नागरिक होने के लिए जोखिम का सामना करने हेतु सक्षम बनाना अनिवार्य हो गया है।

बहुसांस्कृतिक शिक्षा

बहुसांस्कृतिक शिक्षा एक विचार और सुधारात्मक आंदोलन है जिसका प्रमुख लक्ष्य शैक्षिक संस्थानों की संरचना बदलना है ताकि साधारण एवं असाधारण विद्यार्थी और विविध पृष्ठभूमि, भाषा एवं सांस्कृतिक समूहों वाले विद्यार्थियों को विद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों में सहभागिता करने का समान अवसर मिले। बहुसंस्कृतिवाद यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिक अपनी अस्मिता सुरक्षित रख सकते हैं, अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकते हैं एवं जुड़ाव के बोध से संपन्न हो सकते हैं। बहुसांस्कृतिकता का विचार इस बात पर बल देता है कि किसी समाज में मौजूद विभिन्न जातियों एवं संस्कृतियों को राज्य की ओर से समुचित मान्यता मिलनी चाहिए एवं उन्हें अपने विश्वासों, रीति-रिवाजों और जीवन-पद्धति को अमल में लाने के लिए पर्याप्त सहूलियतें एवं सुविधाएँ मुहैया कराई जानी चाहिए। किसी विशेष जाति, धर्म एवं सांस्कृतिक समुदाय के मूल्यों को केंद्रीय मानकर उन्हें मान्यता, संरक्षण और प्रोत्साहन देना बहुसंस्कृतिवाद का बुनियादी सूत्र है। इसकी शुरुआत विद्यालय एवं कक्षा-कक्ष में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में बहुसांस्कृतिक शिक्षा को अपनाकर की जा सकती है। बहुसंस्कृतिवाद सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देता है। बहुसंस्कृतिवाद विभिन्न संस्कृतियों का सम्मान करने और उन्हें संवैधानिक रूप से समान स्थान देने के लिए प्रोत्साहित करती है। किसी भी संस्कृति का भविष्य उस देश में शिक्षित वर्ग की विचारधारा पर निर्भर करता है और यह विचारधारा उस देश की शिक्षा प्रणाली के आधार पर उस देश की संस्कृति को प्रभावित करती है। शिक्षा संस्कृति को विकसित करने, संरक्षित करने

और विस्तार करने का एक साधन है। इसलिए भारत ने बहुसंस्कृतिवाद एवं धर्मनिरपेक्षता को अपनाया है। भारत में अलग-अलग धर्म, अलग-अलग भाषाएँ, शैक्षिक पृष्ठभूमि, रीति-रिवाज और मूल्य हैं। अत: बहुसांस्कृतिकता की अवधारणा को समझना और समझाना अति आवश्यक है क्योंकि ऐसा करने से ही समाज में व्याप्त आपसी विरोधाभासों को कम अथवा समाप्त किया जा सकता है।

बहुसांस्कृतिक शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न शिक्षा नीतियाँ

तत्कालीन परिस्थितियों में ऐसा अनुभव किया गया था है कि भारत जैसे समृद्ध एवं सांस्कृतिक विभिन्नताओं वाले देश में परंपराओं एवं औपचारिक शिक्षण पद्धति के मध्य ऊपजी खाई को भरना अति आवश्यक है। इन सांस्कृतिक परंपराओं के मध्य व्याप्त अंतर को समाप्त करने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक सेतु का कार्य कर सकती है *(राष्ट्रीय शिक्षा नीति*, 1986)। इस हेतु कक्षाओं की बहुसांस्कृतिक संरचना की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया है। क्योंकि इसे समग्र रूप से सीखने के माहौल के साथ-साथ स्कूली जीवन और निर्णय लेने, अध्यापक शिक्षा जैसे शैक्षिक कार्यक्रमों के अन्य आयामों से संबंधित होना चाहिए। प्रशिक्षण, पाठ्यचर्या, निर्देश की भाषाएँ, शिक्षण पद्धतियाँ, शिक्षण सामग्री आदि में कई दृष्टिकोणों और संवादों को शामिल किया जा सकता है। विद्यालयी शिक्षा को कुछ इस प्रकार से संगठित करना चाहिए जिससे सभी विद्यार्थियों में आपसी सद्भाव, भाईचारा, एकता, अखंडता, निपुर्णता, आपसी सहयोग एवं अनुशासन का विकास हो सके, जो भारतीय बहुसांस्कृतिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है (मुदालियर, 1952–53)। शिक्षा आयोग द्वारा सांस्कृतिक भिन्नता अथवा बहुसांस्कृतिकता को बनाए रखने के लिए यह सुझाव दिया गया कि क्षेत्रीय विशिष्टताओं को बनाए रखने हेतु राज्य स्तर की शिक्षा में कुछ इस प्रकार सुनिश्चित किया जाए कि उस क्षेत्र की विशिष्ट पहचान एवं संस्कृति बनी रहे। इससे सभी क्षेत्रों की संस्कृति का विकास एवं पहचान बनी रहेगी। इस प्रकार क्षेत्रीय असमानता की समाप्ति हो सकेगी और बहुसांस्कृतिकता को बढ़ावा मिलेगा (कोठारी आयोग, 1964–66)। संवैधानिक कर्तव्यों का निर्धारण, लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण, संवर्धन, सांस्कृतिक विकास एवं उनमें सामंजस्य एवं उनकी पहचान को बनाए रखने के उद्देश्य से विभिन्न भारतीय भाषाओं की पुस्तकों का विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाए। इससे सभी विद्यार्थियों को भिन्न-भिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में रहने वाले लोगों के वास्तविक जीवन एवं उनकी दैनिक गतिविधियों के बारे में जागरूक किया जा सके। इस प्रकार विद्यार्थियों में अन्य संस्कृतियों के प्रति सम्मान का भाव पैदा किया जा सकेगा एवं बहुसांस्कृतिकता को बनाए रखते हुए राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को स्थापित किया जा सकेगा (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति*, 1986)। प्रोग्राम ऑफ़ एक्शन (1992) ने बच्चे की अंतर्निहित क्षमताओं की खोज के संदर्भ में, व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा और संस्कृति को जोड़ने पर ज़ोर दिया था। इसने स्कूली पाठ्यक्रम में प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की विविध छवियों के प्रतिबिंब की दिशा में कदम उठाने का सुझाव दिया था। *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* में बहुसांस्कृतिकता

को बढ़ावा देने हेतु अल्पसंख्यकों के प्रति विद्यार्थियों में संवेदनशीलता का भाव जागृत करने हेतु सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों में सांस्कृतिक भिन्नता से संबंधित तथ्यों को समाहित किया जाना चाहिए। इस प्रकार विभिन्न शिक्षा नीतियों एवं दस्तावेज़ों का अवलोकन करने के पश्चात यह ज्ञात होता है कि समय-समय पर आवश्यकतानुसार बहुसांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा नीतियों में सुधार किया गया।

बहुसांस्कृतिक शिक्षा में बहुभाषिकता का महत्व

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भाषा की उपस्थिति को शिक्षण के माध्यम के रूप में, भाषा को अध्ययन के रूप में, भाषा शिक्षण के रूप में एवं भाषा को सांस्कृतिक संदर्भ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सामाजिक समरसता की दृष्टि से यह समझा जा सकता है कि भाषा के साथ शिक्षा के मूल सरोकार, जैसे— राष्ट्रीय एकता, संस्कृति के पोषण और सम्मान, अवसरों की समानता एवं आर्थिक विकास के मद्दे भी जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारत की बहुभाषाई संस्कृति को और अधिक समृद्ध बनाने का कार्य किया है।

बहुसांस्कृतिक शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय शिक्षा प्रणाली में कई बदलाव आए हैं, कई नीतियाँ एवं योजनाएँ भी बनाई गईं। लेकिन इक्कीसवीं सदी के बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में बहुसांस्कृतिक शिक्षा के संबंध में दिए गए प्रावधान सराहनीय हैं। बहुभाषी शिक्षा, जो शिक्षा में निवेश को सकल घरेलू उत्पाद के 4.43 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.6 प्रतिशत करेगी और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लाभों तक पहुँचने में मदद करेगी (दुन्घाव, 2021)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भविष्य की शिक्षा व्यवस्था एवं उसकी संरचना को समझने में मदद करती है। यह शिक्षा नीति न केवल अवधारणाओं पर चर्चा करती है बल्कि शिक्षा में समानता लाने में नवाचार की पहचान भी करती है। इस नीति का प्रमुख लक्ष्य 2030 तक समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना है। यह नीति समान और समावेशी शिक्षा के माध्यम से क्रांतिकारी बदलाव लाने पर ज़ोर देती है। भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव और लचीलेपन की माँग करती है ताकि विविध बहुसांस्कृतिक परिवेश से आने वाले लोगों की ज़रूरतों के अनुसार नीति को लागू किया जा सके। इसलिए शिक्षा में बहु-विषयक दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है (कुमार, 2021)। बहुसांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में भी बहुसांस्कृतिक शिक्षा पर आधारित विभिन्न प्रावधान किए गए। जिसे निम्नलिखित बिंदुओं में बताया गया है—

- अनुच्छेद 1.2 के अनुसार, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) स्तर पर सामाजिक कार्य, मानवीय संवेदना, अच्छे व्यवहार, शिष्टाचार, नैतिकता, समूह में कार्य करना एवं आपसी सहयोग को विकसित करने पर ध्यान दिया गया है जो बहुसांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक कदम माना जा सकता है।

- अनुच्छेद 2.8 के अनुसार, डिजिटल लाइब्रेरी के साथ राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति तैयार की जाएगी। जिससे सभी स्थानों, भाषाओं एवं शैलियों में पुस्तकों की गुणवत्ता, उपलब्धता एवं पाठकों तक पहुँच को भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।
- अनुच्छेद 4.7 के अनुसार, कला-एकीकृत शिक्षणशास्त्र (आर्ट-इंटीग्रेशन), एक ऐसा क्रॉस करिकुलर शैक्षणिक दृष्टिकोण है जिसके अंतर्गत विविध विषयों की अवधारणाओं के अधिगम आधार के रूप में कला एवं संस्कृति के विभिन्न अवयवों का उपयोग किया जाता है। यह न सिर्फ़ कक्षा को आनंददायक बनाएगी अपितु भारतीय कला एवं संस्कृति से बच्चों को भी परिचित कराएगी।
- अनुच्छेद 4.11 के अनुसार, शिक्षा का माध्यम घर की भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा को कम से कम ग्रेड 5 से लेकर ग्रेड 8 तक और उससे आगे तक की शिक्षा में लागू करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही, भाषा के रूप में स्थानीय भाषा या घर की भाषा को संभवतः पढ़ाया जाएगा तथा निजी एवं सार्वजानिक दोनों ही प्रकार के विद्यालय इसका पालन करेंगे। सभी विषयों में उच्चतर गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकों को मातृभाषा या घरेलू भाषा में भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे शिक्षण के माध्यम और बच्चे द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अंतर को समाप्त किया जा सके। इसके लिए आवश्यक है कि अध्यापकों एवं विद्यार्थियों के मध्य संवाद की भाषा के रूप में घर की भाषा/स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा/मातृभाषा का प्रयोग किया जाए। अध्यापकों को द्विभाषी शिक्षण-अधिगम सामग्री सहित द्विभाषी उपागम हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे उन विद्यार्थियों को अध्ययन में सुविधा हो जिनके घर की भाषा या मातृभाषा, शिक्षा के माध्यम से भिन्न है।
- अनुच्छेद 4.12 के अनुसार, बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए सभी भाषाओं को मनोरंजक एवं संवादात्मक शैली में पढ़ाया जाएगा। साथ ही, मातृभाषा में लिखने के साथ-साथ अन्य भाषाओं को पढ़ने एवं लिखने के कौशलों को विकसित किया जाएगा।
- अनुच्छेद 4.13 में कहा गया कि संवैधानिक प्रावधानों, संघ की आकांक्षाओं, क्षेत्रों, लोगों एवं बहुभाषिकता के साथ राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के उद्देश्य से त्रिभाषा सूत्र को लागू किया जाएगा।
- अनुच्छेद 4.18 में भारत की सभी शास्त्रीय भाषाओं, जैसे—तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम के साथ-साथ पालि, फ़ारसी, प्राकृत के साहित्य को समृद्ध करने के साथ भावी पीढ़ी हेतु भी संरक्षित किया जाना चाहिए।
- भारत विभिन्न संस्कृतियों का समृद्ध भंडार है और अनुच्छेद 22.2 के अनुसार, भारतीय संस्कृतियों का संवर्धन करने का कार्य सिर्फ़ राष्ट्र का नहीं है अपितु राष्ट्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए यह आवश्यक है कि अपने राष्ट्र के अंतर्गत आने वाली विभिन्न संस्कृतियों का संरक्षण एवं संवर्धन करें। बच्चों को अपनी संस्कृति की पहचान तथा अपनेपन के भाव एवं अन्य संस्कृतियों की पहचान एवं उनके प्रति सराहना का भाव पैदा करने के लिए यह ज़रूरी है कि बच्चों में सांस्कृतिक जागरूकता एवं उसकी अभिव्यक्ति जैसी क्षमताओं को विकसित किया जाए।

- अनुच्छेद 22.3 के अनुसार व्यक्तियों के लिए प्रसन्नता, कल्याण, संज्ञानात्मक विकास एवं सांस्कृतिक पहचान एक ऐसा महत्वपूर्ण कारण है, जिसके लिए सभी प्रकार की भारतीय कला, आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा से प्रारंभ करते हुए शिक्षा के सभी स्तरों पर विद्यार्थियों को कला शिक्षा अनिवार्य रूप से प्रदान की जानी चाहिए।
- अनुच्छेद 22.4 में कहा गया है कि भाषा किसी भी कला एवं संस्कृति को निःसंदेह रूप से जोड़ने का कार्य करती है। किसी विशेष भाषा को बोलने वाला व्यक्ति अपने अनुभवों को किस प्रकार ग्रहण करता है, यह उस भाषा की सरंचना पर निर्भर करता है। क्योंकि एक संस्कृति के लोगों का दूसरी संस्कृति के लोगों के साथ बातचीत अथवा संवाद करने से दोनों ही संस्कृतियों के लोगों की भाषा एवं संस्कृति प्रभावित होती है। अपनी संस्कृति के लोगों से संवाद करने में जो अपनापन अनुभव होता है, उसे ही संस्कृति का प्रतिबिंब कहा जाता है। अतः यह कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति भाषाओं में निहित है किंतु भाषाओं को उचित स्थान न मिलने से भारतीय भाषाएँ लगभग लुप्त होती जा रही हैं। भाषाओं को लुप्त होने से बचाने के लिए आवश्यक है कि भारतीय भाषाओं के शिक्षण एवं अधिगम को विद्यालय और उच्चतर शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर एकीकृत करने की आवश्यकता है। विभिन्न भारतीय भाषाओं की महत्वपूर्ण शिक्षण सामग्री का अनुवाद अन्य भाषाओं में किया जाना चाहिए। अनुवाद करने से एक संस्कृति के लोग अन्य संस्कृति के लोगों के विचारों एवं व्यवहारों से परिचित हो सकें और अपनी संस्कृति के लोगों की तरह अन्य संस्कृति के लोगों के साथ अपनापन या लगाव महसूस कर सकें। शिक्षण सामग्रियों एवं पाठ्यपुस्तकों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करने से हम बहुसांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं और सामान्य कक्षा में बहुसांस्कृतिक एवं बहुभाषा-भाषी लोगों का स्वागत कर सकेंगे। विद्यार्थियों को भारत की समृद्ध विविधता एवं बहुसांस्कृतिकता का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। इसलिए विद्यार्थियों को संस्कृति से संपन्न देश के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करने जैसी गतिविधियों में शामिल करना होगा। ऐसा करने से वह विविध भाषाओं, संस्कृतियों, परंपराओं एवं ज्ञान को समझ सकेंगे, और उनमें अन्य संस्कृतियों के प्रति सम्मान का भाव उत्पन्न होगा। इस दिशा में 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को विभिन्न संस्कृतियों एवं भाषाओं को बोलने वाले लोगों से परिचित कराया जाएगा। इस प्रकार भाषाएँ भी बहुसांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ावा देने में अपना अहम योगदान प्रदान करती हैं।
- इस शिक्षा नीति के अनुसार पाठ्यपुस्तकों को भी क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा और यदि पाठ्यपुस्तकें क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध नहीं हो पाती हैं तो इस स्थिति में बच्चों और अध्यापक के बीच बातचीत या संवाद का माध्यम क्षेत्रीय भाषा होगी। ऐसा करने से कक्षा में विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों को उनकी भाषा अथवा मातृभाषा में सीखने का अवसर प्राप्त हो।

- अध्यापकों को यह भी ध्यान देना होगा कि वह शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं के साथ-साथ भारतीय मूल्य, ज्ञान, लोकाचार, भाषाओं, परंपराओं एवं विभिन्न जनजातियों की परंपराओं के प्रति भी जागरूक हों। यदि वह जागरूक हैं तो कक्षा में बिना किसी भेदभाव के सभी संस्कृति एवं मूल्यों का सम्मान करते हुए एक सफल कक्षा का संचालन किया जा सके।
- भारत की बहुभाषावाद के आलोक में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने में सहायता के लिए दिशा-निर्देश, पाठ्यपुस्तकें और अन्य सामग्री विकसित करने के साथ-साथ भारत की विविधता, प्राकृतिक संसाधनों और समृद्ध विरासत के संपर्क में आने के लिए बच्चों को 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के तहत भ्रमण/ऑनलाइन या ई-पर्यटन, लिंक राज्यों की भाषा सीखने आदि के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। समृद्ध भाषा, कला, संगीत, स्वदेशी वस्त्र/भोजन/खेल, संस्कृति और लोकाचार आदि के ऑनलाइन भंडार बनाए जाएँगे (शिक्षा मंत्रालय, 2021)।

बहुसंस्कृति को बढ़ावा देने में आलोचनात्मक शिक्षणशास्त्र की उपयोगिता

आलोचनात्मक बहुसांस्कृतिक शिक्षा विद्यार्थियों को विभिन्न तरीकों से देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। समकालीन विद्वानों ने आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिवाद की ओर पारंपरिक बहुसांस्कृतिक शिक्षा के संशोधन का आह्वान किया है जो विद्यालयों में पाठ्यक्रम, शिक्षणशास्त्र और सामाजिक संबंधों में लोकतांत्रिक पहल को बढ़ावा देना चाहता है (मैकलारेन, 2003)। आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिवाद विविध समाज में समझ और भागीदारी को बढ़ावा देता है तथा सामाजिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक सद्भाव प्राप्त करने के लिए निर्देशित प्रयासों का समर्थन करता है। आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिवाद यह सुझाव देता है कि अध्यापकों/शिक्षार्थियों के रूप में, हम में से प्रत्येक अपने स्वयं के व्यक्तिगत साधनों के माध्यम से और दूसरों के साथ संवाद में परिवर्तन की प्रक्रिया के लिए स्वयं को समर्पित करता है (फ्रेरे, 1998)। आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिवाद को बहुसांस्कृतिक शिक्षा के संदर्भ में समझा जाना चाहिए कि कक्षा में अध्यापक और विद्यार्थी दोनों के पास बहुसांस्कृतिकता के इतिहास की अच्छी पृष्ठभूमि है जिसके लिए असंख्य सांस्कृतिक संसाधनों की विविधता को आकर्षित करने के लिए शिक्षण कार्य में लचीलापन होना चाहिए। आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिवाद इस विचार की रक्षा करने का भी प्रयास करता है कि अध्यापक और विद्यार्थी ज्ञान के उपभोक्ता नहीं, बल्कि उत्पाद हैं, साथ ही साथ विद्यालय के पाठ्यक्रम में निहित सामाजिक हितों और उद्देश्यों की ओर इशारा करते हैं (गिल्लिस्पिए, 2011)। पाउलो फ्रेरे के अनुसार, आलोचनात्मक संवाद का सांस्कृतिक आयाम मुक्ति के लिए प्रतिनिधित्व करना है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के अनुच्छेद 4.2 के अनुसार शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से ही शिक्षण खेल और खोज गतिविधि पर आधारित हो साथ ही बढ़ती कक्षा के साथ कक्षा शैली संवादात्मक हो जिससे आलोचनात्मक चिंतन विद्यार्थियों में जाग्रत किया जा सके। इसके साथ ही कक्षा का वातावरण सहयोगात्मक पूर्ण हो जिससे बहुसांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ावा मिले।

बहुसांस्कृतिक शिक्षा को शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में लागू करने के तरीके

बहुसांस्कृतिक शिक्षा को विद्यालय या विद्यालय के बाहर लागू करने के लिए आवश्यक है कि अध्यापक और विद्यालय समय-समय पर विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों को संपादित करते रहें जिससे बहुसंस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके। अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा एवं विद्यालय में बहुसांस्कृतिक शिक्षा को लागू करने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों को अपनाया जा सकता है।

परियोजना पद्धति

बहुसांस्कृतिक शिक्षा के उचित कार्यान्वयन के लिए परियोजना पद्धति अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकती है। परियोजना पद्धति के माध्यम से विद्यार्थियों को बहुसांस्कृतिक बनाना सरल एवं संभव है। ऐसी कई प्रकार की परियोजनाएँ हैं जिन्हें शुरू किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, विभिन्न सामाजिक मुद्दों, विभिन्न सांस्कृतिक विशेषताओं, विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों आदि पर जानकारी एकत्र करना सीखना। इस तरह विद्यार्थी विभिन्न परियोजना कार्य व्यक्तिगत समूह में करते हुए वास्तविक ज्ञान एवं समझ प्राप्त करते हैं।

समूह गतिविधियाँ

विद्यार्थियों के लिए अध्यापक द्वारा समूह में गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए जिसमें समूह में कार्य और सहयोग पर ध्यान केंद्रित हो। इस प्रकार की गतिविधियों से सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करने, विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ाने और कक्षा में सांस्कृतिक मतभेदों को अपनाने में सहजता होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि अध्यापक अपनी कक्षा में समूह गतिविधियों का आयोजन समय-समय पर करते रहें और साथ ही विद्यालय के बाहर भी यथासंभव इस तरह की समूह गतिविधियों का आयोजन करने का प्रयास करें।

समस्या-समाधान विधि

प्रत्येक संस्कृति में कई अच्छी व बुरी प्रथाएँ और परंपराएँ निहित होती हैं। समस्या-समाधान विधियों को अपनाकर अध्यापक द्वारा सांस्कृतिक समस्या संबंधित कार्य विद्यार्थियों को देना चाहिए ताकि वे ऐसी कई बुरी परंपराएँ और प्रथाओं के संदर्भ में सही समाधान खोजकर अपने विचार प्रस्तुत कर सकें। इस प्रकार समस्या-समाधान पद्धति को प्रभावी ढंग से कक्षा या विद्यालय और विद्यालय के बाहर अपनाया जा सकता है।

संगोष्ठी विधि अथवा बहुसांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना

संगोष्ठी शिक्षण पद्धति के माध्यम से विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करना संभव है। यह विद्यार्थियों में विभिन्न संस्कृतियों के बीच अपनेपन की भावना विकसित करने में मदद करेगी। बहुसांस्कृतिक शिक्षा में संगोष्ठी शिक्षण पद्धति बहुत प्रभावी सिद्ध हो सकती है। इसके लिए आवश्यक है कि विद्यालय द्वारा बहुसांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करके विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से अतिथि वक्ताओं को अपनी-अपनी संस्कृति के विषय में विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करें। इस प्रकार बहुसांस्कृतिक शिक्षा को सर्वोत्तम रूप से बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है।

वाद-विवाद एवं खुली चर्चाओं का आयोजन करना

वाद-विवाद पद्धति के माध्यम से विद्यार्थी सांस्कृतिक एकीकरण एवं सांस्कृतिक सहिष्णुता को विकसित करने के संदर्भ एवं विभिन्न सांस्कृतिक मुद्दों पर वाद-विवाद कर सकते हैं। इसके माध्यम से विद्यार्थियों में सांस्कृतिक ज्ञान, सांस्कृतिक कौशल और सांस्कृतिक भाईचारे को विकसित किया जा सकता है। किसी एक मौजूदा सांस्कृतिक या सामाजिक मुद्दे का चयन करना, विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने, बेहतर श्रोता बनने और अन्य समुदायों के सामने आने वाले मुद्दों के बारे में जानने हेतु खुली चर्चाओं का अनिवार्य रूप से आयोजन करना चाहिए।

विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन के अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना

अध्यापक के द्वारा कक्षा में आकस्मिक सत्र आयोजित किए जाने चाहिए जिसमें विद्यार्थी कहानियों और अनुभवों को साझा कर सकें। उन्हें अपने विचारों को खुलकर रखने, एक-दूसरे से जुड़ने और मज़बूत संचार कौशल विकसित करने में मदद करनी चाहिए। अध्यापक कक्षा में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों को उनके वास्तविक जीवन के अनुभवों को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करें।

सांस्कृतिक भोजन एक-दूसरे के साथ साझा करना

कभी-कभी अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को दोपहर के भोजन के लिए अपना पारंपरिक भोजन लाने के लिए कहें। साथ ही, विभिन्न व्यंजनों के बारे में जानने के लिए इसे एक-दूसरे के साथ साझा करने के लिए कहें। ऐसा करने से विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थी एक-दूसरे के परंपरागत व्यंजनों के महत्व के बारे में सीख सकेंगे।

सांस्कृतिक कहानी कहने को प्रोत्साहित करना

हर संस्कृति, हर समुदाय एवं हर घर में कुछ लोक कथाएँ कही जाती हैं। जो विद्यार्थी अपने घरों में बड़े-बुज़ुर्गों से सुनते रहते हैं। अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों को अपनी सांस्कृतिक कहानियों को साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और अन्य विद्यार्थियों को प्रत्येक कहानी से नैतिक सीख लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसा करने से कक्षा के सभी विद्यार्थी एक-दूसरे की संस्कृतियों से परिचित हो सकेंगे।

प्रतिमाह संस्कृति दिवस मनाना

अध्यापक विद्यार्थियों को अन्य विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि के बारे में जानने के लिए महीने में एक बार उनकी सांस्कृतिक पोशाक पहनने, उनके रहन-सहन से संबंधित नुक्कड़-नाटक आदि करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसके लिए विद्यालय द्वारा प्रतिमाह संस्कृति दिवस मनाया जाना चाहिए।

सांस्कृतिक उत्सव मनाना

सांस्कृतिक उत्सव मनाने से प्रत्येक विद्यार्थी का आत्मविश्वास बढ़ता है, जो अंततः कक्षा को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी बनाता है। अतः समय-समय पर विभिन्न त्योहार, जैसे— दिवाली, होली, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस एवं अन्य त्योहारों को विद्यालय में मनाना चाहिए। जिससे विभिन्न संस्कृति वाले विद्यार्थी एक-दूसरे की संस्कृति को जानें, समझें और सम्मान प्रदान कर सकें।

निष्कर्ष

किसी भी शिक्षा प्रणाली में अपने देश की विशिष्ट सांस्कृतिक पृष्ठभूमि निहित होती है। भारतीय संविधान और शैक्षिक नीतियाँ बहुसंस्कृतिवाद का एक संतुलित प्रतिमान प्रदान करती हैं और विविधता के प्रसार की अनुमति देती हैं। बहुसांस्कृतिक शिक्षा, समाज में असमानताओं को समाप्त करने का प्रारंभिक बिंदु है। भारत में सांस्कृतिक, भाषाई, जातीय, धार्मिक एवं सामाजिक-आर्थिक समूहों की विविधता, बहुसांस्कृतिक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर की समझ और सम्मान को दर्शाती है। देश के विद्यालयों में विविधता एक अवसर और चुनौती दोनों है। अत: आवश्यक है कि बहुसांस्कृतिक शिक्षा को शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में लागू करने के लिए एक अध्यापक अपनी कक्षा में परियोजना पद्धति, समूह गतिविधि, समस्या-समाधान विधि, संगोष्ठी, बहुसांस्कृतिक कार्यक्रम, वाद-विवाद या खुली चर्चाओं का आयोजन, विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन के अनुभव साझा करने एवं सांस्कृतिक कहानी कहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही, समुदाय के साथ मिलकर विभिन्न संस्कृतियों के त्यौहारों को मनाना एवं विद्यालय में प्रतिमाह संस्कृति दिवस का निर्धारण कर उसका आयोजन किया जाना चाहिए जिससे बहुसंस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।

सुझाव

बहुसांस्कृतिक शिक्षा वर्तमान समय की माँग है, क्योंकि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में सांस्कृतिक रूप से पारस्परिक सम्मान, सद्भावना, संरक्षण, पोषण और संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में बहुसांस्कृतिक पाठ्यक्रम की बहुत आवश्यकता है। बहुसांस्कृतिक पाठ्यक्रम, बहुसांस्कृतिक शिक्षण, कक्षा शिक्षण में समानता, विद्यालय में लोकतांत्रिक वातावरण, अवसर की समानता, पारस्परिक सांस्कृतिक सहिष्णुता का निर्माण आदि पर आधारित भविष्य की शिक्षा प्रणाली, देश के विकास के लिए आवश्यक है। विविधता से भरपूर बहुसांस्कृतिक कक्षा में बहुसंस्कृतिवाद को कैसे सम्मिलित किया जाए? सभी विद्यार्थियों की संस्कृति का सम्मान कैसे किया जाए? तथा संस्कृति के आधार पर ज्ञान का निर्माण कैसे किया जाए? जैसे महत्वपूर्ण संप्रत्ययों के लिए अध्यापकों को उचित तरीके से शिक्षित-प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है।

संदर्भ

इगौद्जिल, एम. के. 2017. रिथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज़्म— क्रिटिकल पेडागोजी एंड क्रिटिकल लिटरेसी इन एजुकेशन. *अमेरिकन मल्टीकल्चरलिज़्म इन कॉन्टेक्स्ट*. कैंब्रिज स्कॉलर्स पब्लिशिंग. पृष्ठ संख्या 303–315.

कुमार, बी. 2021. *इन्क्लुसिविटी वायस-वर्सा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020*. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी. दिल्ली प्रेस.

कोठारी, आयोग 1964–66. एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट. *रिपोर्ट ऑफ़ द एजुकेशन कमीशन*. मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली.

खान, टी.बी. एवं ए. सिंह. 2021. मल्टीकल्चरल एजुकेशन एंड फ़िलोसोफ़िकल अंडरपिंनिंगस. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ सोशल साइंस आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज*. 8(3). पृष्ठ संख्या 78–80.

शिक्षा मंत्रालय. 2021. इम्प्लीमेंटेशन प्लान फ़ॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. *सार्थक (भाग-1)– स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन*. स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.

गिल्लिस्पिए, डी. एच. 2011. करिकुलम एंड स्कूलिंग— मल्टीकल्चरलिज़्म, क्रिटिकल मल्टीकल्चरलिज़्म एंड क्रिटिकल पेडागॉजी. द *साउथ शोरे जर्नल*. 4. पृष्ठ संख्या 1–10.

तिवारी, एस. के. और डी. लाल. 2016. मल्टीकल्चरलिज़्म टू एड्रेस द क्लासरूम डाइवर्सिटी. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ पीस, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट*. 4(1). पृष्ठ संख्या 19–23.

द *गैजेट ऑफ़ इंडिया*. 2009. द राईट ऑफ़ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट. पार्ट II, नई दिल्ली. 27 अगस्त.

दीपक. 2017. एजुकेशनल ऑफ़ इंडियन मल्टीकल्चर सोसाइटी एंड सीटीजनशीप. *इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल ऑफ़ मैनेजमेंट सोशियोलॉजी एंड ह्यूमैनिटीज*. 8(3). पृष्ठ संख्या 89–99.

दुन्घाव, एस. डी. 2021. मल्टीकल्चरलिज़्म इन एजुकेशन. *एजुकेशनल रेसुर्गेन्स जर्नल*. 3. पृष्ठ संख्या 46–51.

पगन, एस. 2017. ट्राइबल चिल्ड्रेन इन मल्टीकल्चरल क्लासरूम. द *कम्युनिकेशंस*. 25(1). पृष्ठ संख्या 1–7.

पाई, पी. 2005. मल्टीलिंगुलिज़्म, मल्टीकल्चरलिज़्म एंड एजुकेशन— केस स्टडी ऑफ़ मुंबई सिटी. *प्रोसीडिंग ऑफ़ द फोर्थ इंटरनेशनल सिम्पोजियम ऑन बाईलिंगुअलिज़्म*. पृष्ठ संख्या 1795–1806. कास्काडिल्ला प्रेस. सोमेर्विल्ले. एमए.

फाटक, एस. और एस.भुजबल. 2018. मल्टीकल्चरलिज़्म एंड इंडियन एजुकेशनल पॉलिसीज. *स्कॉलरली रिसर्च जर्नल फ़ॉर इंटरडिसप्लिनरी स्टडीज़*. 6(47). पृष्ठ संख्या 11126–11132.

फ्रेरे, पी. 1994. पेडागोजी ऑफ़ होप—रेलिविंग पेडागोजी ऑफ़ द ओप्प्रेस्सेड. कोन्तिनू. न्यूयॉर्क.

———. 1998. पेडागोजी ऑफ़ फ्रीडम— *एथिक्स, डेमोक्रेसी एंड सिविक करेज*. एमडी लंद्हम. रोवमन एंड लिटिलफील्ड.

बेहेरा, जी. सी. 2010. इंडियन लिटरेचर. मल्टीकल्चरलिज़्म एंड ट्रांसलेशन. *ट्रांसलेशन टूडे*. 7(1 व 2). पृष्ठ संख्या 118-127.

बैंक, जे. ए. एवं बैंक., सी. ए. 1995. हैंडबुक ऑफ़ रिसर्च ऑन मल्टीकल्चरल एजुकेशन. मैकमिलन. न्यूयॉर्क.

मिश्र, जी. 2020. राष्ट्रीय शिक्षा नीति : संभावनाएँ और चुनौतियाँ. 1(2). पृष्ठ संख्या 60–78. कंचनजंघा.

मुदालियर, ए. एल. 1952–53. *रिपोर्ट ऑफ़ द सेकंड्री एजुकेशन कमीशन*. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार. पृष्ठ संख्या 119–121.

मैकलारेन, पी. 2003. *लाइफ़ इन स्कूल— एन इंट्रोडक्शन टू क्रिटिकल पेडागोजी इन फाउंडेशशस ऑफ़ एजुकेशन*. तृतीय संस्करण. लोंगमैन. न्यूयॉर्क.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. 2006. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. पृष्ठ संख्या 57–60. नई दिल्ली.

भारत सरकार. राष्ट्रीय *शिक्षा नीति. 1986*. मानव संसाधन विकास मंत्रालय. नई दिल्ली.

भारत सरकार. राष्ट्रीय शिक्षा नीति. 2020. मानव संसाधन विकास मंत्रालय. नई दिल्ली.

शर्मा, जे. के. 2021. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020— लैंग्वेज पर्सपेक्टिव. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ मैनेजमेंट रिसर्च एंड सोशल साइंस*. 8(1). पृष्ठ संख्या 7–15.

शिंदे, जी. 2021. मल्टीकल्चरल एजुकेशन— एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग एनवायरनमेंट इन इंडियन क्लासरूम. *एजुकेशनल रेसुर्गेन्स जर्नल*. 3, पृष्ठ संख्या 190–197.

सरकार, एस. और एल. सरकार. 2021. विजन ऑफ़ नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 इन स्कूल एजुकेशन. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ मल्टीडिसप्लिनरी एजुकेशनल रिसर्च*. 10(1 व 5). पृष्ठ संख्या 91–98.

सिंह, बी. और पी. मिश्र. 2016. *सामाजिक समावेशन— शिक्षा में प्रतिमान विस्थापन*, *शोधायतन*. 3(6). पृष्ठ संख्या 467–471.

विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए यौन शिक्षा

रश्मि कुमारी राजौरा*

शिक्षा का समाज एवं व्यक्ति के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों का अवलोकन करें तो हम पाते हैं कि आज की युवा पीढ़ी यौन शिक्षा के अभाव तथा मिथ्या धारणाओं के जाल में फँसते हुए भटक गई है। इसलिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में औपचारिक यौन शिक्षा की अत्यधिक आवश्यकता है। क्योंकि यौन शिक्षा के द्वारा बच्चों को यौन अवस्था में होने वाले शारीरिक एवं मानसिक बदलावों के साथ-साथ यौन क्रियाओं के प्रति जागरूक किया जा सकता है। जिससे वे काल्पनिक तथा वास्तविक दुनिया के मध्य का अंतर समझ सकें। साथ ही, इसके माध्यम से बच्चों में संवैधानिक एवं सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करते हुए शारीरिक संबंधों के प्रति समझ विकसित की जा सकती है। प्राय: यह देखा गया है कि किशोरों एवं युवाओं द्वारा यौन शिक्षा की प्राप्ति औपचारिक शिक्षा के बजाय अनौपचारिक माध्यमों से अधिक की जा रही है। इस प्रकार अनौपचारिक माध्यम से बच्चों में नकारात्मक अवधारणाओं का विकास हो रहा है। फलस्वरूप आज देश व समाज में अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। प्रतिदिन मीडिया के माध्यम से देश में यौन शोषण से जुड़ी शर्मनाक व दर्दनाक घटनाओं से परिचित होते हैं। इसलिए किशोरों एवं युवाओं को यौन शिक्षा का गुणवत्तापरक ज्ञान आवश्यक है। अत: यौन शिक्षा से जुड़ी विषयवस्तु को कक्षावार निर्धारित पाठ्यक्रम में उपयुक्त विषयों की विषयवस्तु के साथ एकीकृत कर पढ़ाया जाना चाहिए। इसी पर आधारित इस लेख में देश के बेहतर भविष्य अर्थात मानवीय नागरिक बनाने में यौन शिक्षा के महत्व का वर्णन किया गया है।

यौन शिक्षा यौन से संबंधित सभी पहलुओं के बारे में बताती है। इसमें यौन से जुड़ी भावनाएँ, ज़िम्मेदारियाँ, मनुष्य की शारीरिक संरचना, यौन क्रियाकलाप, मानव यौन व्यवहार, प्रजननता और इसके लिए सही उम्र, प्रजनन के अधिकार, सुरक्षित शारीरिक संबंध, जन्म नियंत्रण, यौनावस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक बदलावों और युवाओं को जेंडर से जुड़े विषयों के बारे में विस्तार से बताया जाता है। यौन शिक्षा सिर्फ़ यौन संबंधी शारीरिक क्रियाओं तक ही सीमित नहीं है, अपितु इसका क्षेत्र व्यापक है। इसमें स्वस्थ रहकर आगे बढ़ना, भावनात्मक एवं मानसिक स्वास्थ्य कल्याण, पारस्परिक संबंध, जेंडर समानता, प्रजनन स्वास्थ्य एवं यौन संचरित रोगों से बचाव एवं रोकथाम आदि के बारे में ज्ञान प्रदान किया जाता है। मनुष्य में यौन इच्छाएँ उत्पन्न होना स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों के सभी कार्यों में से एक है। परंतु हमारे रूढ़िवादी समाज में बालक और बालिकाओं को यौन शिक्षा प्रदान नहीं की जाती है। फलस्वरूप वे इसे सामाजिक निषेध की जानकारी मानकर इसके

कनिष्ठ परियोजना अध्येता, अध्यापक शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली 110016

विषय में अवास्तविक तथा भ्राँतिपूर्ण जानकारी चोरी-छुपे प्राप्त करते हैं। आजकल मीडिया, कई वेब सीरीज, और अन्य लघु फ़िल्में युवाओं को यौन गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करती हैं, लेकिन उचित यौन शिक्षा प्रदान नहीं करती हैं, युवा पीढ़ी के लिए जोखिमपूर्ण है। इसमें उनके शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

युवा पीढ़ी को यौन संबंधी मूल्य आधारित यौन शिक्षा प्रदान कर युवावस्था में भटकाव से बचाते हुए ज़िम्मेदार नागरिक बनाया जा सकता है। ऐसे में यौन शिक्षा का ज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना की दूसरे विषयों का ज्ञान होना आवश्यक है। यौन शिक्षा और अध्यापकों के द्वारा बच्चों को यौनावस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बदलावों के साथ-साथ यौन क्रियाओं के प्रति जागरूक किया जा सकता है। अधिकांशत: समाज में बालक तथा बालिकाओं को एक-दूसरे से अंतर्क्रिया करने के लिए भी अवसर कम दिए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर, समाज के रूढ़िवादी परिवेश में यह विषय अपनी जगह बनाने में असफल रहा है। परिणामस्वरूप युवाओं में स्वस्थ लैंगिक दृष्टिकोण का विकास नहीं हो पाता है तथा वे तनाव के शिकार और दिशाहीन हो जाते हैं। परिणामस्वरूप अनेक प्रकार की भ्राँतियाँ और गलत धारणाएँ व्याप्त हो जाती हैं।

प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रायड के अनुसार यौन शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है, जिसमें बालक को उसकी विभिन्न अवस्थाओं में स्वाभाविक रूप से काम प्रवृत्ति की संतुष्टि व अभिव्यक्ति के लिए उचित अवसरों को प्राप्त करने तथा उचित विधियों का प्रयोग करने के लिए निर्देशन व शिक्षा प्रदान की जाती है। ताकि वह अपने स्वास्थ्य की रक्षा एवं वृद्धि करते हुए आनंदपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें (सिंह और अन्य 2020)।

हम बच्चों को देश का भावी कर्णधार कहते हैं। लेकिन आज इन भावी कर्णधारों का कहीं न कहीं और किसी न किसी रूप में भयंकर शोषण हो रहा है। आज देश की बाल आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा शोषण एवं यौन दुर्व्यवहार का शिकार है। बच्चे, चाहे वह बाल्यावस्था के ही क्यों न हो, वे भी यौन दुर्व्यवहार के शिकार हो सकते हैं (सिंह और अन्य 2020)। वहीं मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चे इस दुर्व्यवहार के अधिक शिकार हो सकते हैं। बाल यौन दुर्व्यवहार जेंडर, वर्ग, जाति, समुदाय तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र आदि सभी बंधनों को तोड़ देता है। बच्चों के साथ यौन-दुर्व्यवहार जान-पहचान के आदमी या अजनबी दोनों द्वारा किया जाता है। कई मामलों में बच्चों से दुर्व्यवहार करने वाले उनके बहुत करीबी लोग, जैसे— उनके पिता, बड़े भाई, चचेरा भाई, चाचा या पड़ोसी होते हैं।

यौन दुर्व्यवहार के अधिकतर मामलों में शोषणकर्ता वह व्यक्ति होता है, जिसे बच्चे जानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं और वे इसी बात का लाभ उठाते हैं। यदि दुराचारी परिवार का ही सदस्य हो, तो यह कौटुंबिक व्यभिचार होगा। दुर्व्यवहार के बारे में बच्चों द्वारा प्रकट किए गए अधिकांश मामले सही होते हैं। बच्चों के साथ हुए व्यभिचार या यौन दुर्व्यवहार के मामले को आज भी समाज या उनके अभिभावकों द्वारा काल्पनिक कहानी मानकर पीड़ित बच्चे को ही दोषी ठहराया जाता है तथा पीड़ित बच्चे की समस्या का समाधान नहीं किया जाता है, जिसे तालिका 1 में दर्शाया गया है।

तालिका 1— बाल शोषण के विभिन्न प्रकार

शारीरिक शोषण	यौन शोषण	भावनात्मक शोषण	बाल उपेक्षा
• थप्पड़ मारना/लात मारना • डंडे से पीटना • धक्का देना	• यौन हमला • बच्चे के जननांगों से प्यार कराना • शरीर के निजी अंगों का प्रदर्शन कराना एवं नग्न अवस्था में बच्चों की फ़ोटो खींचना • यौन उन्नति • जबरन चुंबन • बच्चे को अश्लील सामग्री देखने के लिए मजबूर करना	• बच्चे के आत्मसम्मान को प्रभावित करने वाली उपेक्षा, चिल्लाने या अशिष्ट रूप से बोलने से अपमान व कठोर व्यवहार • अभद्र भाषा का प्रयोग करके नाम पुकारना • भाई-बहनों और अन्य बच्चों के बीच तुलना	• बालिकाओं पर ध्यान न देना • परिवार में बालिकाओं को भोजन का कम हिस्सा देना • बालिकाओं द्वारा छोटे और बड़े भाई बहनों की देखभाल करना • जेंडर भेदभाव

तालिका 2— शारीरिक शोषण पर दर्ज की गई शिकायतों का प्रतिशत

क्र.सं.	विषय	दिल्ली राज्य का प्रतिशत	शोध में शामिल राज्यों का उच्चतम प्रतिशत	शोध में शामिल राज्यों का न्यूनतम प्रतिशत
1.	एक या अधिक स्थितियों में शारीरिक शोषण की रिपोर्ट करने वाले बच्चे	83.12%	84.65%	51.20%
2.	लड़कों द्वारा शारीरिक शोषण की रिपोर्ट	91.04%	91.04%	47.61%
3.	लड़कियों द्वारा शारीरिक शोषण की रिपोर्ट	72.54%	84.23%	49.69%
4.	5–12 वर्ष की आयु के बीच शारीरिक शोषण की रिपोर्ट करने वाले बच्चे	50.30%	59.73%	33.83%
5.	पारिवारिक वातावरण में बच्चों द्वारा शारीरिक शोषण पर की गई रिपोर्ट	लड़का— 64.29% लड़की— 35.71%	लड़का— 80% लड़की— 60.36%	लड़का— 39.64% लड़की— 20%
6.	शारीरिक दंड के रूप में शारीरिक शोषण	69.11%	99.56%	0.44%

स्रोत— महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 2007

तालिका 1 (पृष्ठ संख्या 67) से स्पष्ट होता है कि बच्चों का शोषण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनेक प्रकार से होता है। जिसकी व्यापकता आगे चलकर अर्थात किशोरावस्था में बढ़ जाती है और वे मादक द्रव्यों का सेवन करने लगते हैं। इसे तालिका 2 (पृष्ठ संख्या 67) एवं 3 (पृष्ठ संख्या 69) में प्रदर्शित आँकड़ों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। यह आँकड़े महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007 में बाल शोषण पर किए गए शोध अध्ययन पर आधारित हैं। यह आँकड़े दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट (www.delhipolice.gov.in) पर भी उपलब्ध हैं। इस शोध अध्ययन में देश को छह क्षेत्रों में विभाजित किया गया था— उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य और उत्तर पूर्व तथा आँकड़ों का स्रोत राष्ट्रीय क्राइम ब्यूरो रिकार्ड था। इसमें देश के 13 राज्यों के 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के आँकड़े थे। इन आँकड़ों को तालिका 2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2 (पृष्ठ संख्या 67) में दर्शाया गया है कि एक या अधिक स्थितियों में शारीरिक शोषण की रिपोर्ट करने वाले बच्चों का दिल्ली राज्य का प्रतिशत 83.12 था। जबकि शोध में शामिल राज्यों का उच्चतम प्रतिशत 84.65 तथा न्यूनतम प्रतिशत 51.20 था। वहीं लड़कों द्वारा शारीरिक शोषण की रिपोर्ट में दिल्ली राज्य का प्रतिशत 91.04 पाया गया। जबकि शोध में शामिल राज्यों का उच्चतम प्रतिशत 91.04 तथा न्यूनतम प्रतिशत 47.61 था और लड़कियों द्वारा शारीरिक शोषण की रिपोर्ट में दिल्ली राज्य का प्रतिशत 72.54 पाया गया। शोध में शामिल राज्य का उच्चतम प्रतिशत 84.23 एवं न्यूनतम प्रतिशत 49.69 था। वहीं 5 से 12 वर्ष की आयु वर्ग के बीच शारीरिक शोषण की रिपोर्ट करने वाले बच्चों का दिल्ली राज्य का प्रतिशत 50.30 था। जबकि शोध में शामिल राज्यों का उच्चतम प्रतिशत 59.73 तथा न्यूनतम प्रतिशत 33.83 था। पारिवारिक वातावरण में बच्चों द्वारा शारीरिक शोषण पर की गई रिपोर्ट में दिल्ली राज्य का प्रतिशत लड़कों द्वारा 64.29, लड़कियों द्वारा 35.71 था। जबकि शोध में शामिल राज्यों में उच्चतम प्रतिशत लड़कों का 80.00, लड़कियों का 60.36 तथा न्यूनतम प्रतिशत लड़कों का 39.64, लड़कियों का 20.00 था। वहीं शारीरिक दंड के रूप में शारीरिक शोषण की रिपोर्ट करने वाले बच्चों का दिल्ली राज्य का प्रतिशत 69.11 था। जबकि शोध में शामिल राज्यों का उच्चतम प्रतिशत 99.56 तथा न्यूनतम प्रतिशत 0.44 था।

वहीं तालिका 3 (पृष्ठ संख्या 69) में दर्शाए गए आँकड़े यौन शोषण से संबंधित हैं, जिसमें लड़कों और लड़कियों, दोनों द्वारा उनके साथ हुए यौन शोषण के मामलों की शिकायतों को प्रस्तुत किया गया है। इन आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि यौन हमले की शिकार सिर्फ़ लड़कियाँ ही नहीं होती बल्कि लड़के भी होते हैं। यद्यपि लड़कियों की स्थितियाँ और अधिक संवेदनशील हैं, क्योंकि समाज द्वारा उन्हें निचले दर्जे का माना जाता है। वहीं लड़के भी स्कूल और घर, दोनों जगह शारीरिक दंड के शिकार होते हैं तथा उनमें से कई लड़कों को बाल-श्रम के लिए बेच दिया जाता है या फिर उनका यौन शोषण किया जाता है।

तालिका 3— यौन शोषण पर दर्ज की गई शिकायतों का प्रतिशत

क्र.सं.	विषय	दिल्ली राज्य का प्रतिशत	शोध में शामिल राज्यों का उच्चतम प्रतिशत	शोध में शामिल राज्यों का न्यूनतम प्रतिशत
1.	यौन शोषण की रिपोर्टिंग	लड़का— 65.64% लड़की— 34.36%	लड़का— 65.64% लड़की— 63.41%	लड़का— 36.59% लड़की— 34.36%
2.	यौन हमले की रिपोर्टिंग	14.77%	14.77%	0.40%
3.	5–12 वर्ष की आयु वर्ग के बीच यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट करने वाले बच्चे	21.68%	50.00%	21.05%
4.	5–12 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को शरीर के निजी अंगों का प्रदर्शन करने के लिए मजबूर करने संबंधी रिपोर्ट	40.86%	50.00%	13.24%
5.	5–12 वर्ष के बीच के बच्चों की नग्न तस्वीरें खींचने की रिपोर्ट	52.71%	66.67%	14.29%
6.	5–12 वर्ष के बीच के बच्चों को जबरन चुंबन करने की रिपोर्ट	48.46%	56.22%	15.00%
7.	यात्रा के दौरान यौन शोषण की रिपोर्ट कराने वाले बच्चे	44.11%	48.21%	9.85%
8.	शादी की स्थिति के दौरान यौन शोषण की रिपोर्ट कराने वाले 5–12 वर्ष के बच्चे	48.07%	48.84%	15.56%

स्रोत— महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 2007

तालिका 3 में दर्शाया गया है कि दिल्ली राज्य में यौन शोषण की रिपोर्टिंग करने वाले बच्चों में लड़कों का प्रतिशत 65.64, लड़कियों का प्रतिशत 34.36 था। वहीं शोध में शामिल राज्यों के उच्चतम प्रतिशत में लड़कों का प्रतिशत 65.64, लड़कियों का प्रतिशत 63.41 एवं न्यूनतम प्रतिशत में लड़कों का प्रतिशत 36.59, लड़कियों का प्रतिशत 34.36 था। यौन हमले की रिपोर्टिंग में दिल्ली राज्य का प्रतिशत 14.77 था जबकि शोध में शामिल राज्यों का उच्चतम प्रतिशत 14.77 तथा न्यूनतम प्रतिशत 0.40 था। वहीं 5–12 वर्ष की आयु वर्ग के बीच यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट करने वाले बच्चों का दिल्ली राज्य का प्रतिशत 21.68 था। जबकि शोध में शामिल राज्यों का उच्चतम प्रतिशत 50.00 एवं न्यूनतम प्रतिशत 21.05 था। 5–12 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को शरीर के निजी अंगों का प्रदर्शन करने के लिए मजबूर करने संबंधी रिपोर्ट का दिल्ली राज्य का प्रतिशत 40.86 था। जबकि शोध में शामिल

राज्यों का उच्चतम प्रतिशत 50.00 एवं न्यूनतम प्रतिशत 13.24 था। 5–12 वर्ष के बीच के बच्चों की नग्न तस्वीरें खींचने की रिपोर्ट 52.71 प्रतिशत दिल्ली राज्य में की गई। वहीं शोध में शामिल राज्यों का उच्चतम प्रतिशत 66.67 एवं न्यूनतम प्रतिशत 14.29 था। 5–12 वर्ष के बीच के बच्चों को जबरन चुंबन करने की रिपोर्ट करने वाले बच्चों का दिल्ली राज्य का प्रतिशत 48.46 था। वहीं शोध में शामिल राज्य का उच्चतम प्रतिशत 56.22 एवं न्यूनतम प्रतिशत 15.00 था। यात्रा के दौरान यौन शोषण की रिपोर्ट कराने वाले बच्चों का दिल्ली राज्य में प्रतिशत 44.11 था। जबकि शोध में शामिल राज्यों का उच्चतम प्रतिशत 48.21 एवं न्यूनतम प्रतिशत 9.85 था। शादी की स्थिति के दौरान यौन शोषण की रिपोर्ट कराने वाले 5–12 वर्ष के बच्चों का दिल्ली राज्य का प्रतिशत 48.07 था। शोध में शामिल राज्यों का उच्चतम प्रतिशत 48.84 एवं न्यूनतम प्रतिशत 15.56 था।

अत: तालिका 2 व 3 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि विद्यालयी शिक्षा में विद्यार्थियों को यौन शिक्षा को विभिन्न विषयों के साथ समन्वय कर या अलग से प्रकरण या विषय के रूप में पढ़ाया जाना अत्यंत आवश्यक है।

यौन शिक्षा की आवश्यकता

आज के आधुनिक युवाओं को सही मार्गदर्शन देने एवं मूल्य आधारित यौन शिक्षा देना हमारी शिक्षा व्यवस्था की ज़िम्मेदारी है। क्योंकि बच्चे के जीवन पर ज्ञान एवं बोध प्रवृत्ति का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। अतः बच्चों के समुचित शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास के लिए यौन शिक्षा प्रदान करना अति आवश्यक है। अत: यौन शिक्षा से बच्चे निम्न प्रकार जागरूक होंगे—

- यौन शिक्षा के माध्यम से बच्चों को अपने जननांगों की कार्य क्षमता और महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त होगी।
- इसके माध्यम से बच्चों में शारीरिक संबंधों के प्रति समझ पैदा होगी, जिससे वे गलत दिशा में कदम बढ़ाने से बच सकेंगे।
- यौन शिक्षा से बच्चों में इस बात की भी समझ विकसित होगी कि यौन क्रिया में भागीदारी की सही उम्र क्या है। और सही उम्र से पहले इस क्रिया में भागीदारी कितनी नुकसानदेह हो सकती है।
- इससे बच्चों में काल्पनिक तथा वास्तविक यौन दुनिया के मध्य अंतर की समझ विकसित होगी।
- यौन इच्छाओं तथा शारीरिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया के रूप में समझ विकसित होगी, जिससे उनमें तनाव उत्पन्न नहीं होगा।
- इसके अध्ययन से विद्यार्थियों में विपरीत जेंडर के प्रति आदर की भावना विकसित होगी जो यौन जनित अपराधों पर नियंत्रण में सहायक होगी।
- यौन शिक्षा से विद्यार्थी अश्लील एवं भ्रमात्मक मीडिया तथा साहित्य एवं क्रियाकलापों की ओर आकर्षित नहीं होंगे।
- इसके माध्यम से विद्यार्थियों में यौन संचरित रोगों के बारे में जागरूकता आएगी तथा वे एच.आई.वी./एड्स (HIV/AIDS) जैसी घातक यौन जनित संक्रामक बीमारी के प्रति भी सतर्क होंगे।
- इस विषय के अध्ययन से बालिकाओं को विद्यालय, घर तथा अपने आस-पास सुरक्षा की अनुभूति होगी।

- यौन शिक्षा के अध्ययन से विद्यार्थी उचित और अनुचित स्पर्श को पहचानना सीख सकेंगे, जिससे वे भविष्य में अपने साथ होने वाले शोषण के प्रति सतर्क होकर शिकायत करने में सक्षम होंगे।

यौन शोषण पर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 2011 रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में हर 155 मिनट पर 16 से कम उम्र के एक बच्चे तथा प्रत्येक 13 घंटों पर 10 से कम उम्र के एक बच्चे का यौन शोषण होता है। इसके अलावा कई बलात्कार और दुर्व्यवहार के मामले दर्ज नहीं होते हैं, विशेषकर बच्चों के मामले में, क्योंकि वे शायद समझ नहीं पाते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। वर्ष 2020 की राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में बाल शोषण के 47,221 मामले दर्ज किए गए थे। इन मामलों में अधिकतर पीड़ित लड़कियाँ ही थीं। भारत में पहली बार *लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012* में बच्चों के खिलाफ गैर-स्पर्श व्यवहार को विनियमित करने और बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों की रोकथाम के उद्देश्य से पारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से कम है, बच्चे की श्रेणी में रखा गया है। इस अधिनियम में पाँच प्रकार के यौन अपराध उल्लिखित किए गए हैं, जिसमें भेदन यौन हमला, उत्तेजित भेदन यौन हमला, यौन हमला, उत्तेजित यौन हमला व यौन उत्पीड़न शामिल है। इसके अलावा बार-बार या लगातार पीछा करना, निगरानी रखना, सोशल मीडिया या अन्य किसी साधन से बालक से संबंध स्थापित करना, यौन उत्पीड़न है एवं दंडनीय अपराध है। इसी प्रकार, किसी बालक को अश्लील सामग्री के लिए प्रयुक्त करना, जैसे— यौन अंगों का प्रदर्शन करना, उत्तेजित यौन कार्य में बालक को संलिप्त कर प्रयोग करना, बालक का अभद्र एवं अश्लील प्रदर्शन करना भी इस अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत अपराध है (*लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम*, 2012)।

देश में लड़कियों के विरूद्ध बढ़ते अपराधों को ध्यान में रखते हुए, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, उन्हें विद्यालयों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक है। आत्मरक्षा प्रशिक्षण एक जीवन कौशल है, जो लड़कियों को अपने परिवेश के बारे में अधिक जागरूक होने और किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिए तैयार रहने में मदद करता है। आत्मरक्षा प्रशिक्षण के माध्यम से लड़कियों को मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक रूप से इतना मज़बूत बनना सिखाया जाता है कि वे संकट के समय में अपनी रक्षा कर सकें। आत्मरक्षा प्रशिक्षण तकनीक लड़कियों में आत्मविश्वास पैदा करती है और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने में मदद करती है, विशेष रूप से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर उनके संक्रमण और विद्यालयों में ड्रॉपआउट दर को कम करने के लिए। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना समग्र शिक्षा के अंतर्गत लड़कियों के नामांकन के आधार पर सरकारी विद्यालयों में प्रति तीन माह के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण हेतु राशि ₹ 3000 प्रदान की जाती है। यह प्रशिक्षण कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को दिया जाता है। लड़कियों को अपनी सुरक्षा के लिए दैनिक जीवन में उपयोग की वस्तुओं, जैसे— चेन, दुपट्टा, स्टॉल, मफलर, बैग, पेन/पेंसिल, नोटबुक आदि को हथियार के रूप में उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, बालिकाओं की आत्मरक्षा

प्रशिक्षण के लिए धन प्राप्त करने के प्रयास, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार; पुलिस विभाग; होमगार्ड; एनसीसी या अन्य राज्य सरकार की योजनाओं के तहत; या निर्भया फंड के तहत कर सकते हैं।

यूनेस्को (2000) द्वारा दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में एड्स शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया था। इस कार्यक्रम में यूनेस्को ने दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में एड्स शिक्षा विषय पर एक प्रोजेक्ट तैयार किया था। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत पाया गया कि विद्यार्थी यौन शिक्षा की प्राप्ति परिवार औपचारिक रूप से माता-पिता, भाई-बहन तथा अन्य सदस्यों, विद्यालय में अध्यापक एवं अनौपचारिक रूप में मित्र मंडली तथा हमउम्र एवं मुद्रित जनसंचार के साधन, जैसे— समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, पैंफलेट, इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार के साधनों जैसे— दूरदर्शन, चलचित्र, सिनेमा, डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म, रेडियो, इंटरनेट, मोबाइल) दोनों ही माध्यमों द्वारा की जा रही है। परंतु औपचारिक रूप से प्रदान की जाने वाली यौन शिक्षा समुचित, सकारात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होती है। जबकि अनौपचारिक रूप से जो यौन शिक्षा प्राप्त होती है, वह काल्पनिक तथा भ्राँतिपूर्ण हो सकती है। इसलिए यौन शिक्षा द्वारा स्वस्थ जेंडर एवं यौन धारणाओं के विकास हेतु औपचारिक शिक्षा का अत्यधिक महत्व है।

सामान्यत: किशोर-किशोरियों की अधिकांश समस्याओं का संबंध उनकी काम प्रवृत्ति से होता है। भारतीय परिवारों में काम प्रवृत्ति को एक वर्जित विषय माना जाता है तथा इस विषय पर चर्चा करने व संकोच का अनुभव किया जाता है। यही कारण है कि भारतीय परिवेश में किशोर-किशोरियों की यौन शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए इस विषय की अज्ञानता व अनभिज्ञता का प्रायः किशोर-किशोरियों पर घातक प्रभाव पड़ता है। वास्तव में किशोरावस्था के दौरान विद्यार्थियों को मर्यादित यौन शिक्षा प्रदान करना अति आवश्यक है जिससे उनकी काम प्रवृत्ति की सोच को तर्कसंगत दिशा की ओर ले जाया जा सके। *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* में बताया गया है कि किशोर शिक्षा को विद्यालयी पाठ्यचर्या में समाहित किए जाने की आवश्यकता निरंतर महसूस की जाती रही है। परंतु सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील विषय होने के कारण इसे पाठ्यचर्या में लागू करने में कठिनाई का अनुभव किया जा रहा है। किशोर-किशोरियों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। चूँकि इन आवश्यकताओं का संबंध यौन या यौनिकता से है जो सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा है, विद्यार्थियों को उचित सूचना पाने के अवसरों से वंचित रखा जाता है। चूँकि यौन संबंधी उनकी समझ सुनी-सुनाई बातों, मिथकों या भ्रांतिपूर्ण धारणाओं पर आधारित होती है, वे संकटजनक स्थितियों में पड़ जाते हैं। इससे नशीले पदार्थ या उनमें एच.आई.वी. एड्स संक्रमण आदि का खतरा बढ़ जाता है। आयु-आधारित और संदर्भ विशिष्ट हस्तक्षेपों को जगह दी जाए, जो किशोर के यौन स्वास्थ्य से संबंधित हो ताकि एच.आई.वी. एड्स और नशे की आदतों से उन्हें सावधान किया जा सके। इसलिए बच्चों को इस संबंध में ज्ञान बढ़ाने और जीवन के कौशल सिखाने की दिशा में प्रयास आवश्यक है,

ताकि वे बढ़ती उम्र की समस्याओं से जूझ सकें। प्राथमिक स्तर पर इसकी विषयवस्तु भाषा एवं पर्यावरणीय अध्ययन तथा उच्च प्राथमिक स्तर से उच्च माध्यमिक स्तर पर विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत समावेशित की जा सकती हैं। विज्ञान की पाठ्यचर्या का उपयोग सामाजिक बदलाव लाने के उपकरण के रूप में किया जा सकता है। इसका प्रमुख लाभ यह होगा कि समाज द्वारा किशोर शिक्षा को अलग दृष्टि से नहीं देखा जाएगा (*राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*)

अक्सर आज भी कई लोग सेक्स (यौन संबंधित शब्द) का नाम सुनते ही शर्म से आँखें झुका लेते हैं या फिर इस बारे में अपने बच्चों से बात करने में हिचकिचाते हैं। दुर्भाग्य से विद्यालयी शिक्षा में आज भी यौन शिक्षा केवल जलीय जंतु एवं जानवरों के उदाहरणों तक ही सीमित है। सामान्यत: विद्यालयों में अध्यापक विद्यार्थियों को कक्षा 8, 9 और 10 के विज्ञान के पाठ्यक्रम में मानवों में प्रजनन प्रकिया पर दिए गए पाठों को पढ़ाते समय संपूर्ण जानकारी पढ़ाने के बजाय बहुत कम जानकारी पढ़ाते हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि विज्ञान विषय की महिला अध्यापिका या तो किसी पुरुष अध्यापक तथा पुरुष अध्यापक किसी महिला अध्यापिका को उन पाठों को पढ़ाने के लिए सौंप देते हैं। अध्यापक कभी-कभी इन पाठों को न पढ़ाकर विद्यार्थियों को स्वयं पढ़ने के लिए कहकर अपनी ज़िम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। लेखिका को आज भी 13 वर्ष पूर्व की बात याद है, कक्षा की विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में दिए गए पाठ 9—'जंतुओं में जनन' और पाठ 10—'किशोरावस्था की ओर' पाठ में दिए गए चित्रों को देखकर कक्षा के विद्यार्थी अपने-अपने अनुमान लगाते थे और हँसते थे। उन्हें यौन शिक्षा का अनौपचारिक ज्ञान था कि यह पाठ मनुष्य के यौन, लिंग आदि पर आधारित है। हमारे विज्ञान के अध्यापक दूसरे अनुभाग (सेक्शन) की अध्यापिका से पाठों को पढ़ाने का अनुरोध करते थे और अध्यापिका उनकी बात को नकारते हुए कहती थी—"मैंने अपनी कक्षा में भी ये पाठ नहीं पढ़ाए आप भी विद्यार्थियों को स्वयं पढ़ने के लिए दे दीजिए और आप केवल प्रश्न-उत्तर करवा दीजिए।" इसी कारण बच्चों में और अधिक जिज्ञासा उत्पन्न होती थी कि क्या इस पाठ में कुछ गलत जानकारी है? ये पाठ कक्षा में क्यों नहीं पढ़ाया गया? आदि।

हालाँकि कक्षा 10 में उक्त परिस्थिति में कुछ बदलाव आया। अब लेखिका के सहपाठी अपने बड़े भाई-बहनों से पाठ को पढ़कर आते थे व कक्षा में चर्चा करते थे, जिससे कई कल्पनाओं का जन्म होता था, क्योंकि उनके भाई-बहन भी उन्हें अधूरा ज्ञान प्रदान करते थे। विज्ञान विषय का पाठ 8— 'जीव जनन कैसे करते हैं' और पाठ 9— 'अनुवांशिकता एवं जैव विकास' को अध्यापक आधा-अधूरा पढ़ा कर उनके प्रश्न-उत्तर करवा देते थे। अत: कक्षा 8 से 10 तक, यह पाठ हमेशा अधूरे ज्ञान, सही मार्गदर्शन के अभाव, अध्यापकों की झिझक एवं शर्म के कारण हँसी के पात्र बनते रहे और विद्यार्थी भ्रांतिपूर्ण एवं अपूर्ण जानकारी प्राप्त करते थे। यहाँ तक की लड़कियों को अपने मासिक धर्म के समय लज्जा का सामना करना पड़ता था या विद्यालय से अवकाश लेना पड़ता था। हालाँकि वर्तमान में यौन शिक्षा की कुछ विषयवस्तु विद्यालयी पाठ्यक्रम का हिस्सा है। परंतु 13 वर्ष पश्चात भी यौन शिक्षा से जुड़ी परिस्थितियों में

सामान्यतः बदलाव नहीं आया है। लेखिका द्वारा इस विषय पर विद्यार्थियों एवं अध्यापकों से चर्चा के दौरान पाया गया कि आज भी विद्यालयों में इन विषयों को पढ़ाने में संकोच किया जाता है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों को विज्ञान की शिक्षा एक संयुक्त विषय के रूप में दी जानी चाहिए, जिसमें उच्च प्राथमिक स्तर से अधिक उन्नत तकनीकी शिक्षा तथा स्वास्थ्य जिसमें प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य भी शामिल हो (पृष्ठ. 55)। परंतु आज भी प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य की शिक्षा की परिस्थितियों में अधिक परिवर्तन नहीं आया है। अध्यापक मानव तंत्र से संबंधित पाठों को पढ़ाने में झिझक महसूस करते हैं। जिसके फलस्वरूप, विद्यार्थियों की सोच और नज़रिए पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अत: यह आवश्यक है कि प्रत्येक बच्चे को मूलभूत शिक्षा के साथ-साथ यौन शिक्षा भी दी जाए।

अगर बच्चों से यौन शिक्षा से जुड़े विषयों पर बात नहीं करेंगे या उन्हें इस विषय से अवगत नहीं कराएँगे, तो वे अपनी उम्र के अनुसार अन्य माध्यमों, जैसे— मीडिया या इंटरनेट के माध्यम से गलत और भ्रामक जानकारी प्राप्त करेंगे। इसलिए बच्चों को उनकी उम्र व मानसिक समझ के अनुसार यौन शिक्षा के अंतर्गत यौन क्रिया और यौन अंगों की क्रिया शैली व महत्व को समझाना होगा। यह बच्चों के बेहतर विकास और भविष्य के लिए आवश्यक है। इस विषयवस्तु को कक्षावार (कक्षाओं के अनुसार) निर्धारित पाठ्यक्रम में उपयुक्त विषयों की विषयवस्तु के साथ समावेशित कर पढ़ाया जाए। विशेषकर विज्ञान (जीव विज्ञान) तथा शारीरिक शिक्षा, योग एवं खेल की विषयवस्तु के साथ समावेशित कर पढ़ाया जाए। जेंडर शिक्षा के साथ भी इस विषयवस्तु को जोड़कर पढ़ाना सार्थक होगा।

भारत में एच.आई.वी. संक्रमण की वृद्धि दर को देखते हुए किशोर शिक्षा प्रदान करना और भी आवश्यक हो गया है। करोड़ों बच्चे आज या तो एच.आई.वी./एड्स के शिकार हैं या उससे प्रभावित हैं। बच्चों को एच.आई.वी./एड्स के बारे में जानकारी देकर उन्हें अपने आपको इस रोग से सुरक्षित रखने के उपाय बताए जा सकते हैं। एशिया में चीन के बाद भारत में एच.आई.वी. एड्स पीड़ित लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है। संयुक्त राष्ट्र एड्स संस्था के अनुसार भारत में 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 0.16 लाख बच्चे एच.आई.वी. के शिकार हैं। सेकन, 2004, बुक ऑन चाइल्ड सेफ्टी. (एच.आई.वी./एड्स) मादक पदार्थों का दुरुपयोग और एच.आई.वी./एड्स को एक सामाजिक स्वास्थ्य समस्या माना जाता है। बच्चों के बीच मादक पदार्थों का दुरुपयोग एक उभरती हुई समस्या है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत में बच्चों द्वारा दुरुपयोग की जाने वाली पाँच सबसे आम दवाइयाँ हैं— हेरोइन, अफीम, शराब, कैनबिस और प्रोपाक्सीफिन (चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन)। इनके अलावा बच्चों द्वारा अन्य पदार्थों, जैसे— कफ सिरप, व्हाइटनर, दर्द निवारक मरहम, गोंद, पेंट, गैसोलीन, गीला कार्बन पेपर, फाइबर मैटिंग का मिश्रण और उबलता हुआ टूथपेस्ट जैसे उत्पाद बच्चों द्वारा दुरुपयोग किए जाते हैं। पदार्थों का विभिन्न तरीकों से दुरुपयोग किया जा सकता है। इन मादक द्रव्यों तथा पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा अधिनियम (कानून) बनाए गए हैं, जिनमें अग्रलिखित अधिनियम शामिल हैं—

मादक द्रव्य तथा विषैले पदार्थ अधिनियम, 1985 (एनडीपीएस एक्ट, 1985)

यह कानून मादक द्रव्य तथा विषैले पदार्थों के उत्पादन, अपने पास रखने, उसे कहीं लाने-ले जाने, खरीद-बिक्री को अवैध घोषित करता है। साथ ही इस कार्य में जुड़े हुए व्यक्ति आदि या इसके अवैध व्यापार के लिए दंड का प्रावधान करता है।

मादक द्रव्य तथा नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988

इस कानून के अनुसार जो व्यक्ति बालकों को मादक द्रव्यों का अवैध व्यापार करने के लिए उपयोग करते हैं उन्हें सहयोगी व षड्यंत्रकारी के रूप में गिरफ़्तार कर उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

बाल-न्याय अधिनियम, 2000 (बच्चों की संरक्षा एवं सुरक्षा)

इस अधिनियम के भाग 2(डी) में मादक द्रव्यों के सेवन या व्यापार में लगे असहाय बच्चों को संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए ज़रूरतमंद बच्चों के रूप में परिभाषित किया गया है।

उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर के अध्यापकों और अध्यापक-प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और संसाधन सामग्री, आयुष्मान भारत के विद्यालय स्वास्थ्य घटक के भाग के रूप में विकसित की गई है (*विद्यालय जाने वाले बच्चों का स्वास्थ्य और कल्याण, 2020*)। यह सामग्री मानव संसाधन विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तकनीकी सहायता इकाई के सहयोग में समन्वित कर विकसित की गई। इसमें संयुक्त राष्ट्र अभिकरण और राष्ट्रीय संस्थाओं, गैर-सरकारी संस्थाओं, विद्यालयों, अध्यापकों और स्वतंत्र सलाहकारों का सहयोग लिया गया था। इसमें कई सहभागी शिक्षार्थी-केंद्रित गतिविधियों, जैसे— खेल प्रश्नोत्तरी, केस स्टडी और भूमिका निर्वाह इत्यादि दी गई है। जिन्हें विद्यालय में आसानी से क्रियान्वित किया जा सकता है। इसके अलावा, विषयगत प्रदर्शनी, विषय के लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा तथा शिक्षार्थियों को अपने सरोकारों को उजागर करने के लिए कॉमिक्स का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इस सामग्री में 11 विषय सम्मिलित हैं, जैसे— स्वस्थ बढ़ना, भावनात्मक कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य, पारस्परिक संबंध, मूल्य और नागरिकता, जेंडर समानता, पोषण स्वास्थ्य और स्वच्छता, मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम और प्रबंधन, स्वस्थ जीवन शैली का प्रोत्साहन, प्रजनन स्वास्थ्य और एच.आई.वी.। एड्स की रोकथाम, हिंसा और चोटों के खिलाफ़ सुरक्षा तथा इंटरनेट और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देना।

चाइल्ड लाइन

चाइल्ड लाइन, 24 घंटे की मुफ्त टेलीफ़ोन हेल्पलाइन सेवा है, जिसे संकट में कोई बच्चा या उसकी ओर से एक वयस्क, नंबर 1098 पर डायल करके मदद पा सकता है। यह संकट में या बाद में पीड़ित बच्चे को आपातकालीन सहायता और आउटरीच सेवाएँ प्रदान करता है। चाइल्ड लाइन पर कॉल प्राप्त करने के कुछ ही मिनटों में सहायता टीम बच्चे के पास जाती है और संकट से बचाव करती है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.) की स्थापना मार्च 2007 में संसद द्वारा पारित बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत की गई थी। आयोग

का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी कानून, नीतियाँ, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र भारत के संविधान और बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में निहित बाल अधिकारों के अनुरूप हैं या नहीं। इस आयोग द्वारा बच्चे को 0 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। आयोग राज्य के लिए एक अनिवार्य भूमिका, सुदृढ़ संस्था-निर्माण प्रक्रियाओं, सामुदायिक स्तर पर स्थानीय निकायों के स्तर पर विकेंद्रीकरण के लिए सम्मान और बच्चों की भलाई के लिए व्यापक सामाजिक सरोकार देखता है (राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग)। बच्चों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है और उन्हें ऐसे वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, जो सुरक्षित, संरक्षात्मक और विकास के लिए अनुकूल हो। विद्यालय की संरक्षा और सुरक्षा को व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए न कि केवल ढाँचागत और भौतिक सुरक्षा तक ही सीमित रहना चाहिए। शारीरिक दंड से आगे बढ़कर स्कूली सुरक्षा का मुद्दा और अधिक जटिल हो गया है, शारीरिक हिंसा, यौन-मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक हिंसा, यहाँ तक कि ये चरम मामलों में मौत का कारण भी बन रहे हैं। विद्यालयों को संरक्षित और सुरक्षित बनाने के लिए विद्यालय प्रबंधन, अध्यापकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों और परामर्शदाताओं सहित विभिन्न हितधारकों के परामर्श से जवाबदेही रूपरेखा के साथ व्यापक दिशा-निर्देश विकसित किए गए हैं। एक आदर्श स्थिति में, प्रत्येक विद्यालय में एक परामर्शदाता नियुक्त किया जा सकता है, हालाँकि वर्तमान में देश में प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की कमी के कारण यह संभव नहीं है। इसलिए निष्ठा के अंतर्गत अध्यापकों को ही विद्यालय में पहले चरण के परामर्शदाता के रूप में कार्य करने के लिए संवेदनशील बनाया जा रहा है। अध्यापकों को काउंसलिंग, पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों, जेजे एक्ट, विद्यालय सेफ्टी गाइडलाइंस, हेल्पलाइन और इमरजेंसी नंबर, शिकायतों के लिए ड्रॉप-बॉक्स आदि पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से प्रत्येक विद्यालय को हेल्पलाइन और आपातकालीन नंबरों का एक बोर्ड तैयार कर लगाना अनिवार्य किया गया है (विद्यालय सुरक्षा, समग्र शिक्षा)।

परामर्शदाता के रूप में अध्यापक की भूमिका

आज की युवा पीढ़ी में जो जेंडर आकर्षण तथा यौन व्यवहारों के प्रति नकारात्मकता और मनमानेपन का भाव है। इस प्रकार के भावों पर नियंत्रण के लिए विद्यार्थियों को निर्देशन एवं परामर्श प्रदान किया जा सकता है। अक्सर विद्यालय और समाज में जेंडर असमानता और यौन दुर्व्यवहारों, मादक पदार्थों की लत की खबरें देखने व सुनने को मिलती हैं। इसलिए विद्यालय में अध्यापक को एक परामर्शदाता, मार्गदर्शक और अभिभावक के रूप में भूमिका निभाना आवश्यक है। इसमें यौन शिक्षा की जानकारी एवं ज्ञान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसे—

- विद्यार्थियों को शारीरिक और मानसिक विकास के विषय में उचित जानकारी प्रदान करना तथा शैशवास्था में शारीरिक अंगों से बच्चों को परिचित कराना।
- बालक और बालिकाओं दोनों के साथ समान व्यवहार करना तथा उन्हें एक-दूसरे के साथ समानतापूर्ण व्यवहार करने की सीख देना।
- बालक और बालिकाओं को साथ-साथ कार्य करने तथा खेलने-कूदने के अवसर प्रदान

करना तथा यौन जनित संक्रामक रोगों की अवधारणाओं में व्याप्त भ्रम और त्रुटि को दूर कर सही ज्ञान प्रदान करना।

- समय-समय पर बालक और बालिकाओं से उनकी समस्याओं के बारे में बात करना एवं उनकी समस्याओं का समाधान विद्यालय में ही करना।
- यौन शिक्षा पर अध्यापक द्वारा सार्थक जानकारी प्रदान करना तथा बच्चों के सभी सवालों के जवाब बिना झिझक देना।
- बच्चों को संयमित भाषा में यौन शिक्षा के बारे में शिक्षा देना ताकि बच्चे अध्यापक के शब्दों का गलत अर्थ न निकालें।
- लड़के-लड़कियों को एक साथ बिठाकर उन्हें यौन शिक्षा के बारे में बताना ताकि बाद में वे इस मुद्दे पर बेझिझक बात कर सकें।
- यौन शिक्षा के बारे में बताते समय स्केच, डायग्राम, स्लाइड आदि का प्रयोग करना और यह भी ध्यान रखना कि बच्चों के सामने पोर्नोग्राफी आदि जैसी तस्वीरों का इस्तेमाल न हो।
- बच्चों को उचित और अनुचित स्पर्श को पहचानना सिखाना तथा अनुचित स्पर्श होने पर किसी विश्वसनीय वयस्क या परिवार के सदस्य को सूचित करने की सलाह देना।
- विद्यार्थियों को समय-समय पर ऐसे परियोजना कार्य देना, जो समाचार पत्रों, सामाजिक घटनाओं के तथ्यों पर आधारित हो तथा उन घटनाओं और समस्याओं से निपटने के उपाय विद्यार्थियों के साथ साझा करना।
- अभिभावक बच्चों के साथ हुई घटनाओं एवं दुर्व्यवहार की बातों को छिपाने के बजाय उसका खुलकर विरोध करें, जिससे बच्चा आत्मविश्वास महसूस करेगा और समाज का प्रत्येक व्यक्ति इससे शिक्षित होगा एवं अपराधी भी अपराध करने से पहले कई बार सोचेगा।
- अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को यौन शिक्षा देना तथा नुक्कड़ नाटकों, रोलप्ले और गतिविधि आधारित कार्य आदि उन्हें कार्यशाला, प्रश्नोत्तर विधि, कहानी अथवा मनोरंजनात्मक क्रियाओं द्वारा यौन संबंधी ज्ञान प्रदान करना।
- अध्यापक द्वारा प्रासंगिक पावरपॉइंट प्रेज़ेंटेशन (पीपीटी), फ़िल्म, विज्ञापन, स्टोरी बुक, यूट्यूब आदि से ऑडियो-विज़ुअल क्लिप का उपयोग कर विद्यार्थियों को सार्थक और रुचिकर शिक्षा प्रदान करना।

निष्कर्ष

बेहतर समाज, बेहतर बच्चों से बनता है, अत: उन्हें स्वस्थ बचपन देना हम सभी का कर्तव्य है। वर्तमान युग में युवा पीढ़ी के यौन संबंधी मूल्यों में गिरावट आ रही है। यौन शिक्षा के अभाव में बालक एवं बालिकाएँ युवावस्था में भटक जाते हैं तथा भिन्न-भिन्न भ्रातियों के कारण वे गलत कार्यों में सम्मिलित हो जाते हैं। वर्तमान में बलात्कार, यौन दुर्व्यवहार, बाल अपराध, मादक पदार्थों के सेवन की लत, बाल शोषण, शाब्दिक अभद्रता तथा विवाह-पूर्व गर्भधारण आदि समस्याओं से समाज को जूझना पड़ रहा है। ऐसे में यौन शिक्षा का ज्ञान उतना ही आवश्यक है, जितना की दूसरे विषयों का। इस विषय की आवश्यकता को समझते हुए इसे विद्यालयी शिक्षा एवं अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम

में सम्मिलित करना चाहिए तथा इस विषय की विषयवस्तु को अन्य विषयों के साथ जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चों को मानसिक एवं सामाजिक रूप से समृद्ध करने के लिए यौन शिक्षा भी दी जानी आवश्यक है। विशेषकर आज की डिजिटल दुनिया में यह और भी आवश्यक हो गई है, ताकि बच्चे बढ़ती उम्र के साथ होने वाले शारीरिक एवं भावनात्मक परिवर्तनों को बेहतर तरीके से समझ सकें। इसके लिए अभिभावकों और अध्यापकों को एक मार्गदर्शक या परामर्शदाता के रूप में भूमिका निभानी होगी।

संदर्भ

चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन. childlineindia.org से अप्रैल 2022 में लिया गया।

दिल्ली पुलिस. स्पेशल यूनिट फ़ॉर वुमन एंड चिल्ड्रन सेफ़्टी. 22 मार्च 2022 को delhipolice.gov.in से लिया गया.

मिनिस्ट्री ऑफ़ वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. 2007. स्टडी ऑन चाइल्ड एब्यूज़ इंडिया. नई दिल्ली.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. 2006. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली.

————. 2019. *प्रशिक्षण एवं संसाधन सामग्री. विद्यालय जाने वाले बच्चों का स्वास्थ्य और कल्याण.* प्रथम संस्करण. 2020.

————. 2020 *प्रशिक्षण एवं संसाधन सामग्री*. प्रथम संस्करण.

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट, यौन शोषण पर रिपोर्ट 2011.

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.). ncpcr.gov.in. से प्राप्त किया गया.

सकेन, फ्यूचर. 2004. ह्यूमैन राइट्स वॉच. बुक ऑन चाइल्ड सेफ़्टी (एच.आई.वी./एड्स). पृष्ठ 73.

सिंह, सुषमा और वीनिता शर्मा. 2020. उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों की यौन शिक्षा के प्रति अभिवृति— एक अध्ययन. *शृंखला एक शोधपरक वैचारिक पत्रिका*. भाग 8. अंक 4.

स्वापक औषध और मनोपरिवर्तक मादक द्रव्य अधिनियम, 1985. इकाई-4. 21 अप्रैल 2022 को BFEI-103-H-B2-UH pdf से लिया गया.

https://borgenproject-org./5-factsaboutsexeducation-in-india/. से प्राप्त किया गया है।

विद्यार्थी जीवन में करियर निर्देशन एवं परामर्श की भूमिका

गुरमीत सिंह*

विद्यार्थी जीवन में आगे बढ़ने के लिए जीवन वृत्ति (करियर) निर्देशन एवं परामर्श की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निर्देशन और परामर्श विद्यार्थी को सामाजिक एवं आर्थिक मनुष्य बनाने के लिए समय-समय पर निरंतर सहायता करते हैं। इसी सहायता के आधार पर वह अपनी क्षमता एवं कौशल के अनुसार उचित व्यवसाय या पेशे का चयन कर खुशहाल जीवन की योजना बनाकर अमल करता है। परंतु उन्हें समय पर उचित करियर निर्देशन एवं परामर्श नहीं मिलता है, तो वे अपने करियर का चयन करने में भटक जाते हैं। परिणामस्वरूप वे गलत करियर का चयन कर लेते हैं। ऐसा करने के बाद वे अपने पेशे, कार्यस्थल, परिवार व समाज में समायोजन करने में असहज महसूस करते हैं। इसलिए विद्यार्थियों को उनकी प्रारंभिक शिक्षा से ही सार्थक निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता होती है। अत: सरकारों को विद्यालयों में दक्ष निर्देशन एवं परामर्शदाताओं की नियुक्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके अलावा, शिक्षक भी अपने विद्यार्थियों को उनकी क्षमताओं एवं कौशलों के आधार पर उचित मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। जिससे वे अपने भावी जीवन के लिए उपयुक्त तथा गुणवत्तापरक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर उचित पेशे या व्यवसाय का चयन कर उज्ज्वल भविष्य बना सकें। यह लेख विद्यार्थियों की करियर संबंधी दुविधा एवं उसके लिए उचित करियर निर्देशन एवं परामर्श पर आधारित है। लेख विद्यार्थियों के जीवन में करियर निर्देशन एवं परामर्श के महत्व को उजागर करता है।

यदि हमारी रोज़गार प्राप्त करने या स्वयं के रोज़गार हेतु कोई उधम करने हेतु आवश्यक पढाई पूरी होने के पश्चात उपयुक्त रोज़गार का विकल्प न मिले तो हमारी स्थिति निराशाजनक हो जाती है और अपने अस्तित्व पर ही चिंतन करने लगते हैं। क्योंकि जीवन में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति और खुशियाँ प्राप्त करने के लिए एक बेहतर रोज़गार का होना आवश्यक है। इसलिए हमारी पढ़ाई के शुरुआती चरण में करियर मार्गदर्शन एवं परामर्श की बहुत आवश्यकता होती है ताकि अपनी रुचि एवं अभिवृत्ति के अनुसार रोज़गारपरक एवं जीवन मूल्यों पर आधारित शिक्षा या प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। एक अच्छा रोज़गार खुशहाली दे सकता है। अत: प्रत्येक विद्यार्थी के जीवनकाल में पढ़ाई के दौरान अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार उचित करियर का चयन करने के लिए मार्गदर्शन एवं परामर्श की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यार्थियों को उचित समय पर सार्थक मार्गदर्शन न मिलने पर वे दुविधा में

**कनिष्ठ परियोजना अध्येता*, कला एवं सौंदर्य बोध शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली 110016

और घर एवं परिवारवालों, रिश्तेदारों, मित्रों आदि के दबाव में आकर ऐसे करियर का चुनाव कर लेते हैं, जिसमें उनकी कोई रुचि नहीं होती है। इस परिस्थिति में विद्यार्थी जीवन में करियर निर्देशन और परामर्श आवश्यक हो जाता है।

वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति के लिए वृत्तिक (करियर) विकास एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। करियर व्यक्ति की नौकरी या रोज़गार से संबंधित स्थिति है। जब भी कोई व्यक्ति जीवन के विभिन्न कालावधियों में जिस क्षेत्र में काम करता है या जो काम कर रहा है, उसी को उसकी आजीविका या वृत्ति या रोज़गार या करियर कहते हैं। वृत्ति प्रायः ऐसे कार्यों को कहते हैं, जिससे जीविकोपार्जन होता है, जैसे— अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, वकील, श्रमिक, कलाकार आदि।

ऐसी सेवा जो किसी व्यक्ति का बेहतर करियर बनाने व करियर चयन करने में मदद करती है, उसे करियर परामर्श कहते हैं। करियर परामर्श किसी प्रशिक्षित और अनुभवी व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली सलाह या मदद होती है, जो लोगों को उनके करियर में आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु प्रदान की जाती है। करियर परामर्श व्यक्ति को अपनी योग्यता और रुचि के आधार पर करियर का चयन करने में मदद करता है। मनुष्य जीवन के पायदान पर जैसे-जैसे आगे बढ़ता है, तो उसके समक्ष नवीन चुनौतियाँ और समस्याएँ आती रहती हैं।

यह सार्वभौमिक सत्य है कि न तो प्रत्येक काम के लिए प्रत्येक व्यक्ति योग्य होता है और न प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रत्येक काम उपयुक्त होता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, शारीरिक एवं मानसिक क्षमता एवं कौशल में भिन्न-भिन्न होते हैं और इसी तरह प्रत्येक काम के लिए विभिन्न योग्यताओं की आवश्यकता होती है। इसलिए व्यक्ति की कार्य संतुष्टि के लिए उचित व्यक्ति के लिए उचित कार्य आवश्यक है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्देशन का उपयोग व्यवसाय के क्षेत्र में किया जाता है। क्योंकि निर्देशन उचित व्यक्ति के लिए उचित कार्य के चुनाव में सहायता करता है। इस प्रकार, हम कह सकते हैं कि करियर निर्देशन वह कार्य प्रक्रिया है, जो व्यक्ति को उचित व्यवसाय के चयन तथा प्रगति में उनके गुणों एवं चुनौतियों तथा व्यावसायिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सहायता प्रदान करती है।

विद्यार्थी इस बात को लेकर परेशान व द्वंद्व में रहते हैं कि किस व्यवसाय क्षेत्र का चुनाव करें व किसका नहीं। अधिकतर देखा जाता है कि विद्यार्थी न तो अपने भविष्य के प्रति सचेत है और न कोई लक्ष्य निर्धारित कर पाता है, कभी वह कुछ बनने का सोचता है, तो कभी कुछ। अंत में, कभी-कभी वे अपने माता-पिता, मित्रों, पड़ोसियों आदि के कहने पर किसी भी क्षेत्र में अपने करियर का चयन कर लेते हैं। प्रत्येक अभिभावक का सपना होता है कि उनका बच्चा आगे चलकर बड़ा अफ़सर या अधिकारी बने व ढेर सारे पैसे कमाए। इस द्वंद्वात्मक स्थिति में विद्यार्थी अपने करियर को लेकर भटक जाते हैं। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों को करियर से संबंधित उचित निर्देशन एवं परामर्श की अत्यंत आवश्यकता होती है। विद्यालयों में निर्देशन एवं परामर्श को शिक्षा आयोग (1964–66) ने शिक्षा का अभिन्न अंग मानकर सभी विद्यार्थियों के लिए इसकी व्यवस्था की जाने की अनुशंसा की थी। साथ ही आयोग ने बताया है कि विद्यार्थियों के लिए निर्देशन की व्यवस्था प्राथमिक

स्तर से ही की जाए। इसके अंतर्गत प्राथमिक स्तर से ही अध्यापकों के लिए सेवाकालीन पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाए।

मनुष्य के जीवनकाल में विद्यार्थी जीवन को स्वर्ण काल माना जाता है। इसी कालखंड में विद्यार्थी अपने संपूर्ण जीवन और भविष्य की रूपरेखा तैयार करता है। विद्यार्थी इस काल में खेलकूद के साथ-साथ विद्यालय की अन्य गतिविधियों में भी भाग लेते हैं, जिससे उनका सर्वांगीण विकास होता है। अपनी विद्यालयी एवं उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात विद्यार्थियों को करियर के विभिन्न क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में वे अपनी आकांक्षाओं, क्षमताओं, अभिरुचियों, रुचियों और मनोवृत्ति प्रतिरूप को समझने एवं स्वीकार करने तथा उनका उपयोग करने के लिए परामर्शदाता की सहायता पर निर्भर रहते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53) ने भी निर्देशन एवं परामर्श की अनुशंसा कर यह कहा कि शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता होती है। विद्यार्थियों को व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता कक्षा 10 के बाद व्यावसायिक विषयों के चुनाव के समय तथा उच्च स्तर की शिक्षा के लिए विषयों के चयन के समय विशेष रूप से पड़ती है।

करियर परामर्श की आवश्यकता

विद्यार्थियों के लिए किसी भी व्यवसाय के उचित चयन के लिए करियर परामर्श अधिक महत्वपूर्ण है। करियर परामर्श किसी भी व्यक्ति की जीवनशैली का नेतृत्व करता है जिससे समाज में उसकी स्थिति निर्धारित होती है। जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति एक अच्छा जीवनयापन करने का सपना देखता है। करियर आमतौर पर किसी व्यक्ति के जीवन के पेशेवर पहलू से जुड़ा होता है इसलिए करियर का चयन करना एक बड़ा निर्णय है।

विद्यार्थियों के मन में अपने करियर को लेकर हमेशा मन में किसी-न-किसी प्रकार का द्वंद्व रहता है। भविष्य में वह क्या करना चाहता है। वह अपने करियर का चयन किस क्षेत्र में करना चाहता है। किस विषय का अध्ययन करने से किस व्यवसाय को अपनाया जा सकता है। नौकरी उचित है या व्यवसाय इत्यादि प्रकार के द्वंद्वों के निवारण हेतु करियर परामर्श की आवश्यकता होती है। अधिकतर यह पाया गया है कि विद्यार्थियों को यह ज्ञान नहीं होता है कि कौन-से विषय का अध्ययन करने से उन्हें किस व्यवसाय में सहायता मिलेगी तथा भविष्य में रोज़गार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। करियर निर्देशन के द्वारा उन्हें इस बात से अवगत कराया जा सकता है कि अमुक विषयों का अध्ययन करने से उन्हें अमुक प्रकार के व्यवसाय में सहायता मिलेगी तथा रोज़गार के अधिक अवसर मिलेंगे। इसलिए विद्यार्थियों को भविष्य की संभावित आजीविका एवं अवसरों से परिचित कराने के लिए निर्देशन एवं परामर्श की अत्यंत आवश्यकता है।

विद्यालयों में अध्ययन-अध्यापन के साथ-साथ अध्यापक विद्यार्थियों के प्रथम परामर्शदाता के रूप में परामर्श भी प्रदान करते हैं। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में करियर पर प्रबंधन और प्रगति संबंधित अनुसंधान में कहा गया कि उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे अध्यापकों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें पदोन्नति और उनके वेतन में भी वृद्धि करनी चाहिए (पृष्ठ 34)। इस कदम से वह शिक्षा या परामर्श संबंधित कार्य में और अधिक सक्रिय हो सकें। यादव (2020) ने उत्तराखंड के उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की निर्देशन

आवश्यकताओं का अध्ययन करने पर पाया कि विद्यार्थियों में करियर परामर्श की आवश्यकता है। नेशनल ऑफ़िस फ़ॉर स्कूल काउंसलर एडवोकेसी ने भी कहा है कि माध्यमिक विद्यार्थियों को अपनी माध्यमिक शिक्षा और करियर के बारे में निर्णय लेते समय पेशेवर विद्यालयी परामर्शदाताओं से बेहतर समर्थन की आवश्यकता है (मार्गन और अन्य, 2014)।

कक्षा 10 पास करने के पश्चात प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन में दूसरा पड़ाव आता है कि ऐसे विषय का चयन करना जिसमें उसकी रुचि हो तथा भविष्य में सार्थक रोज़गार प्राप्त हो सके। इसी से जुड़ी एक घटना का यहाँ पर वर्णन किया गया है, जिसमें परामर्शदाता की भूमिका एक विद्यार्थी रोहित (काल्पनिक नाम) के जीवन में महत्वपूर्ण रही।

रोहित ने कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में 80 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। उसके माता-पिता की हमेशा से इच्छा थी कि रोहित डॉक्टर बने। अपनी इसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए रोहित के पिता ने विवशतापूर्वक उसे विज्ञान विषय (स्ट्रीम) में अध्ययन करने हेतु प्रवेश करवा लिया।

रोहित कक्षा 11 में पढ़ता तो था, लेकिन उसका मन नहीं लगता था और न ही उसे विषय समझ आते थे। गणित विषय में रोहित को *फोबिया* था जबकि विज्ञान के विषयों में गणित भी शामिल था। इस कारण, प्रथम सत्र की परीक्षा में रोहित के कम अंक आए तथा अध्यापकों ने अतिरिक्त अंक (ग्रेस) देकर पास कर दिया। शिक्षा-पालक मीटिंग में अध्यापकों ने उसके माता-पिता को रोहित के कमज़ोर निष्पादन के बारे में बताया। किंतु उसके माता-पिता ने रोहित से उसकी समस्या न पूछकर उसे डाँटा और पढ़ाई पर अधिक बल देने को कहा।

पढ़ाई करने के लिए रोहित किताबों को लेकर बैठता था, किंतु किताबों को देखते ही उसे नींद आ जाती थी। नींद से उठने के बाद वह अपने दोस्तों के बारे में सोचने लगता था, जिन्होंने अपनी रुचि के विषयों का चयन कर अच्छे अंक प्राप्त किए थे। अधिकतर समय वह किताबों को सामने रखकर खेलता रहता था या टी.वी. देखता रहता था। धीरे-धीरे अंतिम सत्र की परीक्षा नज़दीक आने लगी और रोहित की नींद किताबों को देखकर और गहरी होती गई।

एक दिन परीक्षा परिणाम का समय भी आ गया और उस दिन विद्यालय में उसकी शिक्षिका ने उसे उसका परीक्षा परिणाम सुनाया तो मानो रोहित और उसकी माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अध्यापक ने कहा, "रोहित बेटा, क्या आपने पढ़ाई नहीं की थी? मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप अनुत्तीर्ण हो गए हो, आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है।"

रोहित और उसकी माँ निराश होकर घर की ओर चल दिए। अब रोहित को डर था कि उसके पिता डाँटेंगे। रोहित के मन में विचार आते थे कि मैं बस के नीचे आ जाऊँ.. तो कभी मन करता विद्यालय भवन की छत से कूदकर आत्महत्या कर लूँ..। किंतु उसकी माँ को कौन संभालेगा? उसकी क्या दशा होगी यही सोचकर रुक गया और हिम्मत कर घर आकर खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और जोर-जोर से रोने लगा।

रोहित के पिता ने भी उसे खूब डाँटा। अब रोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या

करे? अब उसे लगने लगा कि वह जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। अब उसका जीवन व्यर्थ है। धीरे-धीरे रोहित अवसाद में जाने लगा। नकारात्मक सोच उसके मन में घर करने लगी एक दिन उसने अपने जीवन को खत्म करने की ठान ली और ज़हरीली दवाई खा ली।

माता-पिता उसे तुरंत अस्पताल ले गए तथा उसका इलाज करवाया। खराब दवाई होने के कारण रोहित पर उसका अधिक असर नहीं हुआ, वह सिर्फ़ बेहोश ही हुआ था। अत: निष्कर्ष के रूप में यह प्रश्न उठता है कि क्या जीवन को समाप्त कर लेना एवं आत्महत्या कर लेना ही सही विकल्प है? क्या इससे सभी समस्याओं का निवारण संभव है?

आज वही रोहित शासकीय विद्यालय का एक श्रेष्ठ सामाजिक विज्ञान का अध्यापक है। क्योंकि रोहित और उसके माता-पिता ने समझा कि किसी के दबाव में न आकर तथा उचित निर्देशन एवं परामर्श प्राप्त कर वही विषय चयन करना चाहिए जिसमें उसकी रुचि हो। वह अपना अच्छा निष्पादन कर सके। रोहित को हिंदी शिक्षक और विद्यालय में नियुक्त शैक्षिक परामर्शदाता ने परामर्श प्रदान किया था। रोहित द्वारा उनके परामर्श पर विचार कर अध्यापन पेशे को अपनाया गया और वह अपने पेशे एवं जीवन में संतुष्ट होकर खुशहाल जीवनयापन कर रहा है।

जीवन में सही राह का चयन करने के लिए किसी-न-किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती ही है। विद्यार्थी जीवन में करियर परामर्श विद्यार्थियों के लिए एक परिवर्तनकारी मोड़ है जिससे विद्यार्थियों को सही दिशा का बोध होता है और करियर संबंधित निर्णय लेने में आसानी होती है। आजकल समय सारणी और प्रचलित विषयों के तर्क के आधार पर विद्यालयों में मेडिकल और इंजीनियरिंग के विषयों के अनुकूल कक्षाएँ चलाने का प्रचलन है। देश के कई भागों में जो विद्यार्थी कला और अन्य विषय पढ़ना चाहते हैं उनके पास विषय चयन करने के लिए बहुत ही कम विकल्प होते हैं। विद्यार्थियों के लिए सभी विकल्प उपलब्ध कराना आवश्यक है (*राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*, पृ. 78–79)। इस कार्य के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा निर्देशन और परामर्श प्रदान करने की व्यवस्था होनी चाहिए। जो स्वयं की समझ और करियर के विकल्प के लिए आवश्यक सलाह देते हैं। अगर विद्यालय में शारीरिक एवं मानसिक संकटों से निपटने के लिए पेशेवर सहायता उपलब्ध होगी तो किशोरों को बढ़ते हुए अकादमी और सामाजिक दबाव से निपटने में मदद मिलेगी (पृ. 80)।

विद्यार्थियों को करियर परामर्श प्रदान करने की शुरुआत माध्यमिक स्तर से ही कर देनी चाहिए। आज दुनियाभर में व्यवसाय से जुड़ी जानकारी की प्रासंगिकता युवाओं में बेरोज़गारी, गरीबी और कौशल विकास में अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के मुद्दे को संबोधित करती है। *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* में कहा गया है कि विद्यालयों में करियर मनोविज्ञान और परामर्श का प्रावधान किया जा सकता है। जिससे कि वंचित वर्गों, प्रतिकूल शारीरिक व मानसिक स्थिति वाले बालकों में करियर परामर्श विकासात्मक उपकरण का कार्य कर सकें और इसकी मदद से बालक अपने भविष्य में उचित करियर का चयन कर अपना भविष्य बना सकें (पृ. 131–132)।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा निर्देशन और परामर्श को शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग मानकर कहा है कि सरकार आवश्यक संसाधनों एवं योग्य प्रशिक्षित परामर्शदाता की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ विद्यार्थी, अभिभावक और अध्यापक त्रिगुट को इस कार्यक्रम की सफलता हेतु सहायता प्रदान करें। दिव्यांगजनों को निर्देशन सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएँ एवं शिक्षा के सभी स्तरों पर निर्देशन की व्यवस्था की जाए। वर्तमान करियर संबंधित निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करने हेतु भारत के केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय तथा अन्य शासकीय विद्यालयों एवं निजी विद्यालयों में परामर्शदाताओं को नियुक्त किया जा रहा है। समग्र शिक्षा योजना में कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को विभिन्न व्यवसायों के लिए आवश्यक कौशल के साथ खुद को उन्मुख करने के अवसर प्रदान करना और उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार विकल्प चयन करने के लिए सक्षम बनाना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यार्थी के हितों और प्रतिभाओं की पहचान करने के लिए विद्यालयों में करियर परामर्श, उच्चतर शिक्षा का संस्थागत पुनर्गठन जो विश्वविद्यालय में अनुसंधान को बढ़ावा दें, सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों में बहु-विषयी और समग्र शिक्षा पर बल, स्नातक पाठ्यक्रम में अनुसंधान और इंटर्नशिप का समावेश, संकाय करियर प्रबंधन प्रणाली जो अनुसंधान पर समुचित बल दें, की बात करती है। (अनुच्छेद 17.8, पृ. 74) वर्तमान में शैक्षिक संस्थानों में करियर परामर्श के परामर्शदाताओं को नियुक्त की जा रही है। शिक्षा मंत्रालय का यह एक सराहनीय प्रयास है। नियुक्त परामर्शदाता करियर परामर्श के माध्यम से विद्यार्थियों को नए-नए प्रकार के करियर संबंधी परामर्श देते हैं, जिससे विद्यार्थी भविष्य में उचित करियर का चुनाव कर सकें।

परामर्शदाता की भूमिका

विद्यार्थी जीवन में परामर्शदाता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। परामर्शदाता विद्यार्थियों को उनकी क्षमताओं तथा कौशलों के आधार पर परामर्श प्रदान करते हैं। परामर्शदाता विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग विशेषज्ञता रखते हैं, जैसे— शैक्षिक शिक्षा संबंधित परामर्श, पारिवारिक परामर्श, व्यावसायिक परामर्श इत्यादि। करियर परामर्शदाता किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यवसाय को चुनने या तैयार करने तथा उसमें सफल होने में सहायता करता है। वह विद्यार्थियों के व्यावसायिक उद्देश्यों को भी स्पष्ट करता है तथा अन्य कार्य में भी लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करता है। वह लोगों को विकल्पों को समझाने में मदद और उनके काम से संबंधित परिवर्तनों से निपटने एवं काम की बदलती दुनिया में अपना स्थान खोजने में मदद करता है। परामर्शदाता यह निर्धारित करने का प्रयास करता है कि वह जिस व्यक्ति को परामर्श देता है वास्तव में किस समस्या या कठिनाई से पीड़ित है। सेवार्थी की समस्या के संबंध में आवश्यक सूचनाएँ प्राप्त करता है। परामर्शदाता शैक्षिक तथा व्यावसायिक पसंद के अनुसार अनुकूल योजना बनाता है।

निष्कर्ष

विद्यार्थी जीवन में करियर परामर्श एक दिशा सूचक का कार्य करता है, जो शिक्षा के साथ-साथ उचित व्यवसाय के चयन में मददगार होता है। वर्तमान

समय में प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। कई अभिभावक बच्चों की रुचि को नहीं समझना चाहते हैं। वे अपनी इच्छा अनुसार बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी द्वंद्व में रहकर गलत विषय का चयन कर लेते हैं। अत: इस समस्या का समाधान करियर परामर्श से ही संभव है। करियर परामर्श केवल परामर्शदाता की ही ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि बच्चों को उचित सलाह देने के लिए अध्यापक का भी कर्तव्य बनता है कि वह भी अपने स्तर पर बच्चों को समय–समय पर सही करियर चयन करने हेतु निर्देशन और परामर्श प्रदान करें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा ऑनलाइन करियर निर्देशन और विद्यार्थियों के लिए परामर्श पोर्टल शुरू किया गया है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को भारत सहित विश्व के 15 देशों के कॉलेजों के पाठ्यक्रम के साथ ही विभिन्न देशों की स्कॉलरशिप योजनाओं आदि के बारे में जानकारी मिल सकेगी। इस पोर्टल से विद्यार्थियों को 550 से अधिक करियर पर उपयोगी जानकारी मिल सकेगी। निर्देशन एवं परामर्श के माध्यम से विद्यार्थी की क्षमता एवं रुचि के अनुसार उपयुक्त विषय चयन करने में सहयोग कर सकते हैं।

संदर्भ

अगि, डब्ल्यू. सी., और जी. एम. अमाकिरी, 2018. रेलेवेंस ऑफ़ ऑक्यूपेशनल इनफ़ॉर्मेशन इन एन्हान्सिंग यूथ करियर स्टेबिलिटी— इम्प्लीकेशन फ़ॉर काउंसलिंग. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ इनोवेटिव सोशल साइंस एंड ह्यूमैनीटिज रिसर्च*. 6(3), पृष्ठ संख्या 45.

एलियामनी, एम. पी., एम. एल. रिचर्ड और बी. पीटर. 2014. एक्सेस टू गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज एंड इट्स इन्फ़्लुएंस ओन स्टूडेंटस' स्कूल लाइफ़ एंड करियर चॉइस. *अफ़्रीकन जर्नल ऑफ़ गाइडेंस एंड काउंसलिंग*. 1(1), पृष्ठ संख्या 06.

कोठारी आयोग की रिपोर्ट 1964–66. शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986*. शिक्षा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली.

——— *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. भारत सरकार, नई दिल्ली.

माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952–53. *रिपोर्ट ऑफ़ द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन*. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार.

मॉर्गन, एल. डब्ल्यू, एम.ई., ग्रीनवाल्ड और के. पी. गोस्सेलिन. 2014. स्कूल काउंसलर परसेप्शन ऑफ़ कॉम्पटेंसी इन करियर काउंसलिंग. द *प्रोफ़ेशनल काउंसलर*. 4(5), पृष्ठ संख्या 481.

यादव, एच. के. 2020. उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की निर्देशन आवश्यकताओं का तुलनात्मक अध्ययन. *शिक्षण संशोधन — जर्नल ऑफ़ आर्ट, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस*. 3(2), पृष्ठ संख्या 154–158.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् 2006. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली.

अरुणाचल प्रदेश में शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी

रिनचिन जोम्बा*
विवेक सिंह**

भाषा बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अरुणाचल प्रदेश भाषाई विविधता का राज्य है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अंग्रेज़ी, शिक्षा का माध्यम है और हिंदी को अनौपचारिक रूप से शिक्षा की दूसरी भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस शोध-पत्र में माध्यमिक विद्यालय स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के प्रति अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम-कामेंग जिले के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति और अध्यापकों के मतों को प्रस्तुत किया गया है। शोधार्थियों द्वारा सर्वेक्षण पद्धति को अपनाते हुए यादृच्छिक न्यादर्श विधि से न्यादर्श का चयन किया गया तथा आँकड़े संग्रह करने के लिए स्व-निर्मित उपकरणों का प्रयोग किया गया। आँकड़ों का विश्लेषण मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पद्धतियों से किया गया था। इस शोध अध्ययन में पाया गया कि विद्यार्थियों की शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के प्रति अभिवृत्ति में अधिवास एवं विद्यालय के प्रकार तथा जनजातीय स्थिति के आधार पर सार्थक भिन्नता है, जबकि जेंडर के आधार पर कोई अंतर नहीं पाया गया। इसके अलावा, अध्यापकों का मत है कि जिले में अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों ही शिक्षा के माध्यम होने चाहिए।

भारत के बहुभाषी संदर्भ में, विद्यालयी शिक्षा में बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि में शिक्षा के माध्यम (भाषा) की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अपने विचारों एवं भावनाओं को व्यक्त करने तथा अपने समाज के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। हमारे दैनिक जीवन में अभिव्यक्ति एवं समझ के लिए कई भाषाओं एवं बोलियों की आवश्यकता होती है, जैसे— घर में, खेल में, विद्यालय में, बाज़ार में इत्यादि। विद्यालय में प्रवेश करने से पहले, अधिकांश बच्चे पहले से ही एक या एक से अधिक भाषाएँ या बोलियाँ जानते हैं। अत: हमारी शिक्षा प्रणाली में भाषाओं के चयन पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। भाषा विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करती है, और हम भाषा सीखने के साथ-साथ दूसरों के साथ संवाद करने और अनुभवों को साझा करने के लिए उपयोग करते हैं।

शिक्षा के माध्यम के रूप में भाषा अर्थात जिस भाषा का प्रयोग कक्षा में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के लिए किया जाता है। कई मामलों में यह पाया गया कि देश की राजभाषा या प्राथमिक भाषा शिक्षा का माध्यम नहीं है (किर्कपैट्रिक, 2011)। भारत ने नई शिक्षा

टीजीटी (हिंदी), शासकीय माध्यमिक विद्यालय, पकोटी, सेप्पा, जिला पूर्वी कामेंग, अरुणाचल प्रदेश 790102
***असिस्टेंट प्रोफ़ेसर*, विभाग शिक्षा विभाग, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोनो हिल्स, दोईमुख, अरुणाचल प्रदेश 791112

नीति 1986 की अनुशंसाओं के आधार पर त्रि-भाषा सूत्र को स्वीकार किया, जिसमें— (क) मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा (ख) संघ की आधिकारिक भाषा या संघ की सहयोगी आधिकारिक भाषा, और (ग) एक आधुनिक भारतीय या विदेशी भाषा, जो (क) और (ख) के तहत शामिल नहीं है। इस अंतर्दृष्टि की अनुशंसा शिक्षा आयोग 1964–66 द्वारा की गई थी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, 1986 एवं 2020 तथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 1975, 1988, 2000 और 2005 द्वारा स्वीकार की गई। इसमें हिंदी के साथ-साथ गैर-हिंदी क्षेत्रों में तीन भाषाओं के फ़ॉर्मूले के आधार पर पढ़ाया जाना चाहिए। भारत में शिक्षा का माध्यम हिंदी, अंग्रेज़ी और संबंधित राज्यों की आधिकारिक भाषाएँ हैं। आमतौर पर विद्यालयों में भाषा का माध्यम अंग्रेज़ी और सरकारी विद्यालय हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों ही होती हैं। हालाँकि, उच्च शिक्षा के मामले में शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी या क्षेत्रीय भाषा होता है। पाया जाता है कि शिक्षा का माध्यम राज्य और उसकी राजभाषा पर निर्भर करता है।

भारत समृद्ध भाषाई विविधता वाला देश है, जहाँ लगभग 652 भाषाएँ बोली जाती हैं, जो पाँच अलग-अलग भाषा परिवारों से संबंधित हैं— इंडो-आर्यन, द्रविड़ियन, ऑस्ट्रो-एशियाटिक, तिब्बती-बर्मी, और सेमिटो-हैमिटिक। हिंदी मुख्य रूप से उत्तर और मध्य भारत में बोली जाने वाली इंडो-आर्यन भाषा परिवार से है। 26 जनवरी 1950 को हिंदी को भारत की राजभाषा बनाया गया था हालाँकि 21 अन्य भाषाओं को भी समय-समय पर आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को देश की भाषा घोषित किया गया था और साथ ही अनुच्छेद 351 में उल्लेख किया गया है कि हिंदी के विकास के लिए विशेष प्रयास किए जाएँगे। जनगणना 2011 के अनुसार, 43.63 प्रतिशत भारतीय हिंदी को अपनी मातृभाषा के रूप में बोलते हैं।

अरुणाचल प्रदेश भारत के 28 राज्यों में से एक है जो देश के उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित एक पर्वतीय क्षेत्र है। यह 90 से अधिक भाषाओं के साथ भारत में सबसे अधिक भाषाई विविधता वाला राज्य है *(द इकोनॉमिक टाइम्स*, 2013)। 1.4 मिलियन (जनगणना 2011 के अनुसार) आबादी के साथ, राज्य में 26 प्रमुख जनजातियाँ और 100 से अधिक उप-जनजातियाँ हैं। इस राज्य की भाषाई विविधता में, हिंदी भाषा अब दैनिक जीवन की गतिविधियों में एक कड़ी के रूप में काम कर रही है। इस क्षेत्र में हिंदी ने 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान लोकप्रियता हासिल की थी। उस समय भारतीय सैनिक, जिनमें से अधिकांश हिंदी पट्टी से थे, युद्ध के दौरान सैनिकों के पास कुली न होने के कारण, उन्होंने भोजन और गोला-बारूद ले जाने के लिए आदिवासी ग्रामीणों की मदद ली। इसलिए आदिवासियों ने उनसे हिंदी सीखना शुरू कर दिया। इस प्रकार वर्तमान में हिंदी अरुणाचल की जनजातियों के बीच संपर्क की भाषा बन गई है (*फ़्री प्रेस जर्नल*, 2014)।

अरुणाचल प्रदेश अब उत्तर-पूर्व भारत में हिंदी भाषा का एक फलता-फूलता केंद्र है। पश्चिम कामेंग अरुणाचल प्रदेश का खूबसूरत जिला है, जहाँ मोनपा, मिजी एवं शेरडुकपेन जनजाति के लोग एक साथ रहते हैं। इस जिले का नाम कामेंग नदी से लिया गया है, जो ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, जो इस जिले से होकर बहती है। अरुणाचल प्रदेश के विद्यालय

त्रि-भाषा फार्मूले का पालन करते हुए अंग्रेज़ी, हिंदी और एक अन्य तीसरी भाषा में अनिवार्य शिक्षा प्रदान करते हैं। यद्यपि अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा अंग्रेज़ी है, लेकिन अधिकांश विद्यालयों में विशेष रूप से सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी का भी प्रयोग किया जाता है।

वर्तमान शिक्षा प्रणाली में अंग्रेज़ी को शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया है, लेकिन जब अंग्रेज़ी में पढ़ाया जाता है, तो विद्यार्थियों में विषयवस्तु की समझ सीमित होती है, इसलिए स्थानीय भाषा में विषयवस्तु के स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। एक अन्य शोध अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया कि शिक्षा का माध्यम स्वतंत्र पसंद का विषय होना चाहिए (ढोंगडे, 1983)। कई गैर हिंदी क्षेत्रों में अंग्रेज़ी भाषा के बाद हिंदी को दूसरी प्रचलित भाषा के रूप में मान्यता मिली है (कौल और देवकी, 2001)।

अध्ययन का औचित्य

अरुणाचल प्रदेश की शिक्षा प्रणाली में त्रि-भाषा फ़ॉर्मूले का पालन किया जाता है अर्थात अंग्रेज़ी, हिंदी और मातृभाषा/भोटी/कोई भी अन्य भारतीय भाषा। यहाँ शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेज़ी का आधिपत्य है और हिंदी भाषा द्वितीय माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती है। लेकिन कई विद्यालयों में विद्यार्थी और अध्यापक दोनों हिंदी में संवाद करने में सहज महसूस करते हैं। इसलिए शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति और शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी पर अध्यापकों के मत ज्ञात करने की आवश्यकता है। पूर्व शोधों की समीक्षा के आधार पर यह पाया गया कि अरुणाचल प्रदेश शिक्षा के माध्यम के रूप में 'अंग्रेज़ी' पर कुछ अध्ययन किए गए हैं, लेकिन शिक्षा के माध्यम के रूप में 'हिंदी' पर कोई अध्ययन नहीं किया गया है। इसलिए शोधार्थियों ने अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम-कामेंग जिले में माध्यमिक विद्यालय स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी भाषा के उपयोग पर अध्ययन करने का निर्णय लिया।

उद्देश्य

इस शोध अध्ययन के निम्न उद्देश्य थे—

- स्वतंत्र चर (जेंडर, इलाके, विद्यालय के प्रकार और आदिवासी स्थिति) के आधार पर शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
- माध्यमिक विद्यालय स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी पर अध्यापकों के मत ज्ञात करना।

परिकल्पनाएँ

इस शोध अध्ययन की निम्न शून्य-परिकल्पनाएँ थीं—

- शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के प्रति छात्रों और छात्राओं की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
- शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के प्रति ग्रामीण और शहरी विद्यालयों के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
- शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के प्रति सरकारी और निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
- शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के प्रति आदिवासी और गैर-आदिवासी विद्यार्थियों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

शोध विधि

वर्तमान शोध अध्ययन अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम-कामेंग जिले के कक्षा 9 के विद्यार्थियों की शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के प्रति अभिवृत्ति के अध्ययन और अध्यापकों की हिंदी भाषा के प्रति मत का अध्ययन करने के लिए सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया था। वर्तमान अध्ययन वर्ष 2019 में किया गया था।

न्यादर्श

इस शोध अध्ययन के लिए यादृच्छिक न्यादर्श विधि का प्रयोग किया गया था। पश्चिम-कामेंग जिले में कुल 25 विद्यालय थे, जिनमें से 18 सरकारी और सात निजी विद्यालय थे। इनमें से सात माध्यमिक विद्यालयों का चयन किया गया था। इन चयनित माध्यमिक विद्यालयों से कक्षा 9 के 20 विद्यार्थियों और पाँच अध्यापकों का चयन किया गया था। इस प्रकार कुल 140 विद्यार्थियों व 35 अध्यापकों का चयन किया गया था। प्रतिदर्श में चयनित विद्यार्थियों एवं अध्यापकों का वर्गीकरण तालिका 1 में दर्शाया गया है।

तालिका 1— प्रतिदर्श में चयनित न्यादर्श का वर्गीकरण

चर	वर्गीकरण	संख्या
जेंडर	छात्र	56
	छात्राएँ	84
विद्यालय के प्रकार	सरकारी	100
	निजी	40
क्षेत्र	शहरी	80
	ग्रामीण	60
समूह	जनजातीय	110
	गैर-जनजातीय	30
अध्यापक	35	

तथ्य संकलन एवं विश्लेषण

शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के प्रति माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति को मापने के लिए शोधार्थियों द्वारा लिकर्ट के पाँच-बिंदु पैमाने (स्केल) पर आधारित मापनी और अध्यापकों के मत ज्ञात करने के लिए एक प्रश्नावली का निर्माण और प्रयोग किया गया था। अभिवृत्ति मापनी में 24 प्रश्न थे और प्रत्येक प्रश्न के लिए पाँच संभावित उत्तर पूर्णतः सहमत, सहमत, अनिश्चित, असहमत और पूर्णतः असहमत दिए गए थे, जिसमें से किसी एक विकल्प का चयन उत्तरदाताओं को करना था। प्रश्नावली में 12 प्रश्न थे, जिसमें 11 प्रश्न बंद उत्तर वाले (क्लोज एंडेड) और एक प्रश्न मुक्त उत्तर वाला (ओपन एंडेड) था। शोधार्थियों ने चयनित प्रतिदर्श से तथ्य संकलन के लिए चयनित माध्यमिक विद्यालयों का दौरा किया गया। आँकड़ों के विश्लेषण के लिए शोधार्थियों ने (एस.पी.एस.एस.) सामाजिक विज्ञान के लिए सांख्यिकीय पैकेज सॉफ़्टवेयर की सहायता से माध्य, मानक विचलन, विचलन की मानक त्रुटि, 't'– मान, और df की गणना की गई।

परिणाम एवं चर्चा

शोधार्थियों द्वारा अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम-कामेंग जिले के विद्यार्थियों की शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के प्रति अभिवृत्ति के आँकड़ों और अध्यापकों की हिंदी भाषा के प्रति मतों का विश्लेषण कर परिणाम ज्ञात किए गए, जिसका विश्लेषण इस प्रकार है—

तालिका 2— हिंदी के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति

सांख्यिकीय मूल्य	अंक
संख्या	140
माध्य मान	74.65

तालिका 2 (पृष्ठ संख्या 89) से स्पष्ट होता है कि 140 विद्यार्थियों के शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के प्रति अभिवृत्ति का माध्य मान 74.65 है। तालिका 2 से यह भी स्पष्ट होता है कि विद्यार्थियों की शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति है।

तालिका 3 से स्पष्ट होता है कि छात्रों की अभिवृत्ति का माध्य मान 93.04 है जबकि छात्राओं की अभिवृत्ति का माध्य मान 93.60 है और 't' मान – 0.34 है, जो तालिका मान 1.98 से (0.05 सार्थकता स्तर) से कम है। इसलिए शून्य परिकल्पना 'शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के प्रति पुरुष और महिला विद्यार्थियों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है' स्वीकार की जाती है और यह व्याख्या की जाती है कि शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के प्रति पुरुष और महिला विद्यार्थियों की अभिवृत्ति एक जैसी है। इसका संभावित कारण यह हो सकता है कि छात्रों एवं छात्राओं को समान भाषाओं के प्रयोग का अनुभव एवं अवसर प्राप्त हुआ होगा।

तालिका 4 दर्शाती है कि परिकलित 't' मान 2.38 है, जो तालिका मान 1.98 (0.05 सार्थकता स्तर) से अधिक है। इसलिए शून्य परिकल्पना 'शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के प्रति ग्रामीण और शहरी विद्यालयों के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है' निरस्त की जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि ग्रामीण और शहरी विद्यार्थियों की अभिवृत्ति के माध्य वास्तविक अंतर है। तालिका 4 में दर्शाए माध्य-मानों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा

तालिका 3— हिंदी के प्रति छात्र और छात्राएँ विद्यार्थियों की अभिवृत्ति

जेंडर	विद्यार्थी संख्या	माध्य	मानक विचलन	df	SE	t-मान
छात्र	56	93.04	9.8	138	1.64	-0.34
छात्रा	84	93.60	9.1			

तालिका 4— हिंदी के प्रति ग्रामीण और शहरी विद्यार्थियों की अभिवृत्ति

अधिवास	विद्यार्थी संख्या	माध्य	मानक विचलन	df	SE	t- मान
ग्रामीण	60	95.5	8.44	138	1.57	2.38 सार्थकता स्तर पर सार्थक
शहरी	80	91.75	10.22			

तालिका 5— हिंदी के प्रति सरकारी एवं निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति

विद्यालय	विद्यार्थी संख्या	माध्य	मानक विचलन	df	SE	t- मान
सरकारी	100	94.9	8.88	138	1.90	3.09 सार्थकता स्तर पर सार्थक
निजी	40	89	10.67			

तालिका 6— हिंदी के प्रति आदिवासी और गैर-आदिवासी विद्यार्थियों की अभिवृत्ति

जनजातीय स्थिति	विद्यार्थी संख्या	माध्य	मानक विचलन	df	SE	t- मान
जनजातीय	110	94.28	9.19	138	1.96	2.18 सार्थकता स्तर पर सार्थक
गैर-जनजातीय	30	90	10.5			

तालिका 7— हिंदी भाषा के विषय में अध्यापकों के विचार

क्र.स.	कथन	हाँ (%)	नहीं (%)
1.	यदि माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक हिंदी में पढ़ाएँ तो यह विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा।	46%	54%
2.	जब मैं कक्षा में पढ़ाता हूँ तो हिंदी के प्रयोग से बचता हूँ।	37%	63%
3.	ऐसा लगता है कि अधिकांश विद्यार्थियों को हिंदी में सीखना सुखद लगता है।	71%	29%
4.	मैं हिंदी माध्यम में बेहतर व्याख्या कर सकता हूँ।	66%	34%
5.	विज्ञान और गणित विषय पढ़ने में हिंदी के प्रयोग से बचना चाहिए। क्योंकि इसमें ऐसे शब्द हैं, जिनकी व्याख्या हिंदी में नहीं की जा सकती है।	66%	34%
6.	जब मैं अंग्रेज़ी में पढ़ाता हूँ, तो मेरे विद्यार्थी ठीक से नहीं समझ पाते हैं।	54%	46%
7.	कक्षा में सीखने के लिए हिंदी अधिक कुशल और प्रभावी भाषा है।	57%	43%
8.	क्या आप माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए हिंदी माध्यम के पक्ष में हैं?	49%	51%
9.	मुझे लगता है कि पश्चिम कामेंग जिले के अधिकांश माध्यमिक विद्यालय शिक्षा के द्वितीय माध्यम के रूप में हिंदी का प्रयोग करते हैं।	86%	14%
10.	मुझे लगता है कि विद्यार्थी हिंदी भाषा में पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना पसंद करते हैं।	69%	31%
11.	कक्षा शिक्षण हिंदी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज़ी करियर की भाषा है।	43%	57%

सकता है कि शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के प्रति शहरी विद्यार्थियों की तुलना में ग्रामीण विद्यार्थियों की अभिवृत्ति अधिक है। इसका संभावित कारण यह हो सकता है कि शहरी विद्यार्थियों को ग्रामीण विद्यार्थियों की तुलना में अधिक अंग्रेज़ी भाषा का वातावरण मिलता होगा।

तालिका 5 (पृष्ठ संख्या 90) से स्पष्ट होता है कि परिकलित 't' मान 3.09 है जो तालिका मान 1.98 (0.05 सार्थकता स्तर) से अधिक है। इस प्रकार शून्य परिकल्पना 'शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के प्रति सरकारी और निजी विद्यालय के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है' निरस्त की जाती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के प्रति निजी विद्यालय के विद्यार्थियों की तुलना में सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों का अभिवृत्ति अपेक्षाकृत सकारात्मक है।

इसका संभावित कारण यह हो सकता है कि निजी विद्यालयों में प्राय: अंग्रेज़ी बोलने की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता होगा।

तालिका 6 (पृष्ठ संख्या 91) दर्शाती है कि परिकलित 't' मान 2.18 है जो, तालिका मान 1.98 (0.05 सार्थकता स्तर) से अधिक है। इसलिए शून्य परिकल्पना 'शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के प्रति आदिवासी और गैर-आदिवासी विद्यार्थियों के अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है' निरस्त की जाती है। तालिका 7 में दर्शाए गए माध्यों के अनुसार यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के प्रति जनजातीय विद्यार्थियों की अभिवृत्ति गैर-जनजातीय विद्यार्थियों की तुलना में सकारात्मक है। इसका संभावित कारण यह हो सकता है कि जनजातीय विद्यार्थी अपनी मातृभाषा के बाद हिंदी से जुड़ते हैं, क्योंकि हिंदी अरुणाचल प्रदेश में दैनिक जीवन की एक आम भाषा है। जबकि गैर-जनजातीय विद्यार्थियों का संबंध भारत के अन्य राज्यों से है जिनके अभिभावक अरुणाचल प्रदेश में किसी व्यवसाय अथवा नौकरी के लिए निवास कर रहे हैं।

तालिका 7 (पृष्ठ संख्या 91) दर्शाती है कि 54 प्रतिशत अध्यापक इस बात से असहमत थे कि हिंदी में शिक्षण विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी होने के बावजूद बहुत से अध्यापक हिंदी को विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के लिए प्रभावी मानते हैं। 63 प्रतिशत इस बात से असहमत थे कि वे कक्षा शिक्षण के समय हिंदी का उपयोग करने से परहेज़ करते हैं। इसका संभावित कारण यह है कि मात्र अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग करके विद्यार्थियों से बेहतर संवाद स्थापित करना मुश्किल है, इसलिए हिंदी का प्रयोग आवश्यक है। 71 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि अधिकांश विद्यार्थियों के लिए हिंदी माध्यम में सीखना सुखद है। इसका कारण यह है कि हिंदी यहाँ अंतर-जनजातीय संवाद की भाषा है। यह विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए अधिक सहज है। 66 प्रतिशत अध्यापकों ने माना कि वे हिंदी के माध्यम से बेहतर व्याख्या कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है, क्योंकि हिंदी भाषा के माध्यम से विद्यार्थियों की क्षमता स्तर के अनुसार विषय समझाया जा सकता है। 66 प्रतिशत अध्यापक सहमत थे कि विज्ञान और गणित पढ़ाने में हिंदी का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसे शब्द हैं जिन्हें हिंदी में समझाया नहीं जा सकता। इसका संभावित कारण यह हो सकता है कि गणित और विज्ञान विषय के संप्रत्ययों को अंग्रेज़ी भाषा में अपेक्षाकृत बेहतर सिखाया जा सकता है।

तालिका 7 (पृष्ठ संख्या 91) के अनुसार 54 प्रतिशत अध्यापक सहमत थे कि उनके विद्यार्थी अंग्रेज़ी भाषा में पढ़ाते समय नहीं समझते हैं। इसका कारण यह है कि अंग्रेज़ी अधिकांश विद्यार्थियों के दैनिक बोलचाल की भाषा नहीं है। 57 प्रतिशत अध्यापक सहमत थे कि हिंदी कक्षा में सीखने के लिए अधिक कुशल और प्रभावी भाषा है। क्योंकि विभिन्न जनजातीय एवं सामाजिक समूह के विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए हिंदी भाषा एक बेहतर विकल्प है। 51 प्रतिशत अध्यापक इस बात से असहमत थे कि माध्यमिक स्तर पर हिंदी शिक्षा

का माध्यम हो। इसका कारण यह है कि हिंदी यहाँ केवल बोलचाल की भाषा है। लिखने और पढ़ने में इसका प्रयोग कम होता है। 86 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमति व्यक्त की है कि पश्चिम कामेंग जिले के अधिकांश विद्यालय शिक्षा के द्वितीय माध्यम के रूप में हिंदी का उपयोग कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हिंदी भाषा अंग्रेज़ी के साथ विद्यालयों में प्रयोग की जाती है। 69 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमति व्यक्त की है कि शिक्षार्थियों को माध्यमिक स्तर पर हिंदी में पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना पसंद है। इससे यह स्पष्ट होता है कि विद्यार्थी हिंदी में सहज महसूस करते हैं। 57 प्रतिशत अध्यापक असहमत थे कि कक्षा शिक्षण हिंदी में नहीं होना चाहिए जबकि अंग्रेज़ी करियर की भाषा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अध्यापक हिंदी को एक समर्थ भाषा के रूप में स्वीकार करते हैं। उपरोक्त परिणामों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अध्यापक, शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के पक्ष में हैं। साथ ही, अंग्रेज़ी को औपचारिक माध्यम बनाए रखने की आवश्यकता है।

उपरोक्त प्रश्नों के अतिरिक्त अध्यापकों से एक मुक्त उत्तर का प्रश्न (ओपन एंडेड) पूछा गया कि आपका शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी भाषा पर क्या विचार है। इस पर अध्यापकों के विचार इस प्रकार हैं—कक्षा शिक्षण के दौरान हिंदी, अंग्रेज़ी के साथ प्रयोग की जा सकती है। किंतु इसे विद्यालयी शिक्षा का एकमात्र माध्यम नहीं होना चाहिए। शिक्षा का माध्यम मात्र हिंदी भाषा होने से यह विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के साथ-साथ आगे की पढ़ाई को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। साथ ही यह विद्यार्थियों के करियर के विकल्पों में बाधा उत्पन्न करेगा, क्योंकि आजकल अंग्रेज़ी में बोलना और लिखना अनिवार्य है। इसी प्रकार अधिकांश अध्यापकों ने कहा कि कुछ सीमा तक शिक्षा का हिंदी माध्यम लाभप्रद है क्योंकि हमारे राज्य में हिंदी भाषा को आमतौर पर एक-दूसरे के साथ संवाद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब लिखने की बात आती है, तो विद्यार्थी हिंदी में ठीक से नहीं लिख पाते हैं। अधिकांश उत्तरदाता शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों के पक्ष में थे क्योंकि कुछ विद्यार्थियों को अंग्रेज़ी माध्यम में समझना मुश्किल होता है। उन्होंने यह भी कहा कि माध्यमिक स्तर पर अंग्रेज़ी को शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, क्योंकि हिंदी माध्यम में विज्ञान के विषयों को समझना मुश्किल होता है और अंग्रेज़ी आगे की उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों को मदद करेगी। फिर भी, सामान्य तौर पर अध्यापक अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों माध्यमों के पक्ष में थे।

शैक्षिक निहितार्थ

वर्तमान शोध अध्ययन शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति और अध्यापकों के मत ज्ञात करने के लिए किया गया था। इस शोध अध्ययन के परिणाम अरुणाचल प्रदेश में शिक्षा के माध्यम की उचित भाषा से संबंधित नीति बनाने में नीति-निर्माताओं, योजनाकारों और कार्यान्वयनकर्ताओं के लिए सहायक होंगे। साथ ही, उच्च शिक्षा संस्थानों और अध्यापक-प्रशिक्षकों को शिक्षा के उपयुक्त माध्यम का चयन करने और शिक्षण कौशलों में सुधार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने में मदद करेंगे। इसके अलावा भारत के अन्य क्षेत्रों या राज्यों में शिक्षा

के माध्यम से संबंधित नीति निर्धारण में सहायक सिद्ध होंगे। यह शोध अध्ययन अन्य विद्वानों, एवं शोधार्थियों को अरुणाचल प्रदेश में शिक्षा के माध्यम की वर्तमान स्थिति को जानने में मदद करेगा।

निष्कर्ष

इस शोध अध्ययन में शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति और अध्यापकों के विचारों को ज्ञात करने का प्रयास किया गया था। यह एक मात्रात्मक और गुणात्मक अध्ययन था, जिसमें सर्वेक्षण पद्धति का उपयोग किया गया था। इस शोध अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति विद्यालय के प्रकार, अधिवास के प्रकार और आदिवासी स्थिति के संबंध में भिन्न है, लेकिन जेंडर के आधार पर अभिवृत्ति में अंतर नहीं है। दूसरी ओर अध्यापक इस बात से सहमत थे कि शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेज़ी के साथ-साथ हिंदी का प्रयोग होता रहे, क्योंकि पश्चिम-कामेंग जिले में, अधिकांश विद्यार्थी हिंदी माध्यम में विषयों को बेहतर समझते हैं। फिर भी वे केवल हिंदी को शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग करने से असहमत थे।

संदर्भ

अग्रवाल, एस. 1991. *श्री लैंग्वेज फ़ॉर्मूला— एन एजुकेशनल प्रॉब्लम*. पृष्ठ संख्या 37–39. गेन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली.

अदामु, ए. 2002. स्टूडेंट्स एटीट्युड टुवर्ड्स मदर-टंग इंस्ट्रक्शन इज अ कोरिलेट ऑफ़ अकादमिक अचीवमेंट— अ केस स्टडी ऑफ़ सिदामा. *अ थीसिस सब्मिटेड टू द विद्यालय ऑफ़ ग्रेजुएट स्टडीज*. अदिस अबाबा यूनिवर्सिटी. 07 मार्च 2021 को https://www.academia.edu से प्राप्त किया गया.

इब्राहीम, एच. एस., एस. अनका और एन. यू. याबो. 2017. *इंग्लिश इज़ ए मीडियम ऑफ़ इंस्ट्रक्शन— चैलेंजेस टू नाइजीरियन प्राइमरी स्कूल्स*. 08 अक्तूबर 2020 को https://journals.sfu.ca>article> से प्राप्त किया गया.

क्लेग, जे. और ओ. अफ्फित्सका. 2011. टीचिंग एंड लर्निंग इन टू लैंग्वेजेज इन अफ़्रीकन क्लासरूम. *कंपेरेटिव एजुकेशन* 47 (1), पृष्ठ संख्या 61–77.

किर्कपैट्रिक, ए. 2011. इंग्लिश इज़ ए मीडियम ऑफ़ इंस्ट्रक्शन इन एशियन एजुकेशन— इंपलीकेशन फ़ॉर लोकल लैंग्वेज एंड स्कॉलरशिप. एप्लाइड लिंगविस्टिक रिव्यू 2. ली. वेई. (संपादक). दुएस्चे नेशनल बिब्लिओथेक, न्यूयॉर्क. पृष्ठ संख्या 99–119.

कौल, ओ.एन. और देवकी. 2001. मीडियम ऑफ़ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस लेवेल्स ऑफ़ एजुकेशन.*लैंग्वेज एजुकेशन इन मल्टीलिन्गुअल इंडिया*. देसवानी सी. जे.(संपादक). यूनेस्को. नई दिल्ली. पृष्ठ संख्या 104–116.

गोयल, एस. पी. पांडे. 2009. हाउ डू गवर्मेंट एंड प्राइवेट स्कूल डिफ़र? फाइंडिंग फ्रॉम टू इंडियन स्टेट्स. *साउथ एशिया ह्यूमन डेवलपमेंट सेक्टर सीरीज*. नंबर 30. वर्ल्ड बैंक, वाशिंगटन,डी.सी. 15 दिसंबर 2021 को https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/17962 License: CC BY 3.0 IGO. से प्राप्त किया गया.

गौतम, वी. 2003. *एजुकेशन ऑफ़ ट्राइबल चिल्ड्रेन इन इंडिया एंड इश्यू ऑफ़ मीडियम ऑफ़ इंस्ट्रक्शन— ए जनशाला एक्सपीरियंस*. 17 अगस्त 2020 को https://jarom.org/wp-content/uploads/2013/01/education-of-

tribal-children-in-india-a-janshala-experience.pdf से प्राप्त किया गया.

चौधरी, यू. 1978. *अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ़ लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ़ इंडिया इन रिलेशन टू द एजुकेशनल नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ़ द डिफरेंट लिंगविस्टिक कम्युनिटीज ऑफ़ इंडिया*. अप्रकाशित शोध प्रबंध. महाराज सेयाजी राव गायकवाड विश्वविद्यालय, वडोदरा.

दास, इ. एल. एल., और अन्य. 2001. ब्राजीलियन टुवर्ड्स इंग्लिश— डाईमेंशन ऑफ़ स्टेटस एंड सॉलिडेरिटी. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ एप्लाइड लिंग्विस्टिक्स*. 11(1), पृष्ठ संख्या 51–74. 15 फरवरी 2021 को https://eric.ed.gov> से प्राप्त किया गया.

द फ्री प्रेस जर्नल 2014. स्पीकिंग हिंदी नाउ ए वे ऑफ़ लाइफ़ इन अरुणाचल प्रदेश. 09 जनवरी 2020 को https://freepressjournal.in से प्राप्त किया गया.

द *इकॉनोमिक टाइम्स*. 2013 (जुलाई 16). पीपल लिंगविस्टिक सर्वे ऑफ़ इंडिया. 15 नवंबर 2021 को https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/arunachal-pradesh-has-the-most-linguistic-diversity-in-india-survey/articleshow/21108226 से प्राप्त किया गया.

ढोंगडे, आर. वी. 1983. मराठी एज ए मीडीयम ऑफ़ इंस्ट्रक्शन इन हायर एजुकेशन. *बुलेटिन ऑफ़ द दकन कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट,* 42, पृष्ठ संख्या 69–73. 17 अगस्त 2020 को https://www.jstor.org/stable/42930049 से प्राप्त किया गया.

नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एंड प्रोग्राम ऑफ़ एक्शन 1986, 1992. 18 जुलाई 2020 को http://mhrd.gov.in/sites/uploadfiles/uploaddocument/npe.pdf से प्राप्त किया गया.

नेशनल नॉलेज कमीशन. 2008. रिकमेन्डेशन ऑन लैंग्वेजेज. भारत सरकार. 12 अगस्त 2020 को http://www.sampitroda,com/knowlege-commission/ से प्राप्त किया गया.

बहौस, आर. एन. एन. बाचा और एम. नभानी, 2011. मल्टीलिन्गुअल एजुकेशनल ट्रेंड्स एंड प्रैक्टिसेज. इन लेबनॉन. *ए केस स्टडी इन इंटरनेशनल रिव्यू ऑफ़ एजुकेशन*. 57 (5–7). पृष्ठ संख्या 737–749.

रचनावादी शिक्षण उपागम प्रतिक्रिया मापनी का निर्माण तथा मानकीकरण

सुमित गंगवार*
शिरीष पाल सिंह**

यह शोध-पत्र माध्यमिक स्तर के शिक्षार्थियों के लिए रचनावादी शिक्षण उपागम प्रतिक्रिया मापनी का निर्माण एवं मानकीकरण पर आधारित है। इसमें शोधार्थियों द्वारा रचनावादी शिक्षण उपागम प्रतिक्रिया मापनी के निर्माण की वैज्ञानिक प्रक्रिया को बताया गया है। इसमें सर्वप्रथम प्रतिक्रिया मापनी के निर्माण हेतु उपलब्ध सामग्री का अध्ययन कर प्रतिक्रिया मापनी का प्राथमिक प्रारूप तैयार किया गया। इसमें पाँच आयामों के अंतर्गत 42 कथनों को रखा गया था। ये सभी कथन लिकर्ट की पाँच बिंदु रेटिंग मापनी के आधार पर निर्मित किए गए थे। इसके पश्चात विषय विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर कुछ कथनों को हटाया गया। साथ ही, कुछ नवीन कथनों को जोड़कर मापनी में आवश्यक सुधार करके प्रतिक्रिया मापनी के द्वितीय प्रारूप में कुल 37 कथनों का चयन किया गया। इसके पश्चात शोधार्थियों द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, प्रयागराज से संबद्ध उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद पीलीभीत के एक माध्यमिक विद्यालय (सत्र 2019–20) में नामांकित कक्षा 9 के 50 शिक्षार्थियों को 36 दिनों तक विज्ञान विषय के पाँच अध्यायों को रचनावादी शिक्षण उपागम की सहायता से सीखने का अवसर दिया गया। तत्पश्चात शिक्षार्थियों पर प्रतिक्रिया मापनी के द्वितीय प्रारूप का प्रशासन कर आँकड़ों का एकत्रीकरण किया गया। शोधार्थियों द्वारा एकत्रित आँकड़ों का गुणात्मक तथा मात्रात्मक मूल्यांकन करने के पश्चात मापनी की विश्वसनीयता एवं वैधता का निर्धारण कर रचनावादी शिक्षण उपागम प्रतिक्रिया मापनी का अंतिम प्रारूप तैयार किया गया।

वर्तमान समय में शिक्षण-अधिगम व्यवस्था में रचनावाद का विशेष महत्व का विषय है। रचनावाद के अनुसार व्यक्ति अपने नवीन ज्ञान का निर्माण अपने पूर्व ज्ञान तथा नवीन परिस्थितियों की अंतर्क्रिया के फलस्वरूप करता है। रचनावाद अंग्रेज़ी भाषा के शब्द कंस्ट्रक्टिविज़्म (Constructivism) का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेज़ी भाषा के शब्द Constructivism शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कंस्ट्रूरे (Construere) से हुई है, जिसका अर्थ होता है— कंस्ट्रक्ट अथवा टू अरैंज अथवा टू गिव स्ट्रकचर (आकार प्रदान करना अथवा निर्मित करना)। रचनावाद एक तार्किक सिद्धांत है, जिसका आधार दर्शनशास्त्र तथा मनोविज्ञान है (ग्लेसरफ़ील्ड, 1995)। शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में रचनावाद का अर्थ अधिगम अभिमतों, शिक्षा, शिक्षण एवं वैज्ञानिक ज्ञान को सम्मिलित किए हुए है। रचनावाद

**अ*सिस्टेंट प्रोफ़ेसर,* शिक्षा संकाय, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश 244001
*** *प्रोफ़ेसर,* शिक्षा विभाग, शिक्षा विद्यापीठ, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र 442001

मानव की अधिगम प्रक्रिया संबंधित मान्यताओं का एक समूह है, जो रचनावादी अधिगम सिद्धांतों तथा रचनावादी शिक्षण विधियों का वर्णन करता है (स्कॉट, 1987)। रचनावाद का मानना है कि ज्ञान का निर्माण अधिगम सामग्री के अनुकरण अथवा पुनरावृत्ति की अपेक्षा सक्रिय भागीदारी से होता है (यागर, 1991) तथा ज्ञान का निर्माण शिक्षार्थी सक्रिय होकर स्वयं करता है (पियाजे, 1977)। नवीन ज्ञान की निर्मिति के समय शिक्षार्थी अपने पूर्व ज्ञान तथा अनुभवों एवं नवीन परिस्थितियों के मध्य अंतर्क्रिया करता है तथा इस अंतर्क्रिया के आधार पर ही वह निर्मित नवीन ज्ञान की व्याख्या करता है।

रचनावाद अधिगम से संबंधित एक मान्यता की व्याख्या की गई है कि शिक्षार्थी प्रत्यक्ष अवलोकन एवं वैज्ञानिक अध्ययन के परिणामस्वरूप नवीन ज्ञान का निर्माण करता है। जब शिक्षार्थी के समक्ष कोई ऐसी घटना घटती है, जिसका उसे पहले कभी अनुभव नहीं हुआ होता है, तो इससे उसमें एक प्रकार का संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, जिसे वह आत्मसात्मीकरण तथा समायोजन के माध्यम से संतुलित करता है, जिसे साम्यधारण कहा जाता है। साम्यधारण की प्रक्रिया में शिक्षार्थी की पूर्व अनुभूतियाँ विशिष्ट स्थान रखती हैं। साम्यधारण के फलस्वरूप ही शिक्षार्थी अपने लिए नवीन ज्ञान का निर्माण करने में सक्षम हो पाता है। इस प्रकार की ज्ञान की निर्मिति में सामाजिक अंतर्क्रिया का केंद्रीय स्थान होता है (वायगोत्सकी, 1978)।

रचनावाद, अधिगम का दर्शन है, जो इस विचारधारा पर आधारित है कि हम अपने अनुभवों के आधार पर विश्व संबंधित सभी प्रकार का ज्ञान निर्मित करते हैं। हम सभी अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर अपने लिए वैयक्तिक रूप से नियम तथा मानसिक प्रतिमानों का निर्माण करते हैं और इनका उपयोग हम नवीन ज्ञान तथा अनुभवों को सीखने में करते हैं। इसीलिए अधिगम वास्तव में हमारे मानसिक प्रतिमानों को नए अनुभवों के साथ समायोजित करने की एक प्रक्रिया है (ब्रूनर, 1986)। रचनावाद एक प्रकार की ज्ञानमीमांसा है, जिसमें ज्ञान, ज्ञान के स्रोतों तथा ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन किया जाता है। साथ ही, इस बात को भी विश्लेषित किया जाता है कि ज्ञाता, ज्ञान का निर्माण कैसे कर रहा है। *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* में भी इस तथ्य पर विशेष बल दिया गया है कि शिक्षक को अपनी कक्षाओं में ज्ञान को वास्तविक दुनिया से जोड़ते हुए शिक्षार्थियों को नूतन ज्ञान के अवसर प्रदान करने चाहिए। इस प्रक्रिया में बच्चे के पूर्व ज्ञान को केंद्रीय स्थान प्रदान करना चाहिए।

शिक्षार्थियों की विभिन्न ज्ञानानुशासनों में शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि के लिए शिक्षक अपनी कक्षाओं में नवीन शिक्षण विधियों या उपागमों को व्यवहार में लाता है। इन नवीन शिक्षण उपागमों अथवा विधियों का शिक्षार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव को ज्ञात करने के साथ-साथ इन नवाचारी शिक्षण विधियों के प्रति शिक्षार्थियों की प्रतिक्रियाओं को भी ज्ञात करना एक शिक्षक के लिए आवश्यक हो जाता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो प्रतिक्रिया मापनी द्वारा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों के समक्ष प्रस्तुत किए गए उत्प्रेरक पर उनके द्वारा प्रदान की गईं प्रतिक्रियाओं को ज्ञात करता है। जिसकी सहायता से एक शिक्षक यह ज्ञात करने में सफल हो जाता है कि उसके शिक्षार्थी इस नवीन शिक्षण विधि के प्रति कैसा अनुभव करते हैं। शिक्षण विधि के किन

बिंदुओं में संशोधन की आवश्यकता है, किन नवीन बिंदुओं को जोड़कर शिक्षण विधि को और अधिक प्रभावशाली एवं शिक्षार्थी-केंद्रित बनाया जा सकता है। प्रतिक्रिया मापनी शिक्षार्थियों की उस नवीन शिक्षण विधि पर तत्काल के अनुभवों को जानने का एक सशक्त उपकरण है।

रचनावादी शिक्षण उपागम प्रतिक्रिया मापनी का संक्रियात्मक परिभाषीकरण

रचनावादी शिक्षण उपागम प्रतिक्रिया मापनी, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, प्रयागराज से संबद्ध माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा 9 के शिक्षार्थियों की रचनावादी शिक्षण उपागम के द्वारा विज्ञान विषय को सीखने के पश्चात रचनावादी शिक्षण उपागम के विभिन्न आयामों के प्रति प्रतिक्रियाओं के मापन को दर्शाता है।

प्रतिक्रिया मापनी निर्माण तथा मानकीकरण के चरण

माध्यमिक स्तर पर सत्र 2019–20 के कक्षा 9 के शिक्षार्थियों की रचनावादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रिया ज्ञात करने के लिए शोधार्थी द्वारा स्व-निर्मित रचनावादी शिक्षण उपागम प्रतिक्रिया मापनी का निर्माण तथा मानकीकरण किया गया। इस संपूर्ण प्रक्रिया को तीन चरणों में पूर्ण किया गया, जो इस प्रकार हैं—

- प्रथम चरण— नियोजन तथा मापनी के कथनों व प्रश्नों का लेखन
- द्वितीय चरण— मापनी के कथनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक मूल्यांकन
- तृतीय चरण— मापनी की विश्वसनीयता तथा वैधता का निर्धारण

प्रथम चरण— नियोजन तथा मापनी के कथनों का लेखन

योजना बनाना किसी भी मापनी निर्माण का प्रथम सोपान है। मापनी की योजना बनाने वाले इस प्रथम सोपान के अंतर्गत मापनी से संबंधित अनेक निर्णय लिए जाते हैं। मापनी की उचित योजना के लिए शोधार्थी कुछ पहलुओं को ध्यान में रखता है अर्थात निर्मित की जाने वाले मापनी द्वारा किस गुण का मापन कब और कैसे किया जाएगा। मापनी के लिए विषयवस्तु, मापन के उद्देश्य, कथनों के प्रकार, कथनों की संख्या, समयावधि तथा अंकन प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जाता है (पटेल और सिंह, 2018)। रचनावादी शिक्षण उपागम प्रतिक्रिया मापनी के निर्माण के प्रथम चरण में निम्नलिखित उपचरणों को सम्मिलित किया गया था—

मापनी समष्टि तथा मापनी उद्देश्य का परिभाषीकरण

लक्षित समूह को परिभाषित करने तथा मापनी को प्रशासित करने के उद्देश्यों तथा लक्षित समूह के सदस्यों की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए शोधार्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद्, प्रयागराज द्वारा संबद्ध माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले विज्ञान विषय के कक्षा 9 के शिक्षार्थियों को मापनी समष्टि के रूप में चयनित किया था। इस शोध अध्ययन में रचनावादी शिक्षण उपागम प्रतिक्रिया मापनी का उद्देश्य कक्षा 9 के शिक्षार्थियों की रचनावादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रियाएँ ज्ञात करना था।

प्रतिक्रिया मापनी का ब्लू प्रिंट तैयार करना

किसी भी मापनी का ब्लू प्रिंट, उस मापनी की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करता है। किसी भी मापनी के ब्लू प्रिंट को देखकर उस मापनी के उद्देश्य, उसमें सम्मिलित किए गए कथनों तथा उसके आयामों के अनुसार कथनों के वितरण को आसानी से समझा जा सकता है। कक्षा 9 के शिक्षार्थियों की रचनावादी शिक्षण उपागम के प्रति प्रतिक्रियाएँ ज्ञात करने लिए रचनावादी शिक्षण सिद्धांतों एवं रचनावादी शिक्षण उपागम की सहायता से अध्यापन करने की प्रक्रिया की प्रकृति के आधार पर निर्धारित किए गए कुल पाँच आयामों को ध्यान में रखते हुए 42 कथनों वाली रचनावादी शिक्षण उपागम प्रतिक्रिया मापनी का प्राथमिक प्रारूप तैयार किया गया था। रचनावादी शिक्षण उपागम प्रतिक्रिया मापनी के प्रथम प्रारूप में 23 धनात्मक तथा 19 ऋणात्मक कथनों को रखा गया था। प्रतिक्रिया मापनी के ब्लू प्रिंट का प्रथम प्रारूप का आयामवार विवरण तालिका 1 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1 के अनुसार प्रतिक्रिया मापनी के प्रथम प्रारूप का विकास किया गया था। इस मापनी को अवलोकन के लिए विषय विशेषज्ञों को दिया गया। विषय विशेषज्ञों के सुझावों को ध्यान में रखकर इस मापनी में से कुछ कथनों को निरस्त किया गया तथा कुछ नवीन कथनों को जोड़ा गया। इस प्रकार प्रतिक्रिया मापनी के संशोधित प्रारूप में इसके पूर्व निर्धारित आयामों के विभिन्न पक्षों को दृष्टिगत रखते हुए कुल 37 कथनों को सम्मिलित किया गया था। जिसमें 19 धनात्मक तथा 18 ऋणात्मक कथन थे। प्रतिक्रिया मापनी के ब्लू प्रिंट के द्वितीय प्रारूप में एकांशों की आयामवार स्थिति तालिका 2 (पृष्ठ संख्या 100 देखें) में प्रस्तुत की गई है।

द्वितीय चरण— मापनी के कथनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक मूल्यांकन

इस चरण में शोधार्थी द्वारा मापनी में सम्मिलित किए गए कथनों का गुणात्मक तथा मात्रात्मक मूल्यांकन किया गया। जिसका वर्णन तालिका 1 में दिया गया है—

तालिका 1— आयामों को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिक्रिया मापनी में कथनों की स्थिति (प्रथम प्रारूप)

आयाम	कथनों की कुल संख्या	कथनों की प्रकृति	मापनी में कथनों की स्थिति
नवीन ज्ञान का निर्माण	10	धनात्मक कथन	1, 8, 11, 19, 21, 31, 32
		ऋणात्मक कथन	26, 29, 39
पूर्व ज्ञान का उपयोग तथा नवीन ज्ञान से उसका जुड़ाव	8	धनात्मक कथन	2, 3, 13, 28, 33
		ऋणात्मक कथन	5, 14, 40
अधिगम में अवसरों की प्राप्ति तथा समस्या-समाधान	8	धनात्मक कथन	4, 16, 36
		ऋणात्मक कथन	6, 9, 15, 20, 42
स्वयं के द्वारा किया जाने वाला कार्य	4	धनात्मक कथन	24, 34
		ऋणात्मक कथन	10, 41
कक्षागत अंतर्क्रिया एवं सहभागिता	12	धनात्मक कथन	7, 12, 17, 18, 27, 35
		ऋणात्मक कथन	22, 23, 25, 30, 37, 38

मापनी के कथनों का विषय विशेषज्ञों द्वारा गुणात्मक मूल्यांकन

शोधार्थी द्वारा रचनावादी शिक्षण उपागम प्रतिक्रिया मापनी के प्रथम प्रारूप को अपने शोध निर्देशक, शिक्षा जगत के विषय विशेषज्ञों, विज्ञान विषय के विषय विशेषज्ञों तथा माध्यमिक स्तर पर अध्यापन कर रहे विज्ञान के शिक्षकों को समीक्षात्मक मूल्यांकन के लिए दिया गया। साथ ही उन्हें स्पष्ट कथनों को इंगित करने और अपनी विशेषज्ञता के आधार पर मापनी में संशोधन के उपयोगी सुझाव हेतु अनुरोध किया गया था। इस प्रक्रिया से शोधार्थी को मापनी की भाषा और अन्य कठिनाइयों को सुधारने में मदद मिली। विषय विशेषज्ञों के द्वारा प्रतिक्रिया मापनी का मूल्यांकन बताया गया कि मापनी में दिए गए सभी कथन, मापनी निर्माण के उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं। साथ ही, विषय विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर प्रतिक्रिया मापनी में आवश्यक सुधार किया गया। इस प्रकार प्रतिक्रिया मापनी में 37 एकांशों को सम्मिलित करते हुए मापनी का प्रारूप तैयार किया गया, इसे तालिका 2 में दर्शाया गया है।

मापनी के कथनों का मात्रात्मक मूल्यांकन

शोधार्थी द्वारा प्रतिक्रिया मापनी के कथनों का मात्रात्मक मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज से संबद्ध उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद पीलीभीत के दो माध्यमिक विद्यालयों का चयन किया गया। इन चयनित विद्यालयों में पढ़ने वाले सत्र 2019–20 के कक्षा 9 के 50 शिक्षार्थियों को 36 दिनों तक विज्ञान के पाँच अध्यायों को रचनावादी शिक्षण उपागम की सहायता से पढ़ाने के पश्चात शिक्षार्थियों पर रचनावादी शिक्षण उपागम प्रतिक्रिया मापनी के द्वितीय प्रारूप का प्रशासन किया गया। शिक्षार्थियों को प्रतिक्रिया मापनी के निर्देशों के आधार पर प्रतिक्रिया मापनी को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रत्येक कथन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए कहा गया। रचनावादी शिक्षण उपागम प्रतिक्रिया मापनी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए शिक्षार्थियों (प्रयोज्यों) को 40 मिनट का समय दिया गया। शिक्षार्थियों द्वारा प्रतिक्रिया देने के पश्चात शोधार्थी द्वारा फलांकन कुँजी की सहायता से फलांकन किया गया। चूँकि यह मापनी लिकर्ट

तालिका 2— आयामों को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिक्रिया मापनी में कथनों की स्थिति (द्वितीय प्रारूप)

आयाम	कथनों की कुल संख्या	कथनों की प्रकृति	मापनी में कथनों की स्थिति
नवीन ज्ञान का निर्माण	9	धनात्मक कथन	1, 8, 11, 19, 21, 31
		ऋणात्मक कथन	26, 29, 39
पूर्व ज्ञान का उपयोग तथा नवीन ज्ञान से उसका जुड़ाव	7	धनात्मक कथन	2, 3, 13, 28
		ऋणात्मक कथन	5, 14, 40
अधिगम में अवसरों की प्राप्ति तथा समस्या-समाधान	7	धनात्मक कथन	4, 16
		ऋणात्मक कथन	6, 9, 15, 20, 42
स्वयं के द्वारा किया जाने वाला कार्य	4	धनात्मक कथन	24, 34
		ऋणात्मक कथन	10, 41
कक्षागत अंतर्क्रिया एवं सहभागिता	10	धनात्मक कथन	7, 12, 17, 18, 27
		ऋणात्मक कथन	22, 23, 25, 30, 37

की पाँच बिंदु रेटिंग मापनी के आधार पर निर्मित की गई थी। अत: प्रयोज्यों की धनात्मक कथनों पर पूर्ण सहमत, सहमत, अनिश्चित, असहमत और पूर्णत: असहमत प्रतिक्रिया पर क्रमशः 5, 4, 3, 2 एवं 1 अंक तथा ऋणात्मक कथनों पर क्रमशः 1, 2, 3, 4 एवं 5 अंक निर्धारित किए गए थे। इस प्रकार मापनी में प्राप्तांकों का न्यूनतम तथा अधिकतम प्रसार 37–185 के मध्य था। शोधार्थी द्वारा मापनी के कथनों का मात्रात्मक मूल्यांकन करने हेतु निम्नलिखित सोपानों का अनुसरण किया गया—

प्रतिदर्श के आकार के औचित्य की जाँच

शोधार्थी द्वारा प्रतिक्रिया मापनी के कथन विश्लेषण से पूर्व प्रतिक्रिया मापनी के प्रशासन के लिए चयनित किए गए प्रतिदर्श के आकार के औचित्य की जाँच के लिए कैसर-मेयर-ऑलकिन (के.एम.ओ.) तथा बार्टलेट परीक्षण का उपयोग किया गया। कैसर-मेयर-ऑलकिन (के.एम.ओ.) परीक्षण का वर्णन 1970 में कैसर ने दिया था। इस परीक्षण के अनुसार यदि काई वर्ग का मान 0.60 से 0.70 के मध्य या 0.70 से अधिक होता है, तब ऐसा माना जाता है कि मापनी के मानकीकरण हेतु सम्मिलित किए गए प्रतिदर्श का आकार पर्याप्त है (नीतीमेयर, बेयरडन तथा शर्मा, 2003)। प्रतिदर्श के आकार के औचित्य की जाँच के लिए एक अन्य परीक्षण बार्टलेट परीक्षण का भी प्रयोग किया जाता है। कैसर-मेयर-ऑलकिन (के.एम.ओ.) परीक्षण का काई वर्ग का मान सार्थकता के 0.05 स्तर पर सार्थक होता है, तो यह माना जाता है कि मापनी के मानकीकरण हेतु सम्मिलित किए गए प्रतिदर्श का आकार सार्थक है (टेवाचनिक और फिल्डन, 2001; हेयर, अन्य, 2014)। कैसर-मेयर-ऑलकिन (के.एम.ओ.) तथा बार्टलेट परीक्षण के सांख्यिकीय परिणामों को तालिका 3 में दर्शाया गया है।

तालिका 3— प्रतिदर्श के आकार के औचित्य की जाँच (के.एम.ओ. तथा बार्टलेट परीक्षण)

कैसर-मेयर-ऑलकिन परीक्षण का सांख्यिकीय मान (काई वर्ग)	0.76
बार्टलेट परीक्षण सांख्यिकीय मान (काई वर्ग)	438.76
स्वतंत्र्यांश	48
सार्थकता मान	0.000

तालिका 3 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रतिदर्श के आकार के औचित्य की जाँच के लिए कैसर-मेयर-ऑलकिन परीक्षण का काई वर्ग मान 0.76 है, जो मान 0.70 से अधिक है (नीतिमेयर, बेयरडन और शर्मा, 2003)। अत: यह सिद्ध होता है कि प्रतिक्रिया मापनी के मानकीकरण हेतु प्रशासन के लिए चयनित किए गए प्रतिदर्श का आकार सार्थक है। तालिका 3 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि बार्टलेट परीक्षण का सांख्यिकीय मान (काई वर्ग) 438.76 है, जिसका 48 स्वतंत्र्यांश पर सार्थकता मान 0.000 है, जो सार्थकता के 0.05 स्तर के मान से कम है अर्थात सार्थकता के 0.05 स्तर पर सार्थक है। अत: यह कहा जा सकता है कि प्रतिक्रिया मापनी के मानकीकरण हेतु सम्मिलित किए गए प्रतिदर्श का आकार सार्थक है।

कथनों का विश्लेषण

शोधार्थी द्वारा प्रतिक्रिया मापनी के प्रशासन के लिए चयनित किए गए प्रतिदर्श के आकार के औचित्य की जाँच करने के पश्चात प्रतिक्रिया मापनी के कथनों का विश्लेषण किया गया। प्रतिक्रिया मापनी के कथनों के विश्लेषण के लिए 50 प्रयोज्यों से प्राप्त फलांकों को कथन बनाम पूर्ण मापनी के आधार पर द्विपंक्तिक सहसंबंध सांख्यिकीय प्रविधि का प्रयोग किया गया। इस प्रक्रिया में प्रत्येक कथन की गणना सहसंबंध मापनी के योगात्मक (कुल) फलांक के साथ की गई। यदि कथन तथा मापनी के योगात्मक फलांक के

मध्य सहसंबंध का मान 0.40 या इससे अधिक होता है तो उस कथन को मापनी में सम्मिलित किया जाता है और यदि यह मान 0.40 से कम आता है तो उस कथन को मापनी से निरस्त कर दिया जाता है (ग्लैम और ग्लैम, 2003)। इस प्रकार, प्रतिक्रिया मापनी के कथनों का विश्लेषण करने के पश्चात यह पाया गया कि मापनी के 37 कथनों में से 34 कथनों का मापनी के योगात्मक फलांक के साथ सहसंबंध का मान 0.40 से अधिक प्राप्त हुआ और 3 कथनों का सहसंबंध मान 0.40 से कम प्राप्त हुआ। इस प्रकार अंतिम रूप से प्रतिक्रिया मापनी में 34 कथनों को शामिल किया गया।

प्रत्येक कथन का उससे जुड़े आयाम के साथ सहसंबंध

प्रतिक्रिया मापनी के कथनों के मात्रात्मक मूल्यांकन के इस चरण में शोधार्थी द्वारा कथन बनाम संबंधित आयाम के आधार पर द्विपंक्तिक सहसंबंध सांख्यिकीय प्रविधि का प्रयोग किया गया अर्थात प्रत्येक कथन का सहसंबंध उस कथन से संबंधित आयाम के योगात्मक (कुल) फलांक के साथ ज्ञात किया गया। जिस प्रकार कथनों का विश्लेषण किया गया, उसी प्रकार यदि कथन तथा आयाम के योगात्मक फलांक के मध्य सहसंबंध का मान 0.40 या इससे अधिक होता है तो उस कथन को संबंधित

तालिका 4— कथनों का विश्लेषण — प्रत्येक कथन का मापनी के योगात्मक फलांक के साथ सहसंबंध

कथन संख्या	सहसंबंध का मान	टिप्पणी	कथन संख्या	सहसंबंध का मान	टिप्पणी
1.	0.43	स्वीकृत	20.	0.65	स्वीकृत
2.	0.49	स्वीकृत	21.	0.78	स्वीकृत
3.	0.67	स्वीकृत	22.	0.56	स्वीकृत
4.	0.54	स्वीकृत	23.	0.72	स्वीकृत
5.	0.62	स्वीकृत	24.	0.63	स्वीकृत
6.	0.86	स्वीकृत	25.	0.45	स्वीकृत
7.	0.65	स्वीकृत	26.	0.59	स्वीकृत
8.	0.53	स्वीकृत	27.	0.42	स्वीकृत
9.	0.45	स्वीकृत	28.	0.71	स्वीकृत
10.	0.76	स्वीकृत	29.	0.54	स्वीकृत
11.	0.71	स्वीकृत	30.	0.41	स्वीकृत
12.	0.51	स्वीकृत	31.	0.29	अस्वीकृत
13.	0.49	स्वीकृत	32.	0.49	स्वीकृत
14.	0.79	स्वीकृत	33.	0.79	स्वीकृत
15.	0.73	स्वीकृत	34.	0.36	अस्वीकृत
16.	0.65	स्वीकृत	35.	0.54	स्वीकृत
17.	0.76	स्वीकृत	36.	0.63	स्वीकृत
18.	0.45	स्वीकृत	37.	0.23	अस्वीकृत
19.	0.43	स्वीकृत			

तालिका 5— प्रत्येक कथन का उसके आयाम के योगात्मक फलांक के साथ सहसंबंध

आयाम	कथन संख्या	सहसंबंध का मान	टिप्पणी
नवीन ज्ञान का निर्माण	1	0.47	स्वीकृत
	11	0.64	स्वीकृत
	19	0.54	स्वीकृत
	21	0.60	स्वीकृत
	8	0.59	स्वीकृत
	26	0.43	स्वीकृत
	29	0.79	स्वीकृत
	39	0.35	अस्वीकृत
पूर्व ज्ञान का उपयोग तथा नवीन ज्ञान से उसका जुड़ाव	2	0.45	स्वीकृत
	3	0.73	स्वीकृत
	13	0.49	स्वीकृत
	28	0.56	स्वीकृत
	5	0.47	स्वीकृत
	14	0.51	स्वीकृत
	40	0.29	अस्वीकृत
अधिगम में अवसरों की प्राप्ति तथा शंका समस्या-समाधान	4	0.67	स्वीकृत
	16	0.54	स्वीकृत
	6	0.76	स्वीकृत
	9	0.43	स्वीकृत
	15	0.53	स्वीकृत
	20	0.65	स्वीकृत
	42	0.31	अस्वीकृत
स्वयं के द्वारा किया जाने वाला कार्य	24	0.71	स्वीकृत
	10	0.66	स्वीकृत
	41	0.37	अस्वीकृत
कक्षागत अंतर्क्रिया एवं सहभागिता	7	0.45	स्वीकृत
	12	0.41	स्वीकृत
	17	0.55	स्वीकृत
	18	0.54	स्वीकृत
	27	0.43	स्वीकृत
	22	0.79	स्वीकृत
	23	0.65	स्वीकृत
	25	0.54	स्वीकृत
	30	0.65	स्वीकृत

आयाम में सम्मिलित किया जाता है और यदि मान 0.40 से कम आता है तो उस कथन को संबंधित आयाम से निरस्त कर दिया जाता है। प्रत्येक कथन का उसके आयाम के साथ सहसंबंध ज्ञात करने के पश्चात यह पाया गया कि मापनी के 34 कथनों में से 30 कथनों के सहसंबंध का मान उनके संबंधित आयामों के योगात्मक फलांकों के मान, 0.40 से अधिक है। अत: इन 30 कथनों को अंतिम रूप से चयनित कर मापनी में सम्मिलित किया गया तथा चार कथनों को निरस्त किया गया।

तृतीय चरण— रचनावादी शिक्षण उपागम प्रतिक्रिया मापनी की वैधता तथा विश्वसनीयता का निर्धारण

शोधार्थी द्वारा रचनावादी शिक्षण उपागम प्रतिक्रिया मापनी की वैधता तथा विश्वसनीयता का मापन एवं निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित चरणों का अनुसरण किया गया—

रचनावादी शिक्षण उपागम प्रतिक्रिया मापनी की वैधता

परीक्षण की वैधता से तात्पर्य यह होता है कि जिस चर के मापन के लिए जो परीक्षण बनाया गया है, वह उस चर की विशेषताओं को कितनी सूक्ष्मता से मापता है। शोधार्थी द्वारा रचनावादी शिक्षण उपागम प्रतिक्रिया मापनी की प्रत्यक्ष या आमुख (फेस) वैधता, अंतर्विषयी वैधता तथा संरचना वैधता का निर्धारण किया गया। मापनी की आमुख तथा अंतर्विषय वैधता निर्धारित करने के लिए मापनी के कथनों का समीक्षात्मक मूल्यांकन करने के लिए विज्ञान विषय के चार विशेषज्ञों, सात शिक्षक-प्रशिक्षकों तथा माध्यमिक स्तर पर अध्यापन करने वाले आठ शिक्षकों को दिया गया। साथ ही, उनसे कथनों द्वारा संबंधित आयामों के ज्ञान के सही-सही मापन तथा रचनावादी सिद्धांतों पर विचार-विमर्श किया गया। इस प्रकार शोधार्थी द्वारा विषय विशेषज्ञों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर मापनी के कथनों की भाषा शैली, शब्द संरचना तथा वाक्य विन्यास में आवश्यक संशोधन किया गया। इसके अतिरिक्त शोधार्थी द्वारा मापनी की संरचना वैधता के निर्धारण के लिए मापनी के प्रत्येक आयाम के फलांक तथा मापनी के योगात्मक फलांक के मध्य सहसंबंध की गणना की गई। इसके परिणामों का विवरण तालिका 6 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 6— प्रत्येक आयाम का संपूर्ण मापनी के योगात्मक फलांक के साथ सहसंबंध

क्र.सं.	आयाम	सहसंबंध का मान
1.	नवीन ज्ञान का निर्माण	0.65
2.	पूर्व ज्ञान का उपयोग तथा नवीन ज्ञान से उसका जुड़ाव	0.73
3.	अधिगम में अवसरों की प्राप्ति तथा समस्या-समाधान	0.78
4.	स्वयं के द्वारा किया जाने वाला कार्य	0.69
5.	कक्षागत अंतर्क्रिया एवं सहभागिता	0.77

तालिका 6 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रतिक्रिया मापनी के प्रत्येक आयाम के फलांक तथा मापनी के योगात्मक फलांक के मध्य सहसंबंध का मान क्रमशः 0.65, 0.73, 0.78, 0.69 तथा 0.77 है, जो 0.01 सार्थकता स्तर पर सार्थक है। यह परिणाम इस बात को दर्शाते हैं कि प्रतिक्रिया मापनी के पाँचों आयाम रचनावादी शिक्षण उपागम से संबंधित हैं तथा प्रतिक्रिया मापनी की संरचना वैधता सार्थक है।

रचनावादी शिक्षण उपागम प्रतिक्रिया मापनी की विश्वसनीयता

विश्वसनीयता किसी भी परीक्षण का अति आवश्यक गुण होता है। सरल अर्थ में विश्वसनीयता से तात्पर्य परीक्षण से प्राप्त प्राप्तांकों की परिशुद्धता से होता है अर्थात परीक्षण से प्राप्त परिणामों में संगतता से है। किसी मापनी की विश्वसनीयता उस मापनी के भविष्य में पुनः प्रशासित करने पर संभवत: संगत परिणामों के प्राप्त होने को दर्शाती है। शोधार्थी द्वारा रचनावादी शिक्षण उपागम प्रतिक्रिया मापनी के प्रत्येक आयाम तथा संपूर्ण मापनी की आंतरिक संगतता विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए गुणांक अल्फा का प्रयोग किया गया। रचनावादी शिक्षण उपागम प्रतिक्रिया मापनी के प्रत्येक आयाम तथा संपूर्ण मापनी की आंतरिक संगतता विश्वसनीयता का मान तालिका 7 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 7 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मापनी के प्रत्येक आयाम तथा संपूर्ण प्रतिक्रिया मापनी के गुणांक अल्फा का मान 0.74 है, जो 0.70 से अधिक है (नीति मेयर, बेयरडन और शर्मा, 2003), जो इस बात को इंगित करता है कि मापनी के प्रत्येक आयाम तथा संपूर्ण प्रतिक्रिया मापनी की विश्वसनीयता का मान उच्च है।

रचनावादी शिक्षण उपागम प्रतिक्रिया मापनी का अंतिम प्रारूप

रचनावादी शिक्षण उपागम प्रतिक्रिया मापनी के गुणात्मक तथा मात्रात्मक मूल्यांकन के पश्चात अंतिम रूप में प्राप्त 30 कथनों में धनात्मक तथा ऋणात्मक कथनों की संख्या एवं मापनी में उनकी स्थिति का विवरण तालिका 8 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 7— प्रत्येक आयाम तथा संपूर्ण मापनी की आंतरिक संगतता विश्वसनीयता

क्र.सं.	आयाम	गुणांक अल्फा का मान
1.	नवीन ज्ञान का निर्माण	0.71
2.	पूर्व ज्ञान का उपयोग तथा नवीन ज्ञान से उसका जुड़ाव	0.76
3.	अधिगम में अवसरों की प्राप्ति तथा समस्या-समाधान	0.81
4.	स्वयं के द्वारा किया जाने वाला कार्य	0.75
5.	कक्षागत अंतर्क्रिया एवं सहभागिता	0.78
6.	संपूर्ण प्रतिक्रिया मापनी	0.74

तालिका 8— आयामों के आधार पर रचनावादी शिक्षण उपागम प्रतिक्रिया मापनी में कथनों की स्थिति (अंतिम प्रारूप)

आयाम	कथनों की कुल संख्या	कथनों की प्रकृति	मापनी में कथनों की स्थिति
नवीन ज्ञान का निर्माण	7	धनात्मक कथन	1, 8, 11, 19, 21
		ऋणात्मक कथन	26, 29
पूर्व ज्ञान का उपयोग तथा नवीन ज्ञान से उसका जुड़ाव	6	धनात्मक कथन	2, 3, 13, 28
		ऋणात्मक कथन	5, 14
अधिगम में अवसरों की प्राप्ति तथा समस्या-समाधान	6	धनात्मक कथन	4, 16
		ऋणात्मक कथन	6, 9, 15, 20
स्वयं के द्वारा किया जाने वाला कार्य	2	धनात्मक कथन	24
		ऋणात्मक कथन	10
कक्षागत अंतर्क्रिया एवं सहभागिता	9	धनात्मक कथन	7, 12, 17, 18, 27
		ऋणात्मक कथन	22, 23, 25, 30

तालिका 8 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रतिक्रिया मापनी के अंतिम प्रारूप में कुल 30 कथन हैं। साथ ही मापनी के प्रत्येक आयाम में सम्मिलित धनात्मक तथा ऋणात्मक कथनों की संख्या तथा मापनी में इन कथनों की स्थिति एवं वितरण को प्रस्तुत किया गया है।

शैक्षिक निहितार्थ

शोधार्थी द्वारा रचनावादी शिक्षण उपागम प्रतिक्रिया मापनी का निर्माण तथा मानकीकरण करने की प्रतिक्रिया के आधार पर शैक्षिक निहितार्थ के अंतर्गत प्रत्येक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न विषयों में उपलब्धि को बढ़ाने तथा अधिगम उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है। शिक्षक द्वारा चयनित और प्रयोग की जा रही विधि शिक्षार्थियों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है या नहीं, इसके लिए शिक्षार्थियों की प्रतिक्रिया ज्ञात करना अति आवश्यक है। यदि कोई शिक्षक अपनी कक्षा की शिक्षण-अधिगम परिस्थितियों में रचनावादी शिक्षण उपागम या प्रतिमान से शिक्षण-अधिगम करता है, तो इस शोध हेतु परिणामस्वरूप विकसित रचनावादी शिक्षण प्रतिक्रिया मापनी का प्रयोग कर सकता है। इसके अतिरिक्त शिक्षक इस प्रतिक्रिया मापनी को आधार बनाकर अन्य नवाचारी शिक्षण विधियों के प्रति शिक्षार्थियों की प्रतिक्रिया जानने के लिए प्रतिक्रिया ज्ञात करने का निर्माण कर सकता है।

वहीं यदि कोई शोधार्थी अपने शोध अध्ययन में रचनावादी शिक्षण उपागम या प्रतिमान के आधार पर शिक्षण-अधिगम की प्रभावशीलता का अध्ययन करता है तो वह इस शोध के दौरान विकसित रचनावादी शिक्षण प्रतिक्रिया को अपने शोध अध्ययन हेतु प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस प्रतिक्रिया मापनी को आधार बनाकर शोधार्थी अन्य नवाचारी शिक्षण विधियों के प्रति शिक्षार्थियों की प्रतिक्रिया या अभिवृत्ति जानने के लिए प्रतिक्रिया मापनी या अभिवृत्ति मापनी का निर्माण तथा उसका मानकीकरण भी कर सकते हैं।

संदर्भ

एनास्टेसी, ए. और एस. उर्विना. 2002. *साइकोलॉजिकल टेस्टिंग* सातवाँ संस्करण. पियरर्सन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली.

कैसर, एच. एफ. 1970. ए सेकंड जनरेशन लिटिल जिफी. *साइकोमैट्रिका.* 35 (4). पृष्ठ संख्या 401–415.

गुप्ता, एस. पी. 2017. *अनुसंधान संदर्शिका.* शारदा पुस्तक भवन. इलाहाबाद.

ग्लसेरफील्ड, ई. वॉन. 1995. *रेडिकल कंस्ट्रक्टीविज़्म — ए वे ऑफ़ नोइंग एंड लर्निंग.* दि फ्लेमेर प्रेस, लंदन.

ग्लैम, जे. ए. और आर. आर. ग्लैम. 2003. *कैलकुलेटिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड रिपोर्टिंग क्रोनबैक्स एल्फा रिलायबिलिटी कॉफ़िसियेंट फ़ॉर लिकर्ट टाइप स्केल्स.* मिडवेस्ट रिसर्च टू प्रैक्टिस कॉन्फ्रेंस इन एडल्ट, कंटीन्यूइंग एंड कम्युनिटी एजुकेशन — द ऑहियो स्टेट यूनिवर्सिटी, कोलंबस. अक्तूबर, 8–10.

टेवाचनिक, बी. जी. और एल. एस. फिडेल. 2001. *यूज़िंग मल्टीवैरिएट स्टैटिक्स* चौथा संस्करण. नीडम हाइट्स, ए एलेन एंड बेकन.

पटेल, आर. के. और एस. पी. सिंह. 2018. संस्कृत उपलब्धि परीक्षण का निर्माण तथा मानकीकरण. *परिप्रेक्ष्य.* 24 (2). पृष्ठ संख्या 89–104.

पियाजे, जे. 1977. *द डवलपमेंट ऑफ़ थॉट — एक्युलीबिरेशन ऑफ़ कॉगनीटिव स्ट्रक्चर्स.* विकिंग प्रेस, न्यूयार्क.

नीतीमेयर, आर. जी., डबल्यू. बेयरडन और एस. शर्मा. 2003. *स्केलिंग प्रोसिज़र — इशूज़ एंड एप्लीकेशन.* सेज पब्लिकेशन, लंदन.

ब्रूनर, जे. 1986. *एक्चुअल माइंड्स, पॉसिबल वर्ड्स.* हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज.

यागर, आर. ई. 1991. द *कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग मॉडल — द साइंस टीचर.* 58 (61). पृष्ठ संख्या 52–57.

वायगोत्सकी, एल. एस. 1978. *माइंड इन सोसाइटी.* हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज.

सिंह, ए. के. 2014. *मनोविज्ञान— समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ.* मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली.

स्कॉट, पी. 1987. ए कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ़ टीचिंग एंड लर्निंग इन साईंस. चिल्ड्रेन्स लर्निंग इन साइंस प्रोजेक्ट. द यूनिवर्सिटी ऑफ़ लीड्स, लीड्स, इंग्लैंड

हेयर, जे. एफ., और अन्य. 2014. *मल्टीवैरिएट डेटा एनालिसिस* (सातवाँ संस्करण). पीयर्सन एजुकेशन लिमिटेड, हार्लो.

पॉक्सो अधिनियम 2012 के आधार पर विकसित विद्यालयी दिशा-निर्देशों के प्रति अध्यापकों की जागरूकता का अध्ययन

चेतना जठोल*
रंजीत कौर**

भारत सरकार द्वारा बाल यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम वर्ष 2012 में लागू किया गया। इसी अधिनियम को आधार बनाते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा वर्ष 2015 में विद्यालयों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए। इन्हीं दिशा-निर्देशों के बाद ज़मीनी स्तर पर जो परिवर्तन आए हैं, उन्हें जानना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि समाज में आज भी बाल यौन शोषण विषय पर चर्चा करना जन सामान्य के लिए सहज नहीं है। इस वर्ष अर्थात 2022 में इस अधिनियम को लागू हुए एक दशक पूरा हो जाएगा। पूर्व दशक में सरकारों के तमाम प्रयासों के बावजूद बच्चे से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण हितधारक, अध्यापक इस अधिनियम के बारे में कितने जागरूक हैं, यह जानना और भी आवश्यक है। यह जानना आवश्यक है क्योंकि घर के बाद बच्चे अपना सबसे अधिक समय विद्यालय में ही व्यतीत करते हैं। साथ ही यह भी पता लगाना आवश्यक है कि विद्यालय इस अधिनियम संबंधी दिशा-निर्देशों का कितना पालन कर रहे हैं। यह शोध-पत्र, हरियाणा के झज्जर तथा फ़रीदाबाद ज़िलों के 200 अध्यापकों पर किए गए शोध अध्ययन पर आधारित है। इस शोध अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग करते हुए शोधार्थी द्वारा स्व-निर्मित प्रश्नावली के माध्यम से आँकड़ों का संकलन किया गया तथा प्रतिशत विश्लेषण विधि से आँकड़ों का विश्लेषण किया गया। इस शोध अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि अध्यापकों में अब भी इस अधिनियम के विभिन्न आयामों के प्रति पर्याप्त जागरूकता नहीं है। साथ ही विद्यालय भी इससे संबंधित दिशा-निर्देशों का गंभीरता से पालन नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा, अध्यापकों को इस अधिनियम के बारे में प्रशिक्षण देने संबंधी प्रयास भी संतोषजनक रहे।

विश्व का हर दूसरा बच्चा यौन हिंसा एवं शोषण का शिकार हो रहा है। मानव समाज के लिए यह एक गंभीर समस्या है जो दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अमेरिका जैसा विकसित देश भी इससे अछूता नहीं है। अमेरिका में बाल यौन शोषण की दर एक सेकंड में 35 है (यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ़ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसिज, 2007)। इन बाल यौन अपराध को बढ़ाने में ऑनलाइन अपलोड की जाने वाली यौन उत्पीड़न सामग्री एक प्रमुख कारण है। इस प्रकार की सामग्री को ऑनलाइन अपलोड करने वाले देशों में

**शोधार्थी*, शिक्षा विभाग, चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा, हरियाणा 125055
***प्रोफ़ेसर*, शिक्षा विभाग, चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा, हरियाणा 125055

भारत 11.7 प्रतिशत रिपोर्ट के साथ प्रथम स्थान पर है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में प्रत्येक दिन 109 बच्चे, बाल यौन उत्पीड़न के शिकार होते हैं और इस उत्पीड़न दर में प्रतिवर्ष बढ़ोतरी होती जा रही है। यह बढ़ोतरी पिछले साल की तुलना में 22 प्रतिशत दर्ज की गई है। यह गंभीर विषय है कि भारत में 18 वर्ष की आयु तक पहुँचते-पहुँचते हर दूसरा बच्चा यौन अपराध को किसी न किसी रूप में झेल चुका होता है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि 90 प्रतिशत यौन शोषण करने वाले अपराधी कोई और नहीं बल्कि खुद बच्चे के परिवार के सदस्य अथवा निकट संबंधी होते हैं। देश में लगे पहले लॉकडाउन ने इस तथ्य की पुष्टि की है कि लॉकडाउन की शुरुआत के 11 दिनों में ही 3,00,000 फोन कॉल, जो महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर 1098 पर आए, उनमें से 92,105 फोन कॉल केवल बच्चों पर हुए यौन अपराधों से संबंधित थे। कोविड की दूसरी लहर के दौरान हरियाणा राज्य में अप्रैल तथा मई माह में प्रतिदिन औसतन चार लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम (पॉस्को) संबंधी केस दर्ज हुए।

बच्चे की वृद्धि एवं विकास में सबसे अहम भूमिका परिवार की और उसके बाद विद्यालय की होती है, इसलिए इन्हें समाजीकरण के प्राथमिक अभिकरण भी कहा जाता है। बच्चों की वृद्धि एवं विकास में इसके अतिरिक्त कुपोषण, बालश्रम, गरीबी, घरेलू कलह आदि अनेक कारकों का भी योगदान है, लेकिन बाल यौन उत्पीड़न को जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि बच्चे के मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, वैयक्तिक एवं संवेगात्मक विकास पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ता है। बच्चे प्रत्येक देश की पूँजी होते हैं, इसलिए देश के विकास पर परोक्ष रूप से इस उत्पीड़न का प्रभाव वर्तमान और भविष्य में नज़र आता है।

इस समस्या से उभरने के लिए समय-समय पर विधि के अनुसार अनेक प्रावधान किए गए हैं, लेकिन बढ़ रहे यौन उत्पीड़न को रोकने एवं बालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) 2012 लाया गया। इस अधिनियम में बच्चों के हितों और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बच्चों को यौन अपराध, यौन उत्पीड़न तथा पोर्नोग्राफी से संरक्षण प्रदान करने के लिए लागू किया गया। यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चों के लिए है और यह बच्चे के कल्याण, हित और सुरक्षा का सम्मान करते हुए उसके बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक विकास को सुनिश्चित करता है।

प्राय: यह देखा गया है कि बच्चे अपने घर के किसी सदस्य अथवा नज़दीकी रिश्तेदार द्वारा किए गए यौन शोषण की घटनाएँ अपने घर के सदस्यों से नहीं कह पाते वह कई बार अपने अध्यापकों से बेझिझक साझा कर देते हैं। ऐसी स्थिति में अध्यापकों में बच्चों के यौन उत्पीड़न के प्रति संवेदनशीलता पैदा करना बहुत आवश्यक हो जाता है ताकि वह बच्चे को उचित मार्गदर्शन देकर एक सहायक एवं मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकें। वर्ष 2015 में इसी बात को ध्यान में रखते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने विद्यालयों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। इन दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि विद्यालय प्रबंधन अपने सभी हितधारकों को यौन शोषण तथा इससे संबंधित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम

(पॉक्सो) की जागरूकता को सबसे अहम मानते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाएगा। यह कार्यक्रम विद्यालयों में केवल अध्यापकों को ही जागरूक नहीं करेगा बल्कि परिजनों को भी यौन अपराध रोकने से संबंधित प्रावधानों से लाभान्वित करेगा।

भारत में वर्ष 2018 में यौन उत्पीड़न के 39,827 केस दर्ज किए गए, जिनकी संख्या 2017 में 32,608 थी, यह संख्या बढ़ोतरी की तरफ संकेत करती है। 2008–2018 के वर्ष अंतराल में बच्चों के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न में छह गुना वृद्धि हुई है (राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, 2020)। भारत में यौन शिक्षा पर अधिकतर लोग खुलकर बात नहीं करते हैं। यौन संबंधी विषयों पर प्राय: सामाजिक रूप से बात करना निषेध माना जाता है। इसलिए बच्चों के परिजन एवं अभिभावक जानकारी के अभाव के कारण अपने बच्चों को यौन उत्पीड़न से जुड़ी घटनाओं से निपटने के लिए जागरूक नहीं कर पाते। इस प्रकार उचित मार्गदर्शन एवं आवश्यक ज्ञान के अभाव के कारण हमारे देश के अनेक बच्चे यौन उत्पीड़न का शिकार हो जाते हैं (एन.आई.पी.सी.डी., 2015)।

शोध का औचित्य

देश के 13 राज्यों के 12,447 न्यादर्श पर किए गए एक सर्वे द्वारा ज्ञात हुआ है कि 53.22 प्रतिशत बच्चे एक या एक से अधिक प्रकार के यौन शोषण का शिकार हो चुके हैं और आंध्र प्रदेश, बिहार, असम तथा दिल्ली में इन घटनाओं की संख्या सबसे अधिक पाई गई (महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय, 2007)। वहीं दिल्ली तथा मुंबई की विशेष अदालतों में 2012 से 2015 के बीच दर्ज हुए केसों का अध्ययन करने पर पाया गया कि 82.5 प्रतिशत बाल यौन शोषण से संबंधित केस थे, जिनमें अपराधी बच्चे का कोई अपना ही जानकार या रिश्तेदार था और इनमें सबसे ज़्यादा 28 प्रतिशत अपराधी बच्चे के पड़ोसी थे (एच.एक्यू. सेंटर फ़ॉर चाइल्ड राइट्स, 2017)। यौन शोषण के मामलों में हर साल वृद्धि हो रही है और पॉक्सो से संबंधित 51 प्रतिशत केस केवल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा दिल्ली में दर्ज हुए हैं (कैलाश सत्यार्थी बाल संस्थान, 2021)। शोधार्थी द्वारा बाल यौन अपराध पर आधारित शोध कार्यों का अवलोकन करने पर पाया गया कि इस विषय के कानूनी अथवा विधि पक्ष को लेकर ही अधिकतर शोध अध्ययन किए गए हैं। लेकिन यौन उत्पीड़न की घटना घटित होने से पूर्व अनेक आवश्यक बातें हैं, जैसे— बच्चे के परिजनों की जागरूकता का स्तर एवं विद्यालयी परिवेश में पॉक्सो अधिनियम के प्रति संवेदनशीलता एवं जागरूकता का अध्ययन से संबंधित बहुत कम शोध अध्ययन हुए हैं, इसलिए शोधार्थी ने इस समस्या का शोध अध्ययन हेतु चयन किया।

यह विषय कानूनी प्रावधानों के साथ-साथ शिक्षा में एक अहम विषय है। इसे 2015 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा विद्यालयों हेतु जारी विस्तृत दिशा-निर्देश समझ सकते हैं। इस शोध अध्ययन में हरियाणा राज्य के अध्यापकों की लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के प्रति जागरूकता एवं उन्हें प्रशिक्षित करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों की स्थिति को केंद्र में रखा गया। यहाँ पर अध्यापकों के जागरूकता से अभिप्राय पॉक्सो के अंतर्गत विद्यालयों को जारी

किए गए दिशा-निर्देशों के बारे में जानकारी से है। यह शोध अध्ययन पॉक्सो की कानूनी प्रक्रिया से पहले की स्थिति को समझने में सहायक होगा।

शोध उद्देश्य

1. पॉक्सो के अंतर्गत विद्यालयी दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन की स्थिति का अध्ययन करना।
2. पॉक्सो के प्रति अध्यापकों में जागरूकता का अध्ययन करना।
3. विद्यालयों में पॉक्सो पर अध्यापकों को दिए गए प्रशिक्षण का अध्ययन करना।

शोध विधि तथा न्यादर्श

इस शोध अध्ययन हेतु शोधार्थी ने वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया था। यह शोध अध्ययन वर्ष 2021–22 में किया गया था। इस शोध अध्ययन में न्यादर्श के रूप में हरियाणा के दो जिलों—झज्जर तथा फ़रीदाबाद के विद्यालयों का उद्देश्यपरक विधि द्वारा चयन किया गया था। इन चयनित विद्यालयों में से सरकारी विद्यालयों के 100 अध्यापकों तथा निजी विद्यालयों के 100 अध्यापकों का चयन किया गया था।

शोध उपकरण

इस शोध अध्ययन में शोधार्थी द्वारा आँकड़ों के एकत्रीकरण हेतु स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया था।

आँकड़ों का विश्लेषण

इस शोध अध्ययन में प्रश्नावली से प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण व्याख्यात्मक विश्लेषण विधि द्वारा किया गया था।

आरेख 1— क्या आपके विद्यालय में सीसीटीवी लगे हुए हैं?

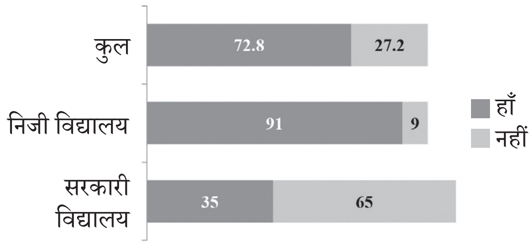

उद्देश्य 1— पॉक्सो के अंतर्गत विद्यालयी दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन की स्थिति का अध्ययन

आरेख 1

आरेख 1 के आँकड़ों से ज्ञात होता है कि शोधार्थी के द्वारा अध्यापकों से पूछे गए प्रश्न 'क्या आपके विद्यालय में सीसीटीवी लगे हुए हैं?' के उत्तर में कुल 72.8 प्रतिशत अध्यापकों ने कहा कि उनके विद्यालय में सीसीटीवी लगे हुए हैं। इसमें निजी विद्यालयों के 91 प्रतिशत तथा सरकारी विद्यालयों के केवल 45 प्रतिशत अध्यापकों ने अपने विद्यालय में सीसीटीवी लगे होने की पुष्टि की। हरियाणा के विद्यालय शिक्षा निदेशालय द्वारा 2017 में निजी विद्यालयों को तुरंत सीसीटीवी लगाने के निर्देश जारी किए गए थे। सरकारी विद्यालयों को इसके लिए आवश्यक बजट की माँग बताने के लिए कहा गया था परंतु सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों को सीसीटीवी के लिए अभी तक किसी भी प्रकार का फंड नहीं दिया गया। इसी कारणवश बहुत कम सरकारी विद्यालयों में सीसीटीवी लगाए गए हैं। जिन विद्यालयों में सीसीटीवी लगे हुए हैं वह अधिकतर ग्राम पंचायत या गैर-सरकारी संस्थानों द्वारा लगवाए गए हैं।

आरेख 2

आरेख 2 में शोधार्थी के द्वारा अध्यापकों से पूछे गए प्रश्न 'क्या आपके विद्यालय में शिकायत पेटी लगी हुई है?' की प्रतिक्रिया दर्शाई गई है। कुल 70.2 प्रतिशत अध्यापकों ने माना कि उनके विद्यालय में यौन शोषण रोकने हेतु शिकायत पेटी का प्रावधान है। यह प्रतिक्रिया दोनों प्रकार के विद्यालयों के अध्यापकों की लगभग एकसमान (70 प्रतिशत) थी।

आरेख 2— क्या आपके विद्यालय में शिकायत पेटी लगी हुई हैं?

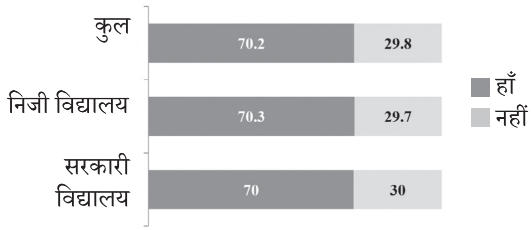

आरेख 3

पॉक्सो के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में एक परामर्शदाता होना अनिवार्य है। शोधार्थी ने जब यह प्रश्न अध्यापकों से पूछा कि 'क्या आपके विद्यालय में पार्ट टाइम या नियमित काउंसलर (परामर्शदाता) हैं?', इसकी प्रतिक्रिया में केवल 42.4 प्रतिशत अध्यापकों ने अपने विद्यालय में परामर्शदाता होने की बात की पुष्टि की। निजी विद्यालयों के 53.8 प्रतिशत अध्यापकों ने अपने विद्यालय में परामर्शदाता होने की पुष्टि की, जबकि सरकारी विद्यालय के केवल 25 प्रतिशत अध्यापकों ने अपने विद्यालय में परामर्शदाता की नियुक्ति होना स्वीकार किया। इसका कारण यह है कि हरियाणा के प्रत्येक सरकारी विद्यालय में काउंसलर की नियुक्ति का प्रावधान नहीं है, यह नियुक्ति केवल खंड स्तर पर तथा जिला स्तर पर की जाती है। यही काउंसलर प्रत्येक सरकारी विद्यालय में समय-समय पर जाकर विद्यार्थियों को मार्गदर्शन तथा परामर्श प्रदान करते हैं।

आरेख 3— क्या आपके विद्यालय में पार्ट टाइम या नियमित काउंसलर (परामर्शदाता) है?

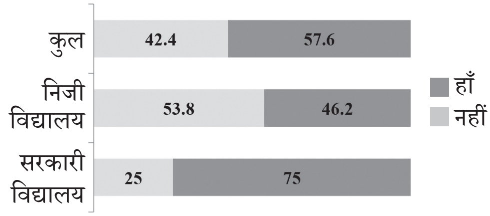

आरेख 4

पॉक्सो के अंतर्गत बाल यौन अपराध रोकने हेतु प्रत्येक विद्यालय में एक बाल सुरक्षा समिति गठन करने का प्रावधान है। शोधार्थी द्वारा अध्यापकों से विद्यालय में बाल सुरक्षा समिति के गठन के बारे में पूछने पर 61.6 प्रतिशत अध्यापकों ने माना कि उनके विद्यालय में इस समिति का गठन किया गया है। 78.34 प्रतिशत सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों ने अपने विद्यालय में बाल सुरक्षा समिति के गठन की बात की, वहीं 50.55 प्रतिशत निजी विद्यालयों के अध्यापकों ने कहा कि उनके विद्यालय में बाल सुरक्षा समिति है। इसका कारण यह हो सकता है कि निजी विद्यालयों में बाल सुरक्षा कमेटी की जानकारी अध्यापकों तक नहीं पहुँचाई गई होगी या फिर विद्यालयों के द्वारा ऐसी कमेटियाँ तो बना ली जाती हैं, परंतु सक्रिय न होने के कारण अध्यापकों को इसकी जानकारी नहीं होती होगी।

आरेख 4— क्या आपके विद्यालय में बाल सुरक्षा कमेटी है?

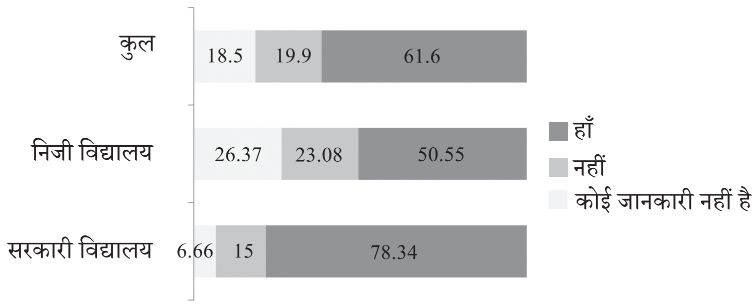

तालिका 1— अध्यापकों की पॉक्सो के प्रति जागरूकता

प्रश्न	उत्तर	कुल	सरकारी विद्यालय के अध्यापक	निजी विद्यालय के अध्यापक
क्या आपने पॉक्सो के बारे में पहले कभी सुना है?	हाँ	88.7	100	81.3
	नहीं	11.3	0	19.7
क्या आप पॉक्सो के तहत अपने दायित्वों के बारे में परिचित हैं?	हाँ	53.6	80	36.26
	नहीं	8.6	1.6	13.18
	कुछ सीमा तक	37.7	18.4	50.56

उद्देश्य 2— पॉक्सो के प्रति अध्यापकों की जागरूकता का अध्ययन

तालिका 1 से स्पष्ट है कि शोधार्थी द्वारा अध्यापकों से पूछा गया प्रश्न कि 'क्या आपने पॉक्सो के बारे में पहले कभी सुना है?' इसकी प्रतिक्रिया में कुल 88.7 प्रतिशत अध्यापकों ने पॉक्सो के बारे में पहले से जानकारी के बारे में अपनी सहमति व्यक्त की। इसमें सरकारी विद्यालयों के शत-प्रतिशत अध्यापकों ने इस अधिनियम की पहले से जानकारी होने की बात की, वहीं निजी विद्यालयों के 81.3 प्रतिशत अध्यापकों ने इसकी जानकारी होने और जागरूकता का कारण देश में अध्यापकों के लिए चलाए जा रहे अध्यापक क्षमता विकास कार्यक्रम 'निष्ठा' है। जिसमें प्रतिभागिता कर सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों को पॉक्सो के बारे में जानकारी थी।

पॉक्सो में अध्यापकों के दायित्वों का भी विस्तारपूर्वक विवरण दिया गया है। शोधार्थी ने जब अध्यापकों से उनके पॉक्सो के प्रति दायित्वों की जागरूकता के बारे में पूछा तो 53.6 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमति प्रकट की। 37.7 प्रतिशत अध्यापकों ने कहा कि उन्हें कुछ सीमा तक अपने दायित्वों की जानकारी है जबकि 8.6 प्रतिशत अध्यापकों को कोई जानकारी नहीं थी। सरकारी विद्यालयों के 80 प्रतिशत और निजी विद्यालयों में 36.26 प्रतिशत अध्यापकों ने कहा कि उन्हें पॉक्सो

आरेख 5— पॉक्सो के अतंर्गत किस आयु वर्ग के बच्चे आते हैं?

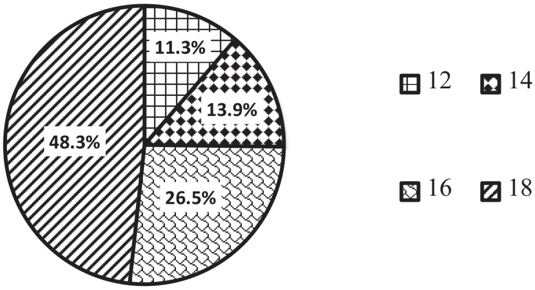

के प्रति अपने दायित्व की पूर्ण रूप से जानकारी है। इसका कारण यह हो सकता है कि सरकारी अध्यापकों के लिए पॉक्सो संबंधी जागरूकता के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिसके कारण अधिकतर अध्यापकों को अपने दायित्वों की जानकारी है परंतु निजी विद्यालयों में इस दिशा में अभी अधिक ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

आरेख 5 से स्पष्ट होता है कि पॉक्सो संबंधी जागरूकता हेतु शोधार्थी द्वारा प्रश्न पूछा गया कि, 'पॉक्सो के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चे आते हैं? के प्रश्न के बारे में 48.3 प्रतिशत अध्यापकों ने सही जानकारी देते हुए बताया कि यह अधिनियम 18 वर्ष तक के बच्चों पर लागू होता है। जबकि 26.5 प्रतिशत अध्यापकों ने 16 वर्ष, 13.9 प्रतिशत अध्यापकों ने 14 वर्ष और 11.3 प्रतिशत अध्यापकों ने 12 वर्ष तक के बच्चों को अधिनियम के अंतर्गत आने की बात कही जो कि गलत है। इस परिणाम के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पॉक्सो संबंधी निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना आवश्यक है ताकि अध्यापकों को इसके सभी बिंदुओं की पूर्ण जानकारी हो सके।

उद्देश्य 3— पॉक्सो पर विद्यालयों में अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु प्रयासों का अध्ययन

आरेख 6

आरेख 6 के आँकड़ों से ज्ञात होता है कि 38.4 प्रतिशत अध्यापकों ने कहा कि उनके विद्यालय

आरेख 6— विद्यालय में पॉक्सो अधिनियम संबंधी प्रशिक्षण का आयोजन

	कुल	निजी विद्यालय	सरकारी विद्यालय
हाँ	61.6	68.2	51.7
नहीं	38.4	31.8	48.3

में पॉक्सो अधिनियम संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसमें निजी विद्यालयों के 31.8 प्रतिशत अध्यापकों और सरकारी विद्यालयों के 48.33 प्रतिशत अध्यापकों ने माना कि उनके विद्यालयों में पॉक्सो संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वहीं औसत से अधिक अर्थात 61.6 प्रतिशत अध्यापकों ने बताया कि उनके विद्यालय में पॉक्सो पर कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाते हैं।

निष्कर्ष

प्रत्येक राष्ट्र की प्रगति एवं खुशहाली का एक महत्वपूर्ण पैमाना यह है कि उस राष्ट्र के बच्चे अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? एक अच्छी शासन प्रणाली में यह सुनिश्चित किया जाना अत्यंत आवश्यक है कि हर बच्चा बिना किसी डर के खुशी-खुशी अपने बचपन का आनंद उठा सके। परंतु हमारे देश में यह बहुत ही चिंताजनक स्थिति है, जिसमें बच्चे न तो घर के बाहर और न ही घर में सुरक्षित हैं। यौन शोषण के निरंतर बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा 2012 में बाल सुरक्षा हेतु कठोर कानून पॉक्सो को लागू किया गया था। परंतु लगभग 10 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी बच्चों से जुड़े हितधारकों में इससे जुड़ी जानकारी तथा जागरूकता का अभाव है। इसमें बच्चों से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण हितधारक अध्यापक भी हैं, परंतु इस शोध अध्ययन में किए गए विश्लेषण से ज्ञात होता है कि अब भी 11.3 प्रतिशत अध्यापक ऐसे हैं, जिन्होंने पॉक्सो का नाम भी नहीं सुना, जबकि केवल 53.6 प्रतिशत अध्यापक ही पॉक्सो के तहत अपने दायित्वों के प्रति जागरूक हैं। इसका प्रमुख कारण यह हो सकता है कि विद्यालयों द्वारा अध्यापकों को इस अधिनियम के बारे में पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। अधिकतर अध्यापकों को सरकारी अथवा गैर-सरकारी संगठनों के द्वारा पॉक्सो के अंतर्गत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजा नहीं जाता है या अध्यापक स्वयं भी पहल नहीं करते हैं। इस अधिनियम के आधार पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा विकसित एवं जारी किए गए दिशा-निर्देशों को भी अभी तक सभी विद्यालयों द्वारा लागू नहीं किया गया है। वहीं 50 प्रतिशत से भी अधिक विद्यालयों में अब तक स्थायी या अस्थायी काउंसलर की नियुक्ति नहीं की गई है। जबकि अधिकतर विद्यालयों ने अब तक बच्चों के लिए शिकायत पेटी तथा सीसीटीवी जैसी बुनियादी सुविधा भी उपलब्ध नहीं करवाई है जो कि एक चिंता का विषय है। बच्चों के सुरक्षित एवं सुनहरे भविष्य के लिए आवश्यक है कि इन कमियों को शीघ्र दूर करके विद्यालय का वातावरण सुरक्षित बनाया जाए ताकि बच्चे बिना किसी झिझक के अपनी बात अध्यापक के सामने रख सके। साथ ही अध्यापकों को भी निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा इतना जागरूक और संवेदनशील बनाया जाए कि वे प्रत्येक बच्चे की बात को समझ सकें तथा अपना दायित्व निभा सकें। यह भी सुनिश्चित किया जाना अत्यंत आवश्यक है कि सभी विद्यालय पॉक्सो संबंधी दिशा-निर्देशों के पालन कड़ाई से करें, क्योंकि बाल यौन अपराध की रोकथाम ही हमें एक स्वस्थ एवं सशक्त समाज प्रदान करेगी।

शैक्षिक निहितार्थ

इस शोध अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ इस प्रकार हैं—

- बच्चा अपने जीवन का एक लंबा समय विद्यालय में व्यतीत करता है इसलिए बच्चे को सुरक्षित परिवेश प्रदान करने में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस संदर्भ में विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा हेतु दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन होना अत्यंत आवश्यक है। सभी विद्यालयों में बच्चों के लिए शिकायत पेटी, बाल सुरक्षा कमेटी तथा सीसीटीवी की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए।
- बच्चे से जुड़े महत्वपूर्ण हितधारकों में उसके माता-पिता के साथ-साथ अध्यापक भी हैं। अतः इस शोध अध्ययन के परिणामों के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाए कि अध्यापकों को न केवल पॉक्सो संबंधी विभिन्न आयामों की जागरूकता हो बल्कि उन्हें अपने दायित्वों से भी परिचित करवाया जाए ताकि वे बाल यौन शोषण संबंधी शिकायतों का ज़िम्मेदारीपूर्वक समाधान कर सकें।
- इस शोध के परिणामों के दृष्टिगत आवश्यक है कि विद्यालयों में पॉक्सो संबंधी जागरूकता लाने के लिए समय-समय पर हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम जागरूकता रैली, पोस्टर, नारे, विभिन्न साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताएँ, घर-घर संपर्क कार्यक्रम एवं संवाद आदि आयोजित किए जाएँ तथा अध्यापकों को पर्याप्त प्रशिक्षण के अवसर प्रदान किए जाए। इसमें बच्चों के माता-पिता और बच्चे, दोनों यौन शोषण के प्रति और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे।

संदर्भ

एच.एक्यू. सेंटर फ़ॉर चाइल्ड राइट्स. 2017. *लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) एक्ट. गोल्स. गैप्स एंड चेलेंजेस,* एचएक्यू सेंटर फ़ॉर चाइल्ड राइट्स. नई दिल्ली.

एन.आई.पी.सी.सी.डी. 2015. *हैंडबुक ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ़ पास्को एक्ट 2012 फ़ॉर स्कूल मैनेजमेंट एंड स्टॉफ़.* नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेव्लपमेंट, हौज खास, नई दिल्ली.

कैलाश सत्यार्थी बाल संस्थान. 2021. *पुलिस केस डिस्पोसल पैटर्न— एन एंक्वाइरी इंटू द केसेस फाईल्ड अंडर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) एक्ट,* नई दिल्ली.

चिल्ड्रेन डिफेंस फंड. 2020. द *स्टेट ऑफ़ अमेरिका चिल्ड्रेनस* 2010. वाशिंगटन डीसी. 12 मार्च 2022 को http://ww38.childrendefense.org/child-research-data-publications/data/state-of-americas-children-2010-report.html से प्राप्त किया गया.

डब्ल्यूएचओ. 2020. *ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन प्रिवेंटिंग वायलेंस अगेन्स्ट चिल्ड्रेन.* वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन, जेनेवा.

भारती., एस. 2020. 90 *परसेंट ऑफ़ अब्यूज़र्स आर नॉन टू विक्टिम— हाऊ दिस एनजीओ इज़ प्रेपरियंग फ़ैमिलीज टू फ़ाइट चाइल्ड सेक्सुयल अब्यूज.* 10 मार्च 2022 को https://thelogicalindian.com/exclusive/lockdown-child-sexual-abuse-cases-20852 से प्राप्त किया गया.

महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय. 2007. *स्टडी ऑन चाइल्ड अब्यूस़ज़— इंडिया* 2007. महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली.

यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ़ हेल्थ एंड ह्युमन सर्विसेज़. 2007. *ट्वेंटी सेवंथ एनुअल रिपोर्ट टू कांग्रेस ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ़ द इंडिविजुअलस विद डिसएबिलिटीज एक्ट 2005.* वाशिंगटन डीसी, ऑफ़िस ऑफ़ स्पेशल एजुकेशन एंड रिहबिलिटेटिव सर्विसेज.

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो. 2020. *क्राइम इन इंडिया 2020*. गृह मंत्रालय, नई दिल्ली.

चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के प्रति अध्यापक-प्रशिक्षकों के अभिमत का अध्ययन

शालिनी वर्मा*
नरेन्द्र कुमार**
एन.पी.एस. चन्देल***
सौरभ कुमार****
राजेन्द्र प्रसाद*****

भारत में वर्तमान में अध्यापक शिक्षा के कई कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। जिनमें एक वर्षीय, द्वि वर्षीय, चार वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम आदि शामिल हैं। प्रारंभ से ही इन विभिन्न कार्यक्रमों की गुणवत्ता, उपयोगिता, महत्ता आदि को लेकर शिक्षाशास्त्रियों के मध्य मतभेद रहे हैं। इस शोध-पत्र के माध्यम से शोधार्थियों ने चार वर्षीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के बारे में अध्यापक-प्रशिक्षकों का अभिमत जानने व उनके अभिमतों के आधार पर चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (आई.टी.ई.पी.) को एक वर्षीय व द्वि वर्षीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों से तुलना कर प्रस्तुत किया गया है। इस शोध अध्ययन में 14 प्रश्नों की एक प्रश्नावली का प्रयोग कर 101 अध्यापक-प्रशिक्षकों से अभिमत लिए गए तथा प्राप्त अभिमतों की काई-वर्ग परीक्षण (x^2) द्वारा गणना की गई। इस शोध अध्ययन में पाया गया कि अध्यापक-प्रशिक्षक यह मानते हैं कि आई.टी.ई.पी. के संचालित होने से विद्यार्थी-शिक्षक अधिक पेशेवर व शिक्षण पेशे के प्रति अधिक समर्पित होंगे। साथ ही इस कार्यक्रम से शिक्षकों का गुणात्मक विकास भी संभव हो सकेगा व संपूर्ण अध्यापक शिक्षा का उन्नयन होगा। परंतु वर्तमान में इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने पर अध्यापक-प्रशिक्षकों के मतों में भिन्नता पाई गई।

आज़ादी के बाद से वर्तमान तक भारत में शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में अनेक सुधार व बदलाव हुए हैं जिसका तात्कालिक उदाहरण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। अध्यापक शिक्षा भी इन बदलावों व सुधारों से अछूता नहीं रहा है व इसे भी समय-समय पर अनेक बदलावों एवं चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अध्यापक शिक्षा के संबंध में कई समितियों ने अपने मतानुसार विभिन्न सुझाव दिए जिसमें मुख्यतः

* *शोधार्थी (एस.आर.एफ.)*, शिक्षा-संकाय, दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा, उत्तर प्रदेश 282005
** *शोधार्थी, शिक्षा संकाय,* दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा, उत्तर प्रदेश 282005
*** *विभागाध्यक्ष*, एम.एड./पीएच.डी., शिक्षा संकाय, दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा, उत्तर प्रदेश 282005
**** *असिस्टेंट प्रोफ़ेसर*, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, एनसीईआरटी, भोपाल, मध्य प्रदेश 462013
***** *असिस्टेंट प्रोफ़ेसर*, शिक्षा संकाय, केंद्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 110007

अध्यापक शिक्षा की अवधि से संबंधित सुझाव थे। भारत में पूर्व में अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की अवधि एक वर्ष थी, जिसे वर्ष 2014 से दो वर्ष कर दिया गया (एन.सी.टी.ई. रेग्यूलेशन, 2014)। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में कहा गया है कि वर्ष 2030 से चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. कार्यक्रम की उपाधि अध्यापक बनने की न्यूनतम योग्यता होगी (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*, 15.5)।

यह चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. कार्यक्रम का सुझाव नवीन नहीं है। एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961–66) में किया गया था। इस कार्यक्रम के लिए चार क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव भी दिया गया था। इसी सुझाव के आधार पर चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को सर्वप्रथम 1960 में कुरूक्षेत्र के कॉलेज ऑफ़ एजुकेशन में एक प्रयोग के रूप में शुरू किया गया था (पाटीदार, 2021)। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा सन् 1963 में चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (बी.एस.सी.-बी.एड., बी.ए.-बी.एड., बी.कॉम-बी.एड.) अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूरु में स्थापित क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में प्रारंभ किया गया था।

इसके बाद शिक्षा आयोग (1964–66) ने चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के विषय में कहा कि, "यदि इन एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को आयोजित करना ही है, और हमारा विश्वास है कि हमने जिस लचीली और विविधतापूर्ण प्रणाली की सिफ़ारिश की है, उसमें इस कार्यक्रम की जगह भी होनी चाहिए, तो फिर इसका आयोजन विश्वविद्यालयों में होना चाहिए, अलग से बने क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में नहीं, जैसा इन दिनों हो रहा है। ये शिक्षा महाविद्यालय कर्मचारी एवं साजो-सामान के मामले में काफी खर्चीले होते हैं। उच्च स्तरीय इन संस्थानों में विद्यार्थी पूरे मन से नहीं आते हैं। जब पूर्व में स्थापित महाविद्यालय हैं ही, तो फिर ऐसी संस्थाओं को और बढ़ाया जाना ठीक नहीं है। जैसा कि हमने सिफ़ारिश की है कि इस तरह के महाविद्यालय बहुविषयी विश्वविद्यालयों में या फिर शिक्षा महाविद्यालयों में होने चाहिए जहाँ वे दूसरे विभागों के साथ अन्य विषयों में सहयोग कर सकें" (कोठारी, 1964)। शिक्षा आयोग की सिफ़ारिश पर सरदार पटेल विश्वविद्यालय, गुजरात के रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ़ एजुकेशन में चार वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम का प्रयोग बंद कर दिया गया। पंजाब सरकार ने भी हरियाणा के अलग राज्य बन जाने के कारण सन् 1969 में चार वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम को बंद कर दिया।

इससे विपरीत कुछ अन्य समितियों, जैसे— ए.सी. देवगौड़ा समिति (1964), के.सी. सईद्दीन समिति (1968), कपूर समिति (1974), कुलकर्णी बोस समिति (1980) ने यह सिफ़ारिश की कि चार वर्षीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को आगे भी संचालित करते रहना चाहिए। यही कारण है कि इस कार्यक्रम का उन्नयन शिथिल गति से ज़रूर हुआ है, लेकिन ये कार्यक्रम अनवरत अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है (एन.सी.टी.ई. 2001 से उद्धरित)। विभिन्न विकसित देश भी एकीकृत कार्यक्रम के माध्यम से अध्यापकों को प्रशिक्षित कर रहे हैं (कोर. 2019)।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाया गया चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. कार्यक्रम भी शिक्षा

आयोग (1964–66) के सुझाव के समान ही है कि अध्यापक शिक्षा के लिए अलग से संस्था बनाने की जगह पहले से ही स्थापित बहुविषयक संस्थानों में ही इन कार्यक्रमों को प्रारंभ करना चाहिए। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के अनुसार चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. के साथ-साथ उन मेधावी विद्यार्थियों के लिए जो स्नातक के उपरांत शिक्षण पेशे में जाना चाहते हैं उनके लिए द्वि वर्षीय एवं परास्नातक के उपरांत एक वर्षीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम भी उपलब्ध कराए जाएँगे (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,* 5.23)।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नई शैक्षिक संरचना 5+3+3+4 की सिफ़ारिश की गई है। इसे सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। वर्तमान का द्वि वर्षीय बी.एड. अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम मूल रूप से कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम योग्यता है तथा डी.एल.एड. कार्यक्रम कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के अध्यापकों को तैयार करने हेतु है। वर्तमान अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में 5+3+3+4 शैक्षिक संरचना के फाउंडेशनल स्टेज में प्रथम तीन वर्षों एवं सेकेंडरी स्टेज में अंतिम 2 वर्षों के लिए अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों का अभाव है। अतः चार वर्षीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के द्वारा इस अंतराल को भरा जा सकता है। साथ ही चार वर्ष अवधि होने के कारण विद्यार्थी-शिक्षक अपने चयनित स्तर के अनुसार शिक्षणशास्त्र व विषयवस्तु के ज्ञान को एकीकृत रूप में भी प्राप्त कर सकेंगे।

किसी भी कार्यक्रम को लागू करने से पहले उसके बारे में उस कार्यक्रम से संबंधित हितधारकों से उनके विचार लेना भी आवश्यक होता है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. को एक अनिवार्य योग्यता के रूप में घोषित किया गया है। अत: ऐसे समय में जब शिक्षा मंत्रालय (भारत सरकार) चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. के प्रति संवेदनशील है, तो यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि इस कार्यक्रम के प्रति अध्यापक-प्रशिक्षकों के अभिमत ज्ञात किए जाएँ। कोई भी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम चाहे कितना भी रोज़गारपरक एवं रुचिकर क्यों न हो, जब तक अध्यापक-प्रशिक्षक उस कार्यक्रम के प्रति सकारात्मक सोच नहीं रखेंगे, तब तक वह कार्यक्रम उन्नयन के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकता है। अत: शोधार्थियों को चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. के प्रति अध्यापक-प्रशिक्षकों के अभिमत ज्ञात करने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई।

शोध के उद्देश्य

इस शोध अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार थे—

- चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. का विद्यार्थी-शिक्षकों की पेशेवर एवं शिक्षण पेशे के प्रति समर्पण पर प्रभाव के संबंध में अध्यापक-प्रशिक्षकों के अभिमत का अध्ययन करना।
- चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. का शिक्षण पेशे में प्रतिभाशाली, गंभीर एवं शिक्षण पेशे में रुचि रखने वाले विद्यार्थी-शिक्षकों के प्रवेश पर प्रभाव के संबंध में अध्यापक-प्रशिक्षकों के अभिमत का अध्ययन करना।
- चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. का निवेश पर प्रतिलाभ, भ्रष्ट संस्थानों पर नियंत्रण एवं अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की माँग पर प्रभाव के संबंध में अध्यापक-प्रशिक्षकों के अभिमत का अध्ययन करना।
- चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. का अध्यापकों के गुणात्मक विकास एवं अध्यापक शिक्षा की प्रक्रिया के उन्नयन पर प्रभाव के संबंध

में अध्यापक-प्रशिक्षकों के अभिमत का अध्ययन करना।

- चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. का विद्यार्थी-शिक्षकों के शिक्षण कौशलों, शिक्षण विधियों एवं सृजनात्मकता पर प्रभाव के संबंध में अध्यापक-प्रशिक्षकों के अभिमत का अध्ययन करना।
- चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. को प्रारंभ करने अथवा न करने पर अध्यापक-प्रशिक्षकों के अभिमत का अध्ययन करना।

परिकल्पनाएँ

इस शोध की शून्य परिकल्पनाएँ इस प्रकार थीं—

- चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. का विद्यार्थी-शिक्षकों की पेशेवर एवं शिक्षण व्यवसाय के प्रति समर्पण पर प्रभाव के संबंध में अध्यापक-प्रशिक्षक कोई स्पष्ट अभिमत नहीं रखते हैं।
- चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. का शिक्षण व्यवसाय में प्रतिभाशाली, गंभीर एवं रुचि रखने वाले विद्यार्थी-शिक्षकों के प्रवेश पर प्रभाव के संबंध में अध्यापक-प्रशिक्षक कोई स्पष्ट अभिमत नहीं रखते हैं।
- चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. का निवेश पर प्रतिलाभ, भ्रष्ट संस्थानों पर नियंत्रण एवं शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम की माँग पर प्रभाव के संबंध में अध्यापक-प्रशिक्षक कोई स्पष्ट अभिमत नहीं रखते हैं।
- चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. का शिक्षकों के गुणात्मक विकास एवं शिक्षक-प्रशिक्षण प्रक्रिया उन्नयन पर प्रभाव के संबंध में अध्यापक-प्रशिक्षक कोई स्पष्ट अभिमत नहीं रखते हैं।
- चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. का विद्यार्थी-शिक्षकों के शिक्षण कौशलों, शिक्षण विधियों एवं सृजनात्मकता पर प्रभाव के संबंध में अध्यापक-प्रशिक्षक कोई स्पष्ट अभिमत नहीं रखते हैं।
- चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. को प्रारंभ करने अथवा न करने के प्रति अध्यापक-प्रशिक्षक कोई स्पष्ट अभिमत नहीं रखते हैं।

शोध विधि

इस शोध अध्ययन में विवरणात्मक सर्वेक्षण शोध विधि का प्रयोग किया गया था।

न्यादर्श

इस शोध अध्ययन हेतु न्यादर्श के रूप में आकस्मिक चयन विधि द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालयों (दिल्ली विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय), राज्य विश्वविद्यालयों (मेरठ विश्वविद्यालय, रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, डॉ. बी. आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक), डीम्ड विश्वविद्यालय (दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा), क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (भोपाल एवं अजमेर) के कुल 200 अध्यापक-प्रशिक्षकों का चयन किया गया था। आँकड़े एकत्रीकरण करने हेतु 05 स्तरीय अभिमत मापनी गूगल फार्म (ऑनलाइन) के रूप में बनाई गई थी। जिस पर 101 अध्यापक-प्रशिक्षकों ने अपनी प्रतिक्रियाएँ दीं।

उपकरण

इस शोध अध्ययन में प्रदत्त संकलन हेतु शोधार्थियों द्वारा निर्मित 'अध्यापक-प्रशिक्षकों की आई.टी.ई.पी. के प्रति अभिमत मापनी' का प्रयोग किया गया था। इस मापनी की विषयवस्तु वैधता (11 विशेषज्ञों के

मतों पर आधारित) ज्ञात की गई। मापनी की वैधता गुणांक 0.74 प्राप्त हुई। मापनी की विश्वसनीयता क्रॉनबेक अल्फा विधि से ज्ञात की गई थी, जिसका मान 0.948 प्राप्त हुआ। इस मापनी के अंतिम प्रारूप में कुल 14 कथन रखे गए। जिसका मापन पाँच बिंदु मापनी (अत्यधिक असहमत, असहमत, कुछ सीमा तक सहमत, सहमत, अत्यधिक सहमत) पर निर्धारित किया गया। सकारात्मक कथनों पर मापनी का मान 5, 4, 3, 2 एवं 1 तथा नकारात्मक कथनों पर मापनी का मान 1, 2, 3, 4 एवं 5 रखा गया था।

प्रदत्त विश्लेषण

आई.टी.ई.पी. का विद्यार्थी-शिक्षकों के पेशेवर एवं शिक्षण पेशे के प्रति समर्पण पर प्रभाव के संबंध में अध्यापक-प्रशिक्षकों का अभिमत

प्रस्तावित चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का विद्यार्थी-शिक्षकों की पेशेवर एवं शिक्षण पेशे के प्रति समर्पण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? के संबंध में अध्यापक-प्रशिक्षकों का अभिमत जानने के लिए संबंधित कथनों पर अभिमत लिए गए तथा प्राप्त आवृत्तियों के प्रतिशत पर समान वितरण परिकल्पना पर काई वर्ग (x^2) परीक्षण का मान ज्ञात किया गया। इसे तालिका 1 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 1 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दोनों ही कथनों के लिए प्राप्त x^2 मान 24.1 व 16.28, x^2 तालिका के स्वतंत्र्यांश 4 व सार्थकता स्तर 0.01 के तालिका मान 13.28 से अधिक है। अत: 0.01 सार्थकता स्तर पर शून्य परिकल्पना "चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. का विद्यार्थी-शिक्षकों की पेशेवर एवं शिक्षण पेशे के प्रति समर्पण पर प्रभाव के संबंध में अध्यापक-प्रशिक्षकों के अभिमत का अध्ययन करना" को अस्वीकृत किया जाता है। तालिका 1 से यह स्पष्ट होता है कि 63.63 प्रतिशत अध्यापक-प्रशिक्षकों का अभिमत है कि चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. द्वारा भावी अध्यापकों को अधिक पेशेवर बनाया जा सकेगा। वहीं 55.44 प्रतिशत अध्यापक-प्रशिक्षकों का मानना है कि चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. द्वारा अधिक समर्पित अध्यापक तैयार किए जा सकेंगे।

तालिका 1— कथनवार अध्यापक-प्रशिक्षकों के अभिमतों के प्रतिशत, x^2 के मान एवं सार्थकता

कथन	अध्यापक-प्रशिक्षकों का प्रतिशत					x^2 मान	सार्थकता
	अत्यधिक असहमत	*असहमत*	*कुछ सीमा तक सहमत*	*सहमत*	*अत्यधिक सहमत*		
भावी अध्यापक को चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. द्वारा अधिक पेशेवर बनाया जा सकेगा	9.90	10.89	15.84	32.67	30.69	24.10	.01 स्तर पर सार्थक
चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. के द्वारा समर्पित पेशेवर शिक्षक तैयार किए जा सकेंगे	8.91	11.88	23.76	27.72	27.72	16.28	.01 स्तर पर सार्थक

अत: कहा जा सकता है कि अध्यापक-प्रशिक्षक यह स्पष्ट अभिमत रखते हैं कि चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. का विद्यार्थी-शिक्षकों की पेशेवर एवं शिक्षण पेशे के प्रति समर्पण सार्थक रूप से प्रभावित होगा। यह भी कहा जा सकता है कि चार वर्ष की अवधि का एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम विद्यार्थी-शिक्षकों को अधिक पेशेवर एवं समर्पित बनाएगा। चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. के द्वारा भावी अध्यापकों को बेहतर पेशेवर बनाया जा सकेगा व बेहतर पेशेवर अध्यापक तैयार हो सकेंगे। इस कार्यक्रम द्वारा विद्यार्थी-शिक्षकों विषयवस्तु तथा शिक्षणशास्त्र का बेहतर समन्वय करना सीख सकेंगे। साथ ही, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम दीर्घकालिक होने के कारण पेशेवर कौशलों के पर्याप्त अभ्यास एवं व्यावहारिक पस्थितितिथियों में उनके उपयोग के अधिक अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

आई.टी.ई.पी. का विद्यार्थी-शिक्षकों के शिक्षण पेशे में प्रतिभाशाली, गंभीर एवं शिक्षण पेशे में रुचि रखने वाले विद्यार्थी-शिक्षकों के आकर्षण पर प्रभाव के संबंध में अध्यापक-प्रशिक्षकों का अभिमत

प्रस्तावित चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का शिक्षण पेशे में प्रतिभाशाली, गंभीर एवं शिक्षण पेशे में रुचि रखने वाले विद्यार्थी-शिक्षकों के आकर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके प्रति अध्यापक-प्रशिक्षकों का अभिमत जानने के लिए संबंधित कथनों पर 5 बिंदु मापनी पर अध्यापक-प्रशिक्षकों के अभिमत लिए गए एवं प्राप्त आवृत्तियों के प्रतिशत पर समान वितरण परिकल्पना पर काई वर्ग (x^2) परीक्षण का मान ज्ञात किया गया जिसे तालिका 2 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 2— शिक्षण पेशे में रुचि रखने वाले विद्यार्थी-शिक्षकों के आकर्षण पर आधारित कथनों व काई-वर्ग (x^2) के मान

कथन	प्रत्यार्थियों का प्रतिशत					x^2 मान	सार्थकता
	अत्यधिक असहमत	*असहमत*	*कुछ सीमा तक सहमत*	*सहमत*	*अत्यधिक सहमत*		
चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. से प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को शिक्षण पेशे की ओर आकर्षित किया जा सकेगा।	13.86	9.90	15.84	30.69	29.70	18.46	.01 स्तर पर सार्थक
चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. से शिक्षण पेशे के प्रति गंभीर रुचि रखने वाले विद्यार्थी-शिक्षक आएँगे।	4.95	11.88	13.86	20.79	48.51	57.76	.01 स्तर पर सार्थक

तालिका 2 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दोनों ही कथनों के लिए प्राप्त x^2 मान 18.46 व 57.76, x^2 तालिका के स्वतंत्र्यांश 4 व सार्थकता स्तर 0.01 के तालिका मान 13.28 से अधिक है। अत: 0.01 सार्थकता स्तर पर शून्य परिकल्पना "चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. का शिक्षण पेशे में प्रतिभाशाली, गंभीर एवं शिक्षण पेशे में रुचि रखने वाले विद्यार्थी-शिक्षकों के प्रवेश पर प्रभाव के संबंध में अध्यापक-प्रशिक्षकों के अभिमत का अध्ययन करना" अस्वीकृत की जाती है। कुल 47.17 प्रतिशत अध्यापक-प्रशिक्षकों का मानना है कि चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को शिक्षण पेशे की ओर आकर्षित करेगा। वहीं 69.3 प्रतिशत अध्यापक-प्रशिक्षक इस कथन से सहमत पाए गए कि चार वर्षीय कार्यक्रम, शिक्षण पेशे के प्रति गंभीर व रुचिकर विद्यार्थी-शिक्षकों को ही आकर्षित करेगा।

अत: कहा जा सकता है कि अध्यापक प्रशिक्षकों का यह अभिमत स्पष्ट है कि चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. के संचालित होने पर विद्यार्थी-शिक्षक भाग्यवश शिक्षण पेशे में नहीं आएँगे, बल्कि प्रतिभाशाली, गंभीर एवं शिक्षण पेशे में रुचि रखने वाले विद्यार्थी-शिक्षक ही इस पेशे की ओर आकर्षित होंगे। कक्षा 12 के बाद जो भी विद्यार्थी चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. में प्रवेश लेगा वह अधिक विचार कर ही आएगा। इस प्रकार केवल वही व्यक्ति इस क्षेत्र में आएँगे जो शिक्षण को अपना पेशा बनाने के प्रति गंभीर होंगे। अतः प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही इस ओर आकर्षित होंगे।

आई.टी.ई.पी. का निवेश पर प्राप्त प्रतिलाभ, भ्रष्ट संस्थानों पर नियंत्रण एवं चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की माँग पर प्रभाव के संबंध में अध्यापक-प्रशिक्षकों का अभिमत

प्रस्तावित चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. के निवेश पर प्राप्त प्रतिलाभ, अध्यापक शिक्षा की डिग्री बेचने वाले संस्थानों पर नियंत्रण एवं चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. की माँग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके प्रति अध्यापक-प्रशिक्षकों का अभिमत जानने के लिए संबंधित कथनों पर 5 बिंदु मापनी पर अध्यापक-प्रशिक्षकों का अभिमत लिया गया एवं प्राप्त आवृत्तियों के प्रतिशत पर समान वितरण परिकल्पना पर काई-वर्ग (x^2) परीक्षण का मान ज्ञात किया गया जिसे तालिका 3 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 3 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कथन संख्या 3 के लिए प्राप्त x^2 मान 19.64, x^2 तालिका स्वतंत्र्यांश 4 व सार्थकता स्तर 0.01 के तालिका मान 13.28 से अधिक है। जबकि कथन संख्या 4 के लिए प्राप्त x^2 मान 12.02, x^2 तालिका के स्वतंत्र्यांश 4 व सार्थकता स्तर 0.05 के तालिका मान 9.49 से अधिक है। जबकि कथन संख्या 5 के लिए प्राप्त x^2 मान 7.76, x^2 तालिका के स्वतंत्र्यांश 4 व सार्थकता स्तर 0.05 के तालिका मान 9.49 से कम है। अत: शून्य परिकल्पना "चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. का निवेश पर प्रतिलाभ, भ्रष्ट संस्थानों पर नियंत्रण एवं अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की माँग पर प्रभाव के संबंध में अध्यापक-प्रशिक्षकों के अभिमत का अध्ययन करना" आंशिक रूप से अस्वीकृत की जाती है।

तालिका 3— निवेश पर प्राप्त प्रतिलाभ, भ्रष्ट अध्यापक शिक्षा संस्थानों पर नियंत्रण एवं चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. की माँग पर प्रभाव व काई वर्ग (x^2) के मान को दर्शाती तालिका

कथन	प्रत्यार्थियों का प्रतिशत					x^2 मान	सार्थकता
	अत्यधिक असहमत	*असहमत*	*कुछ सीमा तक सहमत*	*सहमत*	*अत्यधिक सहमत*		
चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. में निवेश पर प्रतिलाभ अन्य अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की अपेक्षा अधिक प्राप्त होगा।	5.94	15.84	27.72	30.69	19.80	19.64	.01 स्तर पर सार्थक
चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. संचालित करने से अध्यापक शिक्षा की डिग्री बेचने वाले संस्थानों पर नियंत्रण लगाया जा सकेगा।	16.83	11.88	14.85	27.72	28.71	12.02	0.05 स्तर पर सार्थक
चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. की माँग एक वर्षीय व दो वर्षीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की अपेक्षा अधिक रहेगी।	21.78	25.74	18.81	23.76	9.90	7.76	0.05 स्तर पर असार्थक

उपरोक्त विश्लेषण से यह पाया गया कि 50.49 प्रतिशत अध्यापक-प्रशिक्षक सहमत है कि चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. में निवेश पर प्रतिलाभ अधिक होगा। 56.43 प्रतिशत अध्यापक-प्रशिक्षक सहमत हैं कि चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. द्वारा अध्यापक शिक्षा की डिग्री बेचने वाले संस्थानों पर रोक लग सकेगी। वहीं चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. की माँग एक वर्षीय द्वि वर्षीय की अपेक्षा अधिक होगी, इस कथन के संदर्भ में अध्यापक-प्रशिक्षक एकमत नहीं पाए गए।

अतः कहा जा सकता है कि चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. कार्यक्रम बेहतर पेशेवर अध्यापक तैयार कर सकेगा। इसका प्रभाव विद्यार्थी-शिक्षकों की पेशेवर क्षमता पर पड़ेगा। इसमें उनके द्वारा किए गए विनिवेश का उन्हें बेहतर प्रतिफल प्राप्त होगा। एक वर्षीय व द्वि वर्षीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के कारण एकल निजी अध्यापक संस्थानों की संख्या में अधिक वृद्धि हुई। इसमें अधिकतर संस्थान अति निम्न कोटि के हैं, उनका मुख्य उद्देश्य मात्र डिग्री बेचना है। चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. केवल बहुविषयक संस्थानों में ही चलेगा, अतः उनका विकास अपेक्षाकृत अधिक सुनियोजित होगा। जहाँ तक माँग में कोई भिन्नता नहीं होगी। इसका कारण यह हो सकता है कि दिशाविहीन विद्यार्थियों में एक एवं द्वि वर्षीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की माँग अधिक होगी। वहीं समर्पित एवं गंभीर

विद्यार्थियों में चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. की माँग अधिक होगी। इस कारण संभवत: तीनों ही प्रकार के अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की माँग में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा।

आई.टी.ई.पी. का अध्यापकों के गुणात्मक विकास एवं अध्यापक-प्रशिक्षण प्रक्रिया के उन्नयन पर प्रभाव के संबंध में अध्यापक-प्रशिक्षकों का अभिमत

प्रस्तावित चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. से अध्यापकों के गुणात्मक विकास की संभावनाओं एवं संपूर्ण अध्यापक-प्रशिक्षण प्रक्रिया के उन्नयन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके प्रति अध्यापक-प्रशिक्षकों का अभिमत जानने की लिए संबंधित कथनों पर 5 बिंदु मापनी पर अध्यापक-प्रशिक्षकों का अभिमत लिया गया एवं प्राप्त आवृत्तियों के प्रतिशत पर समान वितरण परिकल्पना पर काई वर्ग (x^2) परीक्षण का मान ज्ञात किया गया जिसे तालिका 4 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 4 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कथन संख्या 6 के लिए प्राप्त x^2 मान 10.24, x^2 के स्वतंत्र्यांश 4 व सार्थकता स्तर 0.05 के तालिका मान 9.42 से अधिक है। जबकि कथन संख्या 13 के लिए प्राप्त x^2 मान 15.78, x^2 तालिका के स्वतंत्र्यांश 4 व सार्थकता स्तर 0.01 के तालिका मान 13.28 से अधिक है। अत: प्राप्त मान यह स्पष्ट करते हैं कि अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की अवधि बढ़ाने से अध्यापकों का गुणात्मक विकास संभव हो सकेगा एवं संपूर्ण अध्यापक शिक्षा प्रक्रिया का उन्नयन होगा। इन कथनों से अध्यापक-प्रशिक्षक सहमत हैं जिसमें 55.44 प्रतिशत अध्यापक-प्रशिक्षक सहमत हैं कि चार वर्ष होने से अध्यापकों का गुणात्मक विकास संभव होगा। वहीं 53.46 प्रतिशत अध्यापक-प्रशिक्षक सहमत हैं कि चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. से संपूर्ण अध्यापक शिक्षा प्रक्रिया का उन्नयन होगा।

तालिका 4— अध्यापकों के गुणात्मक विकास एवं अध्यापक शिक्षा प्रक्रिया के उन्नयन पर प्रभाव व काई वर्ग (x^2) के मान

कथन	प्रत्यार्थियों का प्रतिशत					x^2 मान	सार्थकता
	अत्यधिक असहमत	*असहमत*	*कुछ सीमा तक सहमत*	*सहमत*	*अत्यधिक सहमत*		
अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की अवधि को दो वर्ष की जगह चार वर्ष कर देने से अध्यापकों का गुणात्मक विकास संभव हो सकेगा	13.86	15.84	14.85	26.73	28.71	10.24	.05 स्तर पर सार्थक
आई.टी.ई.पी. से संपूर्ण अध्यापक शिक्षा प्रक्रिया का उन्नयन होगा	9.90	11.88	24.75	30.69	22.77	15.78	.01 स्तर पर सार्थक

आई.टी.ई.पी. कार्यक्रम में विषय एवं विषय की शिक्षणशास्त्र में समन्वय के कारण विषय अनुरूप शिक्षणशास्त्र की व्यवहारपरकता बढ़ जाती है। जिसके कारण अधिक कुशल एवं दक्ष अध्यापक तैयार होंगे। यह अध्यापक शिक्षा की गुणात्मकता बढ़ाने के अलावा समग्र रूप में शैक्षिक व्यवस्था के उन्नयन में भी सहायक होगा।

आई.टी.ई.पी. का विद्यार्थी-शिक्षकों के शिक्षण कौशलों, शिक्षण विधियों एवं सृजनात्मकता पर प्रभाव के संबंध में अध्यापक-प्रशिक्षकों का अभिमत

प्रस्तावित चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. का विद्यार्थी-शिक्षकों के शिक्षण कौशलों, शिक्षण विधियों एवं सृजनात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके प्रति अध्यापक-प्रशिक्षकों के अभिमत जानने के लिए संबंधित कथनों पर 5 बिंदु मापनी पर उनके अभिमत लिए गए एवं प्राप्त आवृत्तियों के प्रतिशत पर समान वितरण परिकल्पना पर काई वर्ग (x^2) परीक्षण का मान ज्ञात किया गया। इसे तालिका 5 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 5 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कथन 7, 8, 9 व 11 के लिए प्राप्त x^2 मान क्रमश: 21.62, 29.84, 28.46, व 21.03, प्राप्त x^2 तालिका के स्वतंत्र्यांश 4 व सार्थकता स्तर 0.01 के तालिका मान 13.28 से अधिक है। अत: सार्थकता स्तर 0.01 पर शून्य परिकल्पना

तालिका 5— शिक्षण-कौशलों, शिक्षण विधियों एवं सृजनात्मकता पर प्रभाव व काई-वर्ग (x^2) के मान

कथन	प्रत्यार्थियों का प्रतिशत					x^2 मान	सार्थकता
	अत्यधिक असहमत	*असहमत*	*कुछ सीमा तक सहमत*	*सहमत*	*अत्यधिक सहमत*		
चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. से विद्यार्थी-शिक्षकों में अधिक शिक्षण विधियाँ व प्रविधियाँ प्रयोग करने की क्षमता विकसित होगी	4.95	16.83	18.81	28.71	30.69	21.62	.01 स्तर पर सार्थक
चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. से विद्यार्थी-शिक्षकों अपने शिक्षण विषय में उत्तम शिक्षण क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकेंगे	5.94	8.91	22.77	33.66	28.71	29.84	.01 स्तर पर सार्थक
चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. से विद्यार्थी-शिक्षकों में बेहतर शिक्षण कौशल विकसित होंगे	5.94	11.88	20.79	36.63	24.75	28.46	.01 स्तर पर सार्थक
चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. से विद्यार्थी-शिक्षकों में शिक्षण सृजनात्मकता आएगी	9.90	9.90	24.75	33.66	21.78	21.03	.01 स्तर पर सार्थक

"चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. का विद्यार्थी-शिक्षकों के शिक्षण कौशलों, शिक्षण विधियों एवं सृजनात्मकता पर प्रभाव के संबंध में अध्यापक-प्रशिक्षकों के अभिमत का अध्ययन करना" अस्वीकृत की जाती है। अत: चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. के संचालित होने से विद्यार्थी-शिक्षकों में शिक्षण कौशलों, विधियों, प्रविधियों व सृजनामकता का विकास तथा शिक्षण विषय में उत्तम शिक्षण क्षमताओं के प्रदर्शन की क्षमता विकसित हो सकेगी। इन कथनों पर अध्यापक-प्रशिक्षक स्पष्ट रूप से सहमत हैं।

59.40 प्रतिशत अध्यापक-प्रशिक्षक सहमत हैं कि चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. से विद्यार्थी-शिक्षकों में कई प्रकार की शिक्षण विधियाँ व प्रविधियाँ प्रयोग करने की क्षमता विकसित होगी। वहीं 62.37 प्रतिशत अध्यापक-प्रशिक्षक सहमत हैं कि चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. से विद्यार्थी-शिक्षक अपने शिक्षण विषय में उत्तम शिक्षण क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकेंगे। जबकि 61.38 प्रतिशत अध्यापक-प्रशिक्षक सहमत हैं कि चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. से विद्यार्थी-शिक्षकों में बेहतर शिक्षण कौशल विकसित होंगे तथा 55.44 प्रतिशत अध्यापक-प्रशिक्षक सहमत हैं कि चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. से विद्यार्थी-शिक्षकों में शिक्षण सृजनात्मकता विकसित होगी।

शिक्षण विधियों को जब तक विषयवस्तु के साथ जोड़कर न पढ़ा जाए उनकी प्रभाविता नहीं बढ़ाई जा सकती, क्योंकि आई.टी.ई.पी. का पाठ्यक्रम शिक्षण विधियों व विषयवस्तु दोनों को एकीकृत करता है। अतः आई.टी.ई.पी. में आए विद्यार्थी-शिक्षकों की शिक्षण दक्षताएँ उत्तम होंगी तथा वे अपने विषय में उत्तम शिक्षण क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकेंगे। सृजनात्मकता का संबंध जहाँ व्यक्ति की बौद्धिक क्षमताओं से होता है, वहीं उसके पूर्वानुभवों, सीखने के स्तर एवं अवसरों की उपलब्धता से भी होता है। चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. इन सभी का अवसर प्रदान करेगा जिससे विद्यार्थी-शिक्षकों में सृजनात्मकता का विकास होगा।

चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. को प्रारंभ करने अथवा न करने पर अध्यापक-प्रशिक्षकों का अभिमत

प्रस्तावित चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. के संदर्भ में अध्यापक-प्रशिक्षकों का अभिमत जानने के लिए संबंधित कथन पर 5 बिंदु मापनी पर उनका अभिमत लिया गया एवं प्राप्त आवृत्तियों के प्रतिशत पर समान वितरण परिकल्पना पर काई-वर्ग (x^2) परीक्षण का मान ज्ञात किया गया। जिसे तालिका 6 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 6— चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. को प्रारंभ करने अथवा न करने पर अध्यापक-प्रशिक्षकों का अभिमत व काई-वर्ग (x^2) के मान

कथन	प्रत्यार्थियों का प्रतिशत					x^2 मान	सार्थकता
	अत्यधिक असहमत	*असहमत*	*कुछ सीमा तक सहमत*	*सहमत*	*अत्यधिक सहमत*		
चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. को लागू करना एक सुविचारित कदम है	14.85	13.86	19.80	26.73	24.75	6.67	.05 स्तर पर असार्थक

तालिका 6 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कथन संख्या 14 के लिए प्राप्त x^2 मान 6.67, जो x^2 तालिका स्वतंत्र्यांश 4 व सार्थकता स्तर 0.05 के तालिका मान से कम है। अत: 0.05 सार्थकता स्तर पर शून्य परिकल्पना "चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. को प्रारंभ करने अथवा न करने पर अध्यापक-प्रशिक्षकों के अभिमत का अध्ययन करना" को स्वीकृत किया जाता है। "चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. को लागू करना एक सुविचारित कदम है" इस कथन से 51.48 प्रतिशत अध्यापक-प्रशिक्षक सहमत हैं, जबकि 28 प्रतिशत अध्यापक-प्रशिक्षक असहमत हैं व 19.80 प्रतिशत कुछ स्पष्ट अभिमत नहीं दे पा रहे हैं। अत: कहा जा सकता है कि चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. को लागू करने के विचार के बारे में अध्यापक-प्रशिक्षकों का अभिमान स्पष्ट नहीं है।

"चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. को लागू करना एक सुविचारित कदम है" इस कथन पर अध्यापक-प्रशिक्षकों का एक मत न होने का कारण यह दृष्टिकोण हो सकता है कि चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. को पहले पायलट परीक्षण के रूप में कुछ चुने हुए संस्थानों में लागू कर देखना चाहिए व तदुपरांत उपयुक्त शोध अध्ययन का आवश्यकतानुसार नीति बनाते हुए अन्य संस्थानों मे लागू करना चाहिए।

अध्यापक-प्रशिक्षकों के द्वारा चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. के संदर्भ में दिए गए अन्य गुणात्मक सुझाव

चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. के संदर्भ में अध्यापक-प्रशिक्षकों से अन्य सुझाव व टिप्पणियाँ भी पूछी गई थीं। इसमें उनके द्वारा विविध प्रकार के सुझाव दिए गए, जो अग्रलिखित प्रकार हैं—

- चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. में अध्यापकों की योग्यता व शिक्षण कौशल पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, मात्र अवधि बढ़ाने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा।
- चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. में केवल वही विद्यार्थी प्रवेश लेंगे, जो वास्तव में शिक्षण पेशे में रुचि रखते हैं।
- चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. को एक नया नाम देने की कोई अवशयकता नहीं है। पूर्व में संचालित नाम जैसे बी.ए.-बी.एड., बी.एससी.-बी.एड., बी.कॉम.-बी.एड. आदि को ही यथावत रखा जा सकता है।
- चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. केवल तभी सार्थक सिद्ध होगा जब इसे पूर्णतः लागू करने से पहले एक मॉडल के रूप में गहन परिचर्चा कर निर्मित किया जाए व उसे छोटे समूह पर लागू करके देखा जाए तथा शोध अध्ययन के आधार पर सुधार करते हुए व्यापक स्तर पर लागू किया जाए।
- अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की अवधि को कम और ज़्यादा करने के स्थान पर अध्यापकों की गुणवत्ता, पाठ्यक्रम, संसाधनों आदि की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।
- पूरे भारत देश में बी.एड. कार्यक्रम का पाठ्यक्रम समान होना चाहिए।
- द्वि वर्षीय व चार वर्षीय दोनों ही अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को एक साथ संचालित किया जाना चाहिए।
- अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में सैद्धांतिक पक्ष पर कम तथा प्रयोगात्मक पक्ष पर अधिक बल दिया जाना चाहिए।

आरेख 1— अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की अवधि के संबंध में अध्यापक-प्रशिक्षकों के अभिमत का आरेख

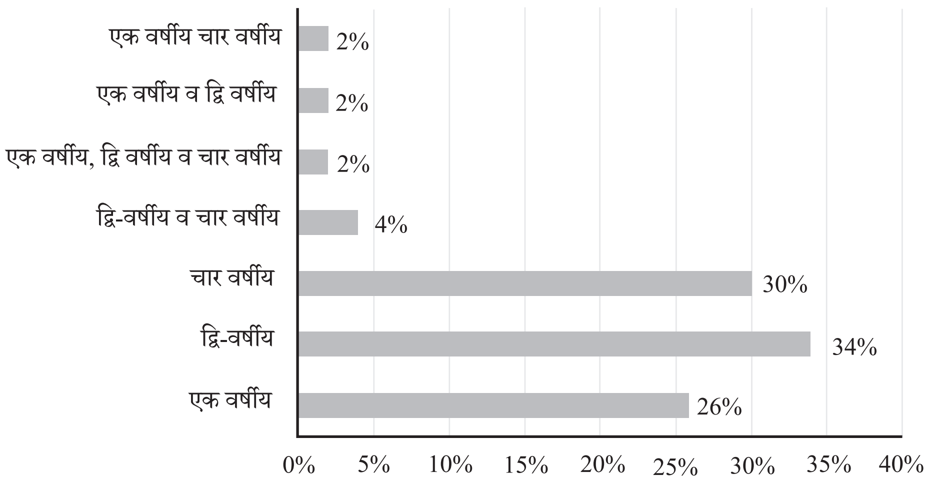

आरेख 1 से स्पष्ट होता है कि चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. लागू करने के लिए 30 प्रतिशत अध्यापक-प्रशिक्षक समर्थन देते हैं। जबकि 34 प्रतिशत द्वि वर्षीय एवं 26 प्रतिशत एक वर्षीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाने के पक्ष में अभिमत रखते हैं। इसलिए कथन संख्या 14 'चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. को लाना एक सुविचारित कदम है' पर अध्यापक-प्रशिक्षकों का अभिमत स्पष्ट नहीं है। परिलक्षित करता है कि इसका कारण यह हो सकता है कि इस कार्यक्रम को लागू करने में अन्य व्यावहारिक कठिनाइयाँ, यथा आधारभूत संरचना, विषयों का एकीकृत पाठ्यक्रम, शिक्षणशास्त्र आदि हो सकते हैं। अध्यापक-प्रशिक्षक जो एक वर्षीय व द्वि वर्षीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में कार्य कर रहे हैं, उन्हें चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. के लाभ ज्ञात होते हुए भी पूर्व में संचालित अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम ही अधिक सरल एवं सुविधाजनक लगते हैं। मनोवैज्ञानिक तौर पर व्यक्ति अपनी सुविधा क्षेत्र में रहना चाहता है, संभवत: अध्यापक-प्रशिक्षकों ने इसी कारण एक वर्षीय व द्वि वर्षीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को ही चलाए जाने के पक्ष में अपना अभिमत दिया है। इसी कारण अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के विविध आयामों के आधार पर अध्यापक-प्रशिक्षकों के अभिमत एवं समग्र मतों में अंतर दिखाई देता है।

निष्कर्ष

इस अध्ययन में चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. के प्रति अध्यापक-प्रशिक्षकों के अभिमत का अध्ययन किया गया था। अध्ययन के आधार पर ज्ञात हुआ कि अध्यापक-प्रशिक्षक मानते हैं कि चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. के संचालित होने से विद्यार्थी-शिक्षक अधिक पेशेवर एवं शिक्षण पेशे के प्रति समर्पित होंगे। क्योंकि अकादमिक विषयों एवं उनके शिक्षणशास्त्र में

बेहतर समन्वय होने के कारण यह संभव हो पाएगा। अध्यापक-प्रशिक्षक यह अभिमत रखते हैं कि चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. के आने के बाद शिक्षण पेशे के प्रति गंभीर, प्रतिभाशाली एवं शिक्षण पेशे में रुचि रखने वाले विद्यार्थी ही आकर्षित होंगे। अध्यापक-प्रशिक्षक मानते हैं कि चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. में निवेश पर प्राप्त प्रतिलाभ अन्य अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की अपेक्षा अधिक होगा एवं भ्रष्ट संस्थानों को नियंत्रित किया जा सकेगा। चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. में प्रवेश लेने से पहले विद्यार्थियों को अपने निर्णय पर गंभीरता से विचार करना होगा।

अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की अवधि बढ़ाने से अध्यापकों का गुणात्मक विकास संभव हो सकेगा एवं संपूर्ण अध्यापक शिक्षा प्रक्रिया का उन्नयन होगा, ऐसी विचारधारा अध्यापक-प्रशिक्षकों में पाई गई। अकादमिक एवं पेशेवर शिक्षा के विभाजन का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी विरोध करती है। अध्यापक शिक्षा में अकादमिक एवं शिक्षणशास्त्रीय शिक्षा को अलग-अलग उपाधियों के द्वारा प्रदान करने से इनके समन्वित ज्ञानोपयोग में कठिनाई आती है, अत: अध्यापक शिक्षा को यह कार्यक्रम गुणात्मक रूप प्रदान कर सकेगा। चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. को लागू करने का एक सुविचारित कदम है, इस पर सभी अध्यापक-प्रशिक्षक एकमत नहीं हो पाए हैं। इस मतभेद के पीछे चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. पर लगने वाले अधिक संसाधनों का व्यय, समय अवधि, तैयारी आदि कारण हो सकते हैं।

अध्यापक-प्रशिक्षकों से प्राप्त अन्य सुझावों व टिप्पणियों के आधार पर यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि कार्यक्रम की अवधि को बढ़ाने या घटाने से ज़्यादा ध्यान अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की संपूर्ण गुणवत्ता पर देना चाहिए। साथ ही यह भी पाया गया कि अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की अवधि पर अध्यापक-प्रशिक्षकों का अभिमत एक नहीं है। फिर भी, कहा जा सकता है कि द्वि वर्षीय व चार वर्षीय दोनों अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के पक्ष में अध्यापक-प्रशिक्षकों का प्रतिशत अधिक है।

अध्ययन के निष्कर्ष यह बताते हैं कि चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. को बहुत सोच विचार कर प्रारंभ करने की आवश्यकता है। अध्यापक-प्रशिक्षक, चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. के प्रति कई बिंदुओं पर सकारात्मक अभिमत रखते हैं, व चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. को लागू करने की ओर कुछ रुझान भी रखते हैं, किंतु उनके अनुसार चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. को प्रारंभ करने से पूर्व उससे संबंधित लाभ-हानि पर विचार करना आवश्यक है। इस शोध अध्ययन का निष्कर्ष एन.सी.टी.ई. द्वारा उठाए गए कदमों से भी सही सिद्ध होता है कि वर्ष 2021 में नया गजट लाकर पुनः पायलट परीक्षण के रूप में आई.टी.ई.पी. को शुरू करने के लिए 2022 में आवेदन माँगना आदि। इस शोध अध्ययन के निष्कर्ष इस पर बल देते हैं कि आई.टी.ई.पी. एक अत्यंत उपयोगी कार्यक्रम हो सकता है, यदि इसे उचित समन्वय व अथक प्रयासों के साथ प्रारंभ किया जाए।

शैक्षिक निहितार्थ

इस शोध अध्ययन के परिणाम अध्यापक शिक्षा नियोजकों, प्रशासकों, प्रशिक्षकों, शोधार्थियों एवं विद्यार्थी-शिक्षकों, सभी के लिए उपयोगी हो सकते हैं। इस शोध अध्ययन के परिणाम अध्यापक

शिक्षा नियोजकों को यह निर्णय लेने में सहायता करेंगे कि चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. प्रारंभ किया जाना चाहिए या नहीं तथा यह भी अनुमान लगाने में सहायता करेगा कि चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. से अध्यापक-प्रशिक्षकों की क्या अपेक्षाएँ हैं। प्रशासकों व प्रशिक्षकों को इस शोध अध्ययन के परिणामों द्वारा यह समझने में सहायता मिलेगी कि विषयवस्तु व शिक्षणशास्त्र का एकीकरण सार्थकतापूर्वक किया जाए। विद्यार्थी-शिक्षक भी चार वर्षीय आई.टी.ई.पी. के सकारात्मक पक्ष के प्रति जागरूक हो सकेंगे व शिक्षण पेशे की गंभीरता को समझते हुए शिक्षण में रुचि दिखाएँगे।

संदर्भ

ए.सी. देवगौड़ा समिति. 1964. *चार वर्षीय बी.एड. कार्यक्रम* 18 जनवरी 2022 को https://www.worldcat.org/oelc/1583807 से लिया गया.

एन.सी.टी.ई. 2001. *अध्यापक शिक्षा में नीतिगत परिदृश्य विवेचन व प्रलेखन— अध्यापक शिक्षा पर विभिन्न आयोगों व समितियों की अनुशंसाएँ.* नागरी प्रिंटर्स, नवीन शाहदरा, नई दिल्ली.

______. 2014. *बीएड. न्यू रेगुलेशन.* द गजट ऑफ़ इण्डिया, एक्स्ट्रा आर्डिनरी (भाग-3. खंड 4).

______. 1968. रिव्यू कमिटी रिपोर्ट ऑन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ़ टीचर एजुकेशन इन रीजनल कॉलेजेस ऑफ़ एजुकेशनल. पृष्ठ संख्या 24–25.

कोर, एन. 2019. *इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम— एन एनालीसिस थ्रू कम्पैरटिव पर्सपेक्टिव.* 20 अप्रैल 2022 को https://www.researchgate.net/publication/351411809_Integrated_Teacher_Education_Programme_An_analysis_through_Comparative_Perspective pdf से प्राप्त किया गया.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020.* भारत सरकार, नई दिल्ली.

मिनिस्ट्री ऑफ़ एजुकेशन. *रिपोर्ट ऑफ़ द एजुकेशन कमीशन 1964–66.* भारत सरकार, नई दिल्ली.

शर्मा, आर. एन. एवं आर. के. शर्मा. 2004. *प्रॉब्लेम्स ऑफ़ एजुकेशन इन इंडिया.* अटलांटिक पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स.

लेखकों के लिए दिशानिर्देश

लेखक अपने मौलिक लेख/शोध पत्र सॉफ़्ट कॉपी (जहाँ तक संभव हो यूनीकोड में) के साथ निम्न पते या ई-मेल journals.ncert.dte@gmail.com पर भेजें –

अकादमिक संपादक
भारतीय आधुनिक शिक्षा
अध्यापक शिक्षा विभाग
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016

लेखक ध्यान रखें कि लेख/शोध पत्र —

- सरल एवं व्यावहारिक भाषा में हो, जहाँ तक संभव हो लेख/शोध पत्र में व्यावहारिक चर्चा एवं दैनिक जीवन से जुड़े उदाहरणों का समावेश करें।
- विषय-वस्तु लगभग 2500 से 3000 शब्दों या अधिक में हिंदी फ़ोंट में टंकित हो।
- विषय-वस्तु के साथ ही तालिका एवं ग्राफ़ हो तथा व्याख्या में तालिका में दिए गए तथ्यों एवं ग्राफ़ का उल्लेख हो।
- ग्राफ़ अलग से Excel File में भी भेजें।
- विषय-वस्तु में यदि चित्र हो, तो उनके स्थान पर खाली बॉक्स बनाकर चित्र संख्या लिखें एवं चित्र अलग से JPEG फ़ॉर्मेट में भेजें, जिसका आकार कम-से-कम 300 dots per inch (dpi) हो।
- लेखक/शोधक अपना संक्षिप्त विवरण भी दें।
- संदर्भ वही लिखें जो लेख/शोत्र पत्र में आए हैं अर्थात् जिनका वर्णन लेख/शोध पत्र में किया गया है। संदर्भ लिखने का प्रारूप एन.सी.ई.आर.टी. के अनुसार हो, जैसे—
  पाल, हंसराज. 2006. *प्रगत शिक्षा मनोविज्ञान*. हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली.

लेख —

- लेख की वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर आधारित सार्थक प्रस्तावना लिखें, जो आपके लेख के शीर्षक से संबंधित हो अर्थात् वर्तमान में शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा पर राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर जो नीतिगत परिवर्तन आए हैं, उनका समावेश करने का प्रयास करें।
- निष्कर्ष या समापन विशिष्ट होना चाहिए।

शोध पत्र —

- शोध पत्र की वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर आधारित सार्थक प्रस्तावना एवं औचित्य लिखें, जो आपके शोध पत्र के शीर्षक से संबंधित हो अर्थात् वर्तमान में शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा पर राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर जो नीतिगत परिवर्तन आए हैं एवं जो शोध कार्य हुए हों, उनका समावेश करने का प्रयास करें।
- न्यादर्श की पूरी जानकारी लिखें अर्थात् न्यादर्श की प्रकृति, न्यादर्श चयन का तरीका आदि।
- प्रदत्त संकलन के लिए उपयोग किए गए उपकरणों की संक्षिप्त जानकारी दें।
- प्रदत्त विश्लेषण में तथ्यों का गुणात्मक आधार बताते हुए विश्लेषण करें।
- उद्देश्यानुसार निष्कर्ष लिखें तथा समापन विशिष्ट होना चाहिए।
- शोध पत्र के शैक्षिक निहितार्थ भी लिखें अर्थात् आपके शोध निष्कर्षों से किन्हें लाभ हो सकता है।

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016 के द्वारा प्रकाशित तथा चार दिशाएँ प्रिंटर्स प्रा.लि., जी 40 - 41, सैक्टर - 3, नोएडा 201 301 द्वारा मुद्रित।

रजि. नं. 42912/84

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित शैक्षिक पत्रिकाओं के संशोधित मूल्य

Rates of National Council of Educational Research and Training Educational Journals

पत्रिका	प्रति कॉपी शुल्क	वार्षिक सदस्यता शुल्क
School Science (Quarterly) A Journal for Secondary Schools *स्कूल साइंस (त्रैमासिक)* *माध्यमिक विद्यालयों के लिए पत्रिका*	₹ 55.00	₹ 220.00
Indian Educational Review A Half-yearly Research Journal *इंडियन एजुकेशनल रिव्यू (अर्द्ध वार्षिक शोध पत्रिका)*	₹ 50.00	₹ 100.00
Journal of Indian Education (Quarterly) *जर्नल ऑफ़ इंडियन एजुकेशन (त्रैमासिक)*	₹ 45.00	₹ 180.00
भारतीय आधुनिक शिक्षा (त्रैमासिक) *Bharatiya Aadhunik Shiksha (Quarterly)*	₹ 50.00	₹ 200.00
Primary Teacher (Quarterly) *प्राइमरी टीचर (त्रैमासिक)*	₹ 65.00	₹ 260.00
प्राथमिक शिक्षक (त्रैमासिक) *Prathmik Shikshak (Quarterly)*	₹ 65.00	₹ 260.00

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की पत्रिकाओं की सदस्यता लेने हेतु शिक्षाविदों, संस्थानों, शोधार्थियों, अध्यापकों और विद्यार्थियों को आमंत्रित किया जाता है।

अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए पते पर संपर्क करें।

मुख्य प्रबंधक अधिकारी, प्रकाशन विभाग
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016

ई-मेल – gg_cbm@rediffmail.com, फ़ोन – 011-26562708, फ़ैक्स – 011-26851070

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016 के द्वारा प्रकाशित तथा चार दिशाएँ प्रिंटर्स प्रा.लि., जी 40-41, सैक्टर - 3, नोएडा 201 301 द्वारा मुद्रित।

विद्यया ऽ मृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING